


इरकॉन 41
उत्कृष्ट
वर्ष



वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017



इरकॉन

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED

ircon

विज्ञान

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कंपनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

लक्ष्य

- क) भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसरचरणात्मक विकास की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप तैयार करना।
- ख) सर्वोत्तम इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप व समय पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाएं प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना।

41वीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	3
अध्यक्ष का संबोधन	5-6
निदेशक की रिपोर्ट	7-31
सीएसआर एवं धारणीय गतिविधियों पर रिपोर्ट	32-37
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	38-43
कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	44-64
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	65-68
वार्षिक रिटर्न का उद्घरण (फॉर्म सं.एमजीटी-9)	69-76
संबंधित पक्ष संव्यवहार (फॉर्म सं.एओसी-2)	77-79
निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध	80-81
पुरस्कार और प्रमाणपत्र	82-83
इरकॉन की वित्तीय विशेषताएं	84
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण:	
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	86-95
तुलन पत्र	96-97
लाभ और हानि का विवरण	98
रोकड़ प्रवाह विवरण	99
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	100-101
लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ - नोट सं 1 से 55	102-191
नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक की टिप्पणियां	192
समेकित वित्तीय विवरण:	
सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं (फॉर्म सं. एओसी-1)	194-195
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	196-202
तुलन पत्र	203-204
लाभ और हानि विवरण	205-206
रोकड़ प्रवाह विवरण	207-208
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	209-210
लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ - नोट सं 1 से 58	211-294
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	195-296

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री एस.के.चौधरी
(29.10.2016 से)

पूर्णकालीन निदेशक



श्री एम.के.सिंह
निदेशक वित्त
(01.05.2016 से)



श्री दीपक सबलोक
निदेशक परियोजना



श्री हितेश खन्ना
निदेशक कार्य

अंशकालीन (सरकारी) निदेशक



श्री राजीव चौधरी
(17.11.2016 से)



श्री एस.सी.जैन
(03.01.2017 से)

स्वतंत्र निदेशक



श्री एस.के.सिंह
(05.04.2016 से)



श्री अवनीश माटा
(08.04.2016 से)



प्रो. (सुश्री) वसुधा वी.कामत
(22.04.2016 से)



डॉ. सी.बी. वेंकटरमन
(28.09.2017 से)

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

दूरभाष: 91-11-29565666

फैक्स: 91-11-26522000/26854000

ई-मेल: info@ircon-org

वेबसाइट: www-ircon-org

सीआईएन: यू45203डीएल1976जीओआई008171

कंपनी सचिव

सुश्री सुमिता शर्मा

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स के.जी.सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स चन्द्रा वधवा एंड कंपनी
लागत लेखापरीक्षक

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

मुख्य बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
एचडीएफसी बैंक



निगमित कार्यालय भवन, इरकॉन, साकेत नई दिल्ली

अध्यक्ष का संबोधन



गणमान्य शेयरधारकों,

कंपनी की 41वीं साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अन्य हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कंपनी के निष्पादन में सुधार हुआ है, जिसे 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों और अन्य संबंधित रिपोर्टों से देखा जा सकता है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं।

मैं इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

वित्तीय विशेषताएं

आपकी कंपनी की प्रचालनिक आय में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2015-16 में 2419 करोड़ रूपए से बढ़कर 2016-17 में 2995 करोड़ रूपए हो गई है, हालांकि कर पूर्व लाभ में 12 प्रतिशत की कमी हुई है जो समवर्ती अवधि में यह 602 करोड़ रूपए से 532 करोड़ रूपए हो गई है। 3254 करोड़ रूपए की कुल आय में भारतीय परियोजनाओं का अंशदान 90 प्रतिशत है।

आपकी कंपनी ने जनवरी 2017 को 4:1 के अनुपात में बोनस शेयर आवंटित किए हैं अर्थात् शेयरधारकों द्वारा धारित प्रत्येक एक इक्विटी शेयर के लिए चार बोनस (इक्विटी) शेयर, जिससे प्रदत्त शेयर पूंजी 19.796 करोड़ रूपए से 98.98 करोड़ रूपए हो गई है।

कंपनी ने पहले ही 95.15 करोड़ रूपए के कुल अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी ने अब प्रदत्त शेयर पूंजी के 278 प्रतिशत अर्थात् 97.25 करोड़ रूपए की राशि के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जिसमें सर्वर्धित शेयर पूंजी पर आनुपातिक लाभांश शामिल है। इस प्रकार 2016-17 का कुल लाभांश 192.40 करोड़ रूपए है जो प्रदत्त शेयर पूंजी का 550 प्रतिशत और कर पश्चात लाभ का 52.15 प्रतिशत है। इस प्रस्तावित अंतिम लाभांश के पश्चात, शेयरधारकों

का संचित लाभांश 5 करोड़ रूपए (लगभग) की मूल पूंजी के प्रति 1299.91 करोड़ रूपए हो जाएगा।

कंपनी ने निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) से प्राप्त 23 अगस्त 2017 के पत्र के अनुसार 3822.21 करोड़ रूपए की निवल सम्पत्ति के 5 प्रतिशत तक, आनुपातिक आधार पर मौजूदा शेयरधारकों से स्वयं के शेयरों के बाय-बैक का भी प्रस्ताव किया है।

आपकी कंपनी के शेयरों के सूचीकरण का भी विचार है, और इस प्रयोजन के लिए कार्यविधि प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं पर डीआईपीएएम द्वारा नियुक्त सलाहकारों और बीआरएलएम के माध्यम से कार्य चल रहा है।

प्रचालनिक विशेषता

वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने चार परियोजनाएं पूरी कर ली हैं, दो भारत में और एक-एक भूटान और बांग्लादेश में। आपकी कंपनी ने भारत के विभिन्न राज्यों में 25 से अधिक परियोजनाओं के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी बांग्लादेश, अल्जीरिया तथा दक्षिण अफ्रीका में भी परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है।

आपकी कंपनी का उत्पाद मिश्रण विविध है और इसमें सिग्नलिंग परियोजनाएं, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन, सड़क ऊपरिपुल, भवन, एनएचएआई से सड़क परियोजनाएं शामिल हैं और इसके अतिरिक्त, रेलपथ बिछाने, स्तरोन्नयन, दोहरीकरण, रेल साइडिंग, कोयला सम्पर्कता परियोजनाएं, स्टेशनों के पुनर्विकास आदि की रेल परियोजनाएं शामिल हैं।

इनमें से कुछ परियोजनाओं के निष्पादन का माध्यम ईपीसी है, जबकि एनएचएआई से प्राप्त सड़क परियोजनाओं का निष्पादन इस

परियोजना के लिए सृजित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) के माध्यम से किया जा रहा है और कोयला संपर्कता परियोजनाओं का निष्पादन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सामरिक गठजोड़ के रूप में सृजित संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे जेवी में इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 26 प्रतिशत है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि रेल मंत्रालय ने हमें हाल ही में एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा है जिसके तहत मौजूदा नई दिल्ली से हावड़ा मार्ग की गति को बढ़ाकर प्रतिघंटा 160/200 किमी किया जाएगा ताकि इन दो गंतव्यों के बीच के यात्रा समय को 12 घंटों तक कम किया जा सके।

सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां

31 मार्च 2017 को इरकॉन की चार सहायक कंपनियां हैं यथा, इरकॉन आईएसएल, आईआरएसडीसी, इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन एसजीटीएल। वर्ष के समापन के पश्चात, 11 मई 2017 को इरकॉन डीएचएचएल नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन किया गया है, जबकि आरएलडीए को 1 प्रतिशत इक्विटी स्टेक (इरकॉन द्वारा धारित 51 प्रतिशत में से) अंतरित किए जाने के कारण आईआरएसडीसी अब सहायक कंपनी नहीं रही है। आईआरएसडीसी की वर्तमान स्थिति संयुक्त उद्यम कंपनी की है जिसमें इरकॉन और आरएलडीए की इक्विटी भागीदारी 50:50 की है।

आपकी कंपनी के पास आईएसटीपीएल का 50 प्रतिशत इक्विटी स्टेक है, जो कि सोमा इंटरप्राइसिस लिमिटेड के साथ एक अन्य संयुक्त उद्यम कंपनी है। आपकी कंपनी के पास पांच अन्य संयुक्त उद्यम कंपनियों में 26 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी है यथा सीआईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, जेसीआरएल तथा बीआरपीएल, जिनका निगमन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडीशा राज्यों में कोयला संपर्कता परियोजनाओं के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान, इरकॉन ने 21 अक्टूबर 2015 को निष्पादित निपटान करार की शर्तों के अनुसार मोजांबीक की एकमात्र संयुक्त उद्यम कंपनी सीसीएफबी में 25 प्रतिशत की शेयरधारिता को मोजांबीक सरकार को अंतरित की है।

निगमित शासन, सीएसआर तथा धारणीयता

आपकी कंपनी सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है, और डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निगमित शासन की अपेक्षाओं, और अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उपायों के प्रति 5.89 करोड़ रूपए की राशि खर्च की है। सीएसआर उपायों का उद्देश्य धारणीय रूप से व्यवसाय का संचालन करना है, जिसमें व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, रोजगार संवर्धन शिक्षा सहित भिन्न रूप से सक्षम लोगों के लिए शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, अवसंरचना विकास आदि शामिल हैं।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में नई गतिविधियों के साथ चलने के लिए कंपनी ने मई 2017 में अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति में संशोधन किया है।

आभारोक्ति:

इस संबोधन का समापन करने से पूर्व, मैं अपने गणमान्य शेयरधारकों, निदेशक मंडल में अपने सहकर्मियों, तथा रेलवे बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों का उनके मूल्यवान समर्थन, सलाह और सहयोग के लिए सहृदय आभार प्रकट करता हूँ। मैं भारत तथा विदेश दोनों में अपने गणमान्य ग्राहकों के निरंतर विश्वास और भरोसे के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों के अच्छे कार्य के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

एक संगठन को सतर्क रहना चाहिए और भावी मांग को पूरा करने के लिए पुनःप्रवृत्त रहना चाहिए। इसलिए, यह कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कहां खड़े हैं बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इरकॉन अपनी प्रगतिशील दृष्टिकोण, परिदृश्य और अपने कार्य से कीर्ति और सफलता के नए आयामों को पार करेगा।

ह/-

(एस.के.चौधरी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन नं: 00515672)

दिनांक : 28 सितंबर 2017

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन के विशिष्ट शेयरधारकगण

वित्तीय वर्ष 2016-17 की कम्पनी की 41वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कम्पनी के निदेशकों को अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

कार्य निष्पादन विशेषताएँ

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कम्पनी ने 2994.80 करोड़ रुपए की कुल प्रचालनिक आय तथा 531.72 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचालनिक आय 2418.51 करोड़ रुपए और कर पूर्व लाभ 602.36 करोड़ रुपए था।

कम्पनी के कुल टर्नओवर में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रचालनिक टर्नओवर में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि, कर पूर्व लाभ में 12 प्रतिशत की कमी और कर पश्चात लाभ में 7 प्रतिशत की कमी हुई है जो मुख्य रूप से 2015-16 के दौरान मोजांबीक सरकार के साथ निपटान करार में व्यापक आय समायोजन के कारण हुई है।

वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी के वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतन निम्नानुसार हैं:

क. वित्तीय निष्पादन संकेतन

(रुपये करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2016-17	2015-16	वृद्धि/ (कमी) (%)
1.	कुल आय/टर्नओवर	3254	2860	14
2.	कुल प्रचालन आय/टर्नओवर	2995	2419	24%
3.	विदेशी परियोजनाओं से प्रचालन आय	327	409	(20%)
4.	भारतीय परियोजनाओं से प्रचालनिक आय	2668	2010	33%
5.	कर पूर्व लाभ	532	602	(12%)
6.	कर पश्चात लाभ	369	395	(7%)
7.	निवल सम्पत्ति	3828	3667	4%
8.	लाभांश	192.40*	168.26	14%

* इसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भुगतान किए गए

2016-17 के लिए 95.15 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश और 2016-17 के लिए 97.25 करोड़ रुपए का अंतिम लाभांश शामिल है, जिसका भुगतान इंडो- एएस के अनुसार वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदन के वर्ष पर किया जाएगा।

घरेलू परियोजनाओं में प्रचालनिक आय में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2015-16 में 2009 करोड़ रुपए से बढ़कर 2016-17 में 2668 करोड़ रुपए हो गई है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2015-16 में 409 करोड़ रुपए से बढ़कर 2016-17 में 327 करोड़ रुपए हो गई है।

ख. विदेशी विनिमय आमदनी और निर्गम

कम्पनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान 550 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 265 करोड़ रुपए विदेशी विनिमय अर्जित किया है। विदेशी मुद्रा निर्गम वर्ष 2015-16 में 491 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2016-17 में 241 करोड़ रुपए हो गया है। इस प्रकार, उपर्युक्त विदेशी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण वर्ष 2015-16 में 59 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2016-17 में 24 करोड़ रुपए की विदेशी विनिमय अर्जित की है जो कि 59% की कमी को दर्शाता है।

ग. लाभांश

निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए 19.796 करोड़ रुपए (पूर्ण वर्ष हेतु) की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 226% की दर से, 70.059 करोड़ रुपए (लगभग) के अंतरिम लाभांश तथा जनवरी 2017 में 79.184 करोड़ रुपए की आनुपातिक बोनस शेयर पूँजी (70 दिनों हेतु) के भुगतान की घोषणा की थी। उक्त अंतरिम लाभांश का भुगतान सभी शेयरधारकों को फरवरी 2017 में किया गया था।

निदेशक मंडल ने 19.796 करोड़ रुपए (पूर्ण वर्ष हेतु) की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 46% की दर से, 16.092 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अंतरिम लाभांश (अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त) तथा मार्च 2017 में 79.184 करोड़ रुपए की आनुपातिक बोनस शेयर पूँजी (70 दिनों हेतु) के भुगतान की घोषणा की थी। उक्त अंतरिम लाभांश का भुगतान सभी शेयरधारकों को मार्च 2017 में किया गया था।

निदेशक मंडल ने 19.796 करोड़ रुपए (पूर्ण वर्ष हेतु) की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 278% की दर से, 97.25 करोड़ रुपए के अंतिम

लाभांश (अंतरिम लाभांश तथा अतिरिक्त अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त) तथा 79.184 करोड़ रूपए की आनुपातिक बोनस शेयर पूंजी (70 दिनों हेतु) की सिफारिश की है ताकि शेयरधारकों के लिए इसकी घोषणा की जा सके।

इस प्रकार, 2016-17 के लिए कुल लाभांश 192.40 करोड़ रूपए हो गया है यथा प्रदत्त शेयर पूंजी का 550 प्रतिशत जो 369 करोड़ रूपए (लगभग) के कर पूर्व लाभ का 52.15 प्रतिशत है। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन और भुगतान के पश्चात 2016-17 के लिए शेयरधारकों के लिए संचित लाभांश 1299.91 करोड़ रूपए हो जाएगा।

घ. विनियोजन/कर प्रावधान/आरक्षित निधि :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1	अंतरिम लाभांश (अतिरिक्त अंतरिम लाभांश)	95.15	79.18
2	घोषित और प्रदत्त लाभांश	89.08*	102.94**
3	अंतरिम लाभांश पर कर	19.37	16.12
4	घोषित और प्रदत्त लाभांश पर कर	18.14*	20.96**

* 2016-17 में प्रदत्त 2015-16 से संबंधित

** 2014-15 में प्रदत्त 2015-16 से संबंधित

ड. शेयर पूंजी में वृद्धि

1. प्राधिकृत शेयर पूंजी

आपकी कंपनी ने 22 दिसंबर 2015 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रूपए कर दी है। प्राधिकृत शेयर पूंजी में उक्त वृद्धि को 13 अप्रैल 2016 को भारत के राष्ट्रपति (प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से) की सहमति प्राप्त हो गई है।

वर्ष के समापन के पश्चात, प्राधिकृत शेयर पूंजी को 22 मई 2017 को आयोजित असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की शर्तों के अनुसार 100 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रूपए कर दिया गया है। इस वृद्धि को पहले ही 03 नवंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति (प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से) सहमति प्राप्त हो गई है।

2. बोनस शेयरों के इश्यु के माध्यम से प्रदत्त शेयर पूंजी

आपकी कंपनी ने 28 सितंबर 2016 को आयोजित एजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात मुक्त आरक्षित निधि में से मौजूदा शेयरधारकों द्वारा धारित प्रत्येक एक शेयर के लिए 4:1 के अनुपात में यथा चार बोनस (इक्विटी) शेयर जारी किए हैं। तत्पश्चात, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5 जनवरी 2017 को 19.796 करोड़ रूपए से 98.98 करोड़ रूपए हो गई है।

च. शेयरों का सूचीकरण

भारत सरकार ने 2017-18 के लिए बजट में कंपनी के शेयरों के सूचीकरण की घोषणा की है। तदनुसार, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय ने प्रमोटरों (यथा भारत सरकार) द्वारा शेयरों के आरंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के माध्यम से कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के विनिवेश के लिए उनके अंतरराष्ट्रीय कंसार्टियम साझेदार मैसर्स होगन लोवेल्स को विधिक सलाहकार के रूप में तथा बुक रनिंग लीड प्रबंधकों के रूप में आईडीबीआई कैपिटल मार्किट एंड सिक््योरिटीस लि., एसबीआई कैपिटल मार्किट लिमिटेड तथा एक्सेस कैपिटल लिमिटेड सहित मैसर्स क्रोवफोर्ड बेले एंड कंपनी को नियुक्त किया है।

पूर्व में आपकी कंपनी 18 अगस्त 1992 से दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में तथा 16 अक्टूबर 1992 से बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी। तथापि, रेल मंत्रालय के आदेश पर कंपनी 3 नवंबर 2011 से बीएसई और 15 मार्च 2012 से असूचिबद्ध हो गई है। पूर्ववर्ती सूचीकरण के दौरान कंपनी के शेयरों की ना तो ट्रेडिंग हुई है और ना ही कोट किए गए हैं।

आईर बुक

कंपनी को वर्ष 2016-17 के दौरान 6030 करोड़ रूपए मूल्य के कार्य प्राप्त हुए। कंपनी को 31 मार्च 2017 में 18878 करोड़ रूपए के कार्य प्राप्त हुए जबकि 31 मार्च 2016 को यह 17569 करोड़ रूपए थे। 30 जून 2017 को कार्यभार 20010 करोड़ (लगभग) है।

प्रचालनिक निष्पादन

क. पूरी की गई विदेशी परियोजनाएं:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने दो परियोजनाएं (एक भूटान में और दूसरी बांग्लादेश में) पूरी की हैं:

भूटान



पारो, भूटान में 66 किवा उपस्टेशन

1. 23 करोड़ रूपए के मूल्य पर भूटान पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भूटान के पारो में सभी संबंधित कार्यों सहित मौजूदा 66/33/11 किवा उपस्टेशन के विखंडन और नए 2 x 20 एमवीए, 66/33 कि.वा. उपस्टेशन के अभिकल्प, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कार्य आरंभ की टर्नकी परियोजना मार्च 2017 को पूरी हो गई है।

बांग्लादेश

2. 265 करोड़ रूपए (इस्कॉन का भाग) के संशोधित कुल मूल्य पर आपकी कंपनी और एफ कॉस यथा इस्कॉन-एफकॉन संयुक्त उद्यम के बीच गैर-निगमित संयुक्त उद्यम द्वारा पहुंच रेल लाइनों सहित दूसरे भैरब रेल पुल का निर्माण, जो मार्च 2017 को पूरा हो गया है।

ख. चालू विदेशी परियोजनाएं:

आपकी कंपनी अन्य देशों में निम्नलिखित चार परियोजनाएं निष्पादित कर रही है:

बांग्लादेश

1. 60 करोड़ रूपए के मूल्य पर बांग्लादेश के इशुरदी-दरसाना खंड के बीच 11 स्टेशनों पर टर्नकी आधार पर कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग कलर लाइटिंग सिग्नलिंग प्रणाली के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा प्रचालन आरंभ का कार्य। भौतिक कार्य जुलाई 2017 को पूरा हो गया है। इसके सितंबर 2017 को आरंभ होने का कार्यक्रम है।
2. 971 करोड़ रूपए (147.80 मिलियन अमरीकी डालर) के मूल्य पर बांग्लादेश रेलवे के लिए खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन के निर्माण परियोजना के अंतर्गत पैकेज डब्ल्यूडी-1 के प्रति इम्बार्कमेंट, रेलपथ, सभी सिविल कार्य, प्रमुख और गौण पुल (रूपसा को छोड़कर) तथा पुलिया के निर्माण और ईएमपी के क्रियान्वयन कार्य। भौतिक प्रगति जुलाई 2017 तक 10 प्रतिशत

है। यह कार्य मार्च 2016 में आरंभ हुआ और इस कार्य के सितंबर 2017 तक पूरा होने की संभावना है।

दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता और ग्राहक द्वारा पुलों और भवनों के आरेखों को जारी न किए जाने के कारण परियोजना की प्रगति धीमी है।

अल्जीरिया

3. 1103 करोड़ रूपए (भारतीय रूपए में परिवर्तित) मूल्य पर एनईएसआरआईसी, परिवहन मंत्रालय, अल्जीरिया सरकार द्वारा प्रदत्त ओयड स्लाय तथा येल्लेल के बीच 93 किमी के दोहरे ट्रैक को बिछाने के कार्य, जिसमें अल्जीर-ओमन खंड पर ओयड स्लाय से येल्लेल तक दूसरी लाइन बिछाने का कार्य तथा मौजूदा लाइन के स्तरोन्नयन का कार्य शामिल है। दोहरी लाइन को प्रचालनिक बनाने के अतिरिक्त कार्य सहित संविदा के मूल्य को संशोधित करके 1944 करोड़ रूपए (भारतीय रूपए परिवर्तित) किया गया है। हालांकि यह परियोजना 2008 में प्रदान की गई थी किन्तु इसे ग्राहक द्वारा जनवरी 2009 में बंद कर दिया गया था और मई 2010 में कार्य पुनः आरंभ किया गया। ग्राहक द्वारा समापन कार्य को बढ़ाकर 10 मई 2018 कर दिया गया है।


संशोधन में स्थानीय उप-ठेकेदारों को भुगतानों की कार्यविधि का निर्धारण नहीं किया गया था और इसके लिए ग्राहक के साथ वार्ता की गई थी, जिससे रोकड़ प्रवाह तथा परियोजना की प्रगति बाधित हुई। अंततः, जुलाई 2016 में उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्थानीय ठेकेदारों को भुगतान की प्रक्रिया और मूल्यों में संशोधन के लिए वार्ता की गई थी जिससे परियोजना की सुगम प्रगति का मार्ग खुला। ग्राहक के पास निधियों की कमी के कारण परियोजना के समापन समय के प्रभावित होने की संभावना है।

दक्षिण अफ्रीका

4. 346 करोड़ रूपए (663 मिलियन रांद, रांद 1 = 5.212) के मूल्य पर एस्कॉम होल्डिंग एसओसी लिमिटेड के लिए मजूबा रेल परियोजना, दक्षिण अफ्रीका के लिए संयंत्र का प्रापण, अभिकल्प, शिरोपरि रेलपथ उपकरणों की आपूर्ति तथा संस्थापन, घर्षण उपस्टेशन, अनुषंगी पावर आपूर्ति उपस्टेशन, व्यापक ऊर्जा आपूर्ति स्विचिंग स्टेशनों और सिग्नलिंग प्रणालियों का कार्य। यह कार्य नवंबर, 2015 में प्राप्त किया गया है। संविदा के संचालन के समय, विदेशी मुद्रा का मुद्दा उत्पन्न हुआ था जिसका समाधान कर लिया गया है। कार्य प्रगति पर है और इसके 31 मार्च 2018 तक पूरा होने की आशा है।



रेल विद्युतीकरण कार्य, दक्षिण अफ्रीका



गिट्टीरहित रेलपथ, कोच्ची मेट्रो

ग. सम्भावित विदेशी परियोजनाएं

मलेशिया, बांग्लादेश, तंजानिया, श्रीलंका तथा ईरान में ठेके प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं ।



नई दिल्ली में मलेशिया के माननीय प्रधानमंत्री नजीब रजाक की अध्यक्षता में शिष्टमंडल के साथ बैठक



माननीय रेल मंत्री द्वारा आयोजित रेल सहयोग अवसर कार्यक्रम पर वार्ता

घ. भारत में पूरी की गई परियोजनाएं:

मार्च 2017 में दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसी) के लिए भारत में 178 करोड़ रूपए के कुल मूल्य वाली दो परियोजनाओं को पूरा किया गया है:

- संविदा केटी-4: अलुवा से पेट्टा गलियारे के एलिवेटेड खंड में मानक गेज में गिट्टी रहित रेलपथ के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कार्य आरंभ, और
- संविदा केटी-5आर1: कोचीन मेट्रो रेल लिमिटेड में मानक गेज रेलपथ का अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कार्य आरंभ।

ड. भारत में नई परियोजनाएं:

2016-17 के दौरान कंपनी ने भारत में निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त की हैं:

1. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार व प्रस्तुत करने, भूमि अधिग्रहण तथा गेवरा रोड से पेंडरा रोड के बीच पूर्व-पश्चिम गलियारे के व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामस्वरूप लगभग 135 किमी गेवरा रोड से पेंडरा रोड के बीच पूर्वी-पश्चिम गलियारक के कॉरिडार-III का निर्माण कार्य, जिसकी अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार अनुमानित परियोजना लागत 2840 करोड़ रूपए है।
- (क) मध्यपूर्व रेलवे के लिए दोहरीकरण कार्य - (क) आरडीयूएम टीएल-आरजेओ (रामपुर दूमरा ताल राजेन्द्रपाल) परियोजना जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 1491 करोड़ रूपए है

जिसमें से 1369 करोड़ रूपए वर्ष की आर्डर बुक के लिए हैं: (ख) कियूल-गया परियोजना जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 1200 करोड़ रूपए जिसमें से 455 करोड़ रूपए वर्ष की आर्डर बुक के लिए हैं: (ग) हाजीपुर-बडवाड़ा परियोजना की अनुमानित परियोजना लागत 679 करोड़ रूपए जिसमें से 289 करोड़ रूपए वर्ष की आर्डर बुक के लिए हैं।

(ख) मध्य पूर्व रेलवे के लिए कियूल-सिंगरौली परियोजना के लिए दोहरीकरण परियोजना, अनुमानित परियोजना लागत 1763 करोड़ रूपए जिसमें से 348 करोड़ रूपए वर्ष की आर्डर बुक के लिए हैं:

3. झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य जिसकी अनुमानित परियोजना लागत डीपीआर के अनुसार 1365 करोड़ रूपए है।

4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 1075 करोड़ रूपए है।

5. एनडीएमसी लिमिटेड के लिए जगदलपुर के समीप नगरनार, छत्तीसगढ़ (पैकेज-IV) में प्रस्तावित 3.0 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए निजी रेलवे साइडिंग के निर्माण के संबंध में नए ब्लॉक स्टेशन, स्टॉफ क्वार्टर तथा संबंधित पी-वे, ओएचई तथा सिग्नलिंग और दूरसंचार का निर्माण कार्य, जिसका मूल्य 79 करोड़ रूपए है।

6. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) द्वारा चिह्नित रेल संपर्कता परियोजनाओं का निष्पादन, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 1406 करोड़ रूपए है।

7. नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के लिए अकौरा-अगरतला रेल संपर्क परियोजना जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 574 करोड़ रूपए है, जिसमें से 211 करोड़ रूपए वर्ष की आर्डर बुक के लिए रखे गए हैं।

8. भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियारा निगम लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के लिए पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा संविदा पैकेज सीटीपी-11 जेएनपीटी-वैतर्णी खंड (इरकॉन का भाग 60 प्रतिशत) का सिविल, निर्माण और रेलपथ कार्य, जिसका मूल्य 1716 करोड़ रूपए है।

9. 330 करोड़ रूपए के मूल्य पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), मिजोरम में बाहरी विकास कार्य तथा आंतरिक सेवाओं का अभिकल्प, आरेखण तथा निर्माण का अतिरिक्त कार्य।

10. एनएचआई के लिए एनएचडीपी-चरण :5 -ईपीसी लागत के अंतर्गत डीबीओटी वार्षिकी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के अंतर्गत निष्पादित की जाने वाली (सहायक कंपनी के निगमन द्वारा) कर्नाटक राज्य में रा.राजमार्ग-48 के देवनागरे-हवेरी (किमी 260.00 से किमी 338.923 तक) छह लेन का बनाना, जिसका मूल्य 1095 करोड़ रूपए है।

11. मध्यपूर्व रेलवे के लिए बिहार राज्य में सड़क उपरिपुलों के निर्माण का अतिरिक्त कार्य (12 नए सड़क उपरिपुल), जिनका मूल्य 133 करोड़ रूपए है।

छ. भारत में चालू प्रमुख परियोजनाएं

भारत में प्रमुख चालू परियोजनाओं की सूची परिशिष्ट क पर संलग्न है।

ज. वर्ष समाप्त होने के पश्चात प्राप्त नई परियोजनाएं:

वर्ष 2016-17 के समापन के पश्चात् आपकी कंपनी को भारत में निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त हुईं:

1. विशाखापत्तनम (डीजल लोका भोड) - 61.75 करोड़ रूपए की लागत पर पूर्व तटीय रेलवे के लिए 100 एचएचपी लोकोमोटिवों को खड़ा करने के लिए शेड का संवर्धन।
2. 582.13 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कतनी ग्रेड सेपरेटर/बाय-पास लाइन (21.50 किमी) परियोजना।
3. 261.72 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के लिए सफदरजंग रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास।



आरएलडीए के साथ समझौता ज्ञान हस्तार करते हुए

4. 258 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर मध्यपूर्व रेलवे के लिए कतनी-सिंगरौली के लिए रेल विद्युतीकरण कार्य।
5. 305.90 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर मध्यपूर्व रेलवे के लिए मथुरा-कासगंज-कल्याणपुर हेतु सिग्नलिंग सहित रेल विद्युतीकरण परियोजना।



समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम तथा संबद्ध कंपनियों

इरकॉन की सहायक कंपनियों (हाल ही में सृजित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी - इरकॉन देवंगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड जिसका निगमन 11 मई 2017 को हुआ है) संयुक्त उद्यमों तथा संबद्ध कंपनियों और उनकी वित्तीय स्थिति और कार्यनिष्पादन पर संक्षिप्त पृष्ठभूमि **परिशिष्ट-ख** पर उपलब्ध है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा संबद्ध कंपनियों में इक्विटी निवेश, दिया गया ऋण और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-186 के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई गारंटी अनुपालन शीर्षक के अंतर्गत पैरा-ड.(3) में प्रस्तुत हैं:

समेकित वित्तीय विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 129(3) के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी ने चार सहायक कंपनियों यथा इरकॉन आईएसएल, आईआरएसडीसी व इरकॉन पीबीटीएल (इक्विटी विधि के अनुसार), तथा इरकॉन एसजीटीएल, सात संयुक्त उद्यम कंपनियों यथा आईएसटीपीएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, जेसीआरएल, बीआरपीएल तथा सीसीएफबी (अंतरण की तिथि तक यथा 22.09.2016), के साथ अपने समेकित वित्तीय विवरणों (लाइन विधि के अनुसार) को तैयार किया है। पांच गैर-निगमित संयुक्त उद्यमों यथा रिकॉन, आईएमसीसी, एमटीजी, इरकॉन-एसपीएससीपीएल, तथा इरकॉन - एफकॉन जेवी के लेखों को, जिन्हें पिछले वर्षों में समेकित किया गया था, को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 21 सितंबर 2017

को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय विवरणों (स्टैंडएलोन तथा समेकित) को स्वीकृति प्रदान की है।

आपकी कंपनी भारत में अपनी सहायक कंपनियों (इरकॉन आईएसएल, आईआरएसडीसी, इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन एसजीटीएल) तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों (आईएसटीपीएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, जेसीआरएल तथा बीआरपीएल) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडएलोन तथा समेकित) तथा लेखों/वित्तीय विवरणों को अपनी वेबसाइट (www.ircon.org) पर उपलब्ध कराएगी।

इसके अतिरिक्त, इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के उक्त लेखों/वित्तीय विवरणों को कंपनी के किसी शेयरधारक द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

फॉर्म एओसी-1 में इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं वाला एक विवरण वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

अनुपालन:

क. राष्ट्रपति का आदेश

वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम लाभांश और 2016-17 के लिए लाभांश के संबंध में 29 अप्रैल 2016 के रेलवे बोर्ड के पत्र के तहत राष्ट्रपति का एक आदेश प्राप्त हुआ है। वर्ष 2015-16 के लिए भी इसका अनुपालन किया गया है और अंतिम लाभांश की घोषणा के पश्चात 2016-17 के लिए ही इसका अनुपालन किया गया है। लाभांश का ब्यौरा वित्तीय विशेषताओं के शीर्षक के तहत इस रिपोर्ट के पैरा-ग में दिया गया है।

ख. राजभाषा

वर्ष के दौरान, कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए विभिन्न अनूठे और प्रोत्साहक उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- (क) महीने के प्रत्येक अंतिम सोमवार को अपना पूरा काम हिन्दी के करने के लिए सभी कर्मचारियों द्वारा शपथ।
- (ख) निगमित कार्यालय में पहली बार राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अब प्रत्येक तिमाही में आयोजन की योजना है।
- (ग) कर्मचारियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं रिसेप्शन पर हिन्दी में प्रदर्शित की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही

बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है और यूनिकोड प्रणाली तथा राजभाषा के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कम्प्यूटरों और मोबाइल फोनों के लिए द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कर्मचारियों के प्रयोग के लिए इरकॉन की वेबसाइट पर द्विभाषी फॉर्मेट उपलब्ध कराए गए हैं। रिसेप्शन पर हिन्दी में एक विचार और एक शब्द प्रदर्शित किया जाता है जो रोटेशन आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा दिए जाते हैं।

ग. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी, राज्य स्तरीय जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर दिया जाता है। शिकायतें मुख्य रूप से सेवा संबंधी मुद्दों और उनके ब्यौरों तथा ठेकेदारों व वेंडरों के कार्य से संबंधित होती हैं। आरटीआई मामलों का ब्यौरा तिमाही आधार पर तथा वार्षिक आधार पर केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट में प्रकाशित किए जाने हेतु रेल मंत्रालय को अग्रेषित किया जाता है।

वर्ष के दौरान प्राप्त 204 आवेदनों/ अपीलों में से 191 आवेदनों (प्रथम अपील सहित) पर कार्रवाई की गई/उन्हें निपटाया गया था।

घ. प्रापण वरियता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन:

आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 11 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लोक प्रापण नीति की तर्ज पर जून 2012 में वृहत प्रापण वरियता प्रापण नीति के सृजन का क्रियान्वयन किया है। इरकॉन का ई-प्रापण पोर्टल यथा www.tenderwizard.com/IRCON एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी सांविधिक निकाय के साथ पंजीकृत एमएसएमई फर्मों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है और वे निविदा शुल्क और बयाना राशि के भुगतान से छूट की सुविधा उपलब्ध करते हुए ई-निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

लोक प्रापण नीति के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एमएसएमई से प्रापण की उपलब्धि (अ.जा/अ.ज.जा के उपक्रमों के स्वामित्व वाले एमएसएमई से 4 प्रतिशत के उपलक्ष्य सहित 20 प्रतिशत) को नीचे तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

क्र.सं	विवरण	2016-17
1	वार्षिक प्रापण का कुल नियोजित मूल्य (मूल्य लाख रूप में)	321.04*
2	वार्षिक प्रापण का लक्ष्य प्रतिशत (20 प्रतिशत)(मूल्य में)	64.20
3	एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (अजा/अजजा के उपक्रमों द्वारा स्वामित्व वाले एमएसई सहित) (मूल्य में)	54.29
4	केवल अजा/अजजा के उपक्रमों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	0.00
5	कुल प्रापण में से एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण का प्रतिशत (अजघ/अजजा के उपक्रमों द्वारा स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	16.91%
6	कुल प्रापण में से केवल अजा/अजजा के उपक्रमों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त की गई वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण का प्रतिशत	-
7	एमएसई के लिए वेंडर विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	3

* कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुल प्रापण के मूल्य (यथा 321.04 करोड़ रूप में) से 88.45 करोड़ रूप के कतिपय प्रापणों (जो एमएसई के अधिकारक्षेत्र से बाहर हैं) को अलग करने के लिए 20 सितंबर 2017 के पत्र की शर्तों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को अनुरोध (रेल मंत्रालय के माध्यम से) किया है।

ड. कंपनी अधिनियम, 2013:

1. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) तथा 5(3) के अनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान आहरित पारिश्रमिक की दृष्टि से शीर्षदस कार्मिकों और उन कार्मिकों के ब्यौरा जिन्होंने प्रतिवर्ष 1.02 करोड़ रूप या अधिक (यदि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में सेवित हैं) या 8.50 लाख रूप प्रति माह या अधिक (यदि वित्तीय वर्ष के किसी भाग में सेवित हैं) पारिश्रमिक प्राप्त किया है, को

निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 4-3 में तथा उसके अनुबंध ड.-1 में शामिल किया गया है।

2. जमा राशियां

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 के अंतर्गत निवेश, ऋण तथा गारंटी और प्रतिभूति का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 की शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2017 तक आपकी कंपनी द्वारा किए गए निवेश, दिए गए ऋण तथा गारंटी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं	कंपनी का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)	
		प्रतिबद्ध	वास्तव में किया गया निवेश/भुगतान
इक्विटी निवेश:			
क)	सहायक कंपनियां		
	i) इरकॉन आईएसएल	65.00	65.00
	ii) आईआरएसडीसी (नोट सं.1 देखें)	40.80	20.40
	iii) इरकॉन पीबीटीएल	165.00	165.00
	iv) इरकॉन एसजीटीएल	150.00	150.00
ख)	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	i) आईएसटीपीएल	63.87	63.87*
	ii) सीईआरएल	104.00	83.58
	iii) सीईडब्ल्यूआरएल	131.30	131.17
	iv) एमसीआरएल	1.30	0.01
	v) जेसीआरएल	13.00	1.30
	vi) बीआरपीएल	1.30	1.18
	कुल (क)	735.57	681.51
ऋण :			
क)	सहायक कंपनियां		
	i) इरकॉन आईएसएल (नोट सं. 2 को देखें)	22.92	22.92
	ii) इरकॉन पीबीटीएल (नोट सं. 3 को देखें)	352.00	80
	iii) इरकॉन एसजीटीएल (नोट सं. 4 को देखें)	722.11	162.65
ख)	संयुक्त उद्यम कंपनियां		

क्र.सं	कंपनी का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)	
		प्रतिबद्ध	वास्तव में किया गया निवेश/भुगतान
	i) सीईआरएल (नोट सं. 5 को देखें)	169.00	117.00
	ii) सीईडब्ल्यूआरएल (नोट सं. 6 को देखें)	39.00	39.00
ग)	गैरनिगमित संयुक्त उद्यम		
	इरकॉन-एफकॉन जेवी (नोट सं. 7 को देखें)	18.15	शून्य
कुल (ख)		1323.18	421.57
गारंटी			
क)	सहायक कंपनियां		
	i) इरकॉन आईएलएल (नोट सं. 8 (ii) को देखें)		शून्य
	ii) इरकॉन पीबीटीएल(नोट सं. 8 (iii) को देखें)	150.00	शून्य
	iii) इरकॉन एसजीटीएल(नोट सं. 8 (i) को देखें)		41.52
ख	संयुक्त उपक्रम कंपनियां		
	आईएसटीपीएल (नोट सं. 9 को देखें)	63.07	63.07
ग	गैरनिगमित संयुक्त उपक्रम		
	इरकॉन एफकॉन जेवी (नोट सं. 8 (ii) को देखें)	90.00	27.98
	कुल(ग)	303.07	132.57
निकाय निगम की प्रतिभूतियों में निवेश			
क)	निकाय निगम की प्रतिभूतियों में निवेश (नोट सं. 10 को देखें)	291.36	291.36
	कुल (घ)	291.36	291.36
	सकल योग (ड=क+ख+ग+घ)	2653.18	1527.01

* वित्तीय गारंटी संविदाओं के प्रभाव के कारण 0.28 करोड़ रुपए की राशि सहित 64.15 करोड़ रुपए की कुल राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है।

नोट :

संबंध में अपेक्षित कार्यशील पूंजी के लिए अनुमोदित किया गया है।

(क) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी निवेश:

1. इरकॉन के निदेशक मंडल ने पूर्व में जनवरी 2013 में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) में इक्विटी भागीदारी को वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए 10.20 करोड़ रूपए तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी, जिसकी कुल प्रतिबद्ध राशि 20.40 करोड़ रूपए है और अन्य 20.04 करोड़ रूपए 31 मार्च 2014 के पश्चात किसी भी समय पर बशर्ते कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निदेशक मंडल की विशिष्ट स्वीकृति के पश्चात।

(ख) सहायक कंपनियों को ऋण:

2. यह ऋण इरकॉन आईएसएल को बहु-उद्देशीय परिसरों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया है। आंशिक भुगतान के पश्चात, 31 मार्च 2017 को बकाया ऋण 22.92 करोड़ रूपए है।
3. यह ऋण इरकॉन पीबीटीएल को राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी राजमार्ग परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदान किया गया है। इरकॉन पीबीटीएल ने 352 करोड़ रूपए की कुल ऋण राशि के लिए इरकॉन के पक्ष में अपनी चल तथा अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार सृजन हेतु 8 मार्च 2017 को हाइपोथिकेशन करार का निष्पादन किया है।
4. यह ऋण इरकॉन एसजीटीएल को मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी-गुना राजमार्ग परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदान किया गया है। इरकॉन एसजीटीएल ने 722.11 करोड़ रूपए की कुल ऋण राशि के लिए इरकॉन के पक्ष में अपनी चल तथा अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार सृजन हेतु 8 मार्च 2017 को हाइपोथिकेशन करार का निष्पादन किया है।

(ग) जेवीसी को ऋण:

5. यह ऋण सीईआरएल को छत्तीसगढ़ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ़ तक रेल लाइन परियोजना के निर्माण के लिए प्रदान किया गया है और इस जेवीसी में इरकॉन का भाग 26 प्रतिशत का है।
6. यह ऋण सीईडब्ल्यूआरएल को कर्ज-इक्विटी ढांचे पर लंबित निर्णय और अन्य पहलुओं के आधार पर सीईडब्ल्यूआरएल द्वारा वित्तीय समापन के पूर्व भूमि क्षतिपूर्ति, परामर्शदात्री शुल्क आदि के भुगतान के लिए प्रदान किया गया है और इस जेवीसी में इरकॉन का भाग 26 प्रतिशत का है।

(घ) गैर-निगमित संयुक्त उद्यम (यूजेवी):

7. यह ऋण बांग्लादेश में दूसरी बैरब रेल पुल परियोजना के

(ड.) गारंटी:

8. आपकी कंपनी ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) तथा गैर-निगमित संयुक्त उद्यमों (यूजेवी) को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की है:
 - (i) किसी भी बैंक (जिसने इरकॉन की ऋण सीमा को मंजूरी प्रदान की है) द्वारा मंजूर की गई इरकॉन की गैर-निधि ऋण सीमा के 150 करोड़ (रिवॉल्विंग) के आवंटन का उपयोग तीन डब्ल्यूओएस द्वारा किया गया है यथा इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन एसजीटीएल, ताकि अपने ग्राहकों के पक्ष में बैंकों द्वारा गारंटी (गारंटियों) को जारी करने के लिए, जैसा की उन्हें अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अपेक्षित है।
 - (ii) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इरकॉन की गैर-निधि ऋण सीमा के 90 करोड़ (रिवॉल्विंग) के आवंटन का उपयोग यूजेवी यथा इरकॉन एफकॉन जेवी द्वारा किया जा सके, ताकि अपने ग्राहकों के पक्ष में बैंकों द्वारा गारंटी (गारंटियों) को जारी करने के लिए, जैसा की उन्हें अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अपेक्षित है।
9. ब्यौरे को इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड शीर्ष (परिशिष्ट-ख के पैरा ख (6) के अंतर्गत) प्रकट किया गया है और स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 52 के रूप में भी प्रकट किया गया है।

(च) निकाय निगम की प्रतिभूतियों में निवेश :

10. कंपनी ने निगम निकायों की प्रतिभूतियों में निवेश किया है जैसे बांड आदि। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जैसे एनएचएआई, आईआरएफसी) के बांडों में 150 करोड़ रूपए तक के निवेश के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई में अनुमोदन प्रदान किया था (2013-14 से), जिसे अगले वर्ष 31 जुलाई तक या उससे पूर्व उपयोग किया जाएगा। निवेश का संचयी ब्यौरा स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट 7.1 के रूप में प्रकट किया गया है।

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात, आपकी कंपनी ने 31 जुलाई 2017 तक अपनी सहायक कंपनियों तथा प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों में निम्नलिखित निवेश तथा ऋण प्रदान किए/प्रतिबद्ध किए हैं:

क्र. सं	कंपनी का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)	
		प्रतिबद्ध	वास्तविक निवेश
इक्विटी निवेश :			
क)	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	i) इरकॉन डीएचएचएल	0.05	0.05
ख)	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	i) जेसीआरएल	-	11.75
कुल (इ)		0.05	11.75
ऋण:			
ग)	सहायक कंपनियां		
	i) इरकॉन पीबीटीएल	--	73.75
	ii) इरकॉन एसजीटीएल	--	127.83
कुल (च)		0.00	201.58
सकल योग (छ = इ+ च)		0.05	213.33

4. संबंधित पक्ष संव्यवहार:

वर्ष के दौरान किए गए संबंधित पक्ष संव्यवहार व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में किए गए हैं और इसे आर्म लैंथ आधार पर किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों का ब्यौरा फार्म एओसी-2 के रूप में **परिशिष्ट -ज** में प्रस्तुत किया गया है।

5. विनियामकों/न्यायालय/अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश लाभकारी संगठन की स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों पर प्रभाव।

कंपनी के लाभकारी संगठन की स्थिति तथा भविष्य में इसके प्रचालनों को प्रभावित करने संबंधी कोई आदेश विनियामकों या न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन का ब्यौरा प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

कार्मिक विकास

कम्पनी में वर्षभर कर्मचारियों के मध्य सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध विद्यमान हैं। 31 मार्च 2017 को कार्मिकों की कुल संख्या 1495 है जिनमें 1183 नियमित कार्मिक, 47 कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा 265 कर्मचारी संविदा (सेवा संविदा सहित) पर हैं। कंपनी के 1004 कार्मिक तकनीकी तथा व्यावसायिक अर्हता प्राप्त हैं। महिला कार्मिकों की कुल संख्या 68 है। दिनांक 31 मार्च 2017 को कंपनी में कुल 241 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी थे।

आपकी कंपनी कार्यात्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, संविदा एवं मध्यस्थता, नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के

लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए बाहरी शिक्षक वर्ग को आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल 912 श्रम दिवस के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि के माध्यम से इरकॉन के कार्मिकों को बाहरी संस्थानों तथा इन-हाउस प्रशिक्षण, आदि प्रदान किया गया है।

आपकी कंपनी में कर्मचारी कल्याण की विभिन्न योजनाएं विद्यमान हैं, जैसे कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति, व्यावसायिक डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमुश्त शैक्षिक अनुदान, शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी शैक्षणिक सहायता, समूह-ग और घ कर्मचारियों की बेटियों तथा आश्रित बहनों के विवाह में सहयोग, आदि। इरकॉन के कर्मचारियों के उन प्रतिभावान बच्चों के लिए पुरस्कार आरंभ किया गया है, जिन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, निगमित कार्यालय में होम्योपैथी उपचार की सुविधा उपलब्ध है और कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगा कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं जैसे, किसी चिकित्सीय आपात स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल वित्तीय सहायता तथा मार्गदर्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार के सदस्यों को एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों के लिए सहयोगपूर्ण तथा सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करा रही है। कंपनी में कार्य स्थल में महिला उत्पीड़न के निवारण के लिए एक शिकायत समिति विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन के आचरण, अनुशासनिक तथा अपील नियमों में यौन शोषण को रोकने संबंधी प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी में यौन शोषण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी ने वर्ष के दौरान स्व:रक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता के विषय पर विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए दो कार्यशालाओं का आयोजन किया है। स्व:रक्षा कार्यशाला का आयोजन दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया और स्वास्थ्य जागरूकता के संबंध में मैक्स सुपर स्पेशलिटी के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा ऑनकोलॉजी और मधुमेय काउंसिलिंग को शामिल किया गया था। इरकॉन के कर्मचारियों के लिए तीन इंटर-परियोजना क्विज कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। विजेता टीम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को नकद पुरस्कार और सराहना प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

28 अप्रैल, 2017 को 41वां वार्षिक दिवस परम्परागत उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा भारत तथा विदेशी परियोजनाओं तथा चुनिंदा परियोजनाओं में किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई व उन्हें पुरस्कार किया गया। कार्मिकों के होनहार बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

गुणवत्ता प्रबंधन, तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन

वर्ष 1996 से जब टीयूवी सड्यूस्चलैंड प्रा. लिमिटेड (टी यू वी) द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आईएसओ 9002 के लिए प्रमाणित किया गया था, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है। आपकी कंपनी ने अद्यतन संशोधित कोड आईएसओ 9001:2008 (तीन वर्ष के समापन के पश्चात आवधिक पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा द्वारा) के अनुसार प्रमाणन जारी रखा है। अद्यतन पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा मार्च, 2017 में की गई है, जिसके द्वारा कंपनी को जून, 2020 तक अन्य तीन वर्षों के लिए टीयूवी द्वारा पुनःप्रमाणित किया गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने मोबाईल फोन/वेब आधारित वीडियो लाइब्रेरी के विकास का कार्य आरंभ किया है, और इस प्रयोजन से दो विषयों को चिन्हित किया गया है यथा उडी प्रारूप में इम्बार्कमेंट (यांत्रिक) का निर्माण और 2डी प्रारूप के निर्माण में व्यक्तिगत सुरक्षा एवं संरक्षा। निर्माण के क्षेत्र में व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षा पर मोबाइल/इंटरनेट आधारित एप्लिकेशन को जारी किया गया है और यह इरकॉन की आंतरिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आपकी कंपनी ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की है और इसे अक्टूबर, 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। आईएसओ 14001:2015 के लिए अद्यतन पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा मार्च 2017 में किया गया है, जिसके द्वारा अगले तीन वर्षों यथा मई 2020 तक कंपनी को पुनःप्रमाणित किया गया है।

कंपनी ने अपने संबंधित परियोजनाओं में ईएमएस को मॉनीटर करने के लिए सभी भारतीय परियोजनाओं में पर्यावरण अधिकारियों को नामित किया है जो पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और वायु की गुणवत्ता की मानीटरिंग करेंगे। परियोजना के समाप्त होने तक यह एक सतत प्रक्रिया है। सभी परियोजनाओं द्वारा पर्यावरणीय जांचसूची विकसित और अनुरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त, निर्माण गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए जम्मू में एक पूर्ण प्रचालनिक पर्यावरण प्रयोगशाला विद्यमान है।

पर्यावरण सहिष्णु उपकरणों जैसे सौर हीटर/सौर प्रकाश को भी विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में संस्थापित किया गया है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल की रीसाइकलिंग की जाती है, और इसे हॉर्टिकल्चर कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण नोएडा, गुडगांव, तथा बहु उद्देशीय परिसर भवनों में भी किया जा रहा है। बिजल और जल के संरक्षण को लिए निगमित कार्यालय में एलईडी लाइट, सेंसर लाइट और सेंसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है। कंपनी के विभिन्न कार्यालयों/ परियोजनाओं में विभिन्न पर्यावरण सहिष्णु कदम उठाए जा रहे हैं जैसे, मिट्टी की ईंटों के स्थान पर फ्लाई एश की ईंटों का प्रयोग, वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था, सेंसर नियंत्रित क्रोमियम प्लेट फिटिंग, नवीनतम प्रकार के फेसेड ग्लास (भवनों में ग्लास) का प्रयोग, ताकि भवन

को धारणीय बनाया जा सके। विभिन्न निर्माण स्थलों पर जल तथा अपशिष्ट जल, आसपास की वायु की गुणवत्ता तथा ध्वनि की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग भी की जा रही है। कंपनी निगमित कार्यालय भवन में इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग द्वारा स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने पर बल दे रही है। निगमित कार्यालय तथा परियोजना कार्यालयों द्वारा वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया है।

आपकी कंपनी को टीयूवी एसयूवी साउथ एशिया द्वारा दिसम्बर, 2012 को **व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली** (ओएचएसएस-बीएस 18001 : 2007) के लिए भी प्रमाणित किया गया है। पिछला पुनःप्रमाणन संपरीक्षा अक्टूबर 2015 को की गई है जिसके द्वारा कंपनी को अगले तीन वर्षों के लिए पुनःप्रमाणित किया गया है अर्थात दिसम्बर, 2018 तक।

निगमित गुणवत्ता परिषद् तथा परियोजना गुणवत्ता परिषद् की बैठकें क्रमशः निगमित कार्यालय तथा परियोजनाओं में तिमाही आधार पर आयोजित की गई थी ताकि क्यूएमएस, ईएमएस तथा ओएचएसएस के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। गुणवत्ता उद्देश्यों को निगमित तथा परियोजना दोनों ही स्तरों पर मापा जाता है तथा इनकी समीक्षा की गई थी। सभी परियोजनाओं तथा परियोजनाओं में आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट तथा गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट किया गया था। इन ऑडिटों की रिपोर्टों में न केवल ऑडिट के दौरान सामने आए गैर- अनुपालन का ब्यौरा होता है बल्कि प्रमुख विशेषताओं, प्रगति सकारात्मक बिन्दु, यदि कोई हों, आदि का भी उल्लेख होता है।

इसके अतिरिक्त, ईएमएस, क्यूएमएस तथा ओएचएसएस, रीइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) निर्माण, पर्यावरण नैतिकता, इलैक्ट्रिकल परियोजनाओं में सिविल निर्माण कार्य, कार्य स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण पर सामान्य जानकारी हेतु भारतीय परियोजना स्थलों पर गुणवत्ता प्रबंधन विभाग के आंतरिक संपरीक्षकों के दल द्वारा 100 कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, आपकी कंपनी ने लगभग 15.60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर रेल डिब्बा कारखाना, राय बरेली (उत्तर प्रदेश) में सिविल कार्यों सहित सभी विद्युतीय और संबंधित उपकरणों सहित 2 मे.वा. क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र संयोजित ग्रिड के अभिकल्प, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन आरंभ का कार्य पूरा किया है। संयंत्र पूर्ण रूप से प्रचालनिक है और कारखाने की 21 प्रतिशत इलैक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर रहा है। कंपनी ने पूर्व में संस्थापित 2 एमडब्ल्यू सौर ऊर्जा संयंत्र के अतिरिक्त रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली में 1 एमडब्ल्यू का अतिरिक्त सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है।

ऊर्जा संरक्षण के उपाय के रूप में अतिरिक्त 10 किलोवाट का रूफ टॉप ग्रिड संपर्कित सौर ऊर्जा संयंत्र प्रचालनिक किया गया है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र मौजूदा 80 किलोवाट की क्षमता के अतिरिक्त है और इसे हरित ऊर्जा के प्रयोग के माध्यम से पर्यावरण के ऊर्जा संपरीक्षा के पश्चात क्रियान्वित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पावर फेक्टर में सुधार करने के लिए निगमित कार्यालय में अतिरिक्त केपेसिटर बैक संस्थापित किए गए हैं, जो आगे विद्युत उर्जा की खपत को कम करेंगे।

प्रौद्योगिकी आमेलन तथा स्तरोन्नयन

रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली में उर्जा प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीए) को प्रचालनिक किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने डीएमआरसी में सभी उपस्टेशन भवनों का निर्माण नवीनतम उर्जा कुशल और पर्यावरण सहिष्णु दिशानिर्देशों के साथ किया है, जिसमें एलईडी लाइट, वर्षा जल संरक्षण शामिल हैं।

भारतीय रेल में पहली बार, रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए शिरोपरि उपकरण अभिकल्प कार्य के लिए समन्वय और भौगोलिक सूचना प्रणाली हेतु ड्रोन कैमरा का प्रयोग किया गया है। तत्पश्चात ऑटोकेड की मदद से ओएचई लेआउट योजनाएं तैयार की जाती हैं। इरकॉन की कतनी-सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना के लिए भी ड्रोन कैमरे के प्रयोग की योजना है।

नदी के जल के लाभ का प्रयोग करते हुए बांग्लादेश में दूसरे भैरव पुल के लिए कैंटीलीवर विधि द्वारा गिर्डर को उठाने की असामान्य तकनीक का प्रयोग किया गया है। 250 टन क्षमता वाले बार्ज का प्रयोग सड़क क्रेन को उठाने और ट्रस मेंबर्स के लिए किया गया था। सम्पूर्ण बार्ज को कार्यशील स्पैन और मेंबर्स के समानान्तर लाया गया है। इन मेंबर्स को रोड क्रेन द्वारा संस्थापित किया गया था। इस प्रक्रिया द्वारा कैंटीलीवर लांच समय चक्र को 45 दिनों से 30 दिनों तक कम किया गया था ताकि 102.4 मीटर लंबे ट्रस पुल को संस्थापित किया जा सके। यह बॉटम कॉर्ड में वेड की जाने वाल सामग्री की बचत द्वारा लागत की दृष्टि से भी किफायती है।

इसके अतिरिक्त, शिवोक:-रंगपो परियोजना के लिए सुरंगों के निर्माण हेतु नई ऑस्ट्रिया टनलिंग विधि (एनएटीएम) के प्रयोग का प्रस्ताव है। यह विधि जटिल विविध भौगोलिक परिस्थितियों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जहां तीव्रता से परिवर्तित होने वाली भौतिकी के कारण रॉक मास का पूर्वानुमान अत्यंत कठिन है।

जनवरी 2017 में आईपीडब्ल्यूई सेमिनार में मौजदा मार्गों पर सेमी हाई स्पीड को अपनाने के लिए अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया गया था।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

आपकी कंपनी किसी विशुद्ध अनुसंधान परियोजना पर कार्य नहीं करती है किन्तु अपेक्षित गुणवत्ता के साथ लागत कुशलता के रूप में विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु विभिन्न पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करने के लिए परामर्शदाताओं और फर्मों का सहयोग प्राप्त करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ईआरपी का विकास

एसएपी ईसीसी 6.0 आधारित वित्तीय-नियंत्रण एवं एचसीएम माड्यूल को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है और इसे सभी परियोजना कार्यालयों और निगमित कार्यालय में लागू किया गया है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कहीं से भी वित्त और मानव संसाधन डोमेन संबंधी अद्यतन और वर्तमान आंकड़ों पर पहुंच प्राप्त की जा सकती है।

सभी क्षेत्रों में आईटी सुविधा को सक्षम बनाने के उद्देश्य के अतिरिक्त क्रियाओं को शामिल करने के लिए वित्तीय नियंत्रण माड्यूल आधारित एसएपी ईसीसी 6.0 के संवर्धन के लिए प्रयास किए गए थे जैसे भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास का परिकलन करने के लिए स्थिर परिसंपत्ति लेखांकन, बैंक समायोजन प्रणाली, क्रियाशील मुद्रा, स्थानीय मुद्रा तथा रिपोर्टिंग मुद्रा में फोरेक्स रिपोर्टिंग, इंड एस क्रियाशीलता का क्रियान्वयन (आयु विश्लेषण तथा वित्तीय परिसंपत्ति व देयताओं का डिस्काउंटिंग), कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-111 के अनुसार तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग: भुगतान गेटवे सहित आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने, आवेदकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से एडमिट कार्ड जारी करना व सूचित करना, ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित करने, तत्काल परिणामों का प्रकाशन जैसी कार्यात्मकताओं के साथ एसएएस मॉडल पर ई-भर्ती प्रणाली का क्रियान्वयन: परियोजना प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठकों के आयोजन के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली का संस्थापन, प्रशिक्षण, पदोन्नति साक्षात्कार आदि: संवर्धित कुशलता सुरक्षा तथा क्षमता संवर्धन का लचीलापन प्राप्त करने के लिए सेप ईआरपी अनुप्रयोग हेतु डाटा सेंटर सेवाओं को हायर करना: कंपनी की रिस्पासिव इंटरनेट वेबसाइट का नवीकरण आदि।

कागज के प्रयोग को कम करने तथा पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए, सभी क्रियात्मक क्षेत्रों में आईटी के प्रयोग में संवर्धन किया गया है।

सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित मुद्दों में शीर्ष प्रबंधन के लिए सलाहकार की भूमिका अदा करता है। इसके प्रमुख पूर्णकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की गई है। 16 मई 2017 को श्री सतीश टंडन, सीवीओ, की अचानक मृत्यु के पश्चात नए सीवीओ की नियुक्ति की प्रक्रिया रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है।

सतर्कता विभाग निविदा और संविदाओं, कार्यों के निष्पादन, तथा अन्य क्रियाओं की निवारक जांचों के साथ-साथ शिकायतों की जांचों के माध्यम से निर्धारित दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान, विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं/इकाइयों में 08 निरीक्षण किए हैं। विभिन्न प्राधिकारियों (सीवीसी/रेलवे बोर्ड सतर्कता विभाग) द्वारा अधिकारियों, प्रक्रियाओं आदि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की

जांच तार्किक निष्कर्ष के आधार पर की थी। निष्कर्षों के आधार पर निविदा, संविदा, वित्त परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में और परियोजना प्रबंधन में भी प्रणाली सुधारों पर परिपत्र जारी किए गए थे ताकि अनियमितताओं/प्रक्रियात्मक त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और खामियों को दूर किया जा सके। प्रमुख तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) द्वारा उठाए गए पैरों के समापन के लिए भी कदम उठाए गए थे। कर्मचारियों के अचल संपत्ति रिटर्न की संवीक्षा, कार्यशालाओं/प्रशिक्षण, चर्चा, प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से कार्य निष्पादन में नियमों/प्रक्रियाओं/सामान्य अनियमितताओं पर जागरूकता का सृजन करना आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

बेहतर पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के उपायों के रूप में अधिकारियों द्वारा अचल परिसंपत्ति की ऑनलाइन रिटर्न भरने की प्रक्रिया 2012-13 में आरंभ की गई थी और प्रक्रिया सफलतापूर्वक चल रही है: ऑनलाइन सतर्कता क्लियरेंस की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2014 को इंटरनेट पोर्टल www.irconnet.com के माध्यम से संगठन में आरंभ की गई है: दिसंबर 2012 से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करने की सुविधा के साथ वेबसाइट www.ircon-org.com पर सतर्कता अनुभाग/पोर्टल आरंभ किया गया है: 50 लाख रूपए से अधिक मूल्य के कार्यों में पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए वृहत रूप से संगठन में 1 जुलाई 2013 से पहले ई-प्रापण योजना आरंभ की गई है।

सतर्कता विभाग अनैतिक पद्धतियों के निवारण के कदम उठाकर संगठन की कार्यप्रणाली में भेदभाव मुक्त, निर्भय तथा पारदर्शी वातावरण के संवर्धन के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

सत्यनिष्ठा संधि

आपकी कंपनी ने सीवीसी की सिफारिशों के आधार पर सरकारी संगठनों में प्रमुख प्रापणों के लिए इसे स्वीकार करने के आधार पर सत्यनिष्ठा संधि को स्वीकार तथा इसके क्रियान्वयन के लिए अप्रैल 2014 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कंपनी ने, गतिविधियों की मॉनीटरिंग के लिए सभी भारतीय परियोजनाओं पर 5 करोड़ रूपए या अधिक के अनुमानित मूल्य वाले कार्यों और आपूर्तियों के लिए निविदाओं/ संविदा के लिए सत्यनिष्ठा संधि को क्रियान्वित किया है और एक स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर (आईईएम) की नियुक्ति की है।

पुरस्कार

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

1. अवसंरचनात्मक विकास में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उत्कृष्टता के लिए दैनिक भास्कर द्वारा संस्थापित इंडिया


प्राइड पुरस्कार 2015-16. यह पुरस्कार दिनांक 04 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकय्या नायडु, द्वारा श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इरकॉन को प्रदान किया गया था।

2. रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली, लालगंज उत्तर प्रदेश के चरण-1 परियोजना की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष अवसंरचना कंपनी तथा सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना परियोजना में इन एंड ब्रैडस्ट्रीट इफ्रा अवार्ड, 2016 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में श्री मनसुख एल. मंदाविया, माननीय परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री द्वारा इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री मोहन तिवारी को 8 नवंबर 2016 को प्रदान किया गया है।



निर्माण व अवसंरचना विकास (रेलवे) में डी एंड बी पुरस्कार, 2016

3. एचआर इनिशिएटिव (मिनीरत्न-1) की श्रेणी में गवर्नेन्स नाव चौथा पीएसयू अवार्ड 2016, यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में श्री राम विलास पासवान, माननीय केन्द्रीय उपभोगता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा सुश्री अनुपम बेन, महाप्रबंधक/एचआरएम, इरकॉन को 23 दिसंबर 2016 को प्रदान किया गया है।
4. रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली को सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना की श्रेणी में निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सीआईडीसी) से सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार, 2017 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिनांक 7 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इरकॉन के अधिकारियों यथा श्री एस.के.चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना, श्री द्वारिका प्रसाद, कार्यपालक निदेशक (राय बरेली) तथा श्री ए.के.गोयल, कार्यपालक निदेशक (परियोजना) को प्रदान किया गया था।



सर्वोत्तम निर्माण परियोजना (रेलवे) में सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार, 2017

5. 22 अगस्त 2016 को इन एंड ब्रेडस्ट्रीट इंडिया द्वारा जारी शीर्ष पीएसयू 2016 की सूची में इरकॉन कुल आय के आधार पर 93 स्थान पर है।

एकीकृत रिपोर्ट

निम्नलिखित रिपोर्टें/अभिलेख तथा संगत अनुबंध इस रिपोर्ट के एकीकृत भाग हैं, और इन्हें यहां परिशिष्ट पर प्रस्तुत किया गया है:

- (1) **"सीएसआर एवं धारणीय विकास गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट"** कंपनी की सीएसआर तथा धारणीयता नीति, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ और निर्धारित सीएसआर व्यय, तथा वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित गतिविधियों/परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। **[परिशिष्ट-ग]**
- (2) **प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट** कम्पनी के कार्यों के समग्र परिदृश्य, इसके कानूनी स्तर और स्वायत्ता, उसके व्यावसायिक परिवेश, विजन और मिशन, क्षेत्रीय तथा वर्गवार प्रचालनिक निष्पादन, विशेषताओं, शक्तियों, अवसरों, सीमाओं, नीति और जोखिमों और महत्वपूर्ण पहलुओं और साथ ही मानव संसाधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को प्रस्तुत करती है। **[परिशिष्ट-घ]**
- (3) **कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट**, निगमित शासन के दर्शन, निदेशक मंडल तथा उसकी समिति की संरचना, उनका ब्यौरा, जिसमें वर्ष 2016-17 तथा उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का प्रोफाइल शामिल है और इसके अतिरिक्त, निदेशकों आदि की उपस्थिति तथा वेतन, अन्य संगत प्रकटन, सीएमडी/डीएफ प्रमाणन, शेयर धारकों के लिए सामान्य सूचना उपलब्ध कराती है **[परिशिष्ट-ड.]**। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं:
- (i) वर्ष 2016-17 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र **[अनुलग्नक `ड.` 2 पर प्रस्तुत];**
- (ii) वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा विश्वसनीयता, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में प्रबंधन निदेशक तथा निदेशक वित्त से प्रमाण पत्र **[अनुलग्नक `ड.` -3 पर];** और
- (iii) पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र **[अनुलग्नक ड.-3 पर]**
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 तथा कंपनी

(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा का कार्य करने के लिए पेशेवर कंपनी सचिव, मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया है। लेखापरीक्षक से सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **परिशिष्ट-च** पर प्रस्तुत है।

- (5) कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) (क) के अनुसरण में, **"वार्षिक रिटर्न का सार" परिशिष्ट - छ** पर उपलब्ध है।
- (6) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ज) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार यथापेक्षित **"फार्म एओसी-2"** में **संबंधित पक्ष संव्यवहारों का प्रकटन परिशिष्ट-ज** पर उपलब्ध है।
- (7) स्टैंडएलोन तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समाविष्ट मुद्दे पर बल/अर्हताओं के माध्यम से टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर क्रमशः **परिशिष्ट - झ** पर उपलब्ध है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:-

1. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो।
2. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2016-17 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।
3. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. वित्तीय लेखे-सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है, तथा
5. सभी प्रचलित नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई थी और कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रचालनिक रूप से कुशल थीं।

निदेशक मंडल

अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान निदेशक मंडल की सात बैठकें आयोजित हुई थीं जिनमें से जून 2016 की समाप्त तिमाही में तीन बैठकें, सितंबर 2016 तथा दिसंबर 2016 को समाप्त तिमाही में एक-एक बैठक और मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही में दो बैठकों का आयोजन किया गया था।

बैठकों का ब्यौरा "बोर्ड प्रक्रिया" (पैरा 5.2) शीर्षक के अंतर्गत निगमित शासन रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

31 मार्च 2017 को निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या नौ थी जिनमें चार पूर्णकालीन निदेशक तथा दो सरकारी नामिति निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

1	श्री एस.के.चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [डीआईएन 00515672]	29/10/2016 से प्रभावी
2	श्री एम.के.सिंह, निदेशक वित्त [डीआईएन 06607392]	01/05/2016 से प्रभावी
3	श्री दीपक सबलोक*, निदेशक परियोजना [डीआईएन 03056457]	16/04/2010 से प्रभावी
4	श्री हितेश खन्ना, निदेशक, कार्य [डीआईएन 02789681]	07/03/2011 से प्रभावी
5	श्री राजीव चौधरी, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक [डीआईएन 03146422]	17/11/2016 से प्रभावी
6	श्री एस.के.जैन अंशकालीन (सरकारी) निदेशक [डीआईएन 07564584]	03/01/2017 से प्रभावी
7	श्री एस.के.सिंह, स्वतंत्र निदेशक [डीआईएन 00003695]	05/04/2016 से प्रभावी
8	श्री अवनीश माटा, स्वतंत्र निदेशक [डीआईएन 00011749]	08/04/2016 से प्रभावी
9	प्रा.(सुश्री) वसुधा वी.कामत स्वतंत्र निदेशक [डीआईएन 07500096]	22/04/2016 से प्रभावी

*1 अक्टूबर 2016 से 29 अक्टूबर 2016 (पूर्व) तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। इसका ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 2.2 पर है।

निम्नलिखित निदेशकों ने वर्ष 2016-17 के दौरान अपना कार्यभार छोड़ा:

1	श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन 00191363)	01/10/2016 से प्रभावी
2	श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त (डीआईएन 01495050)	01/05/2016 से प्रभावी
3	श्री अंजुम परवेज, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक (डीआईएन 06682287)	10/12/2016 से प्रभावी
4	श्री एच.के.काला अंशकालीन (सरकारी) निदेशक (डीआईएन 07200108)	01/07/2016 से प्रभावी

लेखापरीक्षक

क. सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए हैं:

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक :

के.जी.सोमानी एंड कंपनी	कम्पनी के लिए समग्र रूप से
------------------------	----------------------------

भारत में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक

प्रवेश जैन एंड कंपनी, जम्मू	जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
केडीएस एंड कंपनी, मुंबई	मुंबई क्षेत्र की सभी परियोजनाएं
डी चक्रवर्ती एंड सेन, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं
जिंदल एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र तथा कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं
एस के झा एंड एसोसिएट्स, पटना	पटना क्षेत्र की सभी परियोजनाएं

विदेश में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक

कुंफुलान नागा	मलेशिया
कैबिनेट डी.ऑडिट ऐट सीएसी	अल्जीरिया
बेकर टिल्ली एडिरीसिंघे एंड कंपनी	श्रीलंका
एमएबीएस एंड जी पार्टनर्स	बांग्लादेश
एस एन मुखर्जी एंड कंपनी	भूटान
मिडल एंड पार्टनर्स	दक्षिण अफ्रीका

ख. लागत लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने लागू नियमों/मार्गदर्शी नोटों के अनुसार कंपनी के लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण तथा उन पर अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी लागत लेखाकार के रूप में मैसर्स चन्द्रा वाधवा एंड कंपनी, लागत लेखाकार को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ग. सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षक के लिए मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

घ. आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वर्ष 2016-17 के लिए निम्नलिखित आंतरिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है:

भारतीय परियोजनाओं के लिए लेखापरीक्षक:

बवेजा एंड कौल, जम्मू (वर्ष 2016-17 हेतु)	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र
पेट्रो एंड कंपनी, बेंगलोर (वर्ष 2016-17 हेतु)	मुंबई क्षेत्र
ए.आर एंड कंपनी, नई दिल्ली (4 माह की अवधि हेतु यथा 01.12.2016 से 31.03.2017 तक)	उत्तरी क्षेत्र
गुप्ता सचदेवा एंड कंपनी (4 माह की अवधि हेतु यथा 01.12.2016 से 31.03.2017 तक)	पटना क्षेत्र
एसबीए एसोसिएट्स, कोलकाता (4 माह की अवधि हेतु यथा 01.12.2016 से 31.03.2017 तक)	पूर्वी क्षेत्र
राज के श्री एंड कंपनी (4 माह की अवधि हेतु यथा 01.12.2016 से 31.03.2017 तक)	निगमित कार्यालय क्षेत्र

इसके अतिरिक्त, चार लेखापरीक्षा सर्कलों यथा पूर्वी, पटना, उत्तरी तथा निगमित कार्यालय क्षेत्र के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आठ महीनों यथा 1 अप्रैल 2016 से 30 नवंबर 2016 तक कंपनी के अधिकारियों द्वारा इन-हाउस की गई थी।

विदेशी परियोजनाओं के लिए लेखापरीक्षक:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विदेशी परियोजनाओं यथा बांग्लादेश, भूटान, मलेशिया, अल्जीरिया, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका का आंतरिक लेखापरीक्षा आठ महीनों कंपनी के अधिकारियों द्वारा इन-हाउस की गई थी।

आभारोक्ति

हम रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) तथा अन्य मंत्रालयों, विभिन्न बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक, निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम, राजदूतावासों, आप्रवासन संरक्षकों, पासपोर्ट प्राधिकारी, दूरदर्शन तथा भारत और विदेश दोनों में हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति कम्पनी में रूचि बनाए रखने और समर्थन के लिए सराहना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं।

हम कंपनी के कार्यनिष्पादन तथा लाभप्रदता में सुधार करने के लिए कम्पनी के सभी स्तरों के सभी कर्मचारियों के अथक प्रयासों, समर्पण तथा कृतज्ञता के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-

(एस.के.चौधरी)

अध्यक्ष

एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन 00515672)

दिनांक : 21 सितंबर 2017

स्थान: नई दिल्ली

परिशिष्ट-क

भारत में प्रमुख चालू परियोजनाएं

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना/ संशोधित मूल्य
1.	उत्तरी रेलवे के लिए अतिरिक्त कार्यों सहित धरम-काजीगुंड खंड, किमी 33.09 से 39.00 तथा किमी 61.00 से 91.00 सहित कटरा- काजीगुंड खंड।	9521
2.	रेल मंत्रालय के लिए अतिरिक्त कार्यों सहित रायबरेली में नये रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना।	2973
3.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना, सीटीपी-12 के वैतर्णी-सचिन खंड का अभिकल्प तथा सिविल निर्माण, भवन तथा रेलपथ निर्माण कार्य	2116
4.	छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ़ के बीच पूर्वी गलियारे के कॉरिडोर-1 तथा स्पर लाइन का निर्माण।	1424
5.	नार्थ प्रंटियर रेलवे के लिए सिवोक-रंगपो नई रेल लाइन परियोजना।	1339
6.	निम्नलिखित राज्यों में सड़क उपरि पुलों का निर्माण : (क) रेल मंत्रालय तथा बिहार सरकार के लिए बिहार (चरण-I व II)। (ख) राजस्थान में रेल मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार हेतु । (ग) सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार के लिए गया जिले में मनपुर बायपास पर प्रथम किमी पर अपनी स्वयं की निधि के माध्यम से बिहार में राज्य स्वामित्व सड़क (एनएच के अतिरिक्त) एक सड़क उपरिपुल।	1335 (बिहार), 618 (राजस्थान) 60 (एक आरओबी)
7.	बिहार राज्य में पीएमजीएसवाई का क्रियान्वयन।	1012
8.	जम्मू और कश्मीर उर्जा विकास विभाग के लिए जम्मू प्रांत (क्लस्टर-I, जम्मू लेफ्ट), (क्लस्टर-II, जम्मू राइट), तथा (क्लस्टर-IV) (अखनूर, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवार तथा भदेरवा) के अंतर्गत आरएपीडीआरपी-भाग-ख परियोजना।	682
9.	इरकॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड के लिए राजस्थान राज्य में बीओटी (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर किमी 4.200 से किमी 55.250 को चार लेन का बनाने के लिए तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेवड शोल्डर सहित दो लेने का बनाने के लिए मौजूदा बीकानेर -फलौदी खंड को चाड़ा करना व इसका सुदृढीकरण।	646



आधुनिक रेलडिब्बा कारखाना, रायबरेली का दृश्य



सीएमडी द्वारा टी-49 सुरंग, यूएसबीआरएल, जम्मू और कश्मीर रेल संपर्क परियोजना का निरीक्षण



सड़क निर्माण कार्य

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना/ संशोधित मूल्य
10.	इस्कॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड के लिए एनएचपीडी के चरण-IV के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) पर निष्पादित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में किमी 236.00 से किमी 332.100 (पैकेज-1) तक शिवपुरी से गुना तक चार लेन करना।	704
11.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड राज्य सरकार के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजना के अंतर्गत झारखंड के 5 जिलों में ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण /स्तरोन्नयन।	525
12.	मध्य पूर्व रेल के लिए भारत-नेपाल सीमा पर बर्दीबस तक विस्तार सहित जयनगर (भारत)-बीजलपुरा (नेपाल)(आमान परिवर्तन) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।	447
13.	नॉर्थ टियर रेल के लिए जोगबनी (बिहार) भारत से बिराटनगर (नेपाल) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।	354
14.	पीवीवीएनएल के लिए सामग्री की आपूर्ति सहित टर्नकी आधार पर आरएपीडीआरपी भाग -ख योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में प्रणाली सुधार, ए.टी एंड सी संबंधी घाटों को कम करने के लिए वितरण प्रणाली में सुधार, सुदृढीकरण तथा संवर्धन और उपभोक्ता आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार का कार्य।	329
15.	एनडीएमसी लि.के लिए जबदलपुर, छत्तीसगढ़ के समीप नगरनार में 30 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए रेल साइडिंग का निर्माण: क) पैकेज-1-सिविल व रेल संबंधी कार्यों का निष्पादन। ख) पैकेज-1-सिविल, सिगनलिंग व दरसंचार, यांत्रिकी व संरचना कार्यों का निष्पादन।	277 (पैकेज-1) और 79 (पैकेज-11)
16.	दिल्ली एमआरटीएस परियोजना, चरण-III के लिए डीएमआरसी के सीई-6, लॉट-1 के अंतर्गत ग्रिड उप-स्टेशन से उच्च वोल्टता केबलिंग और मौजूदा रिसीविंग उप-स्टेशन के लिए संवर्धन कार्य सहित रिसीविंग-सह-घर्षण तथा अनुषंगी मुख्य उप-स्टेशन के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन का कार्य।	273
17.	बोंडामुंडा (दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए), दौंड (मध्य रेलवे के लिए), तथा मुगलसराय (उत्तरी रेलवे के लिए) में 200 तीन-फेज इंजनों के लिए तीन इलैक्ट्रिक लोको शेडों की स्थापना।	234
18.	दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए संतरागाछी में सर्कुलेटिंग क्षेत्र तथा अनिवार्य यात्री सुविधाओं और कोना एक्सप्रेस-वे के लिए सड़क संपर्कता का विकास।	210
19.	दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए अनिवार्य यात्री सुविधाओं के प्रावधान द्वारा शालीमार में कोचिंग टर्मिनल का विकास।	205



सड़क उपरिपुल, दानापुर, बिहार



इंडोर स्पोर्ट्स परिसर, बेहाला, कोलकाता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना/ संशोधित मूल्य
20.	संविदा सीटी-1-क: डीएमआरसी के लिए दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के चरण-1।। के लिए मुकुंदपुर डीपो से गिट्टीयुक्ति/ गिट्टी रहित रेलपथ सहित एलिवेटिड और भूमिहीन खंडों में मुकुंदपुर - लाजपतनगर (को छोड़कर) लाइन-7 पर आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन आरंभ।	199
21.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, मिजोरम के लिए टोपोग्राफिकल तथा भू-तकनीकी सर्वेक्षण कराना: मास्टर प्लान तैयार करना, नियोजन, चारदीवारी का अभिकल्पन और निर्माण तथा सहायक आरंभिक कार्य।	140
22.	पूर्वी रेल के लिए सियालदा मंडल में घोल्सापुर (बेहाला) में नए इंडोर स्पोर्ट्स परिसर का निर्माण।	58
23.	पूर्वी रेल के लिए न्यू हावड़ा मंडल रेल कार्यालय भवन का निर्माण।	33
24.	ओडीशा राज्य में दर्लीपली सुपर ताप उर्जा परियोजना, चरण-1 (2 x800 एमडब्ल्यू) के लिए संबद्ध इलैक्ट्रिकल पैकेज सहित कोयला पारहवन प्रणाली के लिए डीपीआर तथा विस्तृत इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधन और निर्माण कार्य।	23
25.	नबीनगर सुपर ताप उर्जा परियोजना, चरण-1 (3 x660 एमडब्ल्यू) के लिए कोयला पारहवन प्रणाली के लिए डीपीआर तथा विस्तृत इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधन और निर्माण कार्य।	16
26.	एनटीपीसी लिमिटेड के लिए दर्लीपली सुपर ताप उर्जा परियोजना, चरण-1 (2 x800 एमडब्ल्यू) के लिए महानदी कोल लिमिटेड साइडिंग के साथ दुलांग खान - दर्लीपली एसटीपीपी की एमजीआर प्रणाली को छोड़ने जोड़ने वाली रेल के लिए डीपीआर तथा विस्तृत इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधन और निर्माण कार्य।	11

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
(एस.के.चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

दिनांक: 21 सितंबर, 2017

स्थान: नई दिल्ली

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियां

क. सहायक कंपनियां:

1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लि. (इरकॉन आईएसएल)

इरकॉन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) का गठन 30 सितम्बर, 2009 को किया गया था और इसने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य हैं, भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी कामों का निष्पादन करना है। वर्ष के दौरान, इरकॉन आईएसएल के निर्माण के क्षेत्र में नियोजनद्वि-अभिकल्प, विकास व सुधार कार्य आदि, हायर पर्सेस, सभी प्रकार की चल तथा अचल परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने तथा सामाजिक कल्याण आदि उपायों सहित सभी प्रकार की सेवाएं व अनुरक्षण व सहायता सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराना।

वर्ष 2016-17, इरकॉन आईएसएल म्यांमार में पुल परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) की परामर्शदाता परियोजना को निष्पादित किया है और रखेनी राज्य में सड़क परियोजना के लिए डीपीआर तैयार किया गया है।

इरकॉन आईएसएल ने दो परियोजनाएं प्राप्त की हैं यथा (क) म्यांमार में पहुंच मार्ग परियोजना सहित पुलों के निर्माण के लिए प्रबंधन परामर्श तथा (ख) रखेनी राज्य में सड़क परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने की परियोजना, तथा (2) तीन अन्य परामर्श परियोजनाएं यथा (क) भारतीय भू-पोत प्राधिकरण के लिए सात भूमि पोटों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरेक के निर्माण के लिए पीएमसी, (ख) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के लिए मैसूर जिले के कोडाकोला स्टेशन के समीप बहु मॉडल लाजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए पीएमसी, तथा (ग) इंदौर (1 आरओबी) तथा सूरत (4 आरओबी) में नए दो लेन के सड़क उपरिपुलों के निर्माण का पर्यवेक्षण कार्य।

इरकॉन आईएसएल द्वारा निष्पादित 24 एमएफसी में से 23 एमएफसी को प्रचालन के लिए उप-पट्टे पर दिया गया है।

इरकॉन आईएसएल की वित्तीय स्थिति:

31 मार्च 2017 को इरकॉन आईएसएल की प्राधिकृत, अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी 65 करोड़ रुपए है।

वर्ष के दौरान इरकॉन आईएसएल की प्रचालनिक आय 40.98 करोड़ रुपए तथा अर्जित कर पूर्व लाभ 20.81 करोड़ रुपए है और कर पश्चात लाभ 12.36 करोड़ रुपए है।

2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड

इरकॉन की सहायक कंपनी और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की संयुक्त उद्यम कंपनी, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड का गठन 12 अप्रैल, 2012 को किया गया था और इसने 9 मई, 2012 को अपना व्यवसाय आरंभ प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर मानक स्थापित करने हेतु स्टेशन भवनों, प्लेटफार्म स्थलों, परिपत्रण क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/नवीकरण कार्यों द्वारा यात्री सुविधाओं के स्तर में स्तरोन्नयन सहित मौजूदा/नए रेलवे स्टेशन (स्टेशनों) का विकास पुनर्विकास करना तथा भूमि/वायु क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास करना है। आईआरएसडीसी में इरकॉन और आरएलडीए की इक्विटी भागीदारी अनुपात क्रमशः 51:49 है।

आईआरएसडीसी को विकास/पुनर्विकास के लिए चंडीगढ़, हबीबगंज (भोपाल), शिवाजी नगर (पुणे), बिजवासन (नई दिल्ली), आनंद विहार (दिल्ली) तथा सूरत और गांधीनगर (गुजरात) तथा एसएस नगर (मोहाली), पंजाब, गांधीनगर (जयपुर), अमृतसर, ग्वालियर, नागपुर तथा बेयपनहल्ली में 13 स्टेशनों पर कार्य सौंपा गया है। आईआरएसडीसी द्वारा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की स्थिति निम्नानुसार है:

- (i) चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन - ईपीसी मोड पर पुनर्विकास कार्य को आरंभ करने के लिए प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजा गया है, निर्णय प्रतीक्षाधीन है।
- (ii) हबीबगंज रेलवे स्टेशन - इस स्टेशन के पुनर्विकास के लिए संविदा प्रदान कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत भूमि के वाणिज्यिक विकास के माध्यम से स्टेशन को आधुनिक बनाया जाएगा और रिटेल तथा विज्ञापन राजस्वों के माध्यम से अनुरक्षण किया जाएगा और भौतिक कार्य आरंभ हो गया है।
- (iii) शिवाजीनगर रेलवे स्टेशन - विकास कार्य को पूरे नगर निगम द्वारा अनुमोदन दिया जा रहा है।

- (iv) बिजवासन और आनन्द विहार रेलवे स्टेशन - बोली प्रक्रिया अग्रिम स्तर पर है।
- (v) सूरत रेलवे स्टेशन - संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से बहु-मॉडल पारवहन हब के रूप में पुनर्विकास की योजना है और इसके लिए केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार द्वारा भूमि की पूलिंग की जाएगी।
- (vi) गांधीनगर रेलवे स्टेशन - इस कार्य को ईपीसी मोड पर आईआरएसडीसी (एमओआर) तथा गुजरात औद्योगिक विकास बोर्ड (जीआईडीबी)(जीओजी) के बीच संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से किया गया है।
- (vii) एसएस नगर, मोहाली रेलवे स्टेशन - लाभप्रद नहीं पाया गया है और इस पर पुनःविचार किया जाना प्रस्तावित है।



प्रस्तावित बिजवासन स्टेशन

- (viii) पांच स्टेशनों यथा अमृतसर, बेयप्पनहल्ली (बंगलूरु), ग्वालियर, गांधीनगर (जयपुर), नागपुर का कार्य हाल ही में आईआरएसडीसी को सौंपा गया है। अभिकल्प प्रतियोगिता के माध्यम से अवधारणा आरंखणों को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।

आईआरएसडीसी की वित्तीय स्थिति

आईआरएसडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2017 (इस्कॉन द्वारा 51 प्रतिशत धारित) को इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 40 करोड़ रुपए है। वर्ष के समापन के पश्चात 10 अप्रैल 2017 के पत्र के तहत, रेल मंत्रालय ने आईआरएसडीसी की पुनर्संरचना और सुदृढीकरण का निर्णय किया है। सुदृढीकरण के प्रथम चरण में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया है कि आईआरएसडीसी के 1 प्रतिशत इक्विटी भाग (इस्कॉन द्वारा धारित 51 प्रतिशत में से) का अंतरण किया जाए ताकि आईआरएसडीसी को 50:50 का जीवी बनाया जा सके। तदनुसार, आईआरएसडीसी की वर्तमान प्रदत्त शेयर पूंजी के 1 प्रतिशत (20.40 करोड़ में से (इस्कॉन द्वारा धारित 51 प्रतिशत)) को आरएलडीए (19.60 करोड़ रुपए

(49 प्रतिशत) को अंतरित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, आईआरएसडीसी को हाजीपुर रेलवे स्टेशन के विकास के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों के प्रभारन पर 4.65 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

2क. आईआरएसडीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी : गांधीनगर रेलवे शहरी विकास कंपनी (जीएआरयूडी)

जीएआरयूडी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका निगमन क्रमशः 26:74 के अनुपात में आईआरएसडीसी तथा गुजरात अवसंरचना विकास बोर्ड (जीआईडीबी) (गुजरात सरकार के नामिती) द्वारा इक्विटी भागीदारी के साथ 5 जनवरी 2017 को किया गया था। जीएआरयूडी का मुख्य उद्देश्य गांधीनगर रेलवे स्टेशन के आपसाप उपलब्ध भूमि, वायु क्षेत्र तथा अन्य अवसंरचना का उपयोग करके रेलवे ट्रैक /स्टेशन के ऊपर होटल के विकास सहित पुनर्विकास, वित्तीयन, नियोजन, प्रचालन तथा प्रबंधन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना का क्रियान्वयन है और गांधीनगर में महात्मा मंदिर तथा प्रदर्शनी केन्द्र का प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन करना भी है।

3. इस्कॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड (इस्कॉन पीबीटीएल)

इस्कॉन पीबीटीएल का निगमन इस्कॉन द्वारा 30 सितंबर 2014 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक विशेष कार्य वाहन के रूप में किया गया था और इस्कॉन पीबीटीएल ने 14 नवंबर 2014 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इस्कॉन पीबीटीएल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) द्वारा राजस्थान राज्य में रा. रा. 15 के बीकानेर-फलौदी खंड 4.200 किमी से 55.250 कि.मी. को चार लेन का बनाना और 55.250 कि.मी. से 163.500 कि.मी. पेवडशोल्टर सहित को चौड़ा करने और सुदृढीकरण की परियोजना को प्रदान करने के लिए 7 नवंबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर की शर्तों के अनुसार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर किया गया था।

रियायत करार की शर्तों के अनुसार, इस्कॉन पीबीटीएल ने 30 अप्रैल 2015 यथा निष्पादन की तिथि को वित्तीय समापन प्राप्त किया है और 352 करोड़ रुपए के लिए इस्कॉन के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस्कॉन पीबीटीएल ने प्रतिस्थापन करार (एनएचआई, इस्कॉन पीबीटीएल, तथा इस्कॉन के बीच) और एस्करो करार (इस्कॉन पीबीटीएल, इस्कॉन, भारतीय ओवरसीज बैंक तथा एनएचआई के बीच) का निष्पादन क्रमशः 16 जुलाई 2015 तथा 10 अगस्त 2015 को किया गया था। इन करारों की आवश्यकता नियुक्ति तिथि की घोषणा के लिए

निर्धारित शर्त के रूप में रियायत करार की शर्तों के तहत अपेक्षित थी।

एनएचएआई ने 14 अक्टूबर 2015 को निर्माण आरंभ करने के लिए नियुक्त तिथि निर्धारित की है जिसमें निर्माण अवधि 910 दिन की होगी, जिसके लिए इरकॉन को ईपीसी कांट्रैक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। निर्माण कार्य आरंभ होने (अप्रैल 2018 के लिए अनुसूचित) तथा टोल प्लाजा और टोल शुल्कों के प्रचालनीकरण के लिए एनएचएआई द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात प्रचालन की आरंभ तिथि अधिसूचित की जाएगी। दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता के कारण विलंब को छोड़कर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इरकॉन पीबीटीएल की वित्तीय स्थिति:

इरकॉन पीबीटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 175 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2017 को इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 165 करोड़ है। वर्ष के दौरान, इरकॉन पीबीटीएल ने 75 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों के लिए राइट इश्यु जारी किया है। इरकॉन द्वारा अंशदायी 75 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजी शेयरों के समवर्ती शेयरों को दो किश्तों में आवंटित किया गया है यथा जुलाई 2016 को 50 करोड़ रुपए तथा सितंबर 2016 को 25 करोड़ रुपए।

वर्ष के दौरान, इरकॉन पीबीटीएल ने प्रचालनों से 177.89 करोड़ रुपए का राजस्व (प्रचालनिक टर्नओवर), तथा 0.83 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ तथा 0.54 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ प्राप्त किया है।

4. इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में शिवपुरी-गूना परियोजना को प्रदान किए जाने की शर्त के अनुसरण में 12 मई 2015 को इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) नाम पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निर्माण किया है। इरकॉन एसजीटीएल ने 27 मई 2015 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन एसजीटीएल का मुख्य उद्देश्य दिनांक 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी के चरण-iv के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) पर निष्पादित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में किमी 236.00 से किमी 332.1 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी-गूना खंड को चार लेन का करना तथा इससे संबंधित अन्य अनुषंगी कार्य पूरा करना है।

रियायत करार की शर्तों के अनुसार, इरकॉन एसजीटीएल ने 23 नवंबर 2015 यथा निष्पादन की तिथि को वित्तीय समापन प्राप्त किया है और 722.11 करोड़ रुपए के लिए इरकॉन के साथ ऋण

करार पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्ववर्ती शर्त के रूप में एक अन्य शर्त रियायत करार में यह निर्धारित की गई है कि नियुक्ति तिथि यथा प्रतिस्थापन करार (इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा एनएचएआई के बीच) और एस्करो करार (एनएचएआई, इरकॉन एसजीटीएल तथा इरकॉन के बीच) का निष्पादन 04 दिसंबर 2015 को किया गया था।

एनएचएआई ने 25 जनवरी 2016 को निर्माण आरंभ करने के लिए नियुक्ति तिथि निर्धारित की है जिसमें निर्माण अवधि 910 दिन की होगी, जिसके लिए इरकॉन को ईपीसी कांट्रैक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। निर्माण कार्य आरंभ होने (जुलाई 2018 के लिए अनुसूचित) तथा टोल प्लाजा और टोल शुल्कों के प्रचालनीकरण के लिए एनएचएआई द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात प्रचालन की आरंभ तिथि अधिसूचित की जाएगी। दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता के कारण विलंब को छोड़कर निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है।

इरकॉन एसजीटीएल की वित्तीय स्थिति:

इरकॉन एसजीटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2017 को इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 150 करोड़ है। वर्ष के दौरान, इरकॉन एसजीटीएल ने इरकॉन द्वारा अंशदायी 80 करोड़ रुपए के दो राइट इश्यु जारी किए हैं यथा जुलाई 2016 को 50 करोड़ रुपए तथा सितंबर 2016 को 30 करोड़ रुपए।

वर्ष के दौरान इरकॉन एसजीटीएल ने प्रचालनों से 294.12 करोड़ रुपए का राजस्व (प्रचालनिक टर्नओवर), तथा 0.61 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ तथा 0.39 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ प्राप्त किया है।

5. इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)

वर्ष के समापन के पश्चात, आपकी कंपनी ने एनएचएआई द्वारा कर्नाटक राज्य में देवांगेरे हवेरी परियोजना को प्रदान किए जाने की शर्तों के अनुसरण में 11 मई 2017 को इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल) नामक एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निर्माण किया गया है।

इरकॉन डीएचएचएल का मुख्य उद्देश्य कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-4) के देवांगेरे - हवेरी खंड पर किमी 260.00 से किमी 338.923 (लगभग 78.923 किमी) खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग सं.48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-4) को छह लेन का बनाने और उसके अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन और अंतरण आधार पर विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का कार्य करना है।

इरकॉन डीएचएचएल ने दिनांक 19 जून 2017 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए इरकॉन डीएचएचएल को अभी संगत दस्तावेज एनएचएआई को प्रस्तुत करने हैं। वित्तीय समापन प्राप्त करने और एनएचएआई से नियुक्ति तिथि प्राप्त करने के पश्चात ही परियोजना के निष्पादन का कार्य आरंभ होगा।

इरकॉन डीएचएचएल की वित्तीय स्थिति

30 जून 2017 को इरकॉन डीएचएचएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ है और इसकी अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी 5 लाख रूपए है।

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसी)- भारत में:

6. इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)

एनएचएआई के लिए महाराष्ट्र में किमी 380 से किमी 265 तक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के पिंपलगंव-धुले खंड को चार लेने का बनाने के लिए बीओटी परियोजना के निष्पादन के लिए इरकॉन तथा सोमा इंटरप्राइसिस लिमिटेड (निजी क्षेत्र की एक निर्माण कंपनी) द्वारा 50% की इक्विटी भागीदारी के साथ 19 अप्रैल 2005 को इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का निर्माण किया गया था।

वर्ष 2010-11 में पिंपलगंव-धुले खंड को चार लेने का बनाने की बीओटी परियोजना पूरा हो गई थी और तदनुसार, आईएसटीपीएल 118.158 किमी के सम्पूर्ण क्षेत्र पर टोल अर्जित कर रही है।

आईएसटीपीएल की वित्तीय स्थिति:

31 मार्च 2017 को आईएसटीपीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 130 करोड़ रूपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 127.74 करोड़ रूपए (इरकॉन का भाग 63.87 करोड़ रूपए) है।

वर्ष के दौरान आईएसटीपीएल ने 153.34 करोड़ रूपए का प्रचालनिक टर्नओवर अर्जित किया है जबकि पिछले वर्ष यह 157.23 करोड़ रूपए था और इसे 11.69 करोड़ रूपए का लाभ प्राप्त हुआ था जबकि पिछले वर्ष के दौरान 5.91 करोड़ रूपए का घाटा हुआ था।

आईएसटीपीएल में अपनी 30% शेयरधारिता को बंधक रखने के लिए आपकी कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में, आईएसटीपीएल तथा पीएनबी के साथ त्रिपक्षीय बंधक करार किया है, रियायत करार के समापन की स्थिति में पीएनबी को देय, यदि कोई हो, में किसी प्रकार की कमी के 50% को पूरा करने के लिए अपनी शेयरधारिता के 21% के लिए गैर-विन्यास शपथ शामिल है। उक्त बंधक करार तथा गैर-विन्यास शपथ का निष्पादन वर्ष 2011-12 में आईएसटीपीएल द्वारा प्राप्त किए गए

521.53 करोड़ रूपए के इस ऋण के संबंध में आईएसटीपीएल में 50% की इक्विटी भागीदारी के रूप में किया गया था। 31 मार्च 2017 को इस ऋण का बकाया शेष 126.14 करोड़ रूपए है। तदनुसार, 31 मार्च 2017 को देयों में कमी के 50 प्रतिशत के लिए इरकॉन का दायित्व यथा ऋण की शेष राशि 63.07 करोड़ रूपए है। इस ऋण से संबंधित ब्यौरा और संबंधित शपथ को स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं. 52 में भी प्रदर्शित किया गया है।

7. छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड (सीईआरएल)

छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा पूर्वी गलियारे (180 किमी) के विकास के लिए क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (छत्तीसगढ़ सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 12 मार्च 2013 को छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड (सीईआरएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवसी) का गठन किया गया था। सीईआरएल ने 7 मई 2013 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

सीईआरएल ने रेल मंत्रालय के साथ 12 जून 2015 को पूर्व गलियारा कोयला संपर्कता परियोजना के चरण-1 (कुल 104.157 किमी) के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर किया है। पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना का चरण-1 निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन तथा हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। 3 मई 2016 को क्षेत्रीय रेल यथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सर्वर्धित माइलेज सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदित किया है। वित्तीय समापन का कार्य प्रगति पर है और इसके 30 सितंबर 2017 तक पूरा होने की आशा है। भूमि धारकों के पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के प्रति क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा स्टेय के कारण परियोजना की प्रगति बाधित हुई है। अभी तक राज्य राजस्व अधिकारियों द्वारा केवल 67 प्रतिशत संवितरण किया है और राज्य सरकार ने अगस्त 2017 तक कोष के भुगतान के लिए प्रतिबद्धता प्रस्तुत की है।

सीईआरएल की वित्तीय स्थिति:

31 मार्च 2017 को सीईआरएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रूपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 306 करोड़ रूपए (इरकॉन का भाग 139.06 करोड़ रूपए है) है। सीईआरएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है।

8. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा पूर्व पश्चिम

गलियारे (135 किमी) के विकास के लिए क्रमश 64:26:10 के अनुपात में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडी) (छत्तीसगढ़ सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 25 मार्च 2013 को छत्तीसगढ़ पूर्वी पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईआरएल) नाम संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन किया गया था। सीईआरएल ने 7 मई 2013 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

जुलाई 2015 के दौरान साउथ इस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की स्वीकृति प्रदान की गई है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएं प्रगति पर हैं। सीईडब्ल्यूआरएल तथा रेल मंत्रालय के बीच रियायत करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। सर्वेधित माइलेज के लिए रेल मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। परियोजना का वित्तीय समापन 31 मार्च 2018 तक होने की संभावना है।

सीईडब्ल्यूआरएल की वित्तीय स्थिति :-

31 मार्च 2017 को सीईडब्ल्यूआरएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1110 करोड़ रुपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 504 करोड़ रुपए (इरकॉन का भाग 131.30 करोड़ रुपए है) है। सीईडब्ल्यूआरएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है।

9. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)

ओडीशा राज्य में खदानों से कोयले के खनन के लिए महत्वपूर्ण चयनित रेल गलियारा परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ 64:26:10 के अनुपात में क्रमशः महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन तथा ओडीशा औद्योगिक विकास निगम (ओडीशा सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी के साथ 31 अगस्त 2015 को महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी को निगमित किया गया था।

एमसीआरएल ने 19 अप्रैल 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार में हस्ताक्षर किए हैं। क्रियान्वयन के लिए कंपनी द्वारा अंगुल-बलराम-झरपाडा नामक नए रेल गलियारे को चयनित किया गया है। 8 अगस्त 2016 को पूर्व तटीय रेलवे को व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और 18 जुलाई 2017 को पूर्व तटीय रेलवे को डीपीआर प्रस्तुत की गई है और अनुमोदन हेतु 20 जुलाई 2017 को रेलवे बोर्ड को अग्रेषित की गई है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

एमसीआरएल की वित्तीय स्थिति:

31 मार्च 2017 को एमसीआरएल की प्राधिकृत, अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी 5 लाख रुपए है।

10. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

झारखंड राज्य में खदानों से कोयले के खनन के लिए महत्वपूर्ण चयनित रेल गलियारा परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन तथा झारखंड सरकार द्वारा क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के लिए 31 अगस्त 2015 को झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी का निगमन किया गया था।

जेसीआरएल ने 28 मार्च 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार में हस्ताक्षर किए हैं। रेलवे बोर्ड ने दिनांक 6 अप्रैल 2016 को जेसीआरएल को 49.2 किमी के कुल मार्ग और 68.7 किमी की रेलपथ लंबाई के लिए झारखंड राज्य में किमी 41.5 से किमी 90.7 तक शिवपुरी को कथौटिया से जोड़ने वाली ब्राड गेज एकल रेल लाइन अंतरण की परियोजना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। 1400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इस परियोजना के निर्माण कार्य के मार्च 2018 तक आरंभ होने की संभावना है। निजी और सरकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए आदेश जारी किए गए हैं और पर्यावरणीय क्लियरेंस का कार्य प्रगति पर है। व्यवहार्यता /आरंभिक अर्थक्षमता अनुमान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।

जेसीआरएल की वित्तीय स्थिति:

31 मार्च 2017 को जेसीआरएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए और इसकी अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 50 करोड़ रुपए हैं।

11. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)

वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पश्चात, छत्तीसगढ़ राज्य में रोउघाट से जगदलपुर (नरायणपुर, कोंडागांव के रास्ते) नई रेल लाइन के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ एनडीएमसी लिमिटेड, इरकॉन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (छत्तीसगढ़ सरकार की नामिति) द्वारा क्रमशः 43:26:21:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ 05 मई 2016 को बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) नामक संयुक्त उपक्रम को निगमित किया गया था। बीआरपीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 05 करोड़ रुपए है।

बीआरपीएल के लिए शेयरधारक करार पर 20 जनवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए हैं। कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, इरकॉन इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी है और परियोजना निष्पादन करार पर 19 जुलाई 2017 को हस्ताक्षर

किए गए हैं। अनुमोदन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को जुलाई 2017 में प्रस्तुत की गई है।

बीआरपीएल की वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2017 को बीआरपीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रूपए है और इसकी अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी 4.55 करोड़ रूपए (इरकॉन का भाग 1.18 करोड़ रूपए) है।

ग. संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसी) - भारत के बाहर:

11. कंपनियां डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा (सीसीएफबी)

बेरा रेल रियायत परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 के दौरान मोजांबीक में कंपनियां डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा (सीसीएफबी) नाम संयुक्त उद्यम कंपनी का निर्माण किया गया था। सीसीएफबी में आपकी कंपनी की इक्विटी भागीदारी 25% और इसके साथ राइट्स की भागीदारी 26% तथा सीएफएम, मोजांबीक के रेल उपक्रम की इक्विटी भागीदारी 49% की है। सीसीएफबी में आपकी कंपनी की इक्विटी भागीदारी 25% है जो 1.25 मिलियन अमरीकी डालर (5.53 करोड़ रूपए) के बराबर है। इसके अतिरिक्त, सीसीएफबी को 5.083 मिलियन अमरीकी डालर (22.48 करोड़ रूपए) का ऋण, 15.042 मिलियन अमरीकी डालर (66.53 करोड़ रूपए) का शर्तशुदा शेयरधारक ऋण, तथा 1.947 मिलियन अमरीकी डालर (12.83 करोड़ रूपए) का शेयरधारक ऋण, इस प्रकार कुल 22.171 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया गया था।

हालांकि परियोजना का कार्य पूरा हो गया था, मोजांबीक सरकार ने नवंबर 2011 को रियायत समाप्त कर दी है और दिसंबर 2011 को परियोजना अपने हाथ में ले ली है। सीसीएफबी ने आईसीसी नियमों के अंतर्गत मोजांबीक सरकार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ की थी और मई 2013 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थता का अनुरोध किया था।

इसके परिणामस्वरूप, 21 अक्टूबर 2015 को मोजांबीक सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इरकॉन को 40.31

मिलियन अमरीकी डालर (ठेकेदार के रूप में इरकॉन के दावे के प्रति 4 मिलियन अमरीकी डालर सहित) मिलेंगे। इरकॉन के भाग के लिए 17.93 मिलियन अमरीकी डालर (121.71 करोड़ रूपए के समान) की पहली किश्त जनवरी 2016 को प्राप्त हो गई है। 5.595 मिलियन अमरीकी डालर (37.27 करोड़) की प्रत्येक किश्त 18 अक्टूबर 2016, 18 अक्टूबर 2017, 18 अक्टूबर 2018 तथा 18 अक्टूबर 2018 को देय हैं। मोजांबीक सरकार ने 31 मार्च 2016 के पश्चात शेष देय राशि के प्रति संपुष्ट ऋण पत्र जारी किया है (31 मई 2016 को पुष्टि प्राप्त हो गई है। उपर्युक्त भुगतान कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान, शेयरधारक ऋण, निपटान करार की तिथि को संचित ब्याज, प्रबंधन तथा अन्य सेवाओं/प्रभारों के प्रति देय राशि के भुगतान के प्रति है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता व्ययों की प्रतिपूर्ति नीतिगत शेयरधारक यथा राइट्स लिमिटेड तथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को 5 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के भीतर करार के अनुसार वास्तविक राशि के मद्देनजर की जाएगी।

अपफ्रंट भुगतान प्राप्त करने और ऋण पत्र के निर्धारण के पश्चात, इरकॉन ने (22 सितंबर 2016 को) सीसीएफबी में अपनी शेयरधारिता को सीएफएम, मोजांबीक पोर्ट्स एंड रेलवे कंपनी, जो मोजांबीक गणराज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, को अंतरित की है। तदनुसार, 1.25 मिलियन अमरीकी डालर के इक्विटी निवेश को अंतरित किया गया है और 10.64 मिलियन अमरीकी डालर (73.69 करोड़ रूपए) की राशि को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाभ हानि विवरण में निवेश की बिक्री पर लाभ के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
(एस.के.चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

दिनांक : 21 सितंबर 2017

स्थान : नई दिल्ली

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा धारणीय गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं और कार्यक्रमों और इसके वेब-लिंक के परिदृश्य सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

आपकी कंपनी मितव्ययी, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से धारणीय पद्धति द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अपने स्टेकधारकों के प्रति प्रतिबद्ध है और यह पद्धति पारदर्शी तथा नैतिकतापूर्ण है।

कंपनी के पास वर्ष 2011 से सीएसआर तथा धारणीयता की नीति विद्यमान है, जिसे नई कंपनी अधिनियम 2013 तथा इस विषय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देश, 2014 की अपेक्षाओं की तर्ज पर अप्रैल 2014 तथा जनवरी 2015 में संशोधित किया गया है।

सीएसआर तथा धारणीयता नीति का उद्देश्य सीएसआर उपायों पर ध्यान केन्द्रित करना है जो समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसका लक्ष्य इसके सामाजिक प्रभाव के माध्यम से सभी पहलुओं में समाज को सशक्त बनाने के लिए मात्रात्मक सामाजिक परिवर्तन स्थापित करना है। यह नीति सामाजिक क्षेत्र के विविध पहलुओं पर कार्य करने का अवसर प्रदान करती है ताकि सीएसआर प्रयासों के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लिए समाज की आधारभूत आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और बेहतर जीवन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि की दृष्टि से सुविधाओं का निर्माण और संवर्धन किया जा सके।

इस नीति में हमारी निर्माण गतिविधियों से द्वारा प्रभावित होने वाले लोगों, पर्यावरण तथा अन्य स्टेकधारकों के कल्याण के लिए परियोजना स्थलों में और आसपास विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को क्रियान्वित करने में सहयोग करना है।

परियोजना स्थलों के लिए नियोजित सीएसआर गतिविधियां न केवल स्थानीय क्षेत्रों को लाभ उपलब्ध कराती हैं बल्कि अधिकतम लाभार्थियों तक इन्हें पहुंचाने की गतिविधि के निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराती हैं। इसप्रकार, इरकॉन सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन होने के कारण सामाजिक आवश्यकताओं को समझता है और परियोजना स्थलों पर प्रयुक्त संसाधनों के एवज में अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तनों के प्रयास करता है।

सीएसआर गतिविधियां का क्रियान्वयन विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में सामाजिक विकास को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है जैसे क्षमता निर्माण, समुदायों का सशक्तिकरण, समेकित सामाजिक आर्थिक विकास, हरित और उर्जा कुशल तकनीकों के संवर्धन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, पिछड़े क्षेत्र के विकास और सीमांत व सुविधाहीन समूहों के उत्थान। आपकी कंपनी स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण अवसंरचना विकास, पर्यावरण, स्वच्छता, साफसफाई, तथा सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सीएसआर और धारणीय गतिविधियों को निष्पादित कर रही है।



पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

इसके अतिरिक्त, इरकॉन चिकित्सा केंपों, स्वास्थ्य उपकरणों, यात्री सुविधाओं के स्तरोन्नयन आदि के प्रावधानों के माध्यम से विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को निष्पादित कर रहा है। इसमें रामबान, जम्मू और कश्मीर, शिवोक रंगपो, पश्चिम बंगाल तथा राय बरेली उत्तर प्रदेश में जल स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं की निर्बाध गतिविधियां शामिल हैं। इरकॉन ने सरकारी स्कूलों के बच्चों की बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन के लिए भी उपाय किए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, समाज के बेरोजगार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कौशल सह रोजगार संवर्धन कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसमें महिला कैदियों, पीडब्ल्यूडी तथा ओबीसी क्षेत्र के लिए विशेष अभियान शामिल हैं। इरकॉन ने ग्रामीण विकास के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है और इसप्रकार, कंपनी ने जम्मू और कश्मीर के गांवों में विभिन्न विकासात्मक कार्य किए हैं। इसके अतिरिक्त, इरकॉन पर्यावरण संरक्षण की अवधारण पर विश्वास करता है और पौधे लगाने की गतिविधियों के माध्यम से इस पहले में सहयोग कर रहा है।

इरकॉन एक उत्तरदायी निगमित सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय अभियानों जैसे स्वच्छ भारत अभियान तथा गंगा स्वच्छता अभियान में सहयोग कर रहा है।

वर्ष के समापन के पश्चात, उक्त सीएसआर तथा धारणीयता नीति को मई 2017 में संशोधित किया गया है ताकि पिछले दो वर्षों के दौरान सीएसआर के क्षेत्र में हुई नई गतिविधियों को शामिल किया जा सके।

संशोधित सीएसआर तथा धारणीयता नीति 2017 तथा पिछले 7 वित्तीय वर्षों के लिए सीएसआर और धारणीयता की स्थिति निम्नलिखित वेब-लिंग पर उपलब्ध है-

http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=424&lang=en

2. सीएसआर समिति की संरचना:

आपकी कंपनी में बोर्ड स्तर (स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में) की सीएसआर तथा धारणीयता समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 तथा डीपीई सीएसआर तथा धारणीयता दिशानिर्देश, 2014 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। उक्त समिति को नोडल अधिकारी (महाप्रबंधक स्तर से नीचे नहीं) और उसके दल द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

(क) सीएसआर तथा धारणीयता समिति: समिति कंपनी के

सीएसआर तथा धारणीयता की कार्यसूची की मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। समिति की संरचना की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, इसके संकल्प तथा वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 7.4 में प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान में, समिति की अध्यक्षता प्रो.(सुश्री) वसुधा वी.कामत, स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जा रही है और, श्री अरुण शर्मा, स्वतंत्र निदेशक, श्री राजीव चौधरी, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक, श्री दीपक सबलोक, निदेशक (परियोजना) इस समिति के सदस्य हैं।

(ख) नोडल अधिकारी (श्री ए.के.गोयल, कार्यपालक निदेशक (परियोजना) और उनका दल सीएसआर तथा धारणीयता गतिविधियों/परियोजनाओं के चयन और अनुमोदन हेतु सीएसआर तथा धारणीयता पहलों के लिए समन्वय; तथा वर्ष के दौरान सीएसआर तथा धारणीयता समिति की गतिविधियों के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत कराने में सहयोग प्रदान करता है।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, सुश्री अनुपम बेन, म.प्र.(एचआरएम) को 23 मई 2017 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी को औसत शुद्ध लाभ 339.91 करोड़ रुपए है।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर बजट 6.80 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी को औसत शुद्ध लाभ का 2% (इसकी भारतीय परियोजनाओं से) है।

5. वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर किया गया व्यय का ब्यौरा:

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली कुल राशि - 6.08 करोड़ रुपए

(आवंटित सीएसआर तथा धारणीयता बजट)

(ख) खर्च की गई राशि - 5.89 करोड़ रुपए।

(ग) खर्च न की गई राशि/ शॉर्टफाल (यथा क-ख) - 0.91 करोड़ रुपए।

शॉर्टफाल (0.91 करोड़ रुपए) व्यपगत नहीं होगा यह अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में चला जाएगा और 2017-18 के लिए आवंटित बजट के साथ खर्च किया जाएगा।

2016-17 के दौरान सीएसआर तथा धारणीयता परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र* या कोई अन्य क्षेत्र (2) राज्य एवं जिला तहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2016-17 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2016-17 के दौरान कुल व्यय	2016-17 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
				कुल	2016-17 के दौरान	(1) परियो-जनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
1	ट्यूब वेल के संस्थापन द्वारा विभिन्न स्थानों पर पेय जल सुविधा का प्रावधान।	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) बिहार, पुरनिया	20.00	14.96	10.47	-	10.47	10.47	मैसर्स साथी (एनजीओ) के माध्यम से
2	संतरागाछी, शालिमार, बेहाला, सोनागाछी, खेद्रिपुर, चेत्ला तथा आसपास के गारीब क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कैंसर स्क्रीनिंग और जागरुकता कैंप।	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) पश्चिम बंगाल, कोलकाता और हावड़ा	4.50	3.38	3.38	-	3.38	3.38	मैसर्स ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया साथी (एनजीओ) के माध्यम से
3	आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा जम्मू और कश्मीर में चिकित्सा कैंप।	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, उद्यमपुर तथा जम्मू	7.00	7.00	7.00	-	7.00	7.00	मैसर्स आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया (एनजीओ) के माध्यम से
4	यात्री सुविधाओं के अंतर्गत बिकानेर तथा अजमेर मंडलों के लिए एम्बुलेंसों का प्रावधान।	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) राजस्थान, बिकानेर, अजमेर	30.00	30.00	24.29	-	24.29	24.29	प्रत्यक्ष
5	सीएसआर के अंतर्गत श्री कैलाश प्रकार स्टेडियम, मेरठ के लिए स्पोर्ट्स सह स्वास्थ्य उपकरणों का प्रावधान।	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) उत्तर प्रदेश, मेरठ	3.00	3.00	2.95	-	2.95	2.95	प्रत्यक्ष
6	बेनिहाल, लालगंज तथा शिवोक में मौजूदा 3 स्वास्थ्य इकाइयों की संचालन और अनुरक्षण लागत।	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबान, उत्तर प्रदेश, रायबरेली तथा पश्चिम बंगाल, शिवोक	30.00	30.00	18.89	-	18.89	18.89	प्रत्यक्ष
7	यात्री फलौदी के समीप रामदेवरा में तीर्थ यात्रियों के लिए आवश्यक निःशुल्क दवाइयों सहित चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान।	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) राजस्थान, जोधपुर	1.85	1.85	1.84	-	1.84	1.84	प्रत्यक्ष
8	एएलआईएमसीओ (सरकारी उपक्रम) के माध्यम से भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंगों की आपूर्ति।	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर जम्मू	30.00	8.82	0.03	-	0.03	31.35	मैसर्स आर्टिफिशल लिंब मेन्युफैचरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (पंजीकृत कंपनी) के माध्यम से

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2016-17 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2016-17 के दौरान कुल व्यय	2016-17 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
				कुल	2016-17 के दौरान	(1) परियो-जनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
9	परियोजना स्थल के समीप के गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार।	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबान	20.00	20.00	9.45	-	9.45	9.45	प्रत्यक्ष
10	गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश में स्टेशन के समीप रेलवे ग्रासिंग और दुल्हापुर रेलवे स्टेशन भवन पर दो सामुदायिक शौचालयों का निर्माण।	स्वास्थ्य & स्वच्छता [क्र.सं. (i) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद	50.00	25.00	13.25	-	13.25	13.25	मैसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से
11	यात्री स्वच्छ भारत कोष में अंशदान।	स्वास्थ्य और स्वच्छता [क्र.सं. (i) अनु. VII]	स्वच्छ भारत कोश, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय)	180.00	180.00	180.00	-	180.00	180.00	प्रत्यक्ष
12	गुराह मुंदियन, तेहसील-हीरानगर, जिला-कथुवा, जम्मू और कश्मीर में राजकीय उच्च विद्यालय में अवसंरचना सुधार।	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, कथुवा	20.00	10.00	11.16	-	11.16	21.16	प्रत्यक्ष
13	दिल्ली में गली के बच्चों के लिए शिक्षा के संवर्धन हेतु गोधुली में योगदान।	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) दिल्ली	4.90	3.40	3.40	-	3.40	3.40	प्रत्यक्ष
14	ग्रामीण भारत में एकल विद्यालय का प्रावधान (3 वर्षों में 100 गांव)।	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) छत्तीसगढ़, रायगढ़ तथा कोरबा	20.00	20.00	20.00	-	20.00	20.00	मैसर्स लोक शिक्षा परिषद (एनजीओ) के माध्यम से
15	रामबान और रियासी जिलों में परियोजना क्षेत्र के गांवों में स्कूलों के लिए फर्नीचर का प्रावधान।	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबान तथा रियासी	15.00	15.00	13.48	-	13.48	13.48	प्रत्यक्ष
16	जम्मू और कश्मीर में स्कूल/गांवों में पुस्तकालयों की स्थापना।	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रियासी	10.00	10.00	3.57	-	3.57	3.57	प्रत्यक्ष
17	टेलरिंग और एम्ब्राइडरी के लिए बनकूट (बेनिहाल) तथा अशार, जम्मू और कश्मीर में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।	रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबान	5.00	5.00	1.59	-	1.59	1.59	प्रत्यक्ष
18	एनआईटीसीओएन के माध्यम से जम्मू और कश्मीर राज्य में कौशल उपक्रम विकास कार्यक्रम।	रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु. VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबान	30.00	12.66	12.68	-	12.68	18.73	मैसर्स नार्थ इंडिया टैक्निकल कंसल्टेंसी लिमिटेड (पंजीकृत कंपनी)

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2016-17 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2016-17 के दौरान कुल व्यय	2016-17 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
				कुल	2016-17 के दौरान	(1) परियो-जनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
19	पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एनबीसीएफडीसी में अंशदान।	रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) छत्तीसगढ़, बिलासपुर	33.60	10.08	10.08	-	10.08	10.08	मैसर्स राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्तीय एवं विकास निगम
20	कसाना, ग्रेटर नोएडा में जिला जेल, गौतमबुद्ध नगर की 53 महिला कैदियों को टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग तथा ब्यूटिफिकेशन के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण।	रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर	2.44	2.44	2.44	-	2.44	2.44	मैसर्स सर्विंग ह्यूमन फाउंडेशन (एनजीओ) के माध्यम से
21	एनएचएफडीसी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	भिन्न रूप से सक्षमों के लिए रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं (ii) अनुसूची VII]	(1) स्थानीय (2) मध्य प्रदेश, शिवपुरी तथा गूना	18.00	2.01	2.01	-	2.01	2.01	मैसर्स राष्ट्रीय अपंग वित्तीय एवं विकास निगम के माध्यम से
22	रायबरेली उत्तर प्रदेश में मोक्षदाह हरित अंत्येष्टी प्रणाली के स्थल पर दो इकाइयों का प्रावधान।	पर्यावरण [क्र.सं. (iv) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) उत्तर प्रदेश, रायबरेली	79.04	15.61	15.32	-	15.32	91.93	मैसर्स मोक्षदाह पर्यावरण वन सुरक्षा समिति के माध्यम से
23	रायबरेली परियोजना स्थल में फल के पेड़ों तथा अन्य पेड़ों का पौधरोपण	पर्यावरण [क्र.सं. (iv) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) उत्तर प्रदेश, रायबरेली	8.60	1.20	1.20	-	1.20	1.20	प्रत्यक्ष
24	रेल परिसरों में क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण धारणीय कार्य।	पर्यावरण [क्र.सं. (iv) अनु.VII]	(1) अन्य (2) हरियाणा, अम्बाला (1) स्थानीय (2) बिहार, हाजीपुर, पश्चिम बंगाल, कोलकाता	50.00	50.00	49.95	-	49.95	49.95	उत्तरी रेल, पूर्व मध्य रेल तथा दक्षिण पूर्वी रेल माध्यम से
25	विभिन्न स्थलों में फल के पेड़ों का पौधरोपण	पर्यावरण [क्र.सं. (iv) अनु.VII]	(1) अन्य (2) उत्तर प्रदेश बरेली तथा हरियाणा, सोनीपत	35.00	35.00	21.50	-	21.50	21.50	मैसर्स शुशहाली फाउंडेशन (एनजीओ) के माध्यम से
26	स्वच्छ गंगा अभियान में योगदान	पर्यावरण [क्र.सं. (iv) अनु.VII]	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	50.00	50.00	50.00	-	50.00	50.00	प्रत्यक्ष

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2016-17 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2016-17 के दौरान कुल व्यय	2016-17 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
				कुल	2016-17 के दौरान	(1) परियो-जनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
27	परियोजना स्थल के समीपवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न स्कूलों/स्वास्थ्य केन्द्रों/समान हित के स्थानों के लिए मार्ग।	पर्यावरण विकास [क्र.सं. (X) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबान और रायसी	15.00	15.00	10.12	-	10.12	10.12	प्रत्यक्ष
28	खेरी क्षेत्र, संगलंदन, संबर, धरम, बराला, गूनी आदि जैसे गांवों में परियोजना क्षेत्र के आसपास समुदाय विकास कार्य।	पर्यावरण विकास [क्र.सं. (X) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबान और रायसी	50.00	50.00	36.05	-	36.05	36.05	प्रत्यक्ष
29	पटना और गुवाहाटी स्टेशनों पर सीएसआर के अंतर्गत यात्री सुविधाओं का स्तरोन्नयन	अनुसूची VII के अनुसार	(1) स्थानीय (2) असम, गुवाहाटी, बिहार, पटना	203.00	58.19	51.70	-	51.70	196.51	संबंधित रेल यथा ईसी रेलवे तथा एनएफ रेलवे के माध्यम से
30	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सीएसआर कार्यों का मूल्यांकन तथा सर्वेक्षण, संकलन मुद्रण आदि।	स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, कौशल विकास और भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों को सहयोग	(1) स्थानीय (2) बिहार, पटना, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, बेनिहाल तथा जम्मू	2.00	2.00	-	1.31	1.31	1.31	प्रत्यक्ष
कुल				1,027.93	691.60			589.11	857.90	

6. 0.91 करोड़ रूपए का शॉर्टफाल इस तथ्य के कारण था कि कुछ अनुमोदित परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जा सके और कुछ क्रियान्वित परियोजनाओं अनुमोदित लागत से कम में ही पूरी हो गईं जिनके कारण निधि में बचत हुई। तथापि, आपकी कंपनी हर संभव प्रयास करेगी कि 2017-18 के लिए अग्रेषित की गई 2016-17 की खर्च न की गई राशि सहित 2017-18 के लिए आवंटित सीएसआर तथा धारणीयता बजट को प्राप्त करने के लिए अगले वर्ष सीएसआर कुशलता और संसाधनों का प्रयोग किया जाए।
7. सीएसआर तथा धारणीयता समिति पुष्टि करती है कि सीएसआर तथा धारणीयता नीति (संशोधनपूर्व तथा संशोधित) कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
(दीपक सबलोक)
निदेशक परियोजना एवं सदस्य
सीएसआर तथा धारणीयता समिति
(डीआईएन 03056457)

ह/-
(प्रॉ वसुधा वी कामत)
स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष,
सीएसआर तथा धारणीयता समिति
(डीआईएन 07500096)

ह/-
(एस के चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

दिनांक : 21 सितंबर 2017

स्थान: नई दिल्ली

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विहंगावलोकन

आपकी कंपनी की टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में परिवहन के क्षेत्र में अगुआ के रूप में एक निरंतर लंबी प्रतिष्ठा विद्यमान है। आपकी कंपनी अपने कार्यनिष्पादन की दृष्टि से अपनी गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और निरंतरता के लिए जानी जाती है। रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात् वर्ष 1985 से इसने उत्तरोत्तर विविध कार्यों यथा सड़कों, भवनों, विद्युत सब-स्टेशन एवं वितरण कार्य, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों के अतिरिक्त मेट्रो निर्माण कार्य को निष्पादित किया है। कंपनी ऐसी कुछ एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों में से है जो देश के लिए विदेशी विनिमय अर्जित कर रही है तथा सरकार को निरंतर प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान कर रही है।

निर्माण संगठन के रूप में कंपनी निर्माण गतिविधियों तथा अवसंरचना के सम्पूर्ण आयामों में प्रचालन करती है: यथा रेलवे तथा राजमार्ग निर्माण, सुरंग तथा पुल, रेल कारखाने, ईएचपी उप-स्टेशन (इंजीनियरिंग और निर्माण) तथा एमआरटीएस इसकी सक्षमता के प्रमुख क्षेत्र हैं।

आपकी कंपनी ने पिछले 41 वर्षों से देश और विदेश, दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है। भारत में इरकॉन विशेष रूप से जोखिम भरे भू-भागों और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में कार्य निष्पादित करने के लिए विख्यात है। कंपनी ने अब तक विश्व के 24 से अधिक देशों में अपनी 120 परियोजनाएं पूरी की हैं और भारत में 376 परियोजनाएं निष्पादित की हैं।

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणित कंपनी है तथा अनूसूची-क की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी तथा मिनी रत्न श्रेणी -I की कम्पनी है।

वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

कंपनी, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है, जिसे वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रूप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू)

की प्रणाली के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के रूप में कंपनी की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरूपता लाने के लिए सरकार दिशा-निर्देश जारी कर सकती है और जारी करती भी है। बहरहाल, सरकार के किसी भी विभाग को इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का पर्यवेक्षण का अधिकार या प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है तथा यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशों के अंतर्गत प्रबंधित तथा प्रचालित की जाती है।

व्यावसायिक वातावरण

भारत ने केवल विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है बल्कि ऐसी कुछ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिन्होंने प्रमुख ढांचागत सुधानों को बनाए रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने दो प्रमुख घरेलू गतिविधियों यथा नवंबर 2016 में दो उच्चतम डिनॉमिनेशन के नोटों का विमोद्रीकरण और तत्पश्चात जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के परिदृश्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 7.1 प्रतिशत की विकास दर्ज की है।

इस विकास दर को बनाए रखने के लिए, सरकार निरंतर आर्थिक सुधार कर रही है, अवसंरचना और विकास परियोजनाओं में लोक निवेश में वृद्धि, निर्यात वृद्धि आदि। 2017-18 में अवसंरचना विकास के लिए 3,96,135 करोड़ रूपए का कुल आवंटन आपकी कंपनी के लिए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराएगा। सामान्य बजट के साथ रेल बजट के विलय के एतिहासिक कदम से रेलवे, राजमार्ग, तथा इंग्लैंड जलमार्गों के बीच बहःमॉडल परिवहन नियोजन सुलभ होगा।

अवसंरचना विकास के कुछ उपाय नीचे प्रस्तुत किए गए हैं जो आपकी कंपनी को व्यावसायिक अवसर प्रदान कर सकते हैं:

रेलवे:

2017-18 के लिए रेलवे का कुल पूंजीगत और विकास व्यय 1,31,000 करोड़ रूपए अनुमानित है, जिसमें सरकार द्वारा 55,000 करोड़ रूपए का आवंटन शामिल है। रेलवे के प्रमुख ध्यानार्थ क्षेत्र हैं - चिह्नित गलियारों का आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन, नई रेल लाइनों को आरंभ करना, 3500 किमी लाइनों का दोहरीकरण, 400 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, लगभग 700 रेलवे स्टेशनों पर सौर उर्जा उपलब्ध कराना आदि।

रेलवे की प्रतिस्पर्धात्मकता में संवर्धन करने के लिए, अन्य बातों के साथ साथ चुनिंदा वस्तुओं (उदाहरण के लिए कोयला) के लिए बिंदु से बिंदु तक एकीकृत परिवहन समाधान को लॉजिस्टिक पक्षों के साथ

साझेदारी करके क्रियान्वित किया जाएगा।

18000 करोड़ रूपए के आवंटन के साथ मट्रो रेल पर प्रस्तावित नए नियम से मट्रो परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन में अधिक भागीदारी और निवेश होगा।

जापानी निधियों के अंतर्गत मुंबई-अहमदाबाद उच्च गति रेल गलियारे के क्रियान्वयन के लिए भारतीय रेल द्वारा स्थापित उच्च गति रेल निगम भी डीएफसीसीआईएल द्वारा पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारे पर निरंतर कार्य के अतिरिक्त रेल क्षेत्र में व्यवसाय अवसर प्राप्त कर सकता है।

सड़क:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 64,900 करोड़ रूपए का आवंटन सड़कों और राजमार्गों के निर्माण और विकास में अत्यंत सहायक होगा।

पूर्व में पहले से किए गए निरंतर उपायों जैसे एनएचडीपी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, लेफ्ट विंग प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्कता में सुधार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष गतिमान सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई), राष्ट्रीय राजमार्ग इंटर-सम्पर्कता सुधार कार्यक्रम (एनएचआईआईपी), आर्थिक गलियारों/फीडर मार्गों पर राष्ट्रीय गलियारा विकास, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें, सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने के लिए भारतमाला कार्यक्रम के अतिरिक्त गैर प्रमुख पोटों के लिए सड़क संपर्कता सहित तटीय सम्पर्कता के लिए सड़कों का भी विकास किया जाएगा।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1500 प्रमुख पुलों तथा 208 रेलवे ओवर ब्रिजों/रेल अंडर ब्रिजों के निर्माण, पुनर्वासन और उन्हें चौड़ा करने के लिए वर्ष 2016 में सेतुभारतम आरंभ किया है।

राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के निष्पादन का प्रमुख माध्यम ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्राणण और निर्माण), डीबीएफओटी (अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन तथा अंतरण), और एचएएम (हाइब्राइड एनुविटी मॉडल) बने हुए हैं। भारतीय रेलवे परियोजनाओं की भी बोली मुख्यत् ईपीसी और डीबीएफओटी आधार पर होगी। आपकी कंपनी को ईपीसी, डीबीएफओटी तथा एचएएम आधार पर आने वाले परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए नीतिगत एलायंस का निर्माण करने की आवश्यकता है।

रेलवे कार्यों के निर्माण और विकास के निष्पादन के माध्यम में हाल के रूझान में राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना है। रेलवे ने पहले ही 70 चिह्नित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्य सरकार के साथ ऐसे 9 संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है।

इलेक्ट्रिकल परियोजनाएं:

भारतीय रेल ने निर्णय लिया है कि वह मिशन विद्युतीकरण के

अंतर्गत वर्ष 2020-21 तक 24400 किमी रेलपथ का विद्युतीकरण करेगा। इरकॉन को भी क्रमशः 305.90 करोड़ रूपए और 258.36 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर मथुरा-कासगंज-कल्याणपुर का विद्युतीकरण कार्य सौंपा गया है।

रेल विद्युतीकरण कार्य के अतिरिक्त, उर्जा मंत्रालय के एकीकृत उर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत 32612 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर शहरी क्षेत्रों में उर्जा संवितरण नेटवर्क के आईटी सक्षम और सुदृढीकरण का कार्य प्रस्तुत है।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और इरान जैसे देशों में अवसर विद्यमान हैं।

वर्तमान परियोजना प्रोफाइल:

वर्तमान में इरकॉन जम्मू और कश्मीर में, शिवोक-रंगपो, जयनगर (भारत) से बीजलपुरा (नेपाल), जोगबनी से बिराटनगर, आदि में रेल लाइन के निर्माण; रायबरेली में नये रेल डिब्बा कारखाने; कतनी सिंगरौली दोहरीकरण परियोजनाओं, रामपुर दोमरा ताल राजिंदरपाल, कियूल-गया और हाजीपुर-बछवाड़ा, बोंडामुंडा, दौंड और मुगलसराय में तीन विद्युत इंजन शेड; झारखंड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़क उपरिपुल; डीएफसी परियोजना के वैतर्णी-सचिन खंड के सिविल, भवन निर्माण और रेलपथ का अभिकल्प और निर्माण कार्य तथा डीएफसी परियोजना के जेएनपीटी वैतर्णी खंड; छत्तीसगढ़ में नगरनार में रेलवे साइडिंग का निर्माण और दरलीपाली सुपर थर्मल पावर परियोजना; जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्य में आरएपीडीआरपी के अंतर्गत विद्युतीय कार्यों के लिए परियोजना; दिल्ली मेट्रो के लिए रिसीविंग-कम-ट्रैक्शन तथा ऑसलरी मेन उपस्टेशन के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन आदि तथा मेट्रो कार्य तथा एनआईटी, मिजोरम में विकास कार्य आदि का निष्पादन कर रही है।

आपकी कंपनी ने पिछले दो वर्षों में (यथा 2014-15 से 2015-16) सड़क परियोजनाओं के निष्पादन के लिए दो एसपीवी कंपनियों का भी निर्माण किया है अर्थात् इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (राजस्थान राज्य में बीओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर मौजूदा बीकानेर-फलौदी खंड को सुदृढ बनाने) तथा इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (मध्य प्रदेश राज्य में एनएचडीपी के चरण- चार के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी-गूना खंडा को चार लेने का करना)। आपकी कंपनी को आगे और सड़क परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं यथा 2016-17 के दौरान एनएचआई से देवांगेरे हवेरी राजमार्ग परियोजना, जिसके लिए वर्ष समाप्त होने के पश्चात अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन किया गया है यथा इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले के

संचलन के लिए रेल संपर्कता परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पांच विशेष कार्य प्रयोजन (एसपीवी) कंपनियों में स्टेकधारक हैं। तीन ऐसी एसपीवी हैं - छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ इस्ट रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ़ इस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड तथा बस्तर रेलवे प्रा. लिमिटेड तथा ओडीशा और झारखंड राज्यों में एक-एक यथा क्रमशः महानदी कोल रेलवे लिमिटेड और झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड।

आपकी कंपनी इन देशों में परियोजनाएं निष्पादित कर रही है - श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, भूटान, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल।

दृष्टिकोण

कम्पनी का विजन, लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

क. विजन

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

ख. मिशन

1. भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास के निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।
2. सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाओं को इंजीनियरिंग तथा बेहतर कार्पोरेट शासन व ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से उपलब्ध कराकर विश्वव्यापी पहचान बनाना।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी की कुल आय 3254 करोड़ रुपए है जबकि वर्ष 2015-16 में 2860 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई थी। कुल आय का लगभग 92% यथा 2995 करोड़ रुपए प्रचालनों से प्राप्त हुआ है जिसमें से लगभग 10.92% विदेशी परियोजनाओं से प्राप्त हुआ है यथा 327 करोड़ रुपए।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में 20% की कमी हुई है। इसका मुख्य कारण श्रीलंका और मलेशिया में परियोजनाओं का पूरा होना है और पिछले वर्षों में कंपनी को मलेशिया और मोजांबीक में परियोजनाओं के प्रति

ग्राहकों से कतिपय दावे प्राप्त हुए थे। कर पूर्व लाभ 2015-16 में 602 करोड़ रुपए से 2016-17 में 532 करोड़ रुपए हो गया है जो 11.63% की कमी को दर्शाता है। कर पश्चात लाभ में भी 6.58% की कमी हुई है, जो 2015-16 में 395 करोड़ रुपए से घट कर वर्ष 2016-17 में 369 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष के दौरान निवल आय में 4.39% की वृद्धि हुई है, जबकि प्रति शेयर आमदनी 2015-16 में 39.91 रुपए से कम होकर 2016-17 में 37.28 रुपए हो गई है जो कि 6.59% की कमी को दर्शाता है।

कंपनी का टर्नओवर वृद्धि का रुझान दर्शाता है और कंपनी को नई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं जिससे आर्डर बुक में लगभग 18878 करोड़ रुपए तक की वृद्धि हुई है।

अंतरिम लाभांश के ऊपर प्रदत्त अंतरिम लाभांश और शेयरधारकों द्वारा विचार किए जाने वाले और घोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभांश का ब्यौरा आगामी साधारण वार्षिक बैठक में निदेशक की रिपोर्ट में वित्तीय विशेषताएं शीर्षक के अंतर्गत पैरा-ग में प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रचालनिक निष्पादन

क. क्षेत्रीय निष्पादन :

रेलवे उच्चतम प्रचालनिक आय में अंशदान करने वाला मूल क्षेत्र बना हुआ है, हालांकि उसके भाग में कमी आई है। वर्ष 2016-17 के दौरान राजमार्ग और विद्युत, अन्य दो महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं जिन्होंने प्रचालनिक आय में क्रमशः 19.67 प्रतिशत और 8.45 प्रतिशत का योगदान किया है। पिछले तीन वर्षों के लिए क्षेत्रवार तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17	
	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%
रेलवे	2688	91.12	1914	79.12	2074	69.25
राजमार्ग	228	7.72	237	9.80	589	19.67
इलैक्ट्रिकल	13	0.45	199	8.23	253	8.45
भवन	19	0.63	67	2.77	78	2.60
अन्य	2	0.08	2	0.08	1	0.03
कुल	2950	100	2419	100	2995	100

ख. सेगमेंट-वार कार्यनिष्पादन:

वर्ष 2016-17 के दौरान विदेशी परियोजनाओं से कुल आय का अंशदान कम होकर 10 प्रतिशत रहा जबकि 2015-16 में यह 28% था। पिछले 3 वर्षों के दौरान तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है :

(रूप करोड़ में)

क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	868	28	506	18	339	10
घरेलू	2254	72	2354	82	2915	90
जोड़	3122	100	2860	100	3254	100

शक्तियाँ

आपकी कंपनी के पास बड़ी संख्या में अन्तरराष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का व्यापक अनुभव है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। इसकी मुख्य शक्तियाँ हैं, विशाल वित्त व्यवस्था जो (निरंतर लाभ प्रदत्त तथा कम्पनी के स्वस्थ तुलनपत्र से प्रदर्शित होती है) स्थापित विश्वसनीयता, सक्षम श्रमशक्ति। ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर तक गुणवत्तापूर्वक समय पर निष्पादन कंपनी का ट्रैक रिकार्ड रहा है।

आपकी कंपनी ने सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर निर्धारित अनुसूचियों को पूरा करते समय आर्थिक समाधानों और गुणवत्तापूर्ण आउटपुट उपलब्ध कराने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों और विधियों को विकसित किया है। अपनी विशेषज्ञता और कार्य के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपकी कंपनी ने ना केवल अपने कार्य के क्षेत्र का व्यापक विस्तार किया है बल्कि देश की भौतिक सीमाओं के पार जाने के लिए भी स्वयं को तैयार किया है।

आपकी कंपनी के रेलवे के साथ निरंतर अच्छे संबंधों और विभिन्न रेल परियोजनाओं जैसे दोहरीकरण कार्य, नई रेल लाइनों का निर्माण तथा पुनर्वासन कार्य के निष्पादन के लिए उपलब्ध विशेषज्ञता के परिणामस्वरूप उसे मध्यपूर्व रेलवे और मध्यपश्चिम रेलवे में नई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।

अवसर

भारत तथा विदेशों में, आर्थिक विकास में सुधार करने के लिए मैक्रो स्तर पर अनेक तथा क्षेत्रीय स्तर पर पहल के साथ अवसंरचना के क्षेत्र के विकास में पिछले कुल वर्षों में पुनःजागृति होने से कम्पनी को अधिक व्यवसाय प्राप्त करने की स्थिति को बेहतर बनाने के अवसरों में बहुत वृद्धि हुई है, विशेष रूप से रेल क्षेत्र में। छत्तीसगढ़, ओडीशा तथा झारखंड राज्यों में अधिकतम संख्या में अन्य संबंधित तथा लाभप्रद परियोजनाओं के लिए निरंतर प्रयासों के कारण आगामी वर्ष

में और अधिक व्यवसाय प्राप्त होगा।

मुक्त बाजार में धारणीय विपणन प्रयासों के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारे में डीएफसीसीआईएल परियोजना पर तीन पैकेजों को प्राप्त करने में सफल रही है, और छबहर-जहीदीन रेल परियोजना के वित्तीयन और निष्पादन के लिए इरकॉन सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी यथा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (सीडीटीआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

आगे ईपीसी, डीबीएफओटी तथा एचएएम के आधार पर राजमार्ग क्षेत्र में बड़ी संख्या में परियोजनाएं आ रही हैं। इन परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक समर्पित बल को विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार से सरकार आधार पर कंपनी के लिए टर्नकी रेल संविदा प्राप्त करने के लिए परिवहन मंत्रालय, मलेशिया के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भविष्य में भारतीय रेल की परियोजनाएं भी ईपीसी तथा डीबीएफओटी आधार पर आने वाली हैं।

द्विपक्षीय वित्तीयन के अंतर्गत परियोजनाओं के अतिरिक्त, अफ्रीका के लिए 10 बिलियन अमरीकी डालर की नई लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के कारण तंजानिया, घाना, कीन्या, इथोपिया, जैसे देशों में कार्य प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे।

आंकड़ों और सूचना की तीव्र भागीदारी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने से कंपनी की प्रचालनिक कुशलता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, ई-निविदा प्रणाली को अपनाने से परियोजनाओं के निष्पादन, सुपुर्दगी में समय और प्रयासों में कमी आएगी तथा सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

बाध्यताएँ

हालांकि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित विधिक ढाँचे के भीतर काम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में कंपनी को उन अतिरिक्त बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है (निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू नहीं होती) जिसके परिणामस्वरूप प्रतियोगी बाजार में उन्हें असुविधा होती है। पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग में संरचनात्मक परिवर्तन, जिसके कारण सभी निर्माण और वित्तीय जोखिम नियोक्ता से ठेकेदारों को अंतरित हो गए हैं, ने कंपनी के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। बाजार भाग में अपना व्यापक हिस्सा प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों स्वैच्छिक रूप से इन उच्च जोखिमों को उठा रही हैं।

चूंकि इरकॉन रेल अवसंरचना के क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है, इसलिए विगत में कंपनी को रेल व्यवसाय में उचित अंश प्राप्त करने में सफलता मिली है। तथापि, राजमार्ग क्षेत्र में बड़ी संख्या में कंपनियों के आने के कारण कंपनी के लिए मद-दर संविदा में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता (नियोक्ताओं) द्वारा

अर्हता अपेक्षाओं में कमी किए जाने और बड़ी संख्या में ठेकेदारों के रेलवे क्षेत्र में आने से इरकॉन के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है।

अवसंरचना के क्षेत्र में अधिकतर उभरती हुई निजी कंपनियां अपनी आर्डर बुक की स्थिति में वृद्धि करने और बाजार के बड़े भाग पर कब्जा करने के लिए उच्च जोखिम लेने को तैयार हैं और निम्न लाभों पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

कंपनी निर्माण उद्योग के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और प्राइस कटिंग वातावरण में प्रचालन कर रही है जहां प्रचालन के परम्परागत क्षेत्रों में संवर्धित बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ अर्जिन कम हो रहे हैं। सरकार की नीति में परिवर्तन और निजी पक्षों को उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार द्वारा शेयरों के प्रस्तावित विनिवेश के कारण, भारतीय रेल और अन्य सरकारी एजेंसियों से नामांकन आधार पर आने वाले नए कार्य आदेशों में कमी होने की संभावना है। इसलिए, कंपनी को उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं जैसे उच्च गति रेल परियोजनाएं तथा पीपीपी निवेश परियोजनाओं में अपने कदम बढ़ाने के लिए अपना विस्तार करने के लिए तैयार होना होगा।

रणनीति

अपने महत्वपूर्ण सक्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बल देकर कम्पनी कार्य प्राप्त करने की स्थिति में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए विपणन रणनीति की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। कम्पनी की मूल सक्षमता यथा रेलवे, विद्युतीकरण उपस्टेशन, रेल विद्युतीकरण तथा वाणिज्यिक परिसरों को और अधिक समेकित किया जा रहा है।

उपर्युक्त समस्याओं से उत्पन्न चुनौतियों के दृष्टिगत अवसंरचनात्मक क्षेत्र में संविदाओं के लिए बोली में इरकॉन की नीति पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। संशोधित नीति में उच्चतर प्रतिस्पर्धी वातावरण में मेगा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसकी विश्वसनीयता और वित्तीय संसाधनों तथा सरकारी कंपनी होने के कारण जोखिम उठाने की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए कंपनियों की शक्ति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कंपनी को घरेलू तथा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ नीतिगत समझौतों के माध्यम से संविदाएं प्राप्त में वृद्धि करने की आवश्यकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, कंपनी की अन्य अच्छी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम में और अधिक निविदाओं में भाग लेने की योजना है।

जोखिम और चिन्ता

क. परियोजना जोखिम प्रबंधन

कम्पनी में पूर्णकालीन निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति तथा महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (मंडल स्तर से नीचे) के स्तर का एक त्वरित कार्यदल विद्यमान है जो इसके

कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एम आई एस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फार्मेट तैयार किए गए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। जोखिमों के प्रबंधन तथा उन्हें कम करने के लिए त्वरित कार्यदल से प्राप्त रिपोर्टों को जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से लेखापरीक्षा समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता और आरेखणों और अनुमानों के अनुमोदन में विलंब है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम रहता है, जिसकी क्षतिपूर्ति अधिकतर क्लाइंट द्वारा की जाती है।

ख. कोषीय जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के बीएसईएल-11 मापदंडों के आधार पर वर्ष 2008-09 के दौरान क्रेडिट एनेलेसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा दीर्घकालीन गैर-निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए सीएआरई एए रेटिंग तथा अल्पकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए ए1+ रेटिंग प्रदान की गई है। सीएआरई द्वारा नवम्बर, 2016 में वार्षिक निगरानी समीक्षा द्वारा इन रेटिंगों की पुनःपुष्टि की गई है।

इरकॉन विभिन्न देशों में अपने व्यवसाय को प्रचालित कर रहा है और, इसलिए, उसे विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करना पड़ता है। विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विदेशी बैंकों में कुछ निधियों का निवेश किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि अस्थायी रोकड़ प्रवाह अंतर के कारण उत्पन्न किसी आकस्मिकता से निपटा जा सके। तथापि, विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय किए जाने से पूर्व विनिमय मुद्रा में प्रतिकूल परिवर्तन हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम को न्यूनतम बनाने या समाप्त करने के लिए इन विनिमय दर उच्चावचनों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है और उपयुक्त समय में तथा नियमों के अनुसार सरप्लस निधियों को विनियमित/भारत में लाया जाता है। विभिन्न विदेशी परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा इनफ्लो तथा आऊटफ्लो में समानता स्थापित करके प्राकृतिक समतुल्य स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। उचित तथा पारदर्शी रूप से विदेशी बैंकों में निधियों के स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी परियोजनाओं के लिए निवेश दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है जो इसके आकार और व्यवसाय की

प्रकृति के अनुरूप है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अधिक प्रभावपूर्ण और परियोजना विशिष्ट बनाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों सहित वृहत आंतरिक लेखापरीक्षा पुस्तिका तैयार की गई है। ऑनलाइन/ऑफलाइन रिपोर्टिंग फार्मेट के माध्यम से परियोजनाओं की गहन मानीटरिंग की जाती है और मासिक आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रमुख कार्य निष्पादन सूचकांकों की मानीटरिंग की जा रही है।

कंपनी में एक संरचनात्मक संगठनात्मक चार्ट तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक प्रणाली विद्यमान है। इसके साथ व्यापक आंतरिक एमआईएस प्रणालियां, उपयुक्त सूचनाओं के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं ताकि प्रभावपूर्ण मॉनीटरिंग की जा सके। इन प्रक्रियाओं के अनुपालन की मॉनीटरिंग आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति, जो तिमाही से अर्धवार्षिक होती है, प्रत्येक परियोजना के टर्नओवर और समापन के प्रतिशत पर निर्भर करती है।

कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विद्यमानता पर टिप्पणी करनी होती है और उचित जोखिम आंकलन तथा अल्पीकरण तंत्र के अस्तित्व पर विचार व्यक्त करने के अतिरिक्त इसके अनुपालन पर भी टिप्पणी करनी होती है। आंतरिक लेखापरीक्षक अनुभवी सनदी लेखाकार फर्म होते हैं, जिनकी नियुक्ति एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से होती है और वे सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं। यह उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अनुपालनों सहित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के सार-संग्रह को लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

जहां कहीं निरंतर सुधार के भाग के रूप में इनकी आवश्यकता होती है वहां आंतरिक नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन व लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा निरन्तर सुधार की प्रक्रिया के रूप में कदम उठाए जाते हैं। इरकॉन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए व्यावसायिक एजेंसी द्वारा एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन की सिफारिशों का क्रियान्वयन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाएगा। ई-शिकायतों को गोपनीय बनाए रखने की सुविधा सहित निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत संरचनात्मक जालसाजी निवारण, निर्धारण तथा नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) तथा विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है।

मानव संसाधन

कंपनी का उद्देश्य संगठन के लिए सही आकार व सही मिश्रण का मानव संसाधन/कर्मचारी प्राप्त करना है। चूंकि आपकी

कंपनी परियोजना आधारित कंपनी है, इसलिए श्रमशक्ति की आवश्यकताओं में उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिसका समाधान प्रतिनियुक्ति, संविदा तथा सेवा संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती द्वारा किया जाता है। इन्हें कंपनी की समग्र नीति की तर्ज पर निर्धारित करने के लिए भर्ती नीतियों का पुनर्निर्धारण किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशलों का संवर्धन किया जा सके।

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पूर्व लाभ जैसे अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, तथा एक चिकित्सा ट्रस्ट के माध्यम से सेवानिवृत्ति पश्चात अंतरण चिकित्सा लाभ उपलब्ध करा रही है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा दूसरी निगमित इरकॉन इंटर परियोजना क्विज का आयोजन किया जिसमें कर्मचारियों के शिक्षण और ज्ञानवर्धन के लिए सहायक सामग्री के रूप में व्यापक क्षेत्र के शीर्षक शामिल किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इरकॉन ने इरकॉन निगमित क्विज आरंभ की है, जिसका मुख्य केन्द्र गुणवत्ता और ओएचएसएस अनुपालन और कंपनी के अन्य पहलू हैं।

31 मार्च 2017 को कर्मचारियों की संख्या 1495 है। वर्ष 2016-17 में पलायन दर 1.27 प्रतिशत थी, जहां 15 कर्मचारियों ने संगठन को छोड़ा।

मानव संसाधन के प्रबंधन के लिए प्रेमवर्क आधारित सक्षमता के निर्माण के उद्देश्य से, कंपनी की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन संगठन के कौशलों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। कंपनी की वर्तमान नियोजन नीति के अंतर्गत, भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिकाओं को अदा करने के लिए संभावित पूल को चयनित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। संभावित नेतृत्वों के इस पूल को विकसित करने के लिए, संगठन का उद्देश्य क्रॉस-क्रियाशील गतिविधियों में तथा मेंटोरशिप तथा अन्य कार्यों में उन्हें शामिल करके भावी कार्य आवश्यकताओं के संबंध में उन्हें प्रशिक्षित करना है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

दिनांक : 21 सितंबर 2017 व 28 सितंबर, 2017

स्थान : नई दिल्ली

कार्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. कार्पोरेट शासन तथा आधारभूत मूल्यों के संबंध में कंपनी का दर्शन

1.1 कंपनी का कार्पोरेट शासन कोड है "व्यावसायिक, लाभकारी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी रहते हुए कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना"

निदेशक मंडल द्वारा ग्रहण किए गए कम्पनी के आधारभूत मूल्य हैं:-

- क. रचनात्मक दृष्टिकोण
- ख. एक टीम के रूप में कार्यरत
- ग. कार्य में उत्कृष्टता
- घ. कार्य और लेन-देन में सत्यनिष्ठा
- ड. जिम्मेदार और उत्तरदायी होना

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचना:

रेल मंत्रालय के दिनांक 1 अप्रैल 2016 के आदेश के अनुसार अप्रैल 2016 को इरकॉन के बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशकों ने कार्यभार ग्रहण किया है। कंपनी के निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना में नौ निदेशक हैं, जिनमें 04 पूर्णकालीन निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक वित्त, निदेशक परियोजना तथा निदेशक कार्य) तथा एक सरकार द्वारा मनोनीत (अंशकालीन-सरकारी) निदेशक तथा तीन स्वतंत्र निदेशक (एक महिला निदेशक सहित) हैं।

2.2 निदेशक मंडल और निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता

(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/अंशकालिक (सरकारी) स्वतंत्र	कंपनियों/ निगमित निकायों के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	इरकॉन समेत कंपनियों/ निकाय कार्पोरेट में समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
एस.के. चौधरी [डीआईएन 00515672] 29.10.2016 से	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - पूर्णकालीन	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक	पूर्णकालिक/अंशकालिक (सरकारी) स्वतंत्र	कंपनियों/ निगमित निकायों के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	इरकॉन समेत कंपनियों/ निकाय कार्पोरेट में समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
दीपक सबलोक* [डीआईएन 03056457]	निदेशक परियोजना - पूर्णकालीन	7 (आईएसटीपीएल, इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन एसजीटीएल, डीएचएचएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल तथा एमसीआरएल एसजीटीएल)	1	3
हितेश खन्ना [डीआईएन 02789681]	निदेशक कार्य - पूर्णकालीन	2[इरकॉन आईएसएल तथा जेसीआरएल]	शून्य	1
एम.के.सिंह [डीआईएन 06607392] [01.05.2016 से]	निदेशक वित्त - पूर्णकालीन	1[आईआरएसडीसी,	1	शून्य
राजीव चौधरी [डीआईएन 03146422]	अंशकालीन (सरकारी)	1[केआरसीएल]	शून्य	4
एस.के.सिंह [डीआईएन 00003695] [05.04.2016 से]	स्वतंत्र	9[नोट (प) देखें]	1	4
अवनीश माटा [डीआईएन 00011749] [08.04.2016 से]	स्वतंत्र	3[नोट (जे)देखें]	1	2
वसुधा वी. कामत [डीआईएन 07500096] [22.04.2016से]	स्वतंत्र	शून्य	1	3
एस.सी.जैन [डीआईएन 07564584]	अंशकालीन (सरकारी)	5[पीआरसीएल, आरआईडीसी, केआरसी, एमआरवीसी तथा आरवीएनएल]	शून्य	1

* श्री दीपक सबलोक ने दिनांक 01.10.2016 से सीएमडी के पद पर नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने तक तीन महीने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।

श्री एस.के. चौधरी ने 29.10.2016 (पूर्वाह्न) को इरकॉन के बोर्ड में सीएमडी का कार्यभार ग्रहण किया, तदनुसार, श्री दीपक सबलोक ने 29.10.2016 (पूर्वाह्न) को सीएमडी के पद का अतिरिक्त कार्यभार छोड़ा किन्तु निदेशक परियोजना/इरकॉन के पद पर बने हुए हैं।

**पदमुक्त हुए निदेशक
(वर्ष 2016-17 के दौरान तथा तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक)**

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक सरकारी स्वतंत्र	कंपनियों/निगमित निकायों में निदेशक पद के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	इरकॉन समेत कंपनीयों /निगमित निकायों में समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
के.के. गर्ग [डीआईएन 01495050, दिनांक 03.11.2009 (अ.) से 30.04.2016 (पू.) तक पद पर रहे। अधिवर्षिता के कारण पदमुक्त हुए]	निदेशक वित्त - पूर्णकालीन	1 (सीसीएफबी)	1	1
एच.के.काला [डीआईएन 07200108] दिनांक 02.06.2015 (अ.) से 30.06.2016 (पू.) तक पद पर रहे। रेलवे बोर्ड में अपर सदस्य (नियोजन) के पद से अधिवर्षिता के कारण पदमुक्त हुए]	अंशकालीन (सरकारी)	1 (एमआरवीसी)	शून्य	2
मोहन तिवारी [डीआईएन 0091363] दिनांक 08.08.2013 (पू.) से 30.09.2016 (अ.) तक पद पर रहे। अधिवर्षिता के कारण पदमुक्त हुए]	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - पूर्णकालीन	1 (आईआरएसडीसी)	शून्य	शून्य
अंजुम परवेज [डीआईएन 06682287] दिनांक 15.07.2013 (पू.) से 09.12.2016 (अ.) तक पद पर रहे। रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक/ परियोजना मॉनीटरिंग के पद को छोड़ा ताकि दूसरा कार्यभार ग्रहण कर सके]	अंशकालीन (सरकारी)	1 (आरपीएनएल)	शून्य	5

टिप्पणियाँ :

क. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशकों की संख्या 10 सार्वजनिक कंपनियों (20 अधिकतम सीमा के भीतर) की अधिकतम सीमा के भीतर है।

ख. अंतिम दो कॉलम में शामिल की गई समितियां हैं लेखापरीक्षा

समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति, स्वतंत्र निदेशक समिति, सीएसआर व धारणीयता समिति तथा शेयर प्रमाणपत्रों के नवीकरण/डुप्लिकेट प्रति जारी करने के लिए समिति।

- ग. निदेशकों की समिति सदस्यता की संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमति प्राप्त सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति को ही गिना जाएगा।
- घ. इस रिपोर्ट में प्रयुक्त पूर्णकालिक निदेशक पद का आशय प्रकार्यात्मक/कार्यपालक निदेशकों से है।
- ङ. इस रिपोर्ट में अंशकालिक निदेशक पद का आशय गैर-कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।
- च. सरकार शब्द अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों को दर्शाता है जिन्होंने सरकार में पदग्रहण किया हुआ है।
- छ. शब्द स्वतंत्र उन अंशकालिक निदेशकों को दर्शाता है जो सरकार में पदधारक नहीं हैं।
- ज. पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने की फीस हकदारी से अलग, जैसाकि इस रिपोर्ट के पैरा 4 में दिया है, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई भी अन्य भौतिक या आर्थिक संबंध नहीं है जिससे निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो।
- झ. श्री एस.के.सिंह, स्वतंत्र निदेशक, निम्नलिखित के निदेशक मंडल में हैं:

i)	गणेश रियल्टी एंड मॉल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड[सीआईएन यू 45200डब्ल्यूबी 2007पीटीसी112423]
ii)	लिखामी कामर्शियल कंपनी लिमिटेड[सीआईएन यू 51109ईडब्ल्यूबी 1982पीटीसी 034623]
iii)	डिस्टेंट हॉरिजन ऑर्चिड प्रा.लि.[सीआईएन यू 74899डब्ल्यूबी 1991पीटीसी 117430]
iv)	अंबूजा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट[सीआईएन यू 80302डब्ल्यूबी 1991जीएपी 052586]
v)	आशिका स्टॉक ब्रोकिंग .लि.[सीआईएन यू 65921डब्ल्यूबी 1991पीटीसी 217071]

vi)	फोरफोल्ड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड [सीआईएन यू 5190डब्ल्यूबी 2009पीटीसी 133868]
vii)	उत्कर्ष सेफटिक लिमिटेड[सीआईएन यू 45100डब्ल्यूबी 992पीएलसी 195097]
viii)	आशिका क्रेडिट केपिटल लिमिटेड[सीआईएन एल67120डब्ल्यूबी 1994पीएलएल062159]
ix)	आशिका केपिटल लिमिटेड[सीआईएन यू30009डब्ल्यूबी 2000पीएलएल091674]
x)	वेंटेज वनिया प्राइवेट एलएलपी[एलएलपीआईएन: एएआई-9810]
xi)	मधुरिया वनिया पीपीएल[एलएलपीआईएन: एएआई-0687]
xii)	आलीशान डेल्टाट्रेड पीपीएल[एलएलपीआईएन: एएआई-1621]

ट. श्री अवनीश माटा, स्वतंत्र निदेशक निम्नलिखित कंपनियों के बोर्ड में निदेशक हैं:

i)	एक्सप्लिको कंसल्टिंग प्रा.लिमिटेड [सीआईएन यू 9300डीएल2010पीटीसी205167]
ii)	इन्कवेंट कंसल्टिंग प्रा.लि.[सीआईएन यू 74140डीएल 2009पीटीसा 186611]

संदर्भित कंपनियों के पूरे नाम :

इरकॉन आईएसएल - इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, नई दिल्ली (भारत)
[सीआईएन U45400DL2009GOI194792]

इरकॉन पीबीटीएल - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, नई दिल्ली (भारत)
[सीआईएन U45400DL2014GOI272220]

इरकॉन एसजीटीएल - इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, नई दिल्ली (भारत)
[सीआईएन U45400DL2015GOI280017]

इरकॉन डीएचएचएल - इरकॉन देवंगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, नई दिल्ली (भारत)
[सीआईएन U45400DL2017GOI317401]

आईआरएसडीसी - भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि., जो नई दिल्ली (भारत) में इरकॉन का एक संयुक्त उद्यम तथा

सहायक कंपनी (51% इक्विटी) है।
[सीआईएन U45204DL2012GOI234292]

आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (भारत) में एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 50% है।
[सीआईएन U45204DL2012GOI234292]

जेसीआरएल - झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, झारखंड (भारत) में एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 26% है।
[सीआईएन U45201JH2015GOI003139]

केआरसीएल - कोंकन रेल निगम लिमिटेड
[सीआईएन U35201MH1990GOI1223738]

पीआरसीएल - पिपवव रेल निगम लिमिटेड
[सीआईएन U45200MDL2000PLC151199]

आरआईडीसी - रेलवे अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड
[सीआईएन U60100KA2000PLC028171]

केआरसी - कच्छ रेल कंपनी लिमिटेड
[सीआईएन U45202DL2004PLC124267]

एमआरवीसी - मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड
[सीआईएन U45203MH1999GOI120765]

आरवीएनएल - रेल विकास निगम लिमिटेड
[सीआईएन U74999DL2003GOI118633]

सीसीएफबी - कंपनीया डोज कैमिनोज डी फेरो डा बेरा (सीसीएफबी) मोजाम्बिक में एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसमें इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 25% है।

वर्ष के दौरान, दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के निपटान करार के अनुसार सीएफएम को सीसीएफबी के शेयर अंतरित किए गए। सीसीएफबी से संबंधित ब्यौरा परिशिष्ट-ख के क्र.सं.12 (यथा सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां) हैं।

3. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कंपनी (मंडल बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अन्तर्गत निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटनों के अनुसार निदेशकों के मध्य

आपस में कोई संबंध नहीं होगा। दो निदेशक (अंशकालीन सरकारी) प्रशासनिक मंत्रालय यथा रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं और इस प्रकार प्रमोटरों से संबंधित हैं।

निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 13 जुलाई 2017 की अधिसूचना जो कि 5 जुलाई 2015 के पूर्ववर्ती अधिसूचना का संशोधन है, के तहत रोटेशन द्वारा अपने निदेशकों की सेवानिवृत्ति की अपेक्षा से गैरसूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (जहां कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी सरकार द्वारा धारित है) को छूट प्रदान करता है। तदनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड- 152 के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस में कार्यसूची मद प्रस्तावित नहीं है जो सामान्य बैठक में निदेशकों के 2/3 सदस्यों तक नियुक्ति के लिए कार्यविधि उपलब्ध कराता है, जिनका सेवाकार सामान्य बैठक में रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्त द्वारा निर्धारित होता है।

क्रियात्मक निदेशकों का निष्पादन रेल मंत्रालय मूल्यांकन वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)की प्रणाली तथा रेल मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया जाता है और उक्त मूल्यांकन को प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उपक्रम विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

3.1 वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने वाले सात नए निदेशकों का संक्षिप्त कार्यवृत्त

(क) श्री संजय कुमार सिंह (एस.के.सिंह) (डीआईएन 00003695), पेशेवर सनदी लेखाकार ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 1 अप्रैल 2016 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल 2016 से इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर-सरकारी)) निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

इनका जन्म 3 नवंबर 1964 को हुआ और इन्होंने बी.कॉम (ऑनर्स) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य की अर्हता प्राप्त की है।

इन्हें वित्त, कर निर्धारण, तथा व्यावसायिक प्रचालन के क्षेत्र में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। इन्होंने अंबूजा-नियोटिया समूह (अंबूजा सीमेंट लिमिटेड के पूर्ववर्ती स्वामी और प्रमोटर) में 26 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है।

वर्ष 2012 में चार वर्ष पूर्व अपने स्वयं की प्रेक्टिस आरंभ करने से पूर्व वे उक्त अंबूजा समूह में अध्यक्ष (निगमित मामले) के पद पर थे।

श्री सिंह 20 वर्षों से अधिक से युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय के तत्वाधन में राष्ट्रीय युवा विकास निधि के परिषद सदस्य तथा आईसीएआई के परीक्षक भी हैं।

(ख) श्री अवनीश माटा (डीआईएन 00011749), पेशेवर सनदी लेखाकार, ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 1 अप्रैल 2016 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार दिनांक 8 अप्रैल 2016 से इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर-सरकारी)) निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

इनका जन्म 28 अप्रैल 1959 को हुआ और श्री माटा ने बी.कॉम (ऑनर्स), एलएलबी, प्रबंधन में एडवांस्ड डिप्लोमा, इनवॉयसमेंटल इनकॉमिक्स में प्रमाणपत्र, बिजनेस इवेल्युवेशन में प्रमाणपत्र, इंफार्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य की अर्हताएं प्राप्त की हैं।

इन्हें वित्त, लेखापरीक्षा, कर निर्धारण, आदि क्षेत्रों में 34 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। बहुक्षेत्रीय उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में इनके व्यावसायिक अनुभव ने इन्हें ऋणनीति और नीतिगत विषयों और प्रक्रियाओं का गहन व्यावसायिक ज्ञान और समझ प्रदान किया है। वे विलय तथा एमल्वामेशन, विदेशी विनिमय विषयों, ड्यू-डेलिजेंस, परियोजना वित्तपोषण, व्यवहार्यता अध्ययन, निवेश बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, निगमित पुनःसंरचना, नीतिगत एवं विधिक परामर्श, व्यवसाय एवं परिसंपत्ति मूल्यांकन के अतिरिक्त इंजीनियरिंग-प्रापण-निर्माण, प्रचालन-अनुरक्षण-हस्तांतरण, निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण, तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में समान परियोजनाओं के क्षेत्र में परामर्श दे रहे हैं।

सामाजिक क्षेत्र तथा शहरी विकास कार्यक्रमों में अंतरराष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, समीक्षा तथा मूल्यांकन के कार्य से जुड़े हुए हैं। वे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्रों में सक्रीय विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के सक्रीय सदस्य होने के साथ साथ आईसीएआई विभिन्न समितियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। उनकी व्यावसायिक आचार और शासन के क्षेत्र में व्यापक रुचि है।

(ग) प्रो. (सुश्री) वसुधा वसंत कामत (डीआईएन07500096) ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01 अप्रैल 2016 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार 22 अप्रैल 2016 से इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर-सरकारी)) निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

इनका जन्म 26 जून 1952 को हुआ और इन्होंने बी.एससी (रसायन शास्त्र), बी.एड., एम.एड, एम.ए (सोशियोलॉजी), तथा पीएच.डी. (एजुकेशन) की शिक्षा प्राप्त की है।

प्रो. कामत ने 1971 में शिक्षक के रूप में अपना कैरियर आरंभ किया। वर्ष 1983 में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे 4 वर्ष के लिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर थीं। उन्होंने एसएनडीटी विश्वविद्यालय में अपने 29 वर्ष के कार्यकाल में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वर्ष 2016 में एसएनडीटी विश्वविद्यालय से अपनी सेवानिवृत्ति के समय, वे पिछले 5 वर्षों से उपकुलपति के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने 2007 से 2011 के अल्प समय के लिए सीईआईटी, एनसीईआरटी में संयुक्त निदेशक के पद पर भी कार्य किया।

उन्हें स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, महिला शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में 46 वर्षों से अधिक की अवधि का व्यापक अनुभव प्राप्त है। एसएनडीटी विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न नई व्यवस्थाएं/प्रक्रियाएं आरंभ की हैं जैसे ऑनलाइन प्रवेश, मास्टर स्तर पर विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, मूल्यांकन के लिए नई विधियां, शिक्षण-अध्ययन प्रक्रिया में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आईसीटी अवसंरचना का विकास जैसे वर्चुवल क्लासरूम, विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर लैब, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण लैब तथा कैंपसों के लिए भाषा लैब का विकास।

उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की पुरजोर सिफारिश करने वाली सुश्री वसुधा वसंत कामत कनाडा, मॉरीशियस, मलेशिया आदि में अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। वे मुक्त विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से भी निकटता के साथ जुड़ी हुई हैं।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वे वर्ष 1992 से ग्रामीण पुनर्संरचना और शिक्षा (नारायण आश्रम) के लिए समाज में कार्यरत हैं। इन्हें महाराष्ट्र राज्य सरकार से सर्वश्रेष्ठ अध्यापक

पुरस्कार (2005-06), फुलब्राइट सीनियर रिसर्च फेलोशिप (2005-06) तथा रोटरी इंटरनेशनल फेलोशिप (2004-05) प्राप्त हुए हैं।

(घ) श्री मुकेश कुमार सिंह (एम.के.सिंह) (डीआईएन 06607392)

पेशेवर सनदी लेखाकार, ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 26 अप्रैल 2016 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार 1 मई 2016 से इरकॉन के बोर्ड में निदेशक वित्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

इनका जन्म 25 सितंबर 1961 को हुआ और इन्होंने बी.ए. (ऑनर्स), एम.ए (गणित), एम.फिल (गणित) तथा इग्नू से वित्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। वे 1990 बैच के भारतीय रेल लेखा सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं। भारतीय रेल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इन्होंने 5 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में कार्य किया है।

इन्होंने वर्ष 1991 में भारतीय रेल में कार्यभार ग्रहण किया और 25 वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न पदों पर कार्य किया। इन्हें भारतीय रेल में स्थापित बहु-विभागों में कार्य के अनुभव के साथ रेलवे लेखा एवं वित्त की विभिन्न शाखाओं के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान प्राप्त है। निदेशक वित्त (लेखा) तथा निदेशक वित्त (पीपीपी), रेलवे बोर्ड के रूप में इन्होंने भारतीय रेल में पीपीपी परियोजनाओं की वित्तीय संवीक्षा और मूल्यांकन के क्षेत्र में, भारतीय रेल के लेखों के समेकन और उन्हें तैयार करने, सांविधिक लेखापरीक्षा (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) के साथ कार्य किया है। इसके अतिरिक्त, इन्होंने रेलवे प्रणाली में क्षेत्रीय मुख्यालयों और मंडलों में पेन-रेलवे ऑनलाइन लेखांकन पैकेज प्रणाली और अन्य संबंधित डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (आरडीबीएमएस) को क्रियान्वित किया है और दो प्रमुख मंडलों में रेलवे वित्त और लेखों के कंप्यूटरीकरण के दल के सदस्य रहे हैं।

इरकॉन में निदेशक वित्त के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, वे लगभग 4 वर्षों के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड में महाप्रबंधक वित्त (प्रतिनियुक्ति पर) के पद पर कार्यरत थे जहां वे एसपीवी से संबंधित रेल अवसंरचना के निर्माण विषयों से संबंधित वित्तीय मुद्दों की व्यवस्था, गुणवत्ता तथा लागत

आधारित चयन (क्यूसीबीएस) और अन्य प्रणालियों के अंतर्गत टेंडर को अंतिम रूप देने, तथा ईआरपी परियोजना की व्यवस्था आदि सहित वाणिज्यिक लेखांकन और वित्त के लिए उत्तरदायी थे।

इन्होंने आईआईएम, इलाहाबाद से परियोजना वित्त की सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्यम पर, रेलवे स्टॉफ कॉलेज से बिजनेस मार्किटिंग पाठ्यक्रम, रोटम स्कूल ऑफ मेनेजमेन्ट, टोरांटो विश्वविद्यालय, कनाडा से प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान रेल मंत्रालय पुरस्कार (1998 में), महाप्रबंधक पुरस्कार (2004), भोपाल प्रभाग के वित्त विभाग को कुशलता शील्ड जैसे अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

(च) श्री सुनिल कुमार चौधरी (एस.के.चौधरी) (डीआईएन 00515672), ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी 27 अक्टूबर 2016 के राष्ट्रपति आदेश के तहत 29 अक्टूबर 2016 को इरकॉन के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

इनका जन्म 3 अप्रैल 1961 को हुआ और श्री चौधरी ने बी.एससी. इंजीनियरिंग (सिविल), एम.टैक (प्रबंधकन एवं प्रणाली) तथा वैकल्पिक विवाद समाधान में पी.जी.डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त की है। इन्हें अवसंरचना उद्योग में परियोजना प्रबंधन, परियोजना वित्तीयन तथा व्यवसाय विकास के क्षेत्र में 35 वर्षों का प्रबुद्ध और विविध अनुभव प्राप्त है।

इन्होंने इरकॉन में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) में निदेशक (परियोजना) के पद पर कार्य किया है। वहां वे भारतीय और विदेशी बाजार में सिविल निर्माण, व्यवसाय विकास के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी को लागू, शामिल और निगमित करने के पश्चात परियोजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण सहित प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों (यथा परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी), ईपीसी संविदाओं, तथा रियल इस्टेट बाजार) में परियोजनाओं के क्रियान्वयन/निष्पादन और मॉनीटरिंग का कार्य देख रहे थे।

इन्होंने पूर्व में लगभग 7 वर्ष की अवधि के लिए हुडको में वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक (परियोजना) तथा कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के पद पर कार्य किया था। वहां इन्होंने भारत

सरकार द्वारा प्रत्यायोजित परियोजनाओं जैसे जेएनएनयूआरएम, आरएवाई, आदि सहित आवासन और अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीयन, मूल्यांकन और मॉनीटरिंग का कार्य किया था। वहां उन्होंने पीपीपी आधारित किफायती आवासन योजनाओं तथा पीपीपी सड़क और कंसॉर्टियम आधारित उर्जा परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य भी किया है। इन्होंने पर्यावरण इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाओं और परामर्श कार्यों के लिए इंजीनियरिंग परामर्श कार्य निष्पादित किए हैं। वे संयुक्त उपक्रम प्रस्तावों की अवधारणात्मकता से भी निकटता से जुड़े हुए हैं।

इन्होंने अपना कैरियर इरकॉन के साथ आरंभ किया और लगभग 23 वर्षों के लिए विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। इन्होंने फ्लाइआवर, सड़क, एमजीआर रेलवे लाइन आदि सहित निर्माण परियोजनाओं सहित विश्व बैंक, एडीबी आदि से वित्तपोषित होने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निविदा कार्यों को भी देखा है।

इन्हें राजमार्गों, रेलवे, हवाईअड्डों, फ्लाइओवरों तथा पुलों आदि के निर्माण के क्षेत्र का व्यापक अनुभव प्राप्त है तथा वैश्विक निविदा परियोजना वित्तीयन और व्यवहार्यता अध्ययन आदि का भी अनुभव प्राप्त है।

(छ) श्री राजीव चौधरी (डीआईएन 03146422), सलाहकार, स्टेशन विकास, रेल मंत्रालय ने रेल मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर 2016 के राष्ट्रपति आदेश के अनुसार 17 नवंबर 2016 को इरकॉन के बोर्ड में अंशकालीन (सरकारी) निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री चौधरी का जन्म 27 दिसंबर 1990 को हुआ और इन्होंने बी.ई. (सिविल इंजीनियरिंग) की शिक्षा प्राप्त की है। ये 1981 बैच के भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसई) अधिकारी हैं। इन्हें रेल/मट्रो क्षेत्र के प्रचालन और अनुरक्षण, नियोजन, अभिकल्पन, निष्पादन तथा बड़ी सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के अनुरक्षण, नीतियों के क्रियान्वयन पहलों के निष्पादन और मॉनीटरिंग सहित रेल परिवहन के सभी क्षेत्रों का गहन और विविध अनुभव प्राप्त है।

वे विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं जैसे आधुनिक मशीनों की सहायता से रेलपथ अनुरक्षण व

रेलपथ बिछाना, इस्पात और कंक्रीट पुलों का पुनर्निर्माण तथा अनुरक्षण, आवासीय भवनों का नवीकरण और अनुरक्षण, रेल प्रचालनों का नियोजन और नियंत्रण, महत्वपूर्ण आवश्यक अवसंरचना का रखरखाव। इन कार्यों में बहुकुशल, बहु-भाषी तथा बहु-राष्ट्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के बड़े दलों के साथ कार्य करने/पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य शामिल है।

वे कश्मीरी गेट से केन्द्रीय सचिवालय तक वर्ष 2001 से 2006 तक दिल्ली मेट्रो के प्रथम भूमिगत खंड के निर्माण और प्रचालन के अत्यंत वरिष्ठ स्तर पर शामिल हैं और इन्होंने सम्पूर्ण देश में मेट्रो रेल के तीव्र प्रसार का मार्ग सुलभ बनाने की अनेक नीतियां और प्रक्रिया तैयार की हैं। इनके पूर्ववती कार्यों में शामिल हैं भोपाल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे में मुख्य सतर्कता अधिकारी, प्रधान मुख्य इंजीनियर, उत्तर मध्य रेलवे, आदि। वे हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की पीपीपी परियोजना के विकासकर्ता के निर्धारण के लिए प्रमुख अधिकारियों में से एक हैं।

सलाहकार/स्टेशन विकास, रेलवे बोर्ड के इनके वर्तमान पद पर पीपीपी आधार पर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य शामिल है, जो कि वर्तमान में भारतीय रेल का प्रमुख केन्द्र बिंदु है और भारत सरकार का अग्रणी कार्यक्रम है।

(ज) श्री सुखमल चंद जैन (एस.सी.जैन) (डीआईएन 07564584), ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी 03 जनवरी 2017 के राष्ट्रपति आदेश के तहत 03 जनवरी 2017 को इरकॉन के बोर्ड में अंशकालीन (सरकारी) निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

इनका जन्म 1 जनवरी 1967 को हुआ और श्री जैन ने बी.टैक (सिविल) तथा एम.टैक की शिक्षा प्राप्त की है। वे 1988 बैच के भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसई) के अधिकारी हैं और इन्हें रेलवे में 27 वर्षों का प्रबुद्ध और विविध अनुभव प्राप्त है। इनके पूर्ववती कार्यों में वरिष्ठ डीईएन/लखनऊ, वरिष्ठ डीईएन/मुरादाबाद, निदेशक/बी एंड एस, आरडीएसओ, तथा मुख्य इंजीनियर/सी/विशेष, एनआर शामिल हैं।

इन्होंने अबोहर फजिल्का नई रेल परियोजना की कमिश्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्होंने भारत तथा विदेश में विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लिया था और विदेश में कुछ शिष्टमंडलों में भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व किया है।

कार्यपालक निदेशक/निर्माण, रेलवे बोर्ड के इनके वर्तमान पद में नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं से संबंधित विषयों की व्यवस्था शामिल है।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल के अंशकालिक सरकारी निदेशक नामितियों को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

शेयरधारकों ने दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को आयोजित 31वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशक मंडल को कम्पनी (केन्द्र सरकार) के सामान्य नियमों तथा फार्मों के नियम 10- बी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सिटिंग शुल्क के रूप में अंशकालीन (गैर-सरकारी) /स्वतंत्र निदेशकों के देय वेतन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 28 जनवरी, 2015 को आयोजित अपनी 215वीं बैठक में निदेशक मंडल तथा उनकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 12,000 रुपए का सिटिंग शुल्क निर्धारित किया है।

4.1 2016-17 के लिए पूर्णकालीन निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज पर प्रकटन

(रुपये में)

क्र सं	निदेशकों के नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ एवं पर्व	कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	सेवा-निवृत्ति लाभ	बोनस/कमीशन/अनुग्रह राशि	वर्ष के दौरान स्टॉक ऑप्शन	कुल
1	श्री एस के चौधरी " अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29.10.2016 से)	11,43,916	1,63,117	-	1,93,150	-	-	15,00,183
2	श्री दीपक सबलोक निदेशक परियोजना (2016-17 में वर्ष भर)	28,03,151	6,05,985	5,82,803	2,79,237	-	-	42,71,176
3	श्री हितेश खन्ना, निदेशक कार्य (2016-17 में वर्ष भर)	27,58,408	5,65,565	5,73,608	2,74,818	-	-	41,72,399
4	श्री एम के सिंह, निदेशक कार्य (01.05.2016 से)	23,29,871	1,80,525	-	2,32,402	-	-	27,42,798
5	श्री मोहन तिवारी " अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.09.2016 तक)	15,67,605	16,60,460*	12,36,225	1,55,052	-	-	46,19,342
6	श्री के.के. गर्ग " निदेशक वित्त (30.04.2016 तक)	2,29,982	4,72,949**	5,90,729	39,001	-	-	13,32,658

* पेशन के प्रति नियुक्त अंशदान की 9,20,809 रुपए की राशि सहित।

** 19,025 रुपए की राशि का अवकाश नकदीकरण सहित।

*** 2016-17 के दौरान 8.5 लाख रुपए प्रति माह (यदि वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त हुए हैं) और 1.02 करोड़ रुपए प्रति वर्ष (यदि वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं) का पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले पूर्णकालीन निदेशकों की अर्हता, अनुभव आदि संबंधी ब्यौरा अनुबंध-ड.1 पर संलग्न है।

4.2 वर्ष 2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशक/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा:

(रुपए में)

क्रसं	स्वतंत्र निदेशकों/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड बैठकें	समिति बैठकें	
1	संजय कुमार सिंह (05.04.2016 से)	72,000	1,56,000	2,28,000
2	अवनीश माटा (08.04.2016 से)	84,000	1,80,000	2,64,000
3	वसुधा वसंत कामत (22.04.2016 से)	60,000	1,68,000	2,28,000

4.3 2016-17 के दौरान 8.5 लाख रुपए प्रति माह (यदि वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त हुए हैं) और 1.02 करोड़ रुपए प्रति वर्ष (यदि वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं) का पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कंपनी के शीर्ष 10 कार्मिकों का ब्यौरा अनुबंध-ड.1 पर संलग्न है।

5. बोर्ड प्रक्रिया

5.1 निदेशक मंडल चार्टर

क) वर्ष 2012 से कंपनी में निदेशक मंडल से स्वीकृत औपचारिक बोर्ड चार्टर तथा निगमित शासन उद्देश्य तथा दृष्टिकोण तथा निदेशक मंडल (पूर्णकालीन निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों, सरकारी निदेशकों सहित) तथा प्रबंधन (वरिष्ठ प्रबंधन) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व विद्यमान हैं। इसे नई कंपनी अधिनियम, 2013 की तर्ज पर संशोधित किया जाएगा।

ख) यह निदेशक मंडल चार्टर अनिवार्य रूप से निगमित शासन उद्देश्यों तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल की कंपोजिशन व संरचना और भूमिका तथा उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है।

ग) स्वतंत्र निदेशक और अंशकालीन (सरकारी) निदेशकों को अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाहन को सुलभ बनाने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक स्वतंत्र कार्यालय कक्ष निर्धारित किया गया है।

5.2 वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति

क) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल ने 19 अप्रैल 2016, 29 अप्रैल 2016, 23 जून 2016 02 सितंबर 2016, 07 अक्टूबर, 2016, 05 जनवरी 2017 तथा 23 मार्च 2017 को 7 बैठकों में भाग लिया।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (ख) के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।

ग) वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार है :-

निदेशक	मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया
	(उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
एस के सिंह	2	2	लागू नहीं
दीपक सबलोक	7	7	हां
हितेश खन्ना	7	6	हां
एम के सिंह	5	5	हां

निदेशक	मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया
	(उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
एस के चौधरी	7	6	हां
अवनीश माटा	7	7	हां
वसुधा वी कामत	7	5	हां
राजीव चौधरी	2	2	लागू नहीं
एस सी जैन	2	1	लागू नहीं *
के.के. गर्ग	2	2	लागू नहीं
एच.के.काला	3	1	लागू नहीं
मोहन तिवारी	4	4	हां
अंजुम परवेज	5	3	हां

एनए - लागू नहीं

* तथापि, एस सी जैन ने 2016-17 के दौरान आयोजित कंपनी की एजीएम में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 112 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व किया है।

सुश्री सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव ने वर्ष 2016-17 के दौरान सभी सात बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।

6. कम्पनी के बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा सम्पूर्ण संगठन के लिए आधारभूत मूल्य

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, अपर महाप्रबंधक व ऊपर के अधिकारी तथा परियोजनाओं/विभागों के प्रमुखों) के लिए आचार संहिता तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं। ये संहिता 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी है तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट में शामिल किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा संलग्नक "सी-2" पर उपलब्ध है।

7. निदेशक मंडल की समितियां

7.1 लेखापरीक्षा समिति

7.1.1 संदर्भ शर्तें :

अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013; डीपीई के निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010; तथा सूचीकरण करार के संशोधित

खंड-49 की तर्ज पर लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भ शर्तों को संशोधित किया था। लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भ शर्तों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों शामिल हैं:-

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 144 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं को छोड़कर लेखापरीक्षकों को प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए शुल्क के भुगतान सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश;
- (ख) लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मॉनीटरिंग, तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता;
- (ग) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों के लिए स्वीकृति या किसी प्रकार का परिणामी आशोधन और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष संव्यवहारों के विवरण की समीक्षा करना।
- (घ) अंतर-निगमित ऋणों और निवेशों की संवीक्षा।
- (ङ.) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
- (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना और इसकी वित्तीय सूचना को प्रकट करना ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, तथा विश्वसनीय हैं।
- (छ) निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भों सहित बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उनकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा:
 - (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 (3) के खंड (ग) की शर्तों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय।
 - (ii) लेखांकन नीतियों और विधियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इन परिवर्तनों के कारण।
 - (iii) प्रबंधन द्वारा विवेक का प्रयोग करके अनुमानों के निर्माण में शामिल होने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
 - (iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
 - (v) वित्तीय विवरणों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।
 - (vi) पक्ष संबंधी किसी लेनदेन का प्रकटन; और
 - (vii) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

- (ज) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
- (झ) बाहरी व आंतरिक, दोनों लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों व कार्य के क्षेत्रों पर चर्चा।
- (ट) वैधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन, आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना तथा कार्यकरण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- (ठ) ऐसे अन्य मदों/विषयों पर विचार करना जैसा कि बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।

लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति के लिए वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखों पर सिफारिश करने से पूर्व वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों, प्रबंधन निदेशक तथा निदेशक वित्त द्वारा देय अनुपालन की घोषणा, लेखापरीक्षकों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की भूमिका आदि सहित उक्त संदर्भ शर्तों के अनुसार मुद्दों की समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा समिति ने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों तथा कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा की थी।

7.1.2 संरचना व उपस्थिति :

सूचीकरण करार के खंड 49 और मिनीरत्न की शर्तों के अनुसार और निदेशक मंडल के अनुमोदन से मूलतः 28.4.2000 को लेखापरीक्षा समिति का गठन कर दिया गया था जिसमें कम्पनी के चार अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सम्मिलित हैं। जब कभी स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन होता है इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

2016-17 के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, अप्रैल 2016 में लेखापरीक्षा का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है:

अवनीश माटा, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
वसुधा वी. कामत, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
एस.के.सिंह, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य

वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 11 बैठकें आयोजित हुईं।

29 अप्रैल 2016, 17 मई 2016, 22 जून 2016, 11 अगस्त 2016, 1 सितंबर 2016, 28 सितंबर 2016, 2 दिसंबर 2016, 4

जनवरी 2017, 20 जनवरी 2017, 4 मार्च 2017 तथा 22 मार्च 2017.

वर्ष 2016-17 की उपस्थिति विवरण निम्न प्रकार है:-

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
अवनीश माटा	अध्यक्ष (22.04.2016.से)	11	11
एस के सिंह	अध्यक्ष (22.04.2016.से)	11	10
वसुधा वी कामत	सदस्य (22.04.2016.से)	11	9
के के गर्ग, निदेशक वित्त	आमंत्रिती (30.04.2016.तक)	1	1
एम के सिंह, निदेशक वित्त	आमंत्रिती (01.05.2016.से)	10	9

सुश्री सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव इस समिति की अध्यक्ष थीं और इन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया।

7.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

वर्ष 2015-16 के दौरान, बोर्ड ने अपनी मौजूदा पारिश्रमिक समिति का नाम परिवर्तित करके नामांकन और पारिश्रमिक समिति कर दिया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 178 द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को शामिल करने तथा 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत मौजूदा संदर्भ शर्तों के अनुसार इसके संदर्भ शर्तों को व्यापक बनाया है:

- दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर-यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल और नीति के संबंध में निर्णय लेने के मौजूदा कार्यक्षेत्र को जारी रखने हेतु।
- डीपीई तथा अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक से एक स्तर नीचे) और अन्य कर्मचारियों के चयन और उन्हें हटाने की नीति की समीक्षा करना और मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।
- कोई अन्य कार्य जिसे समय-समय पर कंपनी अधिनियम या

डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल किया जाए।

जब कभी निदेशकों में परिवर्तन होता है तो समिति का पुनर्गठन किया जाता है। पिछली बार नामांकन और पारिश्रमिक समिति पुनर्गठन दिसंबर, 2016 में किया गया था जो निम्नानुसार है:

एस.के.सिंह, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
वसुधा के.कामत, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
राजीव चौधरी, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	-	सदस्य

वर्ष 2016-17 के दौरान 7 अक्टूबर 2016 तथा 23 मार्च 2017 को समिति की दो बैठकें हुईं। उक्त बैठक में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
एस के सिंह	अध्यक्ष (22.04.2016 से)	2	2
वसुधा वी कामत	सदस्य (22.04.2016 से)	2	1
राजीव चौधरी	सदस्य (23.12.2016 से)	1	1
अंजुम परवेज	सदस्य (09.12.2016 तक)	1	1

सुश्री सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं और इन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित दोनों बैठकों में भाग लिया।

7.3 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीय समिति

वर्ष 2014-15 के दौरान इरकॉन के बोर्ड ने अपनी मौजूदा सीएसआर नीति का पुनःनामकरण करके सीएसआर तथा धारणीय समिति कर दिया है और कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 में विनिर्दिष्ट अनुसार क्षेत्रों को शामिल करना, तथा सीएसआर तथा धारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार संदर्भ शर्तों को और व्यापक किया है। संक्षेप में, इस समिति के कार्यक्षेत्र में कंपनी की सीएसआर तथा धारणीयता नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी और वांछित दिशा में कंपनी की सीएसआर तथा धारणीयता कार्यसूची को पूरा करने के लिए उपयुक्त नीतियों और ऋणनीतियों के सृजन में सहयोग करना शामिल है।

जब कभी स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन हुआ समिति का पुनर्गठन किया गया। सीएसआर तथा धारणीयता समिति का अंतिम पुनर्गठन दिसंबर 2016 में किया गया था जो निम्नानुसार है:

वसुधा वी. कामत, स्वतंत्र निदेशक	- अध्यक्ष
अवनीश माटा, स्वतंत्र निदेशक	- सदस्य
अंजुम परवेज, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	- सदस्य
दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	- सदस्य

वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की तीन बैठकें निम्नलिखित तिथियों को हुईं: 22 जून 2016, 20 अगस्त 2016 तथा 4 जनवरी, 2017. वर्ष 2016-17 के लिए उपस्थिति विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य	स्थिति	आयोजित बैठकें (संबंधित कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया गया
वसुधा वी कामत	अध्यक्ष (22.04.2016 से)	3	3
राजीव चौधरी	सदस्य (23.12.2016 से)	1	1
दीपक सबलोक	सदस्य	3	3
अवनीश माटा	सदस्य (22.04.2016)	3	3
अंजुम परवेज	सदस्य (22.04.2016 से 09.12.2016)	2	1

सुश्री सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं और इन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया।

7.4 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

अप्रैल 2016 को इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के उपरांत बोर्ड ने अपनी स्वतंत्र निदेशक समिति (आईडी समिति) का सितंबर 2016 में निम्नानुसार पुनर्गठन किया है:

अवनीश माटा	- अध्यक्ष
वसुधा वी कामत, स्वतंत्र निदेशक	- सदस्य
एस के सिंह, स्वतंत्र निदेशक	- सदस्य

उक्त आईडी समिति की संदर्भ शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-4 तथा डीपीई के दिनांक 28 दिसंबर 2012 के कार्यालय ज्ञापन (जैसा कि 20 जनूर 2013 के डीपीई-ओएम के तहत संशोधित किया गया) के अनुसार हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान आईडी समिति की एक बैठक का आयोजन 23 मार्च 2017 को किया गया जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

7.5 शेयर प्रमाणपत्रों के नवीकरण/डुप्लिकेट जारी करने हेतु समिति

2016-17 के दौरान निदेशक मंडल ने खोए या नष्ट हुए, निरस्त, फटे व पुराने शेयरों या जहां शेयर प्रमाणपत्रों के पीछे वाले पृष्ठ को हस्तांतरण रिकार्ड के लिए प्रयोग कर लिया गया हो, के प्रतिस्थापन हेतु डुप्लिकेट शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी (शेयर पूंजी तथा डिबेंचर) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की शर्तों के अनुसार शेयर प्रमाणपत्रों के नवीकरण/डुप्लिकेट जारी करने हेतु समिति का गठन किया गया है।

दिसंबर 2016 में समिति का अंतिम बार पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया था:

एम.के.सिंह, निदेशक वित्त	- अध्यक्ष
राजीव चौधरी, अंशकालीन सरकारी निदेशक	- सदस्य
दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	- सदस्य
सुश्री सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं और इन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की कोई भी बैठक अपेक्षित नहीं थी।	

7.6 परियोजना समीक्षा समिति

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, कंपनी की सभी परियोजनाओं की समीक्षा करने (बंद परियोजनाओं सहित) तथा परियोजनाओं के सुगम निष्पादन में संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए बोर्ड द्वारा परियोजना समीक्षा समिति (पीआर समिति) का गठन किया गया था।

समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था:

राजीव चौधरी, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	- सदस्य
एस सी जैन, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	- सदस्य
अवनीश माटा, स्वतंत्र निदेशक	- सदस्य
एस के सिंह, स्वतंत्र निदेशक	- सदस्य
दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	- सदस्य
हितेश खन्ना, निदेशक निर्माण	- सदस्य

समिति को पूर्णकालीन निदेशक से संबंधित कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा।

8. सहायक कंपनी (कंपनियों) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन

वर्तमान में, इरकॉन की निम्नलिखित सहायक कंपनियां हैं:

(क) इरकॉन मूल्यहास एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल), इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है।

(ख) भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), इरकॉन की सहायक कंपनी है और यह इरकॉन और रेल भूमि विकास निगम लि. के बीच एक संयुक्त उपक्रम भी है, जिसमें इरकॉन की इक्विटी 51 प्रतिशत है।

वर्ष के समापन के पश्चात, कंपनी ने 10 अप्रैल 2017 के रेलवे बोर्ड के पत्र के तहत आरएलडीए को आईआरएसडीसी के 1 प्रतिशत इक्विटी स्टैक (इरकॉन द्वारा धारित 51 प्रतिशत) के अंतरण को अनुमोदन प्रदान किया है और अंतरण की प्रक्रिया चल रही है। उक्त अंतरण के पश्चात, आईआरएसडीसी इरकॉन की सहायक कंपनी नहीं रहेगी और अरएलडीए में 50:50 के अनुपात में जेवी कंपनी रहेगी।

(ग) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल) इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है।

(घ) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है।

(ड.) इरकॉन देवंगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल), इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है (जिसका निगमन 11 मई 2017 के पश्चात किया गया)

इनमें से कोई भी कंपनी सूचीबद्ध नहीं है।

वर्ष 2016-17 के दौरान इरकॉन आईएसएल, आईआरएसडीसी, इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन एसजीटीएल का टर्नओवर/निवल संपत्ति, इरकॉन (धारक कंपनी) के टर्नओवर या निवल संपत्ति के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसलिए, उपर्युक्त कोई भी सहायक कंपनी डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के अनुसार सूचीबद्ध करार के अंतर्गत मटीरियल सब्सिडियरी या सब्सिडियरी नहीं है।

9. वार्षिक साधारण बैठक

9.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	वार्षिक बैठक की तारीख	समय	स्थान/स्थल
2015-16	28 सितंबर 2016	5 बजे अपराह्न	रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली
2014-15	22 दिसंबर 2015	5 बजे अपराह्न	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2013-14	25 सितम्बर 2014	5 बजे अपराह्न	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

वर्ष के समापन के पश्चात, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 100 करोड़ रूपए से बढ़ा कर 400 करोड़ रूपए करने के लिए समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में संशोधन करने हेतु 22 मई 2017 को असाधारण सामान्य बैठक में दो विशेष संकल्प पारित किए गए।

9.2 विशेष संकल्प:

(क) कंपनी की ऋण शक्तियों में संशोधन करने के लिए 25 सितंबर 2014 को आयोजित एजीएम (वर्ष 2013-14 के लिए) में एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

(ख) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करके 25 करोड़ रूपए सं 100 करोड़ रूपए के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए 22 दिसंबर 2015 को आयोजित एजीएम (वर्ष 2014-15 के लिए) में दो विशेष संकल्प पारित किये गये थे।

(ग) इरकॉन की आगामी एजीएम में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

10. प्रकटन

10.1 वर्ष के दौरान, निदेशकों और उनके रिश्तेदार के साथ ऐसे भौतिक प्रकृति के संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं थे, जिसका कम्पनी के हित में संभाव्य विरोध था।

तथापि, कंपनी ने 2016-17 के दौरान दो सीएसआर गतिविधियों (यथा जम्मू और कश्मीर राज्य में 28 चिह्नित क्षेत्रों में जनसाधारण के लिए चिकित्सा केन्द्रों का आयोजन तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और कोर्बा जिलों में एकल ऑन व्हील की एक इकाई की व्यवस्था हेतु वित्तीय अंशदान उपलब्ध कराना) के निष्पादन के लिए आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया और भारत लोक शिक्षा परिषद (दोनों एकल अभियान ट्रस्ट से संबंधित हैं) को नियुक्त किया है।

एक स्वतंत्र निदेशक (यथा श्री अवनीश माटा) आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया में संयुक्त सचिव के रूप में संबद्ध हैं और उन्होंने हित प्रकटन में इस तथ्य को प्रकट किया है और संबंधित बैठकों के दौरान उक्त संव्यवहारों के अनुमोदन के समय भी इसका प्रकटन किया है, और स्वयं को उक्त एजेंडा मद पर भागीदारी/वोटिंग से अलग रखा है।

इसके अतिरिक्त, संविदा के विवरणों को कंपनी अधिनियम

2013 के खंड 189 के अनुसरण में संविदा रजिस्टर में भी प्रविष्ट किया गया है।

10.2 कम्पनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करके इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है।

10.3 वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्स (इस रिपोर्ट के पैरा-4 में दिए गए विवरण तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं 40 में भी प्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कम्पनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

10.4 कुल व्यय की तुलना में वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

विवरण	2016-17	2015-16	टिप्पणियां
प्रशासनिक व्यय (करोड़ रुपए में)	32.50	24.74	शून्य
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार (करोड़ रुपए में)	8.34	8.82	
कुल व्यय (करोड़ रुपए में)	2796.40	2257.73	
प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय(प्रतिशत में)	1.16%	1.10%	
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	0.30%	0.39%	

10.5 कम्पनी आवधिक रूप से बोर्ड को जोखिम भरे क्षेत्रों में उनकी परियोजनाओं तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित जोखिमों के संबंध में सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा जोखिम तथा चिंता शीर्ष के अंतर्गत प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट में किया गया है।

10.6 कम्पनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति से जालसाजी निवारण, इसका पता लगाने तथा नियंत्रण की नीति विद्यमान है ताकि जालसाजी का पता लगाने तथा निवारण के लिए एक नीति उपलब्ध कराई जा सके और पता लगाए गए या आशंकित किसी मामले की रिपोर्टिंग की जा सके और जालसाजी से संबंधित मामलों से निपटा जा सके।

10.7 कम्पनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति वाली विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र विद्यमान है जिसके द्वारा वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या आशंकित जालसाजी, कम्पनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन से संबंधित मामलों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस नीति में उन कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान विद्यमान हैं, जिन्होंने इस तंत्र को अपनाया है। इसमें आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का भी प्रावधान है।

ये दोनों नीतियां इरकॉन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

10.8 लेखापरीक्षा समिति द्वारा किसी कार्मिक को मिलने से इनकार किए जाने का कोई प्रश्न सामने नहीं आया है।

10.9 (1) कम्पनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान ना तो शेयरों का कोई पब्लिक इश्यू जारी किया है और ना ही कोई प्रोसिक््यूटस या प्रस्ताव पत्र जारी किया है।

(2) वर्ष की समाप्ति के पश्चात, विनिवेश/इरकॉन की प्रदत्त शेयर पूंजी के सूचीकरण (जैसा कि 01.02.2017 के बजट भाषण में घोषणा की गई है) के उद्देश्य से डीआईपीएम को विधि सलाहकार और बुक रनिंग प्रमुख प्रबंधक (बीआरएलएम) नियुक्त किया गया है। तदनुसार, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार इरकॉन के बोर्ड में तीन और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है, ताकि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या को बोर्ड की वास्तविक संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत तक किया जा सके।

10.10 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी मुद्दे पर कम्पनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

10.11 व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पक्ष के साथ संव्यवहार आर्म लैथ आधार पर है और इससे संबंधित प्रकटन कम्पनी अधिनियम, 2013 (यथा फॉर्म एओसी-2) की अपेक्षाओं के अनुसार तथा संगत लेखांकन मानकों (कम्पनी के वित्तीय विवरणों के नोट में) की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

10.12 वर्ष 2015-16 के दौरान डीपीए निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई ने इरकॉन को उत्कृष्टता ग्रेड प्रदान किया है।

- 10.13 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व-मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन ने वर्ष 2016-17 के लिए 100 में से 98.73 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।
- 10.14 कंपनी प्रत्येक छमाई में परियोजनाओं (भारतीय तथा विदेशी) आदि से कंपनी तथा संबंधित कानूनों; कर कानूनों; श्रम और कर्मचारी कल्याण कानूनों; आरटीआई - क्षेत्रों में कानूनों के अनुपालन के संबंध में बोर्ड को सूचित करती है/रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

11. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ) तथा निदेशक वित्त (सीएफओ) ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है। (इस रिपोर्ट के **अनुबंध ड.-3** पर संलग्न है)

12. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

12.1 सम्प्रेषण के माध्यम

- क) वार्षिक साधारण बैठक से पूर्व शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट आदि भेजने से पूर्व, लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय निष्पादनों सहित कंपनी की परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट को प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है।
- ख) वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- ग) निम्नलिखित को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है:
- कंपनी की शेयरधारिता का पैटर्न।
 - नोडल अधिकारियों/सीएमडी/अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति के गोपनीय ई-मेल आईडी सहित महत्वपूर्ण निगमित शासन नीतियां जैसे धोखाधड़ी निवारण, परिचयन तथा नियंत्रण नीति तथा विसल ब्लोवर नीति।
 - पिछले छह वर्षों के लिए सीएसआर तथा धारणीयता नीति, धारणीयता रिपोर्ट तथा सीएसआर गतिविधियां, आदि।
 - निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा कंपनी के प्रमुख मूल्य।
 - स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति संबंधी मॉडल पत्र

- घ) अनुपालन अधिकारी का ई-मेल आईडी वेबसाइट में इन्वेस्टर कार्नर शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है।

12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

तारीख :	28 सितम्बर, 2017
दिन :	बृहस्पतिवार
समय :	1200 बजे
स्थान :	दूसरा तल, रेल भवन, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली-110001

12.3 लाभांश के भुगतान की रिकार्ड तिथि

वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश का भुगतान उन सभी शेयरधारकों को किया जाएगा तो जिनका नाम वार्षिक साधारण बैठक यथा 28 सितंबर 2017, रिकार्ड तिथि, को सदस्यों के रजिस्टर में अंकित होंगे।

12.4 शेयरधारण का वितरण (इस रिपोर्ट की तारीख को)

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति व उनके दस नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार को	9,87,12,000	99.729
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	2,44,000	0.247
बैंक आफ इंडिया	24,000	0.024
कुल	9,89,80,000	100

पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी सरकारी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 99.729% शेयर सरकार के होते हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए कंपनी सचिव एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं है।

12.5 संयंत्र अवस्थिति / प्रचालनिक इकाइयां

कम्पनी के पास संयंत्र स्थल नहीं है किन्तु देश के चौदह राज्यों तथा छह अन्य देशों में इनकी प्रचालनिक इकाइयां/कार्यालय हैं। इन इकाइयों की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

12.6 पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार का पता निम्न है (इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) :

कम्पनी सचिव, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
प्लाट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, नई दिल्ली-110007
टेलीफोन : 91-11-26530456
फैक्स : 91-11-26522000/26854000
ई-मेल : cosecy@ircn-org
वेबसाइट : www-ircon-org

13. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

13.1 कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए बोर्ड स्वीकृत एक प्रशिक्षण नीति विद्यमान है। इस नीति के अनुसार, कंपनी की यह नियमित प्रथा है कि नए बोर्ड सदस्यों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्हें कंपनी के संबंध में अभिलेख भी प्रदान किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं, ज्ञापन व संगम अनुच्छेद, ब्रॉशर, वार्षिक रिपोर्ट, अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, निगमित योजना, समझौता ज्ञापन लक्ष्यों और उपलब्धियों, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, निगमित शासन

तथा सीएसआर व धारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देश, सभी बार्ड समितियों की संदर्भ शर्तें, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशकों के दायित्व, उत्तरदायित्व, डिस्कवालिफिकेशन, आदि।

13.2 बोर्ड के सदस्यों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। वर्ष 2016-17 के दौरान इरकॉन के निदेशकों को स्कोप, एसोचैम, डीपीई, आईआरईई, इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे इंजीनियर्स, रेलवे बोर्ड तथा विश्व बैंक आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया/ने भाग लिया।

14. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2016-17 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजगार किए गए आंकड़ों के संबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के **संलग्नक ड.-4** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

दिनांक : 21 सितंबर 2017
स्थान : नई दिल्ली

ह0/-
(एस.के.चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(डीआईएन: 00515672)

4.3(क) 2016-17 के दौरान आहरित पारिश्रमिक की दृष्टि से 10 शीर्ष कर्मचारियों का ब्यौरा:

क्र. स.	कर्मचारी का नाम व आयु	पदनाम	प्राप्त पारिश्रमिक (सकल) (रुपए में)	अर्हता	अनुभव	रोजगार आरंभ होने की तिथि और रोजगार की प्रकृति	कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व धारित रोजगार
1	मोहन तिवारी (60 वर्ष)	सीएमडी (30.09.2016 तक)	46,19,342	बीई (सिविल), एम.टेक (स्ट्रक्चर), पीजीडीआईएम	अवसंरचना के क्षेत्र में 38 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव	25.06.1998*	भारतीय रेल
2	दीपक सबलोक (58 वर्ष)	निदेशक परियोजना	42,71,176	बी ई (सिविल) (ऑनर्स)	अवसंरचना, रेलवे निर्माण संविदा प्रबंधन और रेलपथ अनुरक्षण तथा अनुषंगी कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में 35 वर्षों का व्यापक अनुभव	16.04.2010**	भारतीय रेल
3	हितेश खन्ना (58 वर्ष)	निदेशक/निर्माण	41,72,399	बीएससी (सिविल इंजीनियरिंग) ऑनर्स	आधुनिक रेलपथ तकनीकी सहित रेलपथ अनुरक्षण, नवीकरण तथा निर्माण में 36 वर्षों का व्यापक अनुभव	31.03.2003***	भारतीय रेल
4	सतीश टंडन (55 वर्ष)	सीवीओ	38,34,224	बी.एससी, बी.टैक	32 वर्ष	20.01.2016	एमटीएनएल विभाग में सतर्कता प्रमुख के आर सी एल
5	राजेश अग्रवाल (54 वर्ष)	कानि/ज एवं क	38,14,539	एम.टैक/सिविल	जम्मू और कश्मीर में परियोजना निष्पादन के नियोजन, संचालन तथा मॉनीटरिंग, रेल अवसंरचना अनुरक्षण, अभिकल्प जांच आदि में 30 वर्षों का अनुभव, आदि	27.10.2015	
6	द्वारिका प्रसाद (59 वर्ष)	कानि/सिविल	35,70,524	बीई, एमबीए	यांत्रिकी के क्षेत्र में 33 वर्षों का अनुभव	10.12.2012	भारतीय रेल में सीएमपी, सीओएफएमओडब्ल्यू
7	ए के गोयल (54 वर्ष)	कानि/परियोजना	35,08,577	बीई (सिविल)	रेलवे, राजमार्ग, भवन, पुल के क्षेत्र में 32 वर्षों का अनुभव	19.04.2008	मुख्य इंजीनियर/सिविल/ इस्ट कोस्ट रेलवे

क्र. स.	कर्मचारी का नाम व आयु	पदनाम	प्राप्त पारिश्रमिक (सकल) (रुप में)	अर्हता	अनुभव	रोजगार आरंभ होने की तिथि और रोजगार की प्रकृति	कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व धारित रोजगार
8	रणधीर गुप्ता (59 वर्ष)	मप्र/यांत्रिकी	32,51,476	बी.टैक (यांत्रिक इंजीनियरिंग), पीजीडीएम	34 वर्ष	05.05.1986	श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज के सहायक संयंत्र पर्यवेक्षक (जुलाई 1983 से अप्रैल 1986)
9	बसंत कुमार (57 वर्ष)	मप्र/सी एंड ए	32,44,651	बीई (सिविल)	राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन, संविदा और तकनीकी-विधिक मामले, तथा महत्वपूर्ण और बड़े मूल्य की अवसंरचनात्मक, राजमार्ग तथा रेल परियोजनाओं के निष्पादन का 31 वर्षों का अनुभव	14.05.1986	लागू नहीं
10	सुरजीत दत्ता (55 वर्ष)	महाप्रबंधक/वित्त	32,36,353	बी.एससी, एमबीए/ वित्त, भारतीय लागत लेखांकन संस्थान के फेलो सदस्य	वित्त एवं लेखे में 34 वर्ष	28.05.2007	एनएचपीसी लिमिटेड

* श्री मोहन तिवारी का जन्म 1 अक्टूबर 1956 को हुआ और उन्होंने 25 जून 1998 को प्रतिनियुक्ति पर रेल मंत्रालय से इरकों में कार्यभार ग्रहण किया और 2002 में महाप्रबंधक के पद पर आमेिलत हुए। 8 अगस्त 2003 से 31 जनवरी 2009 तक वे निदेशक (परियोजना) के पद पर रहे। उन्होंने पांच वर्ष के अवधि या अधिवर्षिता की आयु, जो कोई भी पहले हो के लिए रेल मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के आधार पर 1 फरवरी 2009 को महाप्रबंधक के पदावधि पद पर कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें दिनांक 5 मार्च 2013 से अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक के रूप में रेलवे बोर्ड द्वारा पुनःपदनामित किया गया था। उनके कार्यकाल को 6 जनवरी 2014 के आदेश के तहत 31 जनवरी 2014 के आगे तीन महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया (तदर्थ)। आगे दिनांक 30 अप्रैल 2014 के रेल मंत्रालय के पत्र के तहत इनके कार्यकाल को 30 अप्रैल 2014 से 30 सितंबर 2016 यथा उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक बढ़ाया गया था।

** श्री दीपक सबलोक का जन्म 31 अक्टूबर 1959 को हुआ और उन्होंने पांच वर्ष की अवधि या अधिवर्षिता की आयु, जो कोई भी पहले हो के लिए रेल मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के आधार पर 16-04-2010 को निदेशक परियोजना के पद पर इरकों में कार्यभार ग्रहण किया। रेल मंत्रालय के दिनांक 02-12-2014 के आदेश के तहत नियुक्ति के उनके कार्यकाल को 15-04-2015 से आगे पांच वर्ष की अवधि या उनकी अधिवर्षिता की आयु, जो कोई पहले हो तक, कार्यकाल को बढ़ाया गया।

*** श्री हितेश खन्ना का जन्म 7 अक्टूबर 1959 में हुआ और उन्होंने मार्च 2003 में प्रतिनियुक्ति आधार पर इरकॉन में नवंबर 2007 तक महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया। फरवरी 2007 में उन्होंने इरकॉन में आमेलन प्राप्त किया और नवंबर 2007 में उन्हें कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने पांच वर्ष के अवधि या अधिवर्षिता की आयु, जो कोई भी पहले हो के लिए रेल मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के आधार पर 07-03-2011 को निदेशक कार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। रेल मंत्रालय के दिनांक 21-03-2016 के आदेश के तहत दो वर्षों की अवधि यथा 07-03-2016 से 06-03-2018 तक दो वर्षों की अवधि के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। 1 फरवरी 2009 को महाप्रबंधक के पदावधि पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

(ख) उन कर्मचारियों का ब्यौरा जो 8.5 लाख रुपए प्रति माह (यदि वित्तीय वर्ष के भाग के लिए नियुक्त रहे) और 1.02 करोड़ रुपए प्रति वर्ष (यदि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए नियुक्त रहे) से कम वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं:

क्रसं	कर्मचारी का नाम और आयु	पदनाम/रोजगार की प्रकृति (सविदागत या अन्यथा)	प्राप्त पारिश्रमिक (सकल) (रुपए में)*	अर्हता	अनुभव (वर्षों में)	चाहू रोजगार आरंभ होने की तिथि	कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व धारित अंतिम रोजगार
1	के के गर्ग ** (61 वर्ष)	निदेशक वित्त (30.04.2016 को अधिवर्षिता प्राप्त)	13,32,658	बी.कॉम और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य	वित्त के विभिन्न क्षेत्रों यथा निगमित कर, निगमित एमआईएस तथा बजटीय नियंत्रण, वाणिज्यिक कार्यविधि, आदि में 36 वर्षों का व्यापक अनुभव	03-11-2009 से 30-04-2016 को अधिवर्षिता तक पदावधि पद पर रहे।	दो वर्ष तथा छह माह के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (जिसे अब एसजेवीएम लिमिटेड कहते हैं) के निदेशक (यथा 07.05.2007 से 03.11.2009)
2	मोहन तिवारी (60 वर्ष)	सीएमडी (30.04.2016 को अधिवर्षिता प्राप्त)	46,19,342	बी ई सिविल (ऑनर्स), एम.टैक (स्ट्रक्चर) तथा पीजीडीआईएम	अवसंरचना के क्षेत्र में 37 वर्षों का व्यापक अनुभव	01-02-2009 से 30-04-2016 को अधिवर्षिता तक पदावधि पद पर रहे।	भारतीय रेल

* निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 4.1 में पारिश्रमिक के विभिन्न घटकों को प्रस्तुत किया गया है।

** श्री के के गर्ग का जन्म 15 अप्रैल 1956 में हुए और उन्होंने 3 नवंबर 2009 को निदेशक वित्त के रूप में इरकॉन में कार्यभार ग्रहण किया। नियुक्ति के उनके कार्यकाल को रेल मंत्रालय के दिनांक 22 जून 2016 के आदेश के तहत 3 नवंबर 2014 से आगे 30 अप्रैल 2016 यथा उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक बढ़ाया गया।

नोट:

उपर्युक्त में से किसी के पास भी कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

उपर्युक्त में से कोई भी कंपनी के किसी निदेशक/प्रबंधक से संबंधित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, एस.के.चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

दिनांक : 25 अगस्त 2017

स्थान : नई दिल्ली

ह0/-

(एस के चौधरी)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

(डीआईएन: 00515672)

अनुलग्नक - ई-3

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा वित्त प्रमुख प्रमाणन

हमने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय विवरणों (अर्थात् तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण तथा इससे इससे संबंधित नोट) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ की है:-

- इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं है।
- ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमनों के अनुपालन में हैं।
- हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।
- हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।
- हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और
- हमारी जानकारी में किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह0/-

एम.के.सिंह

निदेशक/वित्त

(डीआईएन: 06607392)

ह0/-

एस.के. चौधरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन: 00515672)

तारीख : 21 सितंबर, 2017

स्थान : नई दिल्ली

एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

बी-152, दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर-पट
नई दिल्ली-110 024
टेली : 011-4162 5462
मोबाइल : 9873426246
ई-मेल : manojbangia-mb@gmail-com

डीपीई के कार्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत

कार्पोरेट शासन की

शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों द्वारा अनुपालन करना अपेक्षित है कि :

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा बनाए गए तथा इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रियाविधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमारी समीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए निगमित शासन मापदंडों के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग(डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों अपेक्षाओं के अनुरूप सभी सामग्रीगत दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कृते एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह0/-
मनोज बांगिया
प्रोपराइटर
एफसीएस-5607, सीपी सं0-3655

दिनांक: 21/09/2017

स्थान : नई दिल्ली

फार्म सं. एमआर-3 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,

सीआईएन: यू45203डीएल1976जीओआई008171

प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** (जिसे यहां आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें निगमित आचरण /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

- i) कंपनी अधिनियम, 2013 (**अधिनियम**) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:
- ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956

(एससीआरए) और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:

- iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप-नियम
- iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम
- v) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:
 - (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 1992
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (28 अक्टूबर 2014 से प्रभावी)
 - (ङ.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008
 - (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है।

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998

(ट) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 1998

इनके अंतर्गत निर्मित निम्नलिखित कानून और नियमों को प्रबंधन द्वारा कंपनी में विशिष्ट रूप से लागू किए जाने के लिए चयनित किया है:

(क) भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय के दिनांक 14 मई 2010 को जारी लोक उपक्रम विभागदिशानिर्देश।

(क) आयकर अधिनियम, 1961

(ख) संपत्ति कर अधिनियम, 1957

(ग) सेवाकर कानून

(घ) वेट/केन्द्रीय बिक्र कर अधिनियम/डब्ल्यूसीटी

(ङ.) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

(च) केन्द्रीय सीमाशुल्क अधिनियम, 1944

(छ) वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981

(ज) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

(झ) जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम

(ठ) भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 2005

(ड) नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881

(ढ) अन्य श्रम कानून और उनके अंतर्गत निर्मित नियम

• एप्रेंटिस अधिनियम, 1961

• बाल मजदूरी (निशेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986

• ठेके के श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

• कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

• कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

• निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996

• अंतर राज्य विस्थापित कामगार (रोजगार का विनियम एवं सेवा शर्तें अधिनियम), 1979

• समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

• कारखाना अधिनियम, 1948

• औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

• औद्योगिक रोजगार मानक आदे 1 अधिनियम, 1946

• मजदूर संघ अधिनियम, 1926

• विद्युत अधिनियम, 2003

• प्रसव लाभ अधिनियम, 1961

• न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

• कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

• मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

• उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

• बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

• कार्य क्षेत्र में महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

• वाणिज्यिक दुकान एवं स्थापना अधिनियम

हमने निम्नलिखित के अनुप्रयोग खंडों के अनुपालनों की भी जांच की है।

(i) बोर्ड और सामान्य बैठक के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सचिवीय मानकों को कंपनी द्वारा बिना किसी तथ्यात्मक गैरअनुपालन के अनुपालन किया गया है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालनों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है।

(ii) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ कंपनी द्वारा कोई सूचीकरण करार नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है और अनुपालन के संबंध में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार के सामग्रीगत गैर अनुपालन के बिना और निम्नलिखित अवलोकनों के मद्देनजर ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

(1) उपर्युक्त खंड (खंडों) (ii) तथा (v) में उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, करार और दिशानिर्देशों के लिए किसी प्रकार के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी एक असूचीबद्ध निकाय है और इसलिए ये इस पर लागू नहीं होते हैं।

(2) उपर्युक्त खंड (iii) तथा (iv) में उल्लिखित अधिनियम, नियम,

विनियम के लिए किसी प्रकार के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

- (3) उपर्युक्त खंड (vi) में उल्लिखित अन्य कानून जो विशिष्ट रूप से कंपनी पर लागू होते हैं, के संबंध में हमने पाया है कि कंपनी में सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की मॉनीटरिंग और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार कंपनी में उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों के उचित शेष के साथ किया गया है। यह विदित है कि नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

बोर्ड बैठकों की अनुसूची के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले ही भेज दिया जाता है, केवल अल्प नोटिसों को छोड़कर, जहां अपेक्षित अनुपालन किया गया है, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर और सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी

सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है।

प्रमुख निर्णयों को निष्पादित किया गया है जबकि अनुपस्थित सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्ति में समाहित व रिकार्ड कर लिया गया है।

कंपनी ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं और निदेशकों ने अपनी नियुक्ति उनके स्वतंत्र निदेशक होने और निदेशकों व प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण व नैतिकता संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटन आवश्यकताओं को पूरा किया है।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

ह0/-

(सीएस विशाल अग्रवाल)

एफसीएस सं.:7242

सीपी सं.:7710

दिनांक: 21/09/2017

स्थान: नई दिल्ली

इस रिपोर्ट को **अनुबंध-क** के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सीआईएन: यू45203डीएल1976जीओआई008171
प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने लागू वित्तीय कानूनों सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों, लेखांकन मानकों, कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता के अनुपालन के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है क्योंकि ये संबंधित लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के मद्देनजर हैं।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी लाभप्रदता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूर्णता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस सं.:7242
सीपी सं.:7710

दिनांक: 21/09/2017

स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार

[31 मार्च 2017 को]

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1)के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1	निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	: यू45203डीएल1976जीओआई008171
2	पंजीकरण तिथि	: 28 अप्रैल 1976
3	कंपनी का नाम	: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
4 क)	कंपनी की श्रेणी	: सार्वजनिक कंपनी
4 ख)	कंपनी की उप-श्रेणी	: सरकारी कंपनी, शेयरों द्वारा लिमिटेड और शेयर पूंजी वाली कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	: प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017
		फोन सं.: 011-26530456
		फक्स सं.: 011-26522000
		ई मेल आईडी : cosecy@ircon.org
6.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हां / नहीं)	: नहीं [मार्च 2012 से डीलिसिटड]*
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा	: लागू नहीं**

II. कंपनी का प्रधान व्यावसायिक गतिविधियां:

कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा कर एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	रेलवे	4210	69.24%

*वर्ष के समापन के पश्चात, पीईपीएम ने इरकॉन के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के विनिवेश/सूचीकरण (जैसाकि 01.02.2017 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी)के प्रयोजन के लिए 19 मई 2017 को विधि सलाहकारों और बुक रनिंग लीड प्रबंधकों (बीआरएलएम) को नियुक्त किया गया है।

** कंपनी के प्रस्तावित सूचीकरण के दृष्टिगत डीआईपीएम द्वारा नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण:

[कंपनियों की संख्या जिनके लिए सूचना दायर की जा रही है - 11 कंपनियां]

क्र. सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	यू45400डीएल2009जीओआई194792	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100%	2(87)
	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017				
2	इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटेड	यू45400डीएल2014जीओआई272220	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100%	2(87) 2(87)
	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017				
3	इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	यू45400डीएल2015जीओआई280017	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	51%	
	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017			(संदर्भ नोट 1)	
4	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	यू45204डीएल2012जीओआई234292	सहायक कंपनी	51%	2(87)
	चौथा तल, पालिका भवन, सेक्टर-XIII, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066				
5	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	यू74999डीएल2005पीटीसी135055	संबद्ध	50%	2(6)
	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017				
6	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	यू45203सीटी2013जीओआई000729	संबद्ध	26%	2(6)
	महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर-492013, छत्तीसगढ़				
7	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	यू 45203सीटी2013जीओआई000768	संबद्ध	26%	2(6)
	महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर-492013, छत्तीसगढ़				
8	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	यू 60100ओआर2015जीओआ ई19349	संबद्ध	26%	2(6)
	निगमित कार्यालय, एमसीएल एचक्यू, एमडीएफ रुम, जागृति विहार, बुरला, संबलपुर - 768020 ओडीशा				
9	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	यू 45201जेएच2015जीओआ ई003139	संबद्ध	26%	2(6)
	सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची - 834029 झारखंड				
10	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	यू 74900सीटी2016पीटीसी007251	संबद्ध	25%	2(6)
	ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर, एनएमडीसी ग्रीन वेली सिटी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोरलियाकाला रायपुर, छत्तीसगढ़-492201				
11	कंपैनिया डोस केमिनोस डी फेरा डा बेइरा, एसएआरएल,	विदेशी कंपनी	संबद्ध	25%	2(6)
	लार्जो डा सीएफएम, एडिफिको डा एस्टेकियो सेट्रल, बेयरा, मोजांबीक				

नोट:

- आईआरएसडीसी से संबंधित ब्यौरे के लिए, कृपया परिशिष्ट के क्र.सं 2 का संदर्भ लें (यथा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियां)
- सीसीएफबी से संबंधित ब्यौरे के लिए, कृपया परिशिष्ट के क्र.सं 12 का संदर्भ लें (यथा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियां)

IV. शेयर धारिता पैटर्न:

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारित

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क) प्रमोटर	लागू नहीं				लागू नहीं				
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ		-	-			-	-		
ख) केन्द्र सरकार ^१		1,97,42,400	1,97,42,400	99.729		9,87,12,000	9,87,12,000	99.729	शून्य
ग) राज्य सरकार (सरकारें)		-	-			-	-		
घ) निकाय निगम		-	-			-	-		
ड.) बैंक / वित्तीय संस्थान		-	-			-	-		
च) कोई अन्य		-	-			-	-		
उप कुल (क) (1)		1,97,42,400	1,97,42,400	99.729		9,87,12,000	9,87,12,000	99.729	शून्य
(2) विदेशी									
क) एनआरआई - व्यक्तिगत		-	-			-	-		
ख) अन्य - व्यक्तिगत		-	-			-	-		
ग) निकाय निगम		-	-			-	-		
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान		-	-			-	-		
ड.) कोई अन्य		-	-			-	-		
उप कुल (क) (2)		-	-			-	-		
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क) (1) + (क) (2)		1,97,42,400	1,97,42,400	99.729		9,87,12,000	9,87,12,000	99.729	शून्य
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	लागू नहीं				लागू नहीं				
(1) संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड		-	-			-	-		
ख) बैंक/एफआई									
बैंक- बैंक ऑफ इंडिया		4,800	4,800	0.024		24,000	24,000	0.024	शून्य
एफआई- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड		48,800	48,800	0.247		244,000	244,000	0.247	शून्य
ग) केन्द्र सरकार		-	-			-	-		
घ) राज्य सरकार(सरकारें)		-	-			-	-		
ड.) उपक्रम पूंजी निधि		-	-			-	-		
च) बीमा कंपनियां		-	-			-	-		
छ) एफआईआई		-	-			-	-		
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां		-	-			-	-		
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट)		-	-			-	-		
उप कुल (ख) (1):		53,600	53,600	0.271		268,000	268,000	0.271	शून्य
(2) गैर संस्थागत	लागू नहीं				लागू नहीं				
क) निकाय निगम									
i) भारतीय		-	-			-	-		
ii) विदेशी		-	-			-	-		
ख) व्यक्तिगत		-	-			-	-		
i) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए तक समान्य शेयर पूंजी का धारण		-	-			-	-		

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
ii) शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक समान्य शेयर पूंजी का धारण		-	-			-	-		
ग) अन्य विनिर्दिष्ट		-	-			-	-		
उप कल (ख) (2):		-	-			-	-		
कुल जन शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)		53,600	53,600	0.271		2,68,000	2,68,000	0.271	शून्य
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	लागू नहीं				लागू नहीं				
सकल योग (क + ख + ग)	लागू नहीं	1,97,96,000	1,97,96,000	100	लागू नहीं	9,89,80,000	9,89,80,000	100	शून्य

नोट:

- कंपनी के शेयरों की डीमेटोरियालाइज नहीं किया गया है तथापि, चालू सूचीकरण प्रक्रिया के कारण शेयरों को डीमेटोरियालाइस किया जाएगा।
- प्रति 10 रुपए के 9,86,92,000 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है और प्रति 10 रुपए के 2000 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नामितिया (जो सरकारी अधिकारी हैं) के नाम पर है।

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान धारित शेयरों में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितिया*	1,97,42,400	99.729	शून्य	9,87,12,000	99.729	शून्य	शून्य
	कुल	1,97,42,400	99.729		9,87,12,000	99.729		

* 31 मार्च 2017 को भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितियों द्वारा धारिता की सूची अनुबंध छ 1 पर अनुबंधित है।

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट कर, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	1,97,42,400	99.729	9,87,12,000	99.729
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य		कंपनी के मौजूदा सदस्यों को 1:4 के अनुपात में 05-01-2017 को बोनस शेयर आवंटन	शून्य
3	वर्ष के अंत में	1,97,42,400	99.729	9,87,12,000	99.729

iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):
प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारका के लिए

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड				
क)	वर्ष के आरंभ में	48,800	0.247	244,000	0.247
ख)	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य	शून्य	कंपनी के मौजूदा सदस्यों को 1:4 के अनुपात में 05-01-2017 को बोनस शेयर आवंटन	शून्य
ग)	वर्ष के अंत में	48,800	0.247	244,000	0.247
2	बैंक ऑफ इंडिया				
क)	वर्ष के आरंभ में	4,800	0.024	24,000	0.024
ख)	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य	शून्य	कंपनी के मौजूदा सदस्यों को 1:4 के अनुपात में 05-01-2017 को बोनस शेयर आवंटन	शून्य
ग)	वर्ष के अंत में	4,800	0.024	24,000	0.024

v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिता

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु				
1	वर्ष के आरंभ में				
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):				
3	वर्ष के अंत में				
		लागू नहीं ³		लागू नहीं ³	

नोट:

1. इरकॉन के सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उसके 10 नामितिया (99.729%), भारतीय रेलवे वित्त निगम लि.(0.247%), तथा बैंक ऑफ इंडिया (0.024%) द्वारा धारित हैं।

V. ऋणग्रस्तता:

बकाया/संचित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता किन्तु भुगतान के लिए देय नहीं है:

	जमानत सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमानत	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
कुल (i + ii + iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- संवर्धन				
- आवर्धन				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
कुल (i + ii + iii)				

शून्य

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क प्रबंधन निदेश, पूर्णकालीन निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

(राशि रुपए में)

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	पूर्णकालीन निदेशकों के नाम (2015-16 वर्षभर)						कुल राशि
		एस के सिंह, सीएमडी (29.10.2016 से)	दीपक सबलोक निदेशक परियोजना (2016-17 वर्षभर)	हितेश, निदेशक कार्य (2016-17 वर्षभर)	एम के सिंह निदेशक वित्त (01.05.2016 से)	मोहन तिवारी, सीएमडी (30.09.2016 तक)	के के गर्ग निदेशक वित्त (30.04.2016 तक)	
1	सकल वेतन							
क)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	1,143,916	2,803,151	2,758,408	2,329,871	2,488,414	249,007	11,772,767
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	163,117	605,985	565,565	180,525	739,651	453,921	2,708,764
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन क एवेज में लाभ	-	-	-	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-
4	कमिशन	-	-	-	-	-	-	-
5	अन्य, उल्लेख करें							
	- कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्तसाहन	-	582,803	573,608	-	1,236,225	590,729	2,983,365
	- सेवानिवृत्ति लाभ	193,150	279,237	274,818	232,402	155,052	39,001	1,173,660
	कुल	1,500,183	4,271,176	4,172,399	2,742,798	4,619,342	1,332,658	18,638,556
	कुल(क)		कुल(क)					18,638,556
	अधिनियम के अनुसार सीमा - लागू नहीं ⁴							

ख अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

(राशि रुपए में)

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
		अवनीश माटा (08-04-2016 से)	वसुधा के कामत (22-04-2016 से)	संजय कुमार सिंह (05-04-2016 से)		
1	स्वतंत्र निदेशक					
	क) बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क	2,64,000	2,28,000		2,28,000	7,20,000
	ख) कमिशन					
	ग) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)					
	कुल (ख1)	2,64,000	2,28,000		2,28,000	7,20,000
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक	राजीव चौधरी (17-11-2016 से)	एस सी जैन (03-01-2017 से)	अंजुम परवेज (09-12-2016 से)	एच के काला (30-06-2016 से)	शून्य
	क) बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) आयोग					
	ग) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)					
	कुल (ख2)				कुल (ख=ख1 + ख2)	0
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक [क + ख]					7,20,000
	अधिनियम के अनुसार सीमा - लागू नहीं 4					

ग एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से इतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक:

(आंकड़े रुपए में.)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			सीएफओ*
		सीईओ*	सुनीता शर्मा कंपनी सचिव (संपूर्ण 2015-16 में)	सीएफओ*	
1	सकल वेतन				
	क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		1,208,124		1,208,124
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		40,246		40,246
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन क एवेज में लाभ		-		-
2	स्टॉक ऑप्शन			-	-
3	स्वीट इक्विटी			-	-
4	कमिशन				
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में			-	-
	- अन्य, उल्लेख करें				
5	अन्य, उल्लेख करें				
	- कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्तसाहन		49,073		49,073
	- सेवानिवृत्ति लाभ**		189,447		189,447
	कुल (ग)		1,486,890		1,486,890
	अधिनियम के अनुसार सीमा - लागू नहीं				

* सीएमडी, इरकॉन को कंपनी का सीईओ माना गया है और निदेशक वित्त, इरकॉन को कंपनी का सीएफओ घोषित किया गया है और उनका पारिश्रमिक ऊपर क्र.सं. VI (क) पर दर्शाया गया है।

नोट:

4. निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 से छूट प्राप्त है।

VII. जुर्माना /दंड/ अपराधों का आवृत्ति:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माने/दंड/संचयी शुल्क	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी/ न्यायालय]	अपील यदि कोइ हो (ब्यौरा दें)
जुर्माना			--- शून्य ---		
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना			--- शून्य ---		
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना			--- शून्य ---		
दंड					
कंपाउंडिंग					

अनुबंध-छ1

भारत के राष्ट्रपति और उनक नामितियों द्वारा शेयरधारिता की सूची (31 मार्च 2017)

कंपनी का नाम: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

क.सं	धारक का नाम	धारित शेयरा की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	98,692,000	99.709
2	श्री ए.के.मिस्तल * अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	2000	0.002
3	श्री के.बी. नन्दा* अपर सदस्य/वित्त [वित्तीय आयुक्त पद के लिए प्रभारी (रेलवे)], रेलवे बोर्ड	2000	0.002
4	श्री ए.के.मिस्तल * सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड	2000	0.002
5	श्री मोहम्मद जमशेद* सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	2000	0.002
6	ए.के. कपूर* सदस्य संकषण, रेलवे बोर्ड	2000	0.002
7	श्री हेमंत कुमार* सदस्य रोलिंग स्टॉक, रेलवे बोर्ड	2000	0.002
8	श्री प्रदीप कुमार * सदस्य स्टाफ, रेलवे बोर्ड	2000	0.002
9	श्री शहजाद शाह* अपर सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड	2000	0.002
10	श्री तरुण बेनीवाल* निदेशक (पीएसयू), रेलवे बोर्ड	2000	0.002
11	श्री ए.पी द्विवेदी* कार्यपालक निदेशक (सा.क्षे.उ. और एच.एस), रेलवे बोर्ड	2000	0.002
	कुल	9,87,12,000	99.729

* राष्ट्रपति के प्रत्येक 10 नामितियों के पास 2000 शेयर हैं, जो रेल मंत्रालय से सरकारी अधिकारी हैं।

फार्म एओसी 2

तीसरे पक्ष के प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म-लैथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

कंपनी (लेख) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133(3)(एच) के अनुसरण में

1. संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैथ आधार पर नहीं है : शून्य
2. सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैथ आधार पर नहीं है : निम्नानुसार

क्र.सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल), संयुक्त उपग्रह कंपनी	चिह्नित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य	तिथि परियोजना निष्पादन करार दिनांक 19.04.2016 अवधि: सभी चयनित परियोजनाओं के प्रचालन आरंभ तक।	इरकॉन निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान करेगा।	लागू नहीं	1.45 करोड़ रुपए अभी प्राप्त किए जाने हैं
3	झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड संयुक्त उपक्रम कंपनी	चिह्नित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य।	तिथि: परियोजना निष्पादन करार दिनांक 28-03-2016 अवधि: सभी चयनित परियोजनाओं के प्रचालन आरंभ तक।	इरकॉन निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान करेगा।	लागू नहीं	5 करोड़ रुपए
4	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) संयुक्त उद्यम कंपनी	व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, अभिकल्प तैयार करने और चिह्नित परियोजना लाइनों और साइडिंगों के निर्माण का कार्य। *	तिथि: परियोजना निष्पादन करार में अभी प्रवेश किया जाना है। अवधि : सभी चिह्नित परियोजना को आरंभ करने तक	इरकॉन को एफआर तथा डीपीआर के लिए परियोजना की लागत के प्रतिशत तथा कार्य की वास्तविक लागत जमा शिरोपरि कार्यों के प्रति संविदा संवर्धन का विशिष्ट प्रतिशत और निर्माण के लिए लाभ का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	9.78 करोड़ रुपए (यथा एनरएमडा सी से 6.5 करोड़ रुपए तथा सेल से 3.28 करोड़ रुपए
5	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) आरएलडीए की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनी	क) पालिका भवन, सेक्टर XIII आर. के.पुरम, नई दिल्ली -110066 में कार्यालय परिसरों को पट्टे पर देना।	पट्टा करार तिथि 24.02.2016 अवधि: 01.02.2016 से 11 माह	वास्तविक व्यय पर धनवापसी आधार पर व्यवस्था।	लागू नहीं	शून्य

क्र.सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
		ख) पालिका भवन, सेक्टर XIII आर. के.पुरम, नई दिल्ली -110066 में कार्यालय परिसरों का उप पट्टा।	पट्टा करार तिथि 14.02.2017 अवधि: 01.01.2017 से 11 माह	वास्तविक व्यय पर धनवापसी आधार पर व्यवस्था।	लागू नहीं	शून्य
6	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110066 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना	तिथि: 17.08.2017 का पट्टा करार अवधि: 01-04-2017 से 2 वर्ष ।	व्यवस्था वास्तविक व्यय आधार पर प्रतिपूर्ति पर है	लागू नहीं	शून्य
7	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनी	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110066 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना ।	तिथि: 17.08.2017 का पट्टा करार अवधि: 01-04-2017 से 2 वर्ष	व्यवस्था वास्तविक व्यय आधार पर प्रतिपूर्ति पर है	लागू नहीं	शून्य
8	इरकॉन देवांगेरे हवेली राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	(क) इरकॉन डीएचएचएल के लिए देवांगेरे हवेली राजमार्ग परियोजना की इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (एचपीसी) के निष्पादन के लिए प्रस्तावित, बशर्ते उसकी प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव प्राप्त हो। (ख) सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110066 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना	तिथि: ईपीसी करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं। अवधि: समापन अवधि 30 वर्ष है। पट्टा करार अभी किया जाना है	लागू नहीं क्योंकि ईपीसी संविदा प्रदान किए जाने के पश्चात करा किया जाएगा व्यवस्था वास्तविक व्यय आधार पर प्रतिपूर्ति पर है	लागू नहीं लागू नहीं	शून्य शून्य
9	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	ईपीसी करार के चार परिशिष्टों का निष्पादन (ये परिशिष्ट मूल ईपीसी करार के भाग का निर्माण करेंगे)	ईपीसी करार तिथि: 18.01.2014 अवधि: ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारा सूचित नियुक्ति तिथि या इरकॉन पीबीटीएल द्वारा भूमि सौंपे जाने से 30 महीने हैं।	646 करोड़ रुपए की परियोजना की मूल कुल लागत को बनाए रखते हुए संशोधित भुगतान अनुसूची के निगमन हेतु	लागू नहीं	शून्य

क्र.सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
10	इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	ईपीसी करार के दो परिशिष्टों का निष्पादन (ये परिशिष्ट मूल ईपीसी करार के भाग का निर्माण करेंगे)	ईपीसी करार तिथि: 30.11.2015 अवधि: ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारा सूचित नियुक्ति तिथि या इरकॉन एसजीटीएल द्वारा भूमि सौंपे जाने से 30 महीने हैं।	646 करोड़ रुपए की परियोजना की मूल कुल लागत को बनाए रखते हुए संशोधित भुगतान अनुसूची के निगमन हेतु	लागू नहीं	शून्य

* इरकॉन परियोजनाओं के लिए डीपीआर हेतु व्यवहार्यता अध्ययन तथा इसे तैयार करेगा जिसकी परियोजना लागत क्रमशः 1 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत होगी। व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर के लिए सभी व्यय, जैसे परामर्श तथा विविध व्यय जैसे विज्ञापन आदि, जिन्हें इरकॉन द्वारा किया जा रहा है, विशिष्ट प्रभारों के अंतर्गत होंगे।

नोट:

- उपर्युक्त संव्यवहारों के आंतरिक, संबंधित पक्षों के साथ किए गए अन्य संव्यवहार निम्नानुसार हैं:
 - कंपनी ने अपने कर्मचारियों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (यथा इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल), संयुक्त उद्यम कंपनियों (यथा एमसीआरएल, जेसीआरएल, सीईआरएल तथा सीईडब्ल्यूआरएल में तैनात किया है। कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति वास्तविक लागत (सीटीसी) आधार पर है।
 - सहायक कंपनियों (यथा इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन एसजीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनियों (यथा एमसीआरएल, जेसीआरएल, सीईआरएल तथा सीईडब्ल्यूआरएल तथा आईएसटीपील की ओर से किए गए विविध व्यय जैसे विज्ञापन व्यय आदि की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाती है।
 - इरकॉन की नीति के अनुसार ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाली वेतन लाभों (जैसे पीएफ, जीआईएस, सोसाइटी कटौती, संबंधित वेतन आदि) तथा अन्य विविध भुगतान जो यात्रा/टिकट लागत आदि के रूप में हैं की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाएगी।
- उपर्युक्त सभी संव्यवहारों को इरकॉन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है।
- संयुक्त उपक्रम कंपनियों की शेरधारिता का ब्यौरा निदेशक रिपोर्ट के परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-

(एस के चौधरी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन : 00515672)

दिनांक: 21 सितंबर 2017

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध (स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में टिप्पणियों का उत्तर)

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(विषय पर बल के अंतर्गत):

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
5 (i) क	यह अनुमान लगाते हुए कि खंड 80आईए के अंतर्गत कटौती से कोई लाभ नहीं होगा, इरकॉन द्वारा पूर्ण कर को लेखांकित किया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि इरकॉन ने आईटीएटी में अपील पर सफलता प्राप्त की है जिसके अंतर्गत वर्ष 2000-01 के लिए खंड 80 आईए का लाभ प्रदान किया गया है। समान अनुरोधों के आधार पर, आयकर विभाग ने वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए भी 80 आईए का लाभ प्रदान किया है। इरकॉन को विश्वास है कि अन्य वर्षों के लिए भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त होगी। इस स्थिति को स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं.33 में स्पष्ट किया गया है।
5 (i) ख	पूर्ण कर का भुगतान किया गया है क्योंकि यह विचार किया गया कि कर प्राधिकारियों द्वारा इरकॉन के मत पर सहमति व्यक्त न की जाएगी। इरकॉन के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई हैं। इस स्थिति का वर्णन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 33 में किया गया है।
5 (ii)	इस स्थिति का वर्णन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 50 में किया गया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ख: (वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्गत):

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
(क)	ईआरपी प्रणाली को सभी वित्तीय संव्यवहारों के साथ अद्यतन किया गया है और सेप से सृजित इरकॉन के वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के साथ समायोजित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इरकॉन के पास समानान्तर प्रणाली थी ताकि ऐस में प्रस्तुत वित्तीय संव्यवहारों की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2017-18 से सभी संव्यवहारों को सेप प्रणाली में आरंभिक रूप से शामिल किया जाएगा और फॉक्सप्रो, टैली आदि जैसी प्रणालियों को बंद कर दिया जाएगा।
(ख)	इरकॉन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
(ग)	दरसूची रिकार्डों को सेप में प्रस्तुत करने पर विचार किया जा रहा है और प्रबंधक द्वारा सही समय पर ऐसा किया जाएगा।
1.	इस स्थिति का वर्णन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 51 में किया गया है।
2.	ग्राहकों द्वारा प्रभावित किए जाने वाली कमियों के लिए निकट मॉनीटरिंग और उचित रिकार्ड अनुरक्षण की प्रणाली को स्थापित किया जाएगा।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-

(एस के चौधरी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन 00515672)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक :21 सितंबर 2017

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध
(समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में टिप्पणियों का उत्तर)

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(विषय पर बल के अंतर्गत):

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
(i) क	यह अनुमान लगाते हुए कि खंड 80आईए के अंतर्गत कटौती से कोई लाभ नहीं होगा, इरकॉन द्वारा पूर्ण कर को लेखांकित किया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि इरकॉन ने आईटीएटी में अपील पर सफलता प्राप्त की है जिसके अंतर्गत वर्ष 2000-01 के लिए खंड 80 आईए का लाभ प्रदान किया गया है। समान अनुरोधों के आधार पर, आयकर विभाग ने वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए भी 80 आईए का लाभ प्रदान किया है। इरकॉन को विश्वास है कि अन्य वर्षों के लिए भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त होगी। इस स्थिति को स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं.33 में स्पष्ट किया गया है।
(i) ख	पूर्ण कर का भुगतान किया गया है क्योंकि यह विचार किया गया कि कर प्राधिकारियों द्वारा इरकॉन के मत पर सहमति व्यक्त न की जाएगी। इरकॉन के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई हैं। इस स्थिति का वर्णन समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 33 में किया गया है।
(ii)	इस स्थिति का वर्णन समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 50 में किया गया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध क:
(वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्गत):

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
(क)	ईआरपी प्रणाली को सभी वित्तीय संव्यवहारों के साथ अद्यतन किया गया है और सेप से सृजित इरकॉन के वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के साथ समायोजित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इरकॉन के पास समानान्तर प्रणाली थी ताकि ऐस में प्रस्तुत वित्तीय संव्यवहारों की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2017-18 से सभी संव्यवहारों को सेप प्रणाली में आरंभिक रूप से शामिल किया जाएगा और फॉक्सप्रो, टैली आदि जैसी प्रणालियों को बंद कर दिया जाएगा।
(ख)	इरकॉन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
(ग)	दरसूची रिकार्डों को सेप में प्रस्तुत करने पर विचार किया जा रहा है और प्रबंधक द्वारा सही समय पर ऐसा किया जाएगा।
1.	इस स्थिति का वर्णन समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 53 में किया गया है।
2.	ग्राहकों द्वारा प्रभावित किए जाने वाली कमियों के लिए निकट मॉनीटरिंग और उचित रिकार्ड अनुरक्षण की प्रणाली को स्थापित किया जाएगा।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-

(एस के चौधरी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन 00515672)

दिनांक : 21 सितंबर 2017 और 28 सितंबर 2017

स्थान: नई दिल्ली

पुरस्कार और प्रमाणपत्र

संस्थागत प्राधिकरण हेतु	पुरस्कार की प्रकृति	वर्ष
वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, लोक उपक्रम विभाग	i) राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार *(भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त)	1983, 1984, 1991 और 1993*
	ii) अग्रणी अंतरराष्ट्रीय रेल तथा सड़क निर्माण कंपनी के रूप में कार्यनिष्पादन में "उत्कृष्टता पुरस्कार"	1988
ईईपीसी इंडिया जिसे पहले इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी)के नाम से जाना जाता था (कंपनी के अस्तित्व में आने से अब तक 26 पुरस्कार)	i) निर्यात उत्कृष्टता के लिए अखिल भारतीय शीर्ष निर्यातक शील्ड	1986 से 1993, 1995 और 1996
	ii) क्षेत्रीय शीर्ष निर्यातक शील्ड - सिविल इंजीनियरिंग संविदाकार	1994, 1997
	iii) निर्यात के क्षेत्र में अखिल भारतीय विशेष शील्ड	1997
	iv) अधिकतम निर्यात के लिए अखिल भारतीय ट्राफी (टर्नकी औद्योगिक परियोजना निर्यातक गैर-एसएसआई)	1998
	v) "मर्चेट निर्यातकों" की श्रेणी में शीर्ष निर्यातकों हेतु अखिल भारतीय ट्राफी	1999 से 2002, 2004 और 2007
	vi) परियोजना निर्यातों के क्षेत्र में बड़े उपक्रम के रूप में स्टार निष्पादक के लिए अखिल भारतीय शील्ड	2005
	vii) मध्यम उपक्रमों के रूप में शीर्ष निर्यातकों हेतु रजत ट्राफी	2006
	viii) "मर्चेट निर्यातकों" के रूप में शीर्ष निर्यातकों की श्रेणी में स्वर्ण ट्राफी	2008
	ix) अखिल भारतीय निर्यात पुरस्कार	2009
	x) 2010-11 तथा 2011-12 के लिए शीर्ष मर्चेट निर्यातक की श्रेणी में रजन ट्राफी	2011 और 2013
	xi) 2012-13 के लिए शीर्ष मर्चेट निर्यातक की श्रेणी में उत्कृष्ट निर्यातक के लिए रजन ट्राफी	2014
भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी) (पूर्व में भारतीय ओवरसीज निर्माण परिषद-ओसीसीआई) (कंपनी के अस्तित्व में आने से अब तक 45 पुरस्कार)	i) अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन व उसे भारत में प्रत्यर्पण	1985, 1989 से 1993, 1995, 1997, 2000 से 2004
	ii) अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन व उसे भारत में प्रत्यर्पण के लिए दूसरा सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन	1994, 2001, 2003 और 2005 से 2007
	iii) विदेशी निर्माण परियोजनाओं में अधिकतम टर्नओवर	1985 से 1989, 1992 से 1994, 1996, 1999, 2001 और 2002
	iv) विदेशी निर्माण परियोजनाओं में अधिकतम टर्नओवर में दूसरा सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन	1990, 1991, 1995 और 2000
	v) निर्माण संविदाओं में नए क्षेत्रों में अर्जित अधिकतम विदेशी कार्य	1995, 1996, 2000 और 2001
	vi) अधिकतम विदेशी व्यापार प्रयास	1995 से 1998, 2002 और 2004
कंस्ट्रक्शन वर्ड	भारत में सर्वाधिक प्रशंसनीय निर्माण कंपनी	2009
इस्सार स्टील और ई-18 तथा टीवी-18	रेल श्रेणी में अवसंरचना उत्कृष्टता पुरस्कार	2009

दैनिक भास्कर और दैनिक न्यूस एंड एनेलाइसिस (डीएनए) द्वारा "इंडिया प्राइड अवार्ड"	i)	परिवहन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए रजत ट्राफी	2010
	ii)	अवसंरचना विकास में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण ट्राफी	2011
	iii)	भारत की छवि संवर्धन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता	2013
	iv)	अवसंरचना विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम-केन्द्रीय में उत्कृष्टता	2015
	v)	उत्कृष्ट सीएसआर/पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण	2016
निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी)	i)	निम्नलिखित श्रेणियों में सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार: 1000 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली सर्वोत्तम व्यावसायिक कंपनी	2012, 2014 और 2015
	ii)	सर्वोत्तम निर्माण परियोजना : क. पीर पंजाल रेल सुरंग, जम्मू और कश्मीर हेतु ख. पटना में गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल का निर्माण ग. आधुनिक कोच फैक्ट्री राय बरेली	2014 2016 2017
इन एंड ब्रॉडस्ट्रीट	i)	भारत का शीर्ष पीएसयू पुरस्कार : क. इंजीनियरिंग और निर्माण ख. संविदा और निर्माण क्षेत्र ग. कुल आय के अनुसार 93वां स्थान प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र	2012 2015 2016
	ii)	निर्माण - अवसंरचना विकास की मध्यम श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष अवसंरचना कंपनी के लिए रजत ट्राफी	2013
	iii)	जम्मू और कश्मीर रेल संपर्क के लिए काजीगुंड-बेनिहाल खंड के लिए 'रेलवे' श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ परियोजना	2013
	iv)	निर्माण और अवसंरचना विकास (रेलवे) की श्रेणी में इन्फ्रा पुरस्कार।	2014 और 2015
	v)	पटना में गंगा नदी के उपर रेल सह सड़क पुल के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना पुरस्कार	2015
	vi)	रायबरेली, लालगंज (उ.प्र) चरण-1 परियोजना में रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना हेतु सर्वोत्तम अवसंरचना परियोजना	2016
	वर्ष 2012-13 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं प्रतिक्रियात्मकता।		
स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार			2014
भारतीय लागत लेखांकन संस्थान (आईसीएआई)		लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता - सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (बड़ा)	2014
गवर्नेन्स नाव		एचआर पहल की श्रेणी में चौथा पीएसयू पुरस्कार (मिनीरत्न-1)	2016

वित्तीय विशेषताएं (स्टैंड-एलोन)

क्र.सं.	विवरण	रुपए करोड़ में														
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08					
1	प्रचालनिक आय	2,995	2,418	2,950	4,067	4,232	3,601	3,182	3,153	2,654	1,968					
2	घटा: एकीकृत संयुक्त उपक्रमों में टर्नओवर में कंपनी का शेयर			89	(9)	(13)	(23)	(7)	(13)	(27)	(65)					
3	जमा: एकीकृत संयुक्त उपक्रम में लाभ/(हानि) में कंपनी का शेयर			2	(1)	1	2	7	2	7	(7)					
4	निवली प्रचालन आय	2,995	2,418	2,864	4,057	4,220	3,580	3,182	3,142	2,634	1,896					
5	अन्य आय	259	442	258	250	251	181	72	64	85	81					
6	कुल आय	3,254	2,860	3,122	4,307	4,471	3,761	3,254	3,206	2,719	1,977					
7	व्यय (स्टॉक में वृद्धि/कमी सहित)	2,766	2,222	2,267	3,024	3,412	3,102	2,816	2,901	2,487	1,776					
8	प्रचालन मार्जिन (पीबीडीआईटी)	488	638	854	1,283	1,059	659	438	305	232	201					
9	ब्याज व्यय	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	मूल्यहास	18	28	10	34	44	57	37	41	44	41					
11	आपवादिक मदें	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	कर पूर्व लाभ	532	602	844	1,249	1,015	602	401	264	188	160					
13	कर पश्चात लाभ	369	395	579	907	730	470	241	182	140	114					
14	वर्ष के लिए लाभ/हानि	192	168	182	182	148	94	49	37	30	30					
15	सामान्य आरक्षित निधियां	3,334	3,334	3,334	2,971	2,277	1,733	1,372	1,181	1,012	903					
16	प्रतिधारित आमदनियां	390	318													
17	अन्य वृहत आय	5	(5)													
18	विदेशी परियोजना आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	3	28	30					
19	अन्य आरक्षित निधियां	-	-	-	2	3	-	-	5	25	6					
20	कुल आरक्षित निधियां व अतिरिक्त	3,729	3,647	3,334	2,973	2,280	1,733	1,372	1,189	1,065	939					
21	शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां	138	149	163	170	180	196	244	236	260	279					
22	दरसूचियां	139	141	114	119	125	135	165	373	430	159					
23	विदेशी विनिमय अर्जन (निवल)	24	59	418	1,042	822	444	428	264	96	37					
24	शेयर पूंजी	98,980	19,796	19,796	19,796	19,796	9,898	9,898	9,898	9,898	9,898					
25	लगाई गई पूंजी	3,828	3,667	3,354	2,993	2,300	1,743	1,382	1,205	1,078	951					
26	सरकारी निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
27	निवल परिसंपत्तियां	3,828	3,667	3,354	2,993	2,300	1,743	1,382	1,199	1,075	949					
28	प्रयुक्त पूंजी पर कर पूर्व लाभ(%)	14	16	25	42	44	35	29	22	17	17					
29	प्रयुक्त पूंजी पर प्रचालनिक मार्जिन (%)	13	17	26	43	46	38	32	25	22	21					
30	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%)	373	1,995	2,924	4,578	3,687	4,747	2,429	1,841	1,416	1,150					
31	आय पर व्यय (%)	85	78	73	70	76	82	87	90	91	90					
32	कर्मचारियों की संख्या	1,496	1,499	1,472	1,579	1,704	1,703	1,678	1,751	1,964	1,978					
33	प्रति कर्मचारी आय	2.18	1.91	2.12	2.73	2.62	2.21	1.94	1.83	1.39	1.00					
34	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय अर्जन	0.02	0.04	0.28	0.66	0.48	0.26	0.25	0.15	0.05	0.02					
35	चालू अनुपात	2.02	1.99	1.72	1.81	1.61	1.47	1.53	1.31	1.24	1.21					
36	ऋण/इक्विटी अनुपात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
37	निवेश	1,223	743	737	494	295	208	185	130	234	246					

नोट

*वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2015-16 के लिए वित्तीय विल्ली विशेषताएं इंड एस के अनुसार हैं।

**28 से 31 प्रतिशत में हैं।

***32, 35 और 36 रूपए में नहीं हैं।

इएफ्कोन
स्टैंडालोन
वित्तीय विवरण

2 0 1 6 - 1 7



इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 को तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं, जिसमें उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, अल्जीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान, पटना और मुंबई क्षेत्र में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखारीक्षित उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्नों को शामिल किया गया है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (लेखा) अधिनियम के अनुच्छेद-133 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की कार्यविधि (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रही थीं और स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए

संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करता है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या स्टैंडएलोन इंडो एस वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और स्टैंडएलोन इंडो एस वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा तथा नीचे प्रस्तुत अन्य विषय पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों की दृष्टि से अन्य लेखापरीक्षकों से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और नीचे उल्लिखित अनुसार सहायक कंपनियों के उपर्युक्त स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2017 को (कंपनी के कार्यकलापों) वित्तीय स्थिति, और इसके लाभ (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन) और इसके रोकड़ प्रवाह को दर्शाता है।

5. विषय पर बल

i) हम इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट 33 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 80-आईए के अंतर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किए गए हैं। तथापि, आईटीएटी ने वित्तीय वर्ष 2000-01 की लंबित अपील का निपटान किया है जिसमें 80आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है और तत्पश्चात सीआईटी (ए) ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए कटौती की अनुमति प्रदान की है। अन्य आकलन वर्षों के मामलों को कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है।

ख. कंपनी ने भारत के साथ दोहरे कर निवारण करारों (डीटीएए) वाले देशों में अपने स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को अलग करने के पश्चात भारत में कर के लिए वैश्विक कर प्रस्तुत कर रही है। तदनुसार, कंपनी ने तत्पश्चात करों का भुगतान किया है, तथापि इस मुद्दे को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

ii) कार्यनिष्पादन के लंबित मूल्यांकन के लिए तीन देशों में

परियोजनाओं के संबंध में विदेशी एजेंसी कमिशन/परामर्श प्रभागों के प्रति 3.80 करोड़ रुपए के गैर प्रावधान के संबंध में स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट सं.50 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विषय पर बल के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

6. अन्य मददे

(i) हमने कंपनी के स्टैंडएलोन इंडो एस वित्तीय विवरणों में शामिल नौ शाखाओं के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2017 को 5676.83 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों को प्रदर्शित करता है तथा स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 2889.57 करोड़ रुपए है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रुप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ii) 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय सूचना और इन स्टैंडएलोन इंडो एस वित्तीय विवरणों में शामिल पूर्व में जारी 1 अप्रैल 2015 को अंतरण तिथि अधिशेष, कंपनी (लेखांकन मानक) नियम 2006 के अनुसार तैयार सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं जिनकी लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी इन स्टैंडएलोन इंडो एस वित्तीय विवरणों पर क्रमशः 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2015, 2 सितंबर 2016 तथा 13 अक्टूबर 2015 को समाप्त वर्ष के लिए गैर आशोधित विचार तथा अर्हत विचार प्रस्तुत किए हैं। इंड एस के अंतरण पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों में अंतर के लिए इन वित्तीय विवरणों के समायोजनों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है।

(iii) वित्तीय विवरणों में गैरनिगमित संयुक्त उपक्रम (जेवी) लेखों में लाभ/हानि में कंपनी का भाग शामिल है, जिसमें से चार संयुक्त उपक्रम खातों को अन्य सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा प्रमाणित किया गया है और एक संयुक्त उपक्रम (इरकॉन-

एसपीएससीपीएल) को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

7. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

I. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम **संलग्नक-क** के रूप में दे रहे हैं।

II. कंपनी अधिनियम के खंड 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहायों से मेल खाते हैं।

(ड.) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 अनुसार अधिनियम की धारा 164(2)के प्रावधानों के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संबंध में अनुबंध-ख में हमारी पृथक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

(छ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है -स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरण के नोट सं. 30 का संदर्भ लें।

(ii) कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है- स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 16.3 में अपरिहार्य घाटों का संदर्भ लें। कंपनी में कोई डेरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

(iv) कंपनी ने 8 नवंबर 2016 से 30 सितंबर 2016 तक की अवधि के दौरान वित्त मंत्रालय के दिनांक 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना एस.ओ. 3407(ई) में परिभाषित अनुसार विशिष्ट बैंक नोटों को धारित करने और उसमें संव्यवहार करने के लिए अपनी इंड एस वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटनों के लिए प्रावधान किया है। निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर हम उल्लेख करते हैं कि प्रकटन समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु समूह द्वारा अनुरक्षित संगत लेखा बहियों के अनुरूप है। (समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट 49 का संदर्भ लें)।

(3) अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) के अनुसार तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते

हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजडीड के लिए क्लियर टाइटल/लीज डीड हैं? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजडीड के उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनके लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	जी हां। कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजडीड के लिए क्रमशः क्लियर टाइटल/लीज डीड विद्यमान है, केवल मुंबई क्षेत्र को छोड़कर यथा पाली हिल मुंबई में 30 वर्षों के लिए रेल भूमि पर पट्टे वाली भूमि, जिसके लिए करार को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने को कोई मामला है। इसका कारण और इसमें शामिल राशि का उल्लेख करें।	(क) कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान अशोध्य ऋणों के लिए 0.60 करोड़ रुपए, अग्रिमों के लिए 1.99 करोड़ रुपए तथा पुरानी परिसंपत्तियों के 0.11 करोड़ रुपए को बट्टे खाते डाला है। (ख) जैसा कि पटना क्षेत्र की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, प्रबंधन ने विभिन्न एजेंसियों से पर्यवेक्षण प्रभारों, तरलता प्रभारों तथा अन्य प्रभारों के रूप में 7.15 करोड़ रुपए वसूल किए गए/वसूलीयोग देय राशियों को प्राप्त किया है तथा यह मान कर अनुमोदन प्रदान किया गया है कि इसे संविदाओं में शामिल किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप उस स्तर तक अप्राधिकृत ऋण भुगतान हुआ है जिसे श्रेणिकृत नहीं किया गया है। इसका ब्यौरा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 4 के भाग 'क' में उपर प्रस्तुत किया गया है। तथापि, 7.15 करोड़ रुपए की उपर उल्लिखित राशि वेवर/बट्टा खाता प्रकृति की नहीं है क्योंकि इसे कंपनी द्वारा बहियों में लेखांकित नहीं किया गया है।
3.	क्या पक्षों के पास उपलब्ध इंवेटरीज तथा सरकार और अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपकार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है?	जी हां। तीसरे पक्ष के पास पड़ी दरसूचियों के लिए उचित रिकार्ड रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सरकारी या अन्य प्राधिकारियों से कोई उपहार/अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन - 006591एन

(अनुज सोमानी)

साझोदार

सदस्यता सं. 511267

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 21-09- 2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "क"।

- i) (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है। मुंबई क्षेत्र में, कतिपय परिसंपत्तियों पर टैगिंग/नंबरिंग की जानी है और तीसरे पक्षों के साथ परिसंपत्तियों के संबंध में तीसरे पक्षों से पुष्टि की जाने की आवश्यकता है।
- (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।
- (ग) कंपनी की बहियों में रिकार्ड की गई अचल संपत्तियों के टाइटल डीडों को कंपनी के नाम पर रखा गया है, केवल मुंबई क्षेत्र में पाली हिल में एक पट्टे वाले भवन को छोड़कर, जिसके लिए दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
- (ii) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रूप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है। बही रिकार्डों के भौतिक सत्यापन परिणामों की तुलना के दौरान पाई गई विसंगतियां तथ्यात्मक नहीं हैं और लेखा बहियों में इनकी उचित व्यवस्था कर दी गई है।
- (iii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।
- (iv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है।
- (v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमा राशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों और कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 73 से 76 तक के प्रावधानों और किसी अन्य संगत प्रावधान तथा इनके अंतर्गत निर्मित नियम लागू नहीं हैं।
- (vi) कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। तथापि, हमने ना ही ऐसे लेखों और रिकार्डों की किसी विस्तृत जांच को करने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही हमने ऐसा किया है।
- (vii)क. कंपनी द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय की राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रूप से जमा कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इसके देय होने की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए 31-03-2017 को कोई बकाया देय राशि नहीं है।
- ख. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, सेवाकर, प्रवेश कर, व्यापार कर, आयकर सीमाशुल्क, रायल्टी, भविष्य निधि, संपदाकर तथा उपकर के संबंध में ऐसी कोई देय राशियों नहीं हैं जिन्हें 31-03-2017 को विवादों के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा न कराया गया हो:

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	आईए- हैंगर, बम्बई में निष्पादित कार्य के लिए लगाया गया सीमा शुल्क	5.81	1989-90	उपायुक्त (सीमाशुल्क), मुम्बई
आयकर अधिनियम, 1961 बिक्री कर	धारा 80-आईए में कटौती के लिए गैर-अनुमत, विदेशी आय और अन्य भत्तों पर कर	127.77	2011-1 से 2012-132	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
बिक्री कर	बिक्री कर 1995-96 और 1996-97-एमआरओ	3.51	1995-96 से 1996-97	बम्बई उच्च न्यायालय
बिक्री कर	बिक्री कर 2011-12 -एमआरओ	1.32	2011-12	बिक्री कर कार्यालय, मुंबई
करणाटक वेट	कर की दर तथा उस पर लगे ब्याज में अंतर	0.50	2009-10	उपायुक्त (अपील), त्रिवेन्द्रम
बिक्री कर	बिक्री कर -एजीआरपी	2.28	2007-08 से 2012-13	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
बिक्री कर	प्रवेश कर- एजीआरपी	0.027	2008-09 से 2012-13	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर -यूपी01	0.40	2004-05 से 2007-08	आकलन प्राधिकारी
बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर -यूपी01	1.36	2007-08 (1-01-2008 से 31-03-2008)	आकलन प्राधिकारी
बिक्री कर	उ.प्र.वेट अधिनियम -यूपी01 (प्रवेश कर)	0.15	2008-09	अपील प्राधिकारी
बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर -यूपी01	0.09	2009-10	अपर आयुक्त अपील
बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर -यूपी01 (प्रवेश कर)	0.005	2009-10	अपील प्राधिकारी
बिक्री कर	उ.प्र. वेट अधिनियम -यूपी01	0.011	2010-11	उपायुक्त
बिक्री कर	बिक्री कर -बीई-08	1.17	2008-09 से 2009-10	अपर आयुक्त अपील, नोएडा
बिक्री कर	बिक्री कर -बीई-08 प्रवेश कर	0.004	2008-09	अपर आयुक्त अपील, नोएडा
बिक्री कर	यूपीटीटी-यूपी-05	0.01	2005-06	उच्च न्यायालय इलाहाबाद
बिक्री कर	यूपीटीटी-यूपी -05	1.31	2006-07 से 2007-08 (9 महीने)	अधिकरण झांसी शाखा
बिक्री कर	यूपी वेट-यूपी-05	3.28	2007-08 से 2009-10	अधिकरण झांसी शाखा
बिक्री कर	यूपी वेट-यूपी -05	0.42	2011-12	प्रथम अपील
बिक्री कर	यूपी व्यापार कर -यूपी -04	0.06	2003-04 से 2004-05	अधिकरण

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
बिक्री कर	बिक्री कर 2003-04 से 2005-06-गोधरा	1.35	2003-04 से 2005-06	उपायुक्त बिक्री कर प्राधिकरण, वडोदरा
बिक्री कर	बिक्री कर 2010-11-जीईडी	0.05	2010-11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मार्गो
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए उत्पन्न मांग	0.08	1982-83 और 1989-90	अपील प्राधिकारी, झांसी
वेट बिक्री कर / वेट अधिनियम	बिक्री कर	0.99	2002-03	आयुक्त बिक्री कर, ओडीशा
राज्य बिक्री कर / वेट अधिनियम	बिक्री कर	0.28	1998-1999	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील) बिक्री कर, पश्चिम बंगाल
राज्य बिक्री कर / वेट अधिनियम	वेट	0.71	2004-05	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, कॉलेज सेंट चार्ज कोलकाता
राज्य बिक्री कर / वेट अधिनियम	बिक्री कर	1.75	1987-88 और 1994-95	बिहार बिक्री कर अधिकरण - कहलगांव
राज्य बिक्री कर / वेट अधिनियम	वेट	0.31	2009-10	उपायुक्त बिक्री कर पश्चिम बंगाल कॉलेज स्ट्रीट प्रभार
राज्य बिक्री कर / वेट अधिनियम	वेट	0.82	2005-06 से 2006-07	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक, कर अपील एवं रिविजनल बोर्ड
जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	19.33	1999-00 से 2010-11	जम्मू और कश्मीर न्यायालय, जम्मू तथा उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील) श्रीनगर
सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	12.91	2010-11 से 2014-15	सीईएसटीएटी
वेट	वेट टीडीएस	5.93	2005-06 और 2006-07	बिक्री कर विभाग पश्चिम सर्किल पटना
वित्तीय अधिनियम, 1994	बिक्री कर	19.95	2001-02 से 2006-07	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
यूपी वेट अधिनियम, 2008	वेट	1.19	2010-11	अपर आयुक्त, बिक्री कर, लखनऊ
यूपी वेट अधिनियम, 2008	वेट टीडीएस	60.17	2011-12 से 2013-14	अपर आयुक्त, बिक्री कर, लखनऊ
सीमाशुल्क अधिनियम, 1944	ब्रेकेट/केटिलीवर एसेंबली पर सीमाशुल्क	0.66	1998-99	सीईएसटीएटी, (अपील विभाग)

- viii. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार को देय ऋणों या उधारों या डिबैंचरधारकों को देय किसी राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (viii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान ना तो कोई पब्लिक ऑफर (ऋण व्यवस्थाओं सहित) किए है और ना ही कोई दीर्घकालीन ऋण ही लिया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (ix) लागू नहीं होता है।
- x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर या उसके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी की सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
- xi. दिनांक 5 जून 2015 की सरकारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के दृष्टिगत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार इस आदेश का खंड 3 (xi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xii. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार इस आदेश का खंड 3 (xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xiii. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 तथा 188 के अनुपालन में है।

इसके अतिरिक्त, लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

- xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों का पूर्ण या आंशिक रूप से निजी प्लेसमेंट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया है।
- xv. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 192 के प्रावधानों के भीतर निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर-रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है।
- xvi. कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत पंजीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरन - 006591एन

(अनुज सोमानी)

साझोदार

सदस्यता सं.511267

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21-09- 20 17

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ख।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2017 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (दिशानिर्देश नोट) के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक

प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार, 31 मार्च 2017 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं:

- (i) कंपनी के पास एकीकृत ईआरपी प्रणाली है, जिसका प्रयोग पूर्ण क्षमता के साथ नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय विवरणों को तैयार कराने के लिए साफ्टवेयर लिंक तथा मेनुअल हस्तक्षेप के माध्यम से कंपनी द्वारा विभिन्न साफ्टवेयर पैकेजों जैसे टेली तथा फॉक्स प्रो का प्रयोग किया गया था। जिसके कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण कमजोर हो गया।
- (ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समयसीमा का अनुपालन नहीं किया गया था और भारतीय क्षेत्र/विदेशी शाखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा में विलंबित रिपोर्टिंग देखी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा का तंत्र सुदृढ़ नहीं है।
- (iii) कुछ इकाइयों में दरसूची रिकार्ड मानवीय रूप से रखे जाते हैं और सेप में इवेंटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अतिरेक/अप्रचलित/विखंडित परिसंपत्तियों और सामग्री/भंडारणों के निरंतर चिह्नन की प्रणाली उपयुक्त नहीं है और उसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

सामग्रीगत खामी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकेगा।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2017 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण मुद्दा

1. पटना क्षेत्र में एक संविदा के संबंध में आवधिक दर पर वापस न किए गए इस्पात पर पर्यवेक्षण प्रभारों तथा परिशोधन क्षति, संवर्धन दावों तथा अन्य प्रभारों के संबंध में वित्तीय विवरण के संबंध में नोट सं. 51 में ध्यान आकर्षित किया गया है।
2. उत्तरी क्षेत्र में ग्राहक द्वारा बिलों में कमी करने और परियोजना द्वारा इसके पूर्ण कारणों/औचित्यों को नोट किए बिना स्वीकार करने के कुछ मामले देखे गए हैं।

अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो शाखाओं/क्षेत्र से संबंधित हैं, की पर्याप्तता और प्रचालन कुशलता पर अधिनियम के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट हमारे लेखापरीक्षकों की अनुवर्ती रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन - 006591एन

(अनुज सोमानी)

साझोदार

सदस्यता सं.511267

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21-09- 20 17

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
I. परिसंपत्तियां				
1 गैर चालू परिसंपत्तियां				
(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	137.08	146.40	165.47
(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	4	-	1.50	0.38
(ग) निवेश संपत्ति	5	307.34	278.19	270.40
(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	6	1.21	0.10	0.03
(ङ) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	6	-	1.01	1.01
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां	7			
(i) निवेश	7.1	973.15	605.28	408.09
(ii) व्यापार प्राप्य	7.2	23.12	2.54	44.71
(iii) ऋण	7.3	339.84	85.73	134.31
(iv) अन्य	7.4	77.21	84.23	4.87
(छ) आस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	8	161.05	222.31	268.55
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	403.64	249.40	248.42
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		2,423.64	1,676.69	1,546.24
2 चालू परिसंपत्तियां				
(क) दरसूचियां	10	139.34	140.61	114.43
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	11			
(i) निवेश	11.1	249.91	138.02	68.39
(ii) व्यापार प्राप्य	11.2	543.34	696.69	571.50
(iii) नकद और नकद समतुल्य	11.3	1,394.70	2,457.02	1,188.95
(iv) अन्य बैंक शेष	11.4	3,262.83	2,096.08	2,032.43
(v) ऋण	11.5	84.77	3.95	20.41
(vi) अन्य	11.6	258.09	207.44	148.47
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		1.72	18.98	12.87
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	809.28	701.31	807.05
कुल चालू परिसंपत्तियां		6,743.98	6,460.10	4,964.50
		9,167.62	8,136.79	6,510.74
II. इक्विटी और देयताएं				
1 इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	98.98	19.80	19.80
(ख) अन्य इक्विटी	14	3,729.04	3,647.21	3,502.02
कुल इक्विटी		3,828.02	3,667.01	3,521.82
2 देयताएं				
(i) गैर चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं	15			

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
(i) व्यापार प्राप्य	15.1	0.45	5.63	7.90
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15.2	129.23	110.90	80.90
(ख) प्रावधान	16	76.18	149.78	339.76
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	17	1,792.64	956.61	85.08
कुल गैर चालू देयताएं		1,998.50	1,222.92	513.64
(ii) चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं	18			
(i) व्यापार प्राप्य	18.1	363.01	405.85	447.70
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.2	546.88	508.66	525.32
(ख) अन्य चालू देयताएं	19	2,108.93	1,916.96	1,067.44
(ग) प्रावधान	16	298.45	354.14	318.40
(घ) चालू कर देयता (निवल)		23.83	61.25	116.42
कुल चालू देयताएं		3,341.10	3,246.86	2,475.28
		9,167.62	8,136.79	8,136.79
III. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2			
IV. वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	3 - 55			

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 00515672

अनुज सोमानी

साझेदार

स.सं. 511267

सुमिता शर्मा

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21.09.2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोट सं०	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
I. राजस्व : प्रचालन से राजस्व जमा :- एकीकृत संयुक्त प्रचालनों के टर्नओवर में कंपनी का भाग	20	2,904.90 89.90	2,314.59 103.92
II. अन्य आय	21	2,994.80	2,418.51
III. कुल आय (I + II)		3,254.43	2,860.09
IV. व्यय: प्रचालनिक व्यय कर्मचारी लाभ व्यय वित्तीय लागत मूल्यहास परिशोधन एवं घाटा अन्य व्यय (प्रशासनिक) एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में व्यय का आनुपातिक भाग	22 23 24 25 22	2,478.65 150.38 60.60 17.88 32.50	1,888.07 176.27 43.19 28.22 24.74
कुल व्यय (IV)		2,796.40	2,257.73
V. आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ (III - IV)		458.03	602.36
VI. आपवादिक मदें	27क	73.69	-
VII. कर पूर्व लाभ (V + VI)		531.72	602.36
VIII. कर व्यय: (1) चालू कर - वर्ष हेतु - पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल) (2) आस्थगित कर (निवल)	8	118.64 (17.21) 61.26	150.05 4.98 52.29
IX. निरंतर प्रचालन से वर्ष में लाभ (VII - VIII)		162.69	207.32
X. अन्य वृहत लाभ क. (i) लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत न की जाने वाली मदें (ii) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत न की जाने वाली मदें से संबंधित आयकर ख. (i) लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जाने वाली मदें (ii) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाने वाली मदें से संबंधित आयकर	26	4.82 (1.67) 16.16 (5.59) 13.72	1.32 (0.46) (57.46) 25.94 (30.66)
XI. वर्ष के लिए कुल वृहत आय (IX + X) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य वृहत आय)		369.03	395.04
XII. प्रति इविट्टी शेयर आय: (निरंतर प्रचालन हेतु) (1) मौलिक (2) विलयित	47	37.28 37.28	39.91 39.91
XIII. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2		
XIV. वित्तीय विवरण क भाग का निर्माण करने वाला नोट	3 - 55		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 00515672

अनुज सोमानी

साझादार

सं. 511267

सुमिता शर्मा

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21.09.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	531.72	602.36
समायोजन:		
अन्य वृहत आय की मर्दे	20.98	(56.14)
मूल्यहास, परिशोधन और क्षति	17.88	28.22
परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि	(0.32)	(0.86)
निवेश की बिक्री पर हानि	(73.69)	-
ब्याज आय	(196.71)	(231.06)
लाभांश आय	(3.37)	(5.54)
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	38.35	(134.17)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	202.81
समायोजन:		
व्यापार प्राप्यों/वित्तीय परिसंपत्तियों - ऋण में (कमी)/ वृद्धि	153.99	(149.69)
दरसूची में (कमी)/ वृद्धि	1.28	(26.18)
अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों में (कमी)/ वृद्धि	(247.95)	35.69
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/ वृद्धि	(42.84)	(41.85)
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/ वृद्धि	876.85	1,488.55
प्रचालन से सृजित नकद	(2)	1,306.51
प्रदत्त आय कर	(1+2)	1,509.32
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	(क)	1,401.78
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(12.50)	(13.09)
अमूर्त परिसंपत्ति की खरीद	(0.33)	(0.12)
निवेश परिसंपत्ति की खरीद/प्रक्रिया	(29.20)	(7.84)
परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	6.03	3.78
निवेश की बिक्री	79.23	-
म्युचुअल फंड में निवेश	(117.43)	(69.62)
सहायक कंपनी तथा जे वी को ऋण	(340.15)	(28.50)
सहायक कंपनी तथा जे वी को ऋण का पुनर्भुगतान	4.58	118.04
प्राप्त ब्याज	118.21	203.97
प्राप्त लाभांश	3.37	5.54
इविट्टी शेयरों में निवेश	(367.86)	(72.01)
बांडों में निवेश	-	(125.18)
(निवेश) / बैंक जमा राशियों की परिपक्वता (3 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि)	(1,166.75)	(63.65)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)	(48.68)
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	(221.74)	(219.20)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)	(219.20)
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	134.17
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग+घ)	1,268.07
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ड.)	1,188.95
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(च)	2,457.02
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध कमी	(च - ड.)	1,268.07

नोट:

1. रोकड़ प्रवाह विवरण इंड एस-7 (रोकड़ प्रवाह विवरण) में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दर्शाते हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 00515672

अनुज सोमानी

साझेदार

स.सं. 511267

सुमिता शर्मा

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21.09.2017

31 मार्च 2016 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी	01 अप्रैल 2015 को शेष	वर्ष के दौरान जारी शेयर	31 मार्च 2016 को शेष
	19.80	-	19.80

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि व सरप्लस		अन्य वृहत आय की मर्दे	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2015 को शेष	3,333.71	121.66	26.52	3,481.89
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		20.13		20.13
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनःआरंभ शेष	3,333.71	141.79	26.52	3,502.02
वर्ष के लिए लाभ		395.04		395.04
अन्य वृहत आय				
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		0.86		0.86
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर			(31.52)	(31.52)
वर्ष के लिए कुल वृहत आय	-	395.91	(31.52)	364.39
प्रदत्त लाभांश		(182.12)		(182.12)
लाभांश वितरण कर		(37.08)		(37.08)
31 मार्च 2016 को शेष	3,333.71	318.50	(5.00)	3,647.21

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 00515672

अनुज सोमानी

साझेदार

स.सं. 511267

सुमिता शर्मा

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21.09.2017

31 मार्च 2017 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी		31 मार्च 2016 को शेष	वर्ष के दौरान जारी शेयर	31 मार्च 2017 को शेष
		19.80	79.18	98.98

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि व सरप्लस		अन्य वृहत आय की मर्दे	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2016 को शेष	3,333.71	291.34	(5.00)	3,620.04
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		27.17		27.17
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनआरंभ शेष	3,333.71	318.50	(5.00)	3,647.21
वर्ष के लिए लाभ		369.03		369.03
अन्य वृहत आय				
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		3.15		3.15
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर			10.57	10.57
वर्ष के लिए कुल वृहत आय	-	372.19	10.57	382.75
प्रदत्त लाभांश		(184.23)		(184.23)
लाभांश वितरण कर		(37.51)		(37.51)
बोनस इश्यु		(79.18)		(79.18)
31 मार्च 2017 को शेष	3,333.71	389.76	5.56	3,729.04

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 00515672

अनुज सोमानी

साक्षेदार

स.सं. 511267

सुमिता शर्मा

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21.09.2017

1 निगमित सूचना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है जो भारत में स्थित है (यू45203डीएल1976जीओ आई008171) तथा इसका निगमित टर्नकी आधार पर तथा अन्यथा रेल परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ भारत में लागू कंपनी नियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। रेल निर्माण कंपनी के रूप में अपना व्यवसाय आरंभ करने के पश्चात, इसने सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्थेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मेट्रो रेल के क्षेत्रों में धीरे-धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया है। यह कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कार्यरत है। कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी ; अनुसूची क की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तथा एक मिनि रत्न श्रेणी-1 कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

दिनांक 21.09.2017 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार जारी किए जाने हेतु वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत किया गया है।

(2) इंड एस (एस) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

(i) तैयार करने के आधार

(क) अनुपालन विवरण

31 मार्च 2017 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के अनुसार तैयार किया गया है।

कंपनी ने 31 मार्च 2016 तक ओर को समाप्त वर्ष में शामिल सभी अवधियों के लिए, कंपनी ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (भारतीय जीएपी) के पैरा 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

यह सूचना प्राप्त करने के लिए कि कंपनी ने किस प्रकार इंड एस को स्वीकार किया है, पृथक नोट सं 29 का संदर्भ लें।

(ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत अभिसमय तथा संचित आधार पर तैयार किया गया है, केवल निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें संगत इंड एस द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है।

- निर्धारित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है।
- नीचे दिए गए पैरा (X)(घ) के अनुसार प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य आवश्यक है।

(ग) अनुमानों और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को इंड एस के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रमुख लेखांकन अनुमान:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता - वह स्तर जिस पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को स्वीकार किया जा सकता है, वह भविष्य में करयोग्य आय की संभावना के अनुमान पर आधारित है जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रावधान - प्रबंधन निर्णय, तथ्यों और विधिक पहलुओं में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को कंपनी बकाया आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। तथापि, वास्तविक भावी निष्कर्ष इस निर्णय से भिन्न हो सकता है।

राजस्व - कंपनी समापन विधि के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए राजस्व की स्वीकार करती है। इसके लिए अंतर्निहित निर्माण और सेवा संविदाओं के निष्कर्षों सहित कुल बजटीय लागत के संबंध में पूर्वानुमान किए जाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट

आदि) तथा अन्य भुगतानों पर किए जाने वाले अपेक्षित अनुमानों और निर्णयों के निर्धारण की आवश्यकता है, जिस स्तर तक वे संभावित हैं और वे विश्वसनीय रूप से मापे जाने के लिए सक्षम हों। दावों के लिए अनुमान तैयार करने के प्रयोजन से, कंपनी ने संविदागत तथा ऐतिहासिक सूचना का प्रयोग किया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कंपनी के परिसंपत्ति आधार के महत्वपूर्ण अनुमात का प्रतिनिधित्व करते हैं। आवधिक मूल्यहास के संबंध में परिवर्तन संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के अनुमान तथा उसके जीवनकाल के अंत में अवशिष्ट मूल्य के निर्धारण के पश्चात किया जाता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है, जो परिसंपत्ति के उपयोग को परिवर्तित कर सकते हैं।

प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

(घ) सभी वित्तीय सूचनाएं भारतीय रूप में प्रस्तुत की गई हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं के साथ निकटवर्ती करोड़ रूप में राउंडिड किया गया है, केवल अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर।

(ii) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर-रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

(iii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क्रियात्मक और प्रतिपादन मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस राष्ट्र की प्रधान अर्थव्यवस्था के पर्यावरण की मुद्रा का प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है, जहां कंपनी प्रचालन कर रही है (यथा

क्रियात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की प्रतिपादन और क्रियात्मक मुद्रा है।

(क) भारतीय प्रचालनों में संव्यवहार:

- सभी भारतीय मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।
- संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति, पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर-मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

(ख) विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

- सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।
- संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति, पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर-मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

विदेशी प्रचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति, जिनकी क्रियात्मक मुद्रा प्रतिपादन मुद्रा से भिन्न है, को निम्नानुसार प्रतिपादन मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।

- परिसंपत्तियां और देयताएं - रिपोर्टिंग तिथि को देयताओं के लिए समापन बिक्री दरें तथा परिसंपत्तियों के लिए समापन क्रय दर ।

- ii. आय/व्यय - वर्ष के दौरान औसत विनियम दर।
- iii. क्रियात्मक मुद्रा और प्रतिपादन मुद्रा के परिवर्तन में विनियम अंतरों को ओसीआई (अन्य वृहत आय) में स्वीकार किया जाएगा।
- iv. विदेशी प्रचालन के निपटान पर (ग्राहक से सभी प्राप्ति की वसूली पर) ओसीआई (अन्य वृहत आय) के घटकों को संबंधित विदेशी प्रचालन के लाभ या घाटे में परिवर्तित किया जाएगा।

V. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1. फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर प्रस्तुत किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यहास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।
2. मशीनरी कलपुर्ज जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यहासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।
3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुवर्ती लागत को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा, यदि:

क) यह संभावित है कि मदों से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय में प्रवाहित होंगे; और

ख) मद की लागत का परिकलन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है।

4. परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत ।

ii. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर त वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

iii. परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत

iv. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

5. प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपुर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।
6. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रूप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।
7. प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रूप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

इंड एस में पारगमन

इंड एस में पारगमन पर, कंपनी ने पिछले जीएपी के अनुसार निर्धारित 1 अप्रैल 2015 के अनुसार स्वीकृत अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्र और उपकरण की प्रतिधारण मूल्य का जारी रखने का विकल्प चुना है और इस प्रतिधारण मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की धारित मूल्य के रूप में प्रयोग किया है।

मूल्यहास

- 1) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।
- 2) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रूप से मूल्यहासित किया जात है यदि यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण मदों की चालू अवधि के लिए परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

(घ)

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन/फ्लैट आवासीय/गैर-आवासीय	60
संयंत्र और मशीनरी	8-15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर	3-6
कार्यालयी उपकरण	5
फर्नीचर और जुड़नार	10
कैरेवान, कैंप और अस्थायी शेड	3-5
वाहन	8-10

(ङ.) पट्टे वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

(च) मूल्यहास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी

(छ) वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रूप से 5000 रुपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यहासित किया जाएगा।

(v) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरूप होगा, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनीयता के साथ मापन किया जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

1) अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	आंतरिक रूप से सृजित या स्वःसृजित
साफ्टवेयर	नियत (36 महीने)	अधिग्रहित

2) परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।

3) प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णतः परिशोधित किया जाएगा।

इंड एस में परिवर्तन

इंड एस में परिवर्तन करने पर कंपनी ने पिछले जीएपी के अनुसार निर्धारित 1 अप्रैल 2015 को स्वीकृत अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रतिधारण मूल्य के साथ जारी रहने का विकल्प दिया है।

(vi) निवेश परिसंपत्तियां

1) निवेश परिसंपत्ति में निर्मित परिसंपत्ति, निर्माणाधीन परिसंपत्ति तथा वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित संपत्ति जिसे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री या उत्पादन या प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग हेतु के स्थान पर किराया अर्जन या पूंजी संवर्धन या दोनों प्रयोजनों के लिए धारित किया गया है।

2) निवेश परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्यहास तथा संचित अर्जन घाटों, यदि कोई हो, पर लेखांकित किया जाएगा।

3) कंपनी निवेश परिसंपत्तियों के भवन घटक को मूल क्रय की तिथि/निर्माण के समापन की तिथि से 60 वर्षों में मूल्यहासित करेगी।

4) निवेश संपत्तियों को या तो उनके निपटान किए जाने पर या प्रयोग से उन्हें स्थायी रूप से वापस लिए जानो पर और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना पर अस्वीकृत किया जाएगा। निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि के बीच के अंतर को अस्वीकृति की तिथि में लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(vii) सहायक कंपनियां और संयुक्त व्यवस्थाएं

1) सहायक कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनियों में निवेश को लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

2) संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था में निवेश को या तो कार्य भागीदारी व्यवस्था (संयुक्त प्रचालन) के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों या संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय (संयुक्त उद्यमों) द्वारा निष्पादित संविदाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण बीमांकक अधिकारों और प्रत्येक संयुक्त उद्यम साझेदार का दायित्व पर निर्भर करता है ना कि संयुक्त व्यवस्था की विधिक संरचना पर। कंपनी के संयुक्त उद्यम और संयुक्त प्रचालन दोनों हैं।

i) संयुक्त प्रचालन

कंपनी कंपनी अपने संयुक्त प्रचालनों की परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व तथा व्ययों के अपने प्रत्यक्ष अधिकार और संयुक्त रूप से धारित या वहन परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और व्ययों को स्वीकार करती है।

ii) संयुक्त उद्यम

निवेशों पर आय को तक स्वीकार किया जाता है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

ऐसे संयुक्त उद्यमों में निवेश को पृथक वित्तीय विवरणों में लेखांकित किया जाता है।

इंडो एस में परिवर्तन

इंड एस में पारगमन पर, कंपनी ने पिछले जीएपी के अनुसार निर्धारित 1 अप्रैल 2015 के अनुसार स्वीकृत अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम में अपने सभी निवेशों की प्रतिधारण मूल्य का जारी रखने का विकल्प चुना है और इस प्रतिधारण मूल्य को सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश के प्रतिधारण मूल्य के रूप में प्रयोग किया है।

(viii) मालसूचियां

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं हैं उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी संविदाओं के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(ix) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां तथा उच्च तरल निवेश, जिसे तत्काल रोकड़ की ज्ञात राशि में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल जैसा कि उपर परिभाषित किया गया है तथा बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(x) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

क) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्तियोग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ख) संविदागत बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में समूह का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

ग) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान

अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रुपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

ख) डीमोबिलाइजेशन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशाक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

- पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,
- दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और
- दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ. प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

(xi) राजस्व मान्यता

(क) संविदा राजस्व मान्यता

“संविदा राजस्व” का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ समूह को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है :

- लागत लाभ ठेकों में राजस्व का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदों और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।
- नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए अनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है। पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रूप में किया जाता है।
- जब यह संभावना हो कि कुल संविदा लागत कुल संविदा राजस्व से अधिक होगा तो संभावित हानि को तत्काल व्यय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। समूह के पक्ष में दिए गए दावों/मध्यस्थता (उसपर ब्याज सहित), जो संविदा की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की प्रकृति में हैं, को संविदा राजस्व पर लेखांकित किया जाता है, जब उन्हें प्रदान किया गया है और जब ऐसे दावों/अवार्डों की वसूली की पूर्ण निश्चितता हो।
- राजस्व में बिक्रीकर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवाकर आदि सम्मिलित नहीं हैं, जिसमें इसे सोचा गया है।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

- लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- ब्याज आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर का ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(xi) पट्टा

(क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टा:-

- जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।
- को न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।
- भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

- (iv) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।
- (v) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यहासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यहासित किया जाता है।

प्रचालन पट्टा:-

- (i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी पर अंतरित नहीं किया जाता है।
- (ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

(ख) पट्टादाता के रूप में समूह

वित्तीय पट्टा:

- (i) स्वीकार किया जाता है जब व्यापक स्तर पर स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल समूह से पट्टेदार को अंतरित होता है।
- (ii) देय भुगतानों को पट्टों में समूह के निवल निवेश पर प्राप्यों के रूप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय लेखांकन अवधियों में आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में निवल निवेश बकाया पर स्थिर आवधिक प्रतिफल दर प्रदर्शित हो सके।

प्रचालन पट्टा:

- (i) वे पट्टे हैं, जिसमें व्यापक स्तर पर समूह पट्टेदाता को स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को अंतरित नहीं करता है।
- (ii) आय को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां संभावित मुद्रास्फीति वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए पट्टा भुगतान किया जाता है।

(xiii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

- i) संविदागत बाध्यताओं के कारण उत्पन्न विलंबों के परिणामस्वरूप

निर्णीत हर्जानों/दंडों (एलडी) और संभावित रूप से ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया हो/विवादित हों, को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। तथापि, ग्राहक द्वारा वसूले गए/रोके गए निर्णीत हर्जानों को वसूली में लेखांकित किया जाता है और संविदा राजस्व के प्रति समायोजित किया जाता है। दंड लगाए जाने के उनके अधिकार के मद्देनजर ग्राहक द्वारा समय विस्तार दिए जाने वाले मामलों में संभावित निर्णीत हर्जानों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

- ii) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखों को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(ख) पट्टादाता के रूप में समूह

वित्तीय पट्टा:

- (i) स्वीकार किया जाता है जब व्यापक स्तर पर स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल समूह से पट्टेदार को अंतरित होता है।
- (ii) देय भुगतानों को पट्टों में समूह के निवल निवेश पर प्राप्यों के रूप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय लेखांकन अवधियों में आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में निवल निवेश बकाया पर स्थिर आवधिक प्रतिफल दर प्रदर्शित हो सके।

प्रचालन पट्टा:

- (i) वे पट्टे हैं, जिसमें व्यापक स्तर पर समूह पट्टेदाता को स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को अंतरित नहीं करता है।
- (ii) आय को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां संभावित मुद्रास्फीति वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए पट्टा भुगतान किया जाता है।

(xiv) अनुसंधान और विकास व्यय

1. अनुसंधान लागतों को किए जाने की संभावना है।
2. व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्ययों को अमूर्त परिसंपत्ति में

स्वीकार किया जा सकता है जब कंपनी प्रदर्शित कर कि:

- अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि परिसंपत्ति प्रयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो।
- पूरा करने की इसकी मंश और परिसंपत्ति के प्रयोग या बिक्री की इसकी क्षमता और मंश।
- परिसंपत्ति को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता।
- विकास के दौरान व्यय की विश्वसनीयता को मापने की क्षमता।

परिसंपत्ति को विकास व्यय के रूप में स्वीकार करने की आरंभिक स्वीकृति के पश्चात, परिसंपत्ति का आकलन लागत घटा संचित परिशोधन तथा संचित क्षतिपूर्ण घाटों पर किया गया है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब आरंभ होता है जब विकास कार्य पूरा हो जाता है और परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसे संभावित भावी लाभ की अवधि के उपर परिशोधित किया जाता है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है जबतक कि ऐसे व्यय अन्य परिसंपत्ति के प्रतिधारण मूल्य के भाग का निर्माण न करता हो।

विकास की अवधि के दौरान, परिसंपत्ति को परिशोधन के लिए वार्षिक रूप से परीक्षित किया जाता है।

(xv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

(xvi) गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति का वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है और इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रूप में पहचाना गया है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य घटा निपटान लागत और प्रयोग मूल्य में से जो भी उच्चतर हो वह है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर क्षतिपूर्ण घाटे की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया

जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा। हानियों का आकलन करने के प्रयोजन से, परिसंपत्तियां जिन्हें पृथक रूप से परीक्षित नहीं किया जा सकता है उन्हें परिसंपत्तियों के छोटे समूहों में समूहित किया जाता है, जो निरंतर प्रयोग से रोकड़ इनप्लो का सृजन करते हैं, जो व्यापक स्तर पर अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों (रोकड़ सृजन इकाइयों) से रोकड़ इनप्लो से स्वतंत्र होते हैं।

(xviii) उधार लागतें

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं। अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(xviii) कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

- i) प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने हेतु संभावित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों की गैर-रियायती राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में लेखांकित किया जाएगा जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवा पश्चात लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

- i) भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ परिभाषित अंशदान योजना है। भविष्य निधि ट्रस्ट तथा पेंशन ट्रस्ट के लिए अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष अंशदान देय है।
- ii) कंपनी में निर्धारित लाभ योजनाएं हैं जैसे उपदान एलटीसी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।
- iii) समूह ने उपदान ट्रस्ट का निर्माण किया है। उपदान ट्रस्ट में अंशदान वास्तविक आधार पर मूल्यांकन को परिवर्तित करके उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में किया गया है जिस वर्ष वह देय है।
- iv) निर्धारित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकक

मूल्यांकन के आधार पर बनाया जाता है और बीमांकक लाभों और हानियों को अन्य वृहत आय के माध्यम से स्वीकार किया जाता है।

- v) सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभों को बीमांकक मूल्यांकन या अंशदान के लिए उपलब्ध राशि, जो कोई कम हो पर स्वीकृत किया जाता है।
- vi) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों में अवकाश नकदीकरण शामिल है। अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों पर बीमांकक लाभों और हानियों को लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से स्वीकार किया गया है।
- vii) अन्य वृहत आय में स्वीकृत निवल निर्धारित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मापनों को अनुवर्ती अवधि में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(xix). कर

(क) चालू आयकर

- (i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।
- (ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयोक्ता कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आय का सृजन हो रहा है।
- (iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।
- (iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

(ख) आस्थगित कर

- (i) आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।
- (ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है।

(iii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफॉवर्ड को प्रयोग किया जा सके।

(iv) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।

(v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय में स्वीकार किया जाता है।

(xx). प्रचालन क्षेत्र

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने दो रिपोर्टिंग सेगमेंटों को चिह्नित किया है यथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय।

(xxii) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनी के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(xxiii) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

- क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।
- भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
 - वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या
 - एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

- ख) आकस्मिक संपत्तियों को वहां प्रकट किया जाता है जहां आर्थिक लाभ के इनफलों की संभावना हो।
- ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।
- घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान में रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

(xxiii) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यहार इनमें से किसी रूप में निष्पादित होगा:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कंपनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारी के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

- स्तर 1 - कोट किया गया (समायोजित) समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।
- स्तर 2 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु

महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।

- स्तर 3 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनःआंलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के सतरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिनकी आवश्यकता लेखांकना नीतियों के अनुसार पुनःमापन या पुनःआकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

कंपनी संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, कंपनी परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त उचित मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

(xxiv). इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाता है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथाउपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(xxv) वित्तीय माध्यम

क. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

ख. अनुवर्ती मापन

ख.1. वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित मूल्य पर ऋण माध्यम

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान हैं।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है:

- (i) व्यापार प्राप्य
- (ii) प्रतिभूति जमा राशि
- (iii) प्रतिधारण राशि
- (iv) ग्राहकों के पास धारित राशि
- (v) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य
- (vi) ऋण और अग्रिम
- (vii) करमुक्त बांडों में निवेश

ख) अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण माध्यम (एफवीटीओसीआई)

- ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैं:
- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनः वर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण माध्यम

एफवीटीपीएल ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण उपकरण को स्वीकार नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

ख.2 वित्तीय देयताएं

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है।

(ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

ग. गैर-स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर-स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसंपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरित करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर-स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रूप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

घ. वित्तीय विवरणों की हानि

कंपनी क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

(xxvi) बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों

के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्त पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर। बिक्री के लिए प्रतिधारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को प्रतिधारण राशि और उचित मूल्य घटा बिक्री की लागतों में से जो कोई भी कम हो पर वर्णित किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात मूल्यहासित या परिशोधित नहीं किया जाता है। बिक्री / संवितरण के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एस 105 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां द्वारा वर्णित मापदंड पूरे नहीं किए जाते हैं तो, निपटान समूह को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से बाहर किया जाएगा। गैर चालू परिसंपत्तियां जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से बाहर किया गया है उन्हें (i) बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से पूर्व परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि, मूल्यहास के लिए समायोजित, जिसे यदि स्वीकार किया जाता तो उसे परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, और (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि जब निपटान समूह बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से बाहर किया जाए, जो कोई भी कम हो।

(xxvii) वित्तीय गारंटियां

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रुपय करोड़ में)														
	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टे वाली भूमि	पट्टे वाले भवन	फ्रीहोल्ड भवन/पलैट-आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन/पलैट-और आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कम्प्यूटर	मोबाइल हैंडसेट	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर	कारवां, केम्प और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
	(vi)	(v)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)
फुट नोट														
सकल धारण राशि (लागत पर)														
1 अप्रैल 2015 को	0.06	36.39	42.44	8.73	10.00	415.75	3.69	8.80	0.24	7.56	8.36	5.57	17.93	565.52
जमा	-	-	0.48	-	0.12	2.66	0.20	0.82	0.03	0.95	0.60	6.10	-	11.98
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	0.06	(9.30)	0.36	(0.63)	(0.08)	(1.44)	(0.65)	(0.26)	(2.30)	(14.26)
31 मार्च 2016 को	0.06	36.39	42.92	8.73	10.18	409.11	4.25	8.99	0.19	7.07	8.31	11.41	15.63	563.25
जमा	7.11	-	-	1.08	-	0.62	0.47	0.85	-	1.02	0.84	1.41	0.59	13.99
निपटान/समायोजन	35.09	(35.09)	(24.53)	24.53	(1.32)	(48.08)	(0.86)	(1.03)	(0.14)	(0.65)	(0.43)	(0.61)	(6.61)	(59.75)
31 मार्च 2017 को	42.26	1.30	18.39	34.34	8.86	361.65	3.86	8.81	0.05	7.43	8.73	12.21	9.61	517.49
मूल्यहास और घाटा														
1 अप्रैल 2015 को	-	0.20	6.56	2.68	1.53	341.21	3.42	8.05	0.21	6.59	7.64	5.46	16.50	400.06
वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	-	0.01	0.88	2.45	1.82	21.04	0.07	0.54	0.01	0.34	0.23	0.55	0.18	28.13
घटा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	0.01	(5.77)	(0.57)	(0.58)	(0.07)	(1.33)	(0.60)	(0.24)	(2.17)	(11.33)
31 मार्च 2016 को	-	0.21	7.44	5.13	3.36	356.48	2.92	8.01	0.15	5.60	7.27	5.77	14.51	416.85
वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	-	0.01	5.26	0.52	0.37	6.47	0.09	0.55	0.00	0.43	0.30	2.20	0.13	16.34
घाटा	-	-	-	-	-	1.26	-	-	-	-	-	-	-	1.26
निपटान/समायोजन	-	-	(3.23)	3.23	(0.44)	(43.00)	(0.67)	(1.00)	(0.15)	(1.67)	(0.34)	(0.60)	(6.17)	(54.04)
31 मार्च 2017 को	-	0.22	9.47	8.88	3.29	321.21	2.34	7.56	0.00	4.36	7.23	7.37	8.47	380.41
निवल बही मूल्य														
31 मार्च 2017 को	42.26	1.07	8.92	25.46	5.56	40.44	1.52	1.25	0.05	3.07	1.50	4.84	1.14	137.08
31 मार्च 2016 को	0.06	36.18	35.48	3.60	6.82	52.63	1.33	0.98	0.04	1.47	1.05	5.64	1.12	146.40
1 अप्रैल 2015 को	0.06	36.19	35.88	6.05	8.47	74.54	0.26	0.75	0.03	0.97	0.73	0.10	1.43	165.47

फुटनोट:

i) निपटान के लिए स्थिर परिसंपत्तियों को बिक्री/समायोजना के कॉलम में तथा अंतरण के लिए अन्य चालू परिसंपत्तियों को निवल बुक मूल्य रखा गया है।

(रुपए करोड में)

परिसंपत्ति ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान का तरीका व संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ/हानि	क्षेत्र	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
					सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
फ्रीहोल्ड भवन - आवासीय	चेन्नै में आवासीय भसवन	मुक्त निविदा 31.03.2018	-	घरेलू	0.38	0.28	0.38	0.28	0.38	0.28
कुल					0.38	0.28	0.38	0.28	0.38	0.28

ii) 31.12.2015 तक विदेशी ग्राहक को वेट लीज आधार पर संयंत्र और मशीनरी (लोकोमोटिव)

iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहहास और घाटे को लाभ हानि विवरण के नामे किया गया है।

(रुपए करोड में)

विवरण	मार्च 2017 को	मार्च 2016 को
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहहास	16.34	28.13
घाटा	1.26	-
कुल	17.60	28.13

iv) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि(सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रूप दिया जाना है।

v) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि(सकल मूल्य 0.82 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

vi) कंपनी ने साकेत में अपनी भूमि को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को 7.10 करोड़ रुपए के कंवर्जन प्रभार का भुगतान किया है। तथापि, 31 मार्च 2017 को डीडीए उक्त भूमि को पट्टे से फ्रीहोल्ड कराने की प्रक्रिया में है।

vii) फरनीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग भी शामिल है।

viii) मूल्यहहास और घाटा: वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 0.47 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा घाटे तथा विदेशी विनियम घाटे पर 34.30 करोड़ रुपए के संचित प्रभाव सहित निपटान/समायोजन।

4. पूंजीगत चालू कार्य *

(रुपए करोड़ में)

विवरण		राशि
1 अप्रैल 2015 को आरंभिक शेष		0.38
जमा (परिणामी व्यय)		
- कार्यशील व्यय	0.41	
- विविध प्रचालन व्यय	0.83	
घटा: वर्ष के दौरान संचित		1.24
		0.12
31 मार्च 2016 को समापन शेष		1.50
जमा (आगामी व्यय)		0.00
घटा: वर्ष के दौरान संचित		1.50
31 मार्च 2017 को समापन शेष		-
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2017 को		-
31 मार्च 2016 को		1.50
1 अप्रैल 2015 को		0.38

* पूंजीगत चालू कार्यों का ब्यौरा

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
1. शिवपुरी गुना में कैंप और कारवां	-	0.83	-
2. सीआइसी नोएडा में अग्निशमन और सिविल कार्य	-	-	0.12
3. कोलकाता में कार्यालय भवन	-	0.67	0.26
	-	1.50	0.38

5. निवेश परिसंपत्ति

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	गुडगांव में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में एसआरओ भवन	कुल
1 अप्रैल 2015 को अथशेष जमा (परिणामी व्यय)*	260.36	7.04	3.04	270.44
31 मार्च 2016 को अथशेष जमा (परिणामी व्यय)*	0.45	7.39	-	7.84
31 मार्च 2016 को अथशेष जमा (परिणामी व्यय)*	260.81	14.43	3.04	278.28
31 मार्च 2017 को अंतशेष	20.58	8.62	-	29.20
31 मार्च 2017 को अंतशेष	281.39	23.05	3.04	307.48
मूल्यहास और हानि				
1 अप्रैल 2015 को अथशेष वर्ष के दौरान मूल्यहास	-	-	0.04	0.04
31 मार्च 2016 को अंतशेष वर्ष के दौरान मूल्यहास	-	-	0.05	0.05
31 मार्च 2016 को अंतशेष वर्ष के दौरान मूल्यहास	-	-	0.09	0.09
31 मार्च 2017 को अंतशेष वर्ष के दौरान मूल्यहास	-	-	0.05	0.05
31 मार्च 2017 को अंतशेष	-	-	0.14	0.14
निवल ब्लॉक				
31 मार्च 2017 को	281.39	23.05	2.90	307.34
31 मार्च 2016 को	260.81	14.43	2.95	278.19
1 अप्रैल 2015 को	260.36	7.04	3.00	270.40

निवेश संपत्ति की आय और व्यय संबंधी सूचना

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित) जिनसे किराया आय प्राप्त नहीं हुई है	0.34	0.06
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय (मरम्मत और अनुसरण सहित) किराया आय से सृजित।	-	-
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय (मरम्मत और अनुसरण सहित) किराया आय से सृजित नहीं।	-	0.02
मूल्यहास और अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	0.34	0.04
घटा: वर्ष के दौरान मूल्यहास	0.05	0.05
अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	0.39	0.09

उचित मूल्य पुनर्विनियोजन

(रुपए करोड़ में)

	नोएडा में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	गुडगांव में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में एसआरओ भवन	कुल
01-04- 2015 को अथशेष	249.74	136.01	4.88	390.63
उचित मूल्य अंतर	(4.29)	(4.17)	0.17	(8.29)
31-03-2016 को अंत शेष	245.45	131.84	5.05	382.34
उचित मूल्य अंतर	4.40	16.36	0.20	20.96
31-03-2017 को अंत शेष	249.85	148.20	5.25	403.30
इस अवधि के लिए उचित मूल्य अंतर	4.40	16.36	0.20	20.96
नोट :-				
स्व:निर्मित संपत्ति निवेश	249.85	148.20	5.25	403.30
	249.85	148.20	5.25	403.30
वेल्युवर द्वारा प्रयुक्त वेल्युवेशन तकनीक का प्रकटन	लागत और आय	लागत	लागत (भूमि और भवन)	

वेल्युवर द्वारा प्रयुक्त वेल्युवेशन तकनीक का विवरण

लागत परिदृश्य:

इस परिदृश्य में, भूमि के बाजार मूल्य का आकलन प्रत्यक्ष तुलना दृष्टिकोण (बाजार परिदृश्य) से किया जाता है। भवन मूल्य का निर्धारण मूल्यहास प्रतिस्थापन लागत (जैसा कि नया है) का प्रयोग करके किया जाता है। इस लागत परिदृश्य के भीतर, भूमि के मूल्य का निर्धारण इस अनुमान के साथ लगाया जाता है कि यह भूमि खाली है और सभी दायित्वों से मुक्त है। मूल्यहास प्रतिस्थापन लागत विधि का प्रयोग करके इसे प्रस्तुत सुधारों की लागत में जोड़ा जाता है। प्रतिस्थापन लागत अनुमानित है। परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन की लागत को नए के समान प्रयोग किया जाएगा। भवन लागत में भवन घटकों और इस पर उपयुक्त मूल्यहास सुधारों का मूल्य शामिल है।

आय परिदृश्य (डीसीएफ):

डीसीएफ विश्लेषण भावी रोकड प्रवाह के अनुमान द्वारा तथा धन के समय मूल्य को ध्यान में रखते हुए निवेशित संपत्ति या परिसंपत्ति के मूल्यांकन किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत, आय को निवेश चक्र के आधार पर अनुमानित किया जाता है और पूंजी, प्रचालन तथा अन्य आवश्यक व्ययों को कम करके निवल आय का परिकलन किया जाता है।

(रुपए करोड़ में)

* संवर्धनों का ब्यौरा	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
- कार्य व्यय	26.79	7.13
- परामर्श प्रभार	0.59	0.43
- वेतन एवं पारिश्रमिक	0.41	0.01
- दरें एवं कर	1.28	0.19
- वाहन प्रचालन और अनुरक्षण	0.04	0.04
- विज्ञापन और प्रकाशन	0.08	0.02
- मरम्मत और अनुरक्षण - कार्यालय और अन्य	0.01	-
- दौरा और यात्रा	0.01	-
- विविध प्रचालन व्यय	-	0.01
कुल	29.21	7.83

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर)
1 अप्रैल 2015 को अथशेष	1.01	1.98
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	0.12
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.01)
31 मार्च 2016 को अंतशेष	1.01	2.09
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	1.33
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(1.01)	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.01)
31 मार्च 2017 को अंतशेष	-	3.41
परिशोधन और हानि		
1 अप्रैल 2015 को अथशेष	-	1.95
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	0.04
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.01)
31 मार्च 2016 को अंतशेष	-	1.99
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	0.23
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.01)
31 मार्च 2017 को अंतशेष	-	2.21
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2017 को	-	1.21
31 मार्च 2016 को	1.01	0.10
1 अप्रैल 2015 को	1.01	0.03

7. वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)

7.1. निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
लागत पर निवेश *			
1. इक्विटी माध्यमों पर निवेश (पूर्णतः प्रदत्त) (कोट न किए गए)			
क) सहायक कंपनियां			
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : 6,50,00,000, 1 अप्रैल 2015 : 6,50,00,000)	65.00	65.00	65.00
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम - प्रत्येक 10 रुपए के 2,04,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : 2,04,00,000, 1 अप्रैल 2015 : 2,04,00,000)	20.40	20.40	20.40
इरकॉन पीबी टोलवे लि. - प्रत्येक 10 रुपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : 90,00,000, 1 अप्रैल 2015 : 9,00,00,000)	165.00	90.00	90.00
शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड - प्रत्येक 10 रुपए के 15,00,00,000 (31 मार्च 2016 : 3,30,00,000, 1 अप्रैल 2015 : - शून्य)	150.00	33.00	-
कुल (क) - सहायक कंपनियों में निवेश	400.40	208.40	175.40
ख) निगमित संयुक्त उद्यम (पूर्णतः प्रदत्त)			
सीसीएफबी, मोजांबीक (31 मार्च 2016 : शून्य, 1 अप्रैल 2015 : 12,50,000)	-	-	5.53
घटा: निवेश की हानि के लिए प्रावधान	-	-	(5.53)
इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल) प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : 6,38,70,000, 1 अप्रैल 2015 : 6,38,70,000) (संदर्भ नोट (i) क तथा ख)	64.15	64.15	64.15
बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 11,83,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : शून्य , 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	1.18	-	-
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे स्टेशन प्रत्येक 10 रुपए के 13,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : शून्य , 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	1.30	-	-
महानदी कोयला रेल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 13,000 इक्विटी शेयर(31 मार्च 2016 : 13,000, 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	0.01	0.01	-
छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 8,35,75,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : 4,01,70,000, 1 अप्रैल 2015 : 11,70,000)	83.58	40.17	1.17
छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रोल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 1,3,11,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : 11,70,000, 1 अप्रैल 2015 : 11,70,000)	131.17	1.17	1.17
कुल (ख) - संयुक्त उपक्रमों में निवेश	281.39	105.50	66.49

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
(परिशोधित लागत पर निवेश)			
2. बांडों में निवेश (कोट किए गए)			
8.00% भारतीय रेलवे वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त 163,131 बांड (31 मार्च 2016 : 163,131, 1 अप्रैल 2015 : 163,131)	16.31	16.31	16.31
7.21% भारतीय रेलवे वित्त कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2016 : 500, 1 अप्रैल 2015 : 500)	49.96	49.96	49.96
8.23% भारतीय रेलवे वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त 5,00,000 बांड (31 मार्च 2016 : 5,00,000, 1 अप्रैल 2015 : 5,00,000)	50.00	50.00	50.00
8.35% भारतीय रेलवे वित्त कम्पनी लि. के 10,00,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2016 : 500, 1 अप्रैल 2015 : 500)	49.92	49.93	49.93
7.15% भारतीय रेलवे वित्त कम्पनी लि. के 10,00,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 250 बांड (31 मार्च 2016 : 250, 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	24.98	24.98	-
7.07% भारतीय रेलवे वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त 3,02,000 बांड (31 मार्च 2016 : 3,02,000, 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	30.20	30.20	-
7.14% एनएचएआई के 1000 प्रत्येक के कर मुक्त 1,99,989 बांड (31 मार्च 2016 : 1,99,989, 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	20.00	20.00	-
7.02% एनएचएआई के 500 प्रत्येक के कर मुक्त 10,00,000 बांड (31 मार्च 2016 : 500, 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	49.99	50.00	-
कुल - बांडों में निवेश (कोट किया गया)	291.36	291.38	166.20
कुल गैर चालू निवेश	973.15	605.28	408.09
कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	291.36	291.38	166.20
कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य	293.32	292.98	175.61
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	681.79	313.90	241.89
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	-	-	5.53

फुट नोट (i):

(क) आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए ऋण के प्रति 6,38,70,000 इक्विटी शेयरों में से, 30% शेयर (1,91,61,000 शेयर) पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं, 31.03.2017 को बकाया देय राशि 325.20 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान होल्डिंग (गिरवी रखे गए 30 प्रतिशत की शेयरधारिता के अतिरिक्त) के इसके 21% (1,34,12,700 शेयर) को जमा न किए जाने के कारण कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक को एक वचन भी दिया है।

(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आर्द के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.10 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।

* सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश इंड लेखांकन मान के पैरा 10 के अनुसार वित्तीय विवरणों में लागत पर किया गया है।

7.2. व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अरक्षित : वसूली योग्य			
- ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	19.55	0.39	25.78
- ग्राहकों के पास रुकी राशि	3.57	2.15	18.93
कुल	23.12	2.54	44.71

7.3. ऋण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क. आरक्षित वसूली योग्य			
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.62	1.48	1.60
कुल (क) - आरक्षित ऋण	0.62	1.48	1.60
ख. आरक्षित, वसूली योग्य			
(i) संबंधित पक्षों से ऋण:			
संयुक्त उद्यम			
- कंपैनिया डोस कमीनोस डे फेरो डा बेरा सर्ल	-	-	70.48
- छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड	39.00	39.00	30.00
- छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड	39.00	19.50	-
सहायक कंपनियां			
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	162.65		
-इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	80.00		
-इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	18.34	25.21	31.50
कुल (i)	338.99	83.71	131.98
(ii) अन्य:			
स्टाफ ऋण और अग्रिम	0.23	0.54	0.73
कुल (ii)	0.23	0.54	0.73
कुल (ख) - आरक्षित ऋण (i + ii)	339.22	84.25	132.71
ग. संदिग्ध समझे गए			
संबंधित पक्षों के ऋण:			
संयुक्त उद्यम			
- कंपैनिया डोस कमीनोस डे फेरो डा बेरा सर्ल	-	-	25.46
कुल	-	-	25.46
घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	(25.46)
कुल(ग) - संदिग्ध ऋण	-	-	-
सकल योग- ऋण	339.84	85.73	134.31

7.4. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) वसूली योग्य			
प्रतिभूति जमा राशि			
- सरकारी विभाग	0.05	0.06	0.08
- अन्य	0.14	0.47	0.52
12 महीनों से अधिक की सावधि जमा राशि {संदर्भ फुट नोट(i)}	0.41	0.41	0.40
ठकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशिया {संदर्भ फुट नोट (ii)}	5.23	7.10	1.91
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	0.56	1.12	1.17
संबंधित पक्षों को ऋण पर संचित ब्याज	-	5.42	-
अन्य			
- ग्राहकों से वसूली योग्य दावे	-	0.72	0.79
- मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य	70.78	31.93	-
- अन्य - अग्रिम पट्टा किराया	0.04	-	0.00
ख) आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि			
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड -	-	37.00	-
प्रत्येक 10 रुपए के 3,70,00,000 इक्विटी शेयर			
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	77.21	84.23	4.87
ग) संदिग्ध समझे गए			
संबंधित पक्षों को ऋण पर संचित ब्याज			
- कंपैनिया डोस कमीनोस डे फेरो डा बेरा सर्ल(जेवी)	-	-	0.19
घाटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान (अन्य)	-	-	(0.19)
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	-	-	-
सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	77.21	84.23	4.87

फुट नोट :-

- (i) 0.41 करोड़ रुपए (0.41 करोड रुपए) के स्थान पर एफडीआर सहित
- (ii) ठकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं यदि ठकेदार संविदा करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

8. आस्थिगत कर परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
प्रावधान	131.23	176.61	217.82
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां	4.58	10.78	9.43
अन्य	25.24	34.92	41.30
31 मार्च को अंतशेष	161.05	222.31	268.55

आस्थिगत कर परिसंपत्तियों में विनियोजन/संचलन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	प्रावधान	पीपीई और अपूर्ति परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
1 अप्रैल 2015 को	217.82	9.43	41.30	268.55
(प्रभारित)/नामे :				
- लाभ या हानि में	(41.21)	1.35	(12.43)	(52.29)
- अन्य वृहत आय में	-	-	6.05	6.05
31 मार्च 2016 को	176.61	10.78	34.92	222.31
(प्रभारित)/नामे :				
- लाभ या हानि में	(45.38)	(6.20)	(9.68)	(61.26)
- अन्य वृहत आय में	-	-	-	-
31 मार्च 2017 को	131.23	4.58	25.24	161.05

आस्थिगत कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासित नियम के अंतर्गत हैं

आयकर व्यय

लाभ या हानि खंड

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
वर्तमान आयकर :		
वर्तमान आयकर प्रभार	118.64	150.05
पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर प्रभार के लिए प्रावधान	(17.21)	4.98
आस्थिगत कर :		
अस्थायी अंतरों के समायोजन और प्रतिक्रम से संबंधित	61.26	52.29
लाभ या हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	162.69	207.32

ओसीआई खंड

वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य मदों से संबंधित आयकर

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि/(लाभ)	1.67	0.46
विनिमय लाभ/हानि पर निवल हानि/(लाभ)	5.59	(25.94)
ओसीआई को प्रभारित लाभ/हानि	7.26	(25.48)

31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 के लिए कर व्यय का पुनर्विनियोजन तथा भारत की घरेलू कर दर द्वारा गुणा लेखांकन लाभ:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निरंतर प्रचालनों से लेखांकन कर पूर्व लाभ	552.70	546.22
बंद प्रचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	-	-
आयकर पूर्व लेखांकन लाभ	552.70	546.22
34.608% के भारत के सांविधिक आयकर पर (31 मार्च 2016: 34.608%)	191.28	189.05
पिछले वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	(17.21)	(8.76)
पिछले अज्ञात कर हानियों का उपयोग	-	-
- गैर करयोग्य मदें	(33.46)	(9.47)
- दर अंतर	(10.22)	-
- अन्य	23.61	(0.63)
कर प्रयोजन के लिए गैर-कटौतीयोग्य व्यय:	-	-
-अन्य देशों के अतिरिक्त कर	(2.87)	6.22
अन्य गैरा कटौतीयोग्य व्यय	18.85	5.48
30.75% की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2016: 33.30%)	169.98	181.89
लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	169.95	181.84
बंद प्रचालनों पर आयकर	-	-
	169.95	181.84

9. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम			
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों का अग्रिम	43.49	28.06	25.29
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	310.09	199.87	205.41
कर विभागों में जमा राशि	0.21	0.02	0.10
कुल - पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम	353.79	227.95	230.80
ख) अन्य			
अरक्षित वसूली योग्य			
संचित ब्याज :			
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	43.05	20.77	14.50
पूर्वप्रदत्त व्यय	3.98	0.12	0.03
उचित मूल्यांकन समायोजन	2.82	0.56	3.09
कुल - अन्य	49.85	21.45	17.62
ग) संदिग्ध समझे गए			
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	0.91	-	8.72
संचित ब्याज :			
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	-	-	0.40
घटा: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(0.91)	-	(9.12)
कुल - संदिग्ध समझे गए	-	-	-
सकल योग	403.64	249.40	248.42

10. दरसूची

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
कच्चा माल			
- उपलब्ध	34.64	88.08	32.61
- तीसरे पक्षों के पास	4.28	1.78	25.81
- पारगमन में	1.78	-	0.11
प्रगतिरत निर्माण कार्य (लागत पर)	98.64	50.75	55.90
कुल	139.34	140.61	114.43

11. वित्तीय परिसंपत्तियां (चालू)

11.1. निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
लागत पर निवेश			
1. इक्विटी माध्यमों में निवेश - पूर्णत प्रदत्त (कोट न किए गए)			
<i>निगमित संयुक्त उद्यम</i>			
सीसीएफबी, मोजांबीक - शून्य (31 मार्च 2016 : प्रत्येक 24000 के पूर्णत प्रदत्त मेटिकल्स के 12,50,000 इक्विटी शेयर	-	5.53	-
लाभ आर हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश			
2. म्यूचुवल फंड में निवेश (कोट किए गए)			
यूटीआई म्यूचुवल फंड - दैनिक योजना इकाइयों की संख्या: 13,80,381 (31 मार्च 2016 : 36,454 तथा 1 अप्रैल 2015 : 1,06,836)	140.72	3.72	10.89
एसबीआई प्रमियर लिक्विड फंड- दैनिक डिविडेंड योजना: इकाइयों की संख्या : 10,88,384 (31 मार्च 2016 : 12,83,478 तथा 1 अप्रैल 2015 : 3,00,718)	109.19	128.77	30.17
एसबीआई डेट फंड सीरीज - ए-14 : इकाइयों की संख्या : शून्य (31 मार्च 2016 : शून्य तथा 1 अप्रैल 2015 : 2,50,00,000)	-	-	27.33
कुल निवेश	249.91	138.02	68.39
कोट किए गए निवेश का सकल बही मूल्य	249.91	132.49	68.39
कोट किए गए निवेश का सकल बाजार मूल्य	249.91	132.49	68.39
कोट न किए गए निवेश का सकल बही मूल्य	-	5.53	-
निवेश पर मूल्य हानि की सकल राशि	-	-	-

11.2. व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अरक्षित वसूली योग्य			
- व्यापार प्राप्य	424.66	525.40	463.27
- ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	51.04	55.58	60.09
- ग्राहकों के पास रुकी राशि	67.64	115.71	48.14
संदिग्ध समझे गए			
- व्यापार प्राप्य	20.85	15.82	16.25
- ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	7.19	8.07	9.88
- ग्राहकों के पास रुकी राशि	5.65	5.99	4.50
घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए हानि व्यवस्था	33.69	29.88	30.63
कुल	543.34	696.69	571.50

11.3. रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
उपलब्ध रोकड़		0.18	0.23	0.21
उपलब्ध बैंक और ड्राफ्ट		-	4.95	0.17
बैंक में शेष :				
चालू खातों में		205.53	54.85	123.95
फ्लैक्सी खातों में	(i)	212.02	201.85	171.26
तीन महीनों की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i)	976.97	2,195.14	893.36
		1,394.70	2,457.02	1,188.95

11.4. रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के अतिरिक्त बैंक शेष

(रुपए करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अन्य बैंक शेष				
तीन महीनों से 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i)	3,051.91	2,077.68	2,013.78
ठेकेदारों से प्राप्त साविधि जमा राशियां*	(ii)	210.92	18.40	18.65
		3,262.83	2,096.08	2,032.43

फुट नोट : -

(i) ग्राहक निधि सहित जिन पर उन्हें ब्याज दिया गया है

(ii) ठेकेदारों से प्राप्त साविधि जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं, यदि यदि ठेकेदार संविदा करार की शर्तों और निबंधनों को पूरा करने में विफल रहता है।

11.5. ऋण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क. रक्षित वसूली योग्य			
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	1.21	0.60	0.62
कुल (क) - रक्षित ऋण	1.21	0.60	0.62
ख. अरक्षित वसूली योग्य			
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:			
संयुक्त उद्यम			
- इरकॉन एफकान जेवी	-	-	18.11
- छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड	78.00	-	-
सहायक कंपनियां			
-इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	4.58	2.29	-
(ii) अन्य :			
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.98	1.06	1.68
अन्य			
कुल (ख) - अरक्षित ऋण (i) + (ii)	83.56	3.35	19.79
ग. संदिग्ध समझे गए			
अन्य :			
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-	-	-
घटा :- संदिग्ध ऋणों के लिए हानि व्यवस्था	-	-	-
कुल (ग) - संदिग्ध ऋण	-	-	-
सकल योग	84.77	3.95	20.41

11.6. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (चालू)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) वसूली योग्य			
प्रतिभूति जमा राशि			
- सरकारी विभाग	7.07	5.65	6.22
- अन्य	1.72	1.26	1.30
बयाना जमा राशि	0.35	0.35	0.42
संचित ब्याज			
- स्टाफ को अग्रिम	0.69	0.28	0.25
- संबंधित पक्षों को ऋण	18.00	0.20	5.89
- भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण	-	-	0.20
- बैंक में जमा राशि	113.94	89.19	80.22

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
- बांड	17.87	12.65	11.88
अन्य :			
(i) संबंधित पक्षों से वसूली योग्य संयुक्त उद्यम			
- रीकॉन सीटा एसएआरएल	-	0.89	0.84
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल	-	-	0.78
- रीकॉन	0.64	9.93	9.67
- इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांस्ट्रक्टर	2.84	2.83	3.53
- मेट्रो टनलिंग ग्रुप	3.86	5.64	5.43
- इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि.	7.04	7.22	7.15
- इरकॉन - एफकॉन जेवी	29.85	7.76	2.44
- छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड	2.48		
- महानदी कोयला रेल लिमिटेड	0.37		
- झारखंड मध्य रेल लिमिटेड	-		
सहायक कंपनी			
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	0.04	0.26	-
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	0.00	1.96	2.26
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	0.48	0.36	0.27
- इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	0.24	0.21	-
(ii) मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य	35.81	49.72	-
(iii) ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावे	9.37	5.17	8.46
(iv) अन्य वसूलीयोग्य	5.30	5.81	1.17
(iv) अन्य - अग्रिम पट्टा किराया	0.14	0.10	0.09
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसूलीयोग्य	258.09	207.44	148.47
ख) संदिग्ध समझे गए			
प्रतिभूति जमा राशियां			
- सरकारी विभाग	0.55	1.47	2.11
- अन्य	0.18	0.27	0.27
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	-	-	-
बयाना जमा राशि	0.05	0.05	-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था (अन्य)	(0.79)	(1.79)	(2.38)
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	-	-	-
सकल योग - अन्य वित्तीय - अन्य	258.09	207.44	148.47

(i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए(शून्य रुपए) है।

निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से दय राशि पर ब्याज	-	-
कुल	-	-

12. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम				
सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम		45.08	21.95	9.15
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यो को अग्रिम कर प्राधिकरण		141.73	166.66	129.28
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)		302.55	221.88	200.98
घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि		(210.48)	(203.45)	(184.31)
- मूल्य संवर्धित कर		93.68	143.57	114.26
- सेवा कर इनपुट क्रेडिट		3.71	0.21	0.02
कुल - पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		376.27	350.82	269.38
ख) अन्य				
संचित ब्याज				
जमाराशि व अग्रिम:				
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास		43.00	29.01	17.44
प्रगतिरत निर्माण कार्य (वसूलीयोग्य मूल्य पर)		97.59	28.82	106.81
बिल योग्य राजस्व/वसूलीयोग्य किन्तु देय नहीं	(i)	282.91	281.19	405.32
निपटान के लिए धारित परिसंपत्तियां	(ii)	1.03	1.46	1.73
पूर्व प्रदत्त व्यय		3.15	5.08	3.54
उचित मूल्य समायोजन		5.19	4.69	2.73
पट्टा समतुल्य		0.14	0.24	0.10
कुल - अन्य		433.01	350.49	537.67
ग) संदिग्ध समझे गए				
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यो को ऋण		15.32	18.97	9.88
बिक्री कर (टीडीएस सहित)		35.89	34.97	35.31
अन्य		0.10	0.10	-
मूल्य संवर्धित कर		7.18	7.18	7.18
घटा: संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था		(58.49)	(61.22)	(52.37)
कुल - संदिग्ध समझे गए		-0	-	-
सकल योग		809.28	701.31	807.05

(i) (क) 1.61 करोड़ रुपए (12.49 करोड़ रुपए) करोड़ रुपए की राशि के कार्य सहित जिसे ग्राहक द्वारा प्रमाणित किया गया है किन्तु रिपोर्टिंग तिथि को बिल नहीं बनाया गया है।

(ख) छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से 2.48 करोड़ रुपए (6.95 करोड़ रुपए सहित)

(ग) छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से 0.31 करोड़ रुपए (25.47 करोड़ रुपए सहित)।

(ii) मरम्मत से परे और/या निपटान के लिए धारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य तथा बही मूल्य के निम्नतर मूल्य पर): -

(रुपए करोड़ में)

संपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान का तरीका व संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों की बिक्री पर संभावित लाभ/हानि	क्षेत्र	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
					सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी	ई-नीलामी द्वारा जैसे एमएसटीएस जिसका निपटान का संभावित समय 2018 के अंत तक है	अप्रत्याशित	घरेलू	5.16	0.29	6.50	0.89
मलेशिया क्षेत्र	इंजन - 03	मुक्त निविदा, जून 2017	0.75	अंतरराष्ट्रीय	7.25	0.17	-	-
मोजांबीक परियोजना	संयंत्र और मशीनरी			अंतरराष्ट्रीय	5.90	0.29	5.90	0.29
फ्रीहोल्ड भवन आवासीय	चेन्नै में आवासीय भवन	मुक्त निविदा, 31.03.2018	-	घरेलू	0.38	0.28	0.38	0.28
कुल					18.69	1.03	12.78	1.46

13. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
प्राधिकृत शेयर पूंजी			
10,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए* (10,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए -1 मार्च 2016 तथा 1 अप्रैल 2015)	100.00	100.00	25.00
	100.00	100.00	25.00
जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी			
9,89,80,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपए के-पूर्णत प्रदत्त (1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपए के-पूर्णत प्रदत्त - 31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 को)	98.98	19.80	19.80
	98.98	19.80	19.80

कंपनी के शेयर धारकों का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	98,712,000	99.729%	19,742,400	99.729%	19,742,400	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	244,000	0.247%	48,800	0.247%	48,800	0.247%
बैंक आफ इंडिया	24,000	0.024%	4,800	0.024%	4,800	0.024%
कुल	98,980,000	100%	19,796,000	100%	19,796,000	100%

रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रूप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड से इतर जारी इक्विटी शेयर बोनस शेयर के रूप में जारी इक्विटी शेयर	79,184,000	-	-	-	9,898,000
कुल	79,184,000	-	-	-	9,898,000

शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/ अधिकार :

(क) वोटिंग

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ख) दिवालियापन

कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

इक्विटी शेयर की संख्या तथा शेयर पूंजी का पुनर्विनियोजन

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	19,796,000	19.80	19,796,000	19.80	19,796,000	19.80
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर	79,184,000	79.18	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	98,980,000	98.98	19,796,000	19.80	19,796,000	19.80

*वर्ष के समापन के पश्चात, 400 करोड़ रुपए तक प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए 22-05-2017 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में अनुमोदन लिए गए थे।

14. अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
(क) प्रतिधारित आमदनियां			
अथशेष	318.50	141.79	
जमा : इंड एस समायोजन			141.79
जमा : सरप्लस से लाभ और हानि विवरण में अंतरण	369.03	395.04	-
जमा : निगमित लाभांश कर सहित वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश	(107.22)	(123.89)	-
जमा : अंतरिम लाभांश और उस पर कर	(114.52)	(95.30)	-
जमा : बोनस इश्यु	(79.18)	-	-
जमा : निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन (कर का निवल)	3.15	0.86	-
घटा: सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	-
कुल	389.76	318.50	141.79
(ख) सामान्य आरक्षित निधि			
अथशेष	3,333.71	3,333.71	3,333.71
जमा : प्रतिधारण आमदनियों से अंतरण	-	-	-
कुल	3,333.71	3,333.71	3,333.71
(ग) अन्य वृहत आय की मदें			
अथ शेष	(5.00)	26.52	26.52
विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	10.57	(31.52)	-
कुल	5.57	(5.00)	26.52
सकल योग	3,729.04	3,647.21	3,502.02

किया गया संवितरण और प्रस्तावित लाभांश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
घोषित और प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :		
2016-17 के दौरान प्रदत्त लाभांश : 45.00 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2015-16: 52.00 रुपए प्रति शेयर)	89.08	102.94
लाभांश वितरण कर - अंतिम लाभांश	18.14	20.96
2016-17 के दौरान अंतरिम लाभांश : 9.61 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2015-16: 40.00 रुपए प्रति शेयर)	95.15	79.18
	19.37	16.12
कुल	221.74	219.20
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश :		
31 मार्च 2017 का लाभांश: 27.80 रुपए प्रति शेयर (31 मार्च 2016: 45.00 रुपए प्रति शेयर)	97.25	89.08
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	19.80	18.14
कुल	117.05	107.22

15. वित्तीय देयताएं - गैर चालू

15.1. व्यापार देय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम *	-	-	-
अन्य ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	0.45	5.63	7.90
कुल	0.45	5.63	7.90

* संदर्भ नोट सं. 45

15.2. अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
जमा राशि व प्रतिधारण राशि	129.23	110.86	80.77
वित्तीय गारंटी संविदा *	-	0.04	0.13
कुल	129.23	110.90	80.90
*संदर्भ नोट सं. 52			

16. प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	16.1	71.70	101.14	202.85
संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	16.2	93.88	92.89	125.67
अन्य प्रावधान	16.3	302.93	402.78	455.31
		468.51	596.81	783.83
घटा: संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान (अलग से प्रस्तुत)	16.2	93.88	92.89	125.67
कुल		374.63	503.92	658.16
चालू		298.45	354.14	318.40
गैर चालू		76.18	149.78	339.76

प्रावधान संचलनों का प्रकटन इंड एस 37 की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक है :

16.1. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :

(क) सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	उपदान	अवकाश वेतन	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	पेंशन	कुल
1 अप्रैल 2015 को	66.31	82.79	1.28	7.33	26.19	183.90
चालू	4.52	6.94	0.08	5.97	26.19	43.70
गैर चालू	61.79	75.85	1.20	1.36	-	140.20
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	2.22	7.72	0.09	2.84	3.37	16.25
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	68.53	7.21	0.03	5.97	27.99	109.72
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता (विनिमय लाभ) / हानि	-	0.30	-	-	1.57	1.87
	-	0.05	-	-	-	0.05
31 मार्च 2016 को	-	83.05	1.34	4.20	-0.00	88.60
चालू	-	8.31	0.13	3.38	-0.00	11.82
गैर चालू	-	74.75	1.21	0.82	-	76.78
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	-	7.45	0.01	7.50	-	14.95
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	-	(6.21)	(0.02)	(3.38)	-	(9.61)
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता (विनिमय लाभ) / हानि	-	(28.33)	-	-	-	(28.33)
	-	(0.14)	(0.00)	-	0.00	(0.15)
31-मार्च-2017 को	-	55.82	1.33	8.32	-	65.47
चालू	-	5.58	0.13	6.66	-	12.37
गैर चालू	-	50.24	1.20	1.66	-	53.10

(ख) अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	निष्पादन संबंधी वेतन	अवकाश यात्रा रियायत	कुल
1 अप्रैल 2015 को	18.82	0.13	18.95
चालू	18.82	0.01	18.83
गैर चालू	-	0.12	0.12
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	5.69	0.31	6.00
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	(7.95)	(0.21)	(8.16)
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	(4.25)	-	(4.25)
31-मार्च-2016 को	12.31	0.23	12.54
चालू	12.31	0.03	12.34
गैर चालू	-	0.20	0.20
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	5.89	0.18	6.08
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	(11.64)	(0.08)	(11.72)
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	(0.67)	-	(0.67)
31-मार्च-2017 को	5.89	0.33	6.23
चालू	5.89	0.05	5.95
गैर चालू	-	0.28	0.28
कर्मचारी लाभ के लिए कुल प्रावधान (क + ख)			
31-मार्च-2017 को			71.70
31-मार्च-2016 को			101.14
1-अप्रैल-2015			202.85

16.2. संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	संदिग्ध ऋण	संदिग्ध अग्रिम	निवेशों के मूल्य में गिरावट	कुल
1 अप्रैल 2015 को	16.25	103.89	5.53	125.67
चालू	16.25	69.12	-	85.37
गैर चालू	-	34.77	5.53	40.30
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.24	0.60	-	0.84
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	(0.33)	(0.72)	-	(1.05)
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	(0.34)	(26.71)	(5.53)	(32.58)
(विनिमय लाभ) / हानि	-	0.01	-	0.01
31-मार्च-2016 को	15.82	77.07	-	92.89
चालू	15.82	77.07	-	92.89
गैर चालू	-	-	-	-
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	6.83	0.85	-	7.68
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	(0.60)	(1.99)	-	(2.59)
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	(1.45)	(2.79)	-	(4.25)
(विनिमय लाभ) / हानि	0.25	(0.11)	-	0.14
31-मार्च-2017 को	20.85	73.04	-	93.88
चालू	20.85	73.04	-	93.88
गैर चालू	-	-	-	-

16.3. अन्य प्रावधान :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	डीमोबिला- इजेशन	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	अनुरक्षण	प्रकट घाटे	अभिकल्प गारंटी	विधिक मामले	अन्य व्यय	कुल
1 अप्रैल 2015 को	48.01		124.68	12.56	147.27	72.56	50.22	455.31
चालू	40.58	-	38.58	12.56	41.91	72.56	49.68	255.87
गैर चालू	7.43	-	86.10	-	105.36	-	0.54	199.44
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	3.68		34.37	12.00	-	6.78	61.92	118.75
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	(8.38)	-	(54.38)	(2.39)	-	(0.07)	(21.21)	(86.43)
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता (विनिमय लाभ) / हानि	(19.25)	-	(25.38)	-	(49.53)	-	(0.56)	(94.73)
	(0.88)	-	(1.11)	-	0.69	-	(0.22)	(1.52)
छूट का अप्रयोग	0.26	-	7.96	0.05	3.14	-	-	11.41
31-मार्च-2016 को	23.44	-	86.14	22.22	101.57	79.27	90.15	402.78
चालू	22.91		69.64	22.22	45.79	79.27	90.15	329.98
गैर चालू	0.53	-	16.49	-	55.78	-	-	72.80
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1.00	0.91	9.89	-	-	10.02	10.48	32.29
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	(3.39)	-	(28.58)	(16.14)	-	(1.34)	(26.24)	(75.70)
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता (विनिमय लाभ) / हानि	(0.22)	-	(1.89)	-	(40.87)	(0.92)	(0.91)	(44.81)
	(1.75)	-	(0.23)	(0.05)	(10.89)	0.00	(1.93)	(14.84)
छूट का अप्रयोग	0.18		1.44	0.00	1.59	-	-	3.21
31-मार्च-2017 को	19.25	0.91	66.78	6.03	51.39	87.03	71.5488	302.93
चालू	19.18	0.91	56.49	6.03	38.96	87.03	71.55	280.13
गैर चालू	0.07	-	10.29	-	12.44	-	-	22.80

17. अन्य गैर चालू देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) अग्रिम			
ग्राहकों से अग्रिम	1769.15	963.21	69.24
ख) अन्य			
उचित मूल्य समायोजन	22.93	20.40	15.84
अन्य	0.56	-	-
कुल	1,792.64	956.61	85.08

18. वित्तीय देयताएं (चालू)

18.1. व्यापार देय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम *	-	-	-
अन्य			
(क) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	356.93	386.93	431.50
(ख) संबंधित पक्ष	6.08	18.92	16.20
कुल	363.01	405.85	447.70

* संदर्भ नोट सं 45

18.2. अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
स्टाफ	9.30	7.24	0.98
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि और रोकी गई राशि	503.56	480.73	509.09
वित्तीय गारंटी संविदा *	0.04	0.09	0.15
अन्य	33.98	20.60	15.10
कुल	546.88	508.66	525.32

* संदर्भ नोट सं. 52

19. अन्य चालू देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) अग्रिम			
ग्राहकों से अग्रिम	2,123.05	1,999.06	1,195.30
- घटा: संरक्षणाधीन जमा राशियां (बिक्री कर)	(210.48)	(203.45)	(184.31)
अग्रिम संविदा प्राप्तियां	99.96	74.27	24.63
ख) अन्य			
सांविधिक देय राशियां :	71.42	33.72	25.50
उचित मूल्य समायोजन	24.98	13.37	6.32
कुल	2,108.93	1,916.96	1,067.44

20. प्रचालन से राजस्व

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व	2,889.62	2,254.31
लोको पट्टा	0.88	35.89
मशीनरी किराया प्रभार	9.15	8.31
अन्य प्रचालन राजस्व	5.25	16.08
कुल	2,904.90	2,314.59

21. अन्य आय

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय:		
कर मुक्त बांड पर ब्याज	22.06	15.62
आयकर वापसी पर ब्याज	11.93	2.67
स्टॉफ अग्रिम पर ब्याज	0.21	0.27
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज *	16.83	35.30
अन्य अग्रिम पर ब्याज	4.31	2.76
सावधि योजना पर ब्याज	-	0.05
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज आय	7.54	3.98
सकल बैंक ब्याज	305.19	235.21
घटा :- ग्राहकों को अंतरित ब्याज	(163.82)	(60.83)
अन्य :		
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन	29.43	11.92
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.35	0.89
विविध आय	22.23	22.85
ऋण और इक्विटी पर बट्टा खाते का प्रावधान -सीसीएफबी	-	31.18
विनिमय उच्चावचन लाभ	-	150.12
घटा:- विनिमय उच्चावचन घटा	-	(15.95)
लाभांश आय	4.82	5.54
घटा :- ग्राहकों को अंतरित लाभांश	(1.45)	-
कुल	259.63	441.58

* संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज:

(रुपए करोड़ में)

संबंधित पक्षों का विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
- कम्पैनिया डोस कमिनोस डम फेरा डा बेरा एसएआरएएल	-	25.26
- इरकॉन इफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	2.63	3.91
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड	6.27	4.92
- छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड	4.87	0.43
- इरकॉन एफकॉन जेवी	0.20	0.78
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	1.89	-
- इरकान पीबी टोलवे लिमिटेड	0.97	-
	16.83	35.30

22. प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय (प्रशासनिक)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रयुक्त सामग्री और भंडारण					
आरंभिक शेष		89.87	58.42	-	-
जमा: वर्ष के दौरान खरीद*		321.04	367.51	-	-
		410.91	425.93	-	-
घटा: अंतिम शेष		38.92	89.87	371.99	336.06
कार्यगत व्यय		2,076.67	1,479.72	-	-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी		(47.86)	5.05	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		13.45	31.32	-	-
निरीक्षण, भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		13.55	5.12	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		11.50	14.29	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		4.94	9.92	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि		71.48	-	-	-
घटा : विनिमय उच्चावचन लाभ		33.13	-	-	-
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		38.35	-	-	-
किराया-गैर आवासीय		5.29	4.77	1.00	0.13
दर एवं कर		30.30	21.44	1.38	0.57
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		9.99	8.94	1.37	1.01
मरम्मत और रखरखाव					
- भवन		0.07	0.12	0.91	0.55
- कार्यालय तथा अन्य		3.23	2.49	3.83	2.71
बिजली, विद्युत व जल प्रसार		2.19	2.57	1.57	1.61
बीमा		5.55	5.13	0.04	0.03
यात्रा और वाहन		9.02	8.53	2.25	1.82
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.19	1.28	0.56	0.41
डाक टिकट, टेलीफोन, टैलेक्स		1.51	1.74	0.46	0.51
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		5.45	4.38	4.03	2.96
सुरक्षा सेवाएं		3.68	4.00	0.41	0.24
व्यवसाय संवर्धन		0.39	0.88	0.34	0.20
बट्टा खाता:					
अशोध्य ऋण		0.60	0.33	-	-
अशोध्य अग्रिम		1.99	0.59	-	-
- परिसंपत्तियां		0.11	0.02	-	-
परिसंपत्ति/ भंडार की बिक्री से हानि		-	-	0.03	0.03
निदेशकों की फीस		-	-	0.07	-
चंदा		-	-	0.04	0.01

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखापरीक्षकों की फीस	(i)	-	-	0.60	0.53
विज्ञापन और प्रभार		-	-	6.18	3.64
प्रशिक्षण और भर्ती		-	-	0.27	0.53
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 46 का संदर्भ लें)		-	-	5.89	6.24
विविध व्यय		2.86	3.39	1.27	1.01
पूर्व अवधि व्यय - बट्टा खाता/जमा (नोट 16 का संदर्भ लें)		(9.09)	23.46	-	-
उपयोग किया गया प्रावधान (नोट 16 का संदर्भ लें)		(78.29)	(87.48)	-	-
कुल		2,478.65	1,888.07	32.50	24.74

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.33	0.34
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.10	0.07
(iii) प्रमाणीकरण फीस	0.05	0.03
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
- स्थानीय	0.07	0.08
- विदेशी	0.05	0.01
कुल	0.60	0.53

* 0.13 करोड़ रुपए के लिए इंडो एस के क्रियान्वयन के कारण विनिमय लाभ/घाटा (31 मार्च 2016 को 0.02 करोड़ रुपए)

23. कर्मचारी पारिश्रमिक व लाभ

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	व्यय(प्रशासनिक)	कुल	प्रचालनिक	व्यय(प्रशासनिक)	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस	(i)	99.99	40.42	140.41	106.15	34.46	140.61
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		6.79	4.05	10.84	6.66	3.51	10.17
विदेशी सेवा अंशदान		0.76	0.84	1.60	0.41	0.20	0.61
सेवानिवृत्ति लाभ		12.92	(17.20)	(4.28)	12.75	10.25	23.00
वीआरएस लाभ		-	0.00	0.00	-	-	-
कर्मचारी कल्याण		1.27	0.54	1.81	1.40	0.48	1.88
कुल		121.73	28.65	150.38	127.37	48.90	176.27

फुट नोट :

0.33 करोड़ रुपए के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2016 को : 0.33 करोड़ रुपए)

24. वित्तीय लागत

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय	(i)	11.94	7.75
अन्य ऋण लागत			
- बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार		8.34	8.82
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज		29.66	10.95
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन		7.31	4.15
प्रावधानों पर छूटों का अप्रयोग कुल		3.35	11.52
कुल		60.60	43.19

फुट नोट :-

9.65 करोड़ रुपए के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2016 को : 7.50 करोड़)

25. मूल्यह्रास , परिशोधन एवं हानि

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण	16.34	28.13
अमूर्त परिसंपत्तियां	0.23	0.04
निवेश संपत्ति	0.05	0.05
परिसंपत्तियों की हानि	1.26	-
कुल	17.88	28.22

26. अन्य वृहत आय (ओआईसी) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(रुपए करोड़ में)

विवरण	निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	
	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	4.82	1.32
उन मदों के संबंध में आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	(1.67)	(0.46)
कुल	3.15	0.86

(रुपए करोड़ में)

विवरण	विदेशी मुद्रा अंतरण	
	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	16.16	(57.46)
उन मदों के संबंध में आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	(5.59)	25.94
कुल	10.57	(31.52)
सकल योग	13.72	(30.66)

27. पूर्व अवधि त्रुटियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
इक्विटी पर प्रभाव : इक्विटी में (वृद्धि/कमी))		
चालू व्यापार देय	3.35	3.05
चालू अन्य वित्तीय देयताएं	(0.03)	(0.37)
अन्य चालू परिसंपत्तियां	(0.29)	(1.24)
अन्य चालू देयताएं	23.98	19.20
विधिक मामलों के लिए प्रावधान	(0.51)	(0.51)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.67	0.00
इक्विटी पर शुद्ध प्रभाव	27.17	20.13
विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
लाभ में लाभ और हानि में विवरण पर प्रभाव (वृद्धि/(कमी))		
प्रचालनों से राजस्व	(5.72)	7.47
अन्य आय	(1.10)	(18.10)
प्रचालन तथा अन्य व्यय (प्रशासनिक)	(0.21)	(3.34)
अन्य व्यय	-	0.45
इक्विटी के प्रति	(7.03)	(13.52)
विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
ईपीएस में प्रति शेयर मूल तथा विलयित आमदनियों में (वृद्धि/(कमी))		
निरंतर प्रचालन के लिए प्रति शेयर आमदनी		
मूल, इक्विटी शेयरधारक के कारण निरंतर प्रचालन से लाभ	(0.71)	(1.37)
विलयित, इक्विटी शेयरधारक के कारण निरंतर प्रचालन से लाभ	(0.71)	(1.37)

27क. आपवादिक मदें

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निवेश की बिक्री पर लाभ	73.69	-
कुल	73.69	-

28. उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यम

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को			1 अप्रैल 2015 को		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परि- शोधित लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परि- शोधित लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परि- शोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां									
(i) निवेश									
कर मुक्त बांड (संचित ब्याज सहित)	-	-	309.23	-	-	304.02	-	-	178.08
म्युचुवल फंड में निवेश	249.91	-	-	132.48	-	-	68.39	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	-	-	424.66	-	-	525.40	-	-	463.27
(iii) ऋण	-	-	424.61	-	-	89.69	-	-	154.72
(iv) प्रतिधारण राशि तथा रोकी गई राशि	-	-	141.80	-	-	173.82	-	-	152.94
(v) सरकारी विभागों में प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूलीयोग्य	-	-	124.94	-	-	94.99	-	-	17.36
(vi) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य रोकड़	-	-	1,394.70	-	-	2,457.02	-	-	1,188.95
(vii) उपर्युक्त (ii) से अतिरिक्त बैंक शेष	-	-	3,262.83	-	-	2,096.08	-	-	2,032.43
(viii) अन्य - वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	192.49	-	-	184.04	-	-	124.09
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	249.91	-	6,275.27	132.48	-	5,925.06	68.39	-	4,311.84
वित्तीय देयताएं									
(i) व्यापार देय	-	-	363.46	-	-	411.48	-	-	455.60
(ii) प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	-	-	632.79	-	-	591.60	-	-	589.87
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	43.32	-	-	27.96	-	-	16.36
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	1,039.57	-	-	1,031.04	-	-	1,061.83

(ii) परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है और इनके लिए उचित मूल्य प्रकट किये गए हैं।

(रुपए करोड़ में)

विवरण	धारण मूल्य			उचित मूल्य		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2015
वित्तीय सहायता						
कर मुक्त बांड	309.23	304.02	178.08	293.32	292.98	175.61
म्युचुवल फंड में निवेश	249.91	132.48	68.39	249.91	132.49	68.39
प्रतिधारण राशि तथा रोकई राशि	141.80	173.82	152.94	141.00	173.22	152.94
सरकारी विभागों तथा अन्यो में प्रतिभूति राशि	124.94	94.99	17.36	124.97	95.14	17.36
कुल परिसंपत्तियां	825.88	705.31	416.77	809.20	693.82	414.30
वित्तीय देयताएं						
परिशोधित लागत						
व्यापार देय	363.46	411.48	455.60	361.46	411.47	455.60
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	632.79	591.60	589.87	627.47	597.70	589.87
कुल देयता	996.26	1,003.08	1,045.47	988.92	1,009.17	1,045.47

- चालू व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देयों, प्रतिभूति जमा राशियों तथा प्रतिधारण राशियों, रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य, बैंक शेष और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देशताओं की वहन राशियों पर उनके उचित मूल्यों पर समान माना जाएगा क्योंकि उनकी अल्पकालीन प्रकृति है।
- दीर्घकालीन प्रतिभूति जमा राशियों, प्रतिधारण राशि और दीर्घकालीन व्यापार प्राप्तियों के उचित मूल्य का परिकलन चालू बाजार दर का प्रयोग करते हुए रोकड़ प्रवाहों के आधार पर किया गया था।
- सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के कोट न किए गए इक्विटी में निवेश को इंड एएस 27 के पैरा 10 द्वारा उपलब्ध छूट के अनुसार 31.3.2015 को भारतीय जीएपी के अनुसार धारण मूल्य में प्रकट किया गया है।
- संबंधित पक्षों को दिया गया ऋण तथा अग्रिम बाजार दर पर हैं, इसलिए ऐसे ऋणों और अग्रिमों की वहन राशि उनके उचित मूल्य के बराबर होती है।
- स्टाफ ऋण और अग्रिम अभी भी पिछले जीएपी मूल्यों पर धारित है क्योंकि मापन प्रभाव अनावश्यक है।

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए कोट किए गए मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रूप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो अवलोकनीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (गैर अवलोकनीय इनपुट) निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर तथा परिशोधित लागत पर उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य मापन अनुक्रम को प्रस्तुत करता है।

31 मार्च 2017 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

(रुपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां:					
म्युचुवल फंड में निवेश	31.3.2017	249.91	249.91	-	-
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
कर मुक्त बांडों में निवेश	31.3.2017	293.32	293.32	-	-
प्रतिधारण राशि तथा रोकी गई राशि	31.3.2017	141.00	-	-	141.00
सरकारी विभागों तथा अन्यो में प्रतिभूति राशि	31.3.2017	124.97	-	-	124.97

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2017 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

(रुपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
व्यापार देय	31.3.2017	361.46	-	-	361.46
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	31.3.2017	627.47	-	-	627.47
वित्तीय गारंटी संविदा देयता	31.3.2017	0.04	-	-	0.04

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2016 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

(रुपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां:					
म्युचुवल फंड में निवेश	31.3.2016	132.49	132.49	-	-
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
कर मुक्त बांड में निवेश	31.3.2016	292.98	292.98	-	-
प्रतिधारण राशि तथा रोकी गई राशि	31.3.2016	173.22	-	-	173.22
सरकारी विभागों तथा अन्यो में प्रतिभूति राशि	31.3.2016	95.14	-	-	95.14

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2016 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:-

(रुपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
व्यापार देय	31.3.2016	411.47	-	-	411.47
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	31.3.2016	597.70	-	-	597.70
वित्तीय गारंटी संविदा देयता	31.3.2016	0.13	-	-	0.13

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

1 अप्रैल 2015 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:-

(रुपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन :					
म्युचुवल फंड में निवेश	01.04.2015	68.39	68.39	-	-
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां का मापन जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किए गए हैं ।					
कर मुक्त बांडों में निवेश	01.04.2015	175.61	175.61	-	-
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	01.04.2015	152.94	-	-	152.94
सरकारी विभागों तथा अन्यो में प्रतिभूति राशि	01.04.2015	17.36	-	-	17.36

इस अवधि के दौरान स्तर 1 , स्तर 2 तथा स्तर तीन में कोई अंतरण नहीं हुआ है।

01 अप्रैल 2015 को वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य मापन क्रम:-

(रुपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
व्यापार देय	01.04.2015	455.60	-	-	455.60
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	01.04.2015	589.87	-	-	589.87
वित्तीय गारंटी संविदा देयता	01.04.2015	0.28	-	-	0.28

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

iii वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियों जो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। कम्पनी म्युचुवल फंड और कर मुक्त बांडों में भी निवेश करती है। कम्पनी की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढ़ाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करती है और उसे व्यापक विदेश मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान सामान्यतः समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडउन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। कंपनी को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वतः बचाव हो जाता है। (संदर्भ नोट सं. 36)

ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढ़ाव का जोखिम है। कंपनी अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं कर मुक्त बांड तथा बैंक में जमा राशि। इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है।

ख) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय घाटे का जोखिम है यदि ग्राहक या वित्तीय माध्यम का प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और सिद्धांत रूप में ग्राहकों या निवेश से कंपनी के प्राप्य की स्थिति उत्पन्न होती है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास धारित रोकड़ के कारण तथा बकाया प्राप्य खातों सहित ग्राहकों से ऋण जोखिम से होता है। ऋण का अधिकतम खतरा वित्तीय परिसंपत्तिया के धारण मूल्य के समान होता है। प्रतिफल के ऋण जोखिमों के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों के घाटों को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्ष की वित्तीय स्थिति, पूर्व के अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उसकी ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है।

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

कंपनी के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है के चूक जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के प्रतिशत के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करता है।

(रुपए करोड़ में)

विवरण	इस समाप्त अवधि हेतु	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
शीर्ष परियोजनाओं से राजस्व		
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	1,509.59	1,162.60
	1,509.59	1,162.60

(i) संभावित ऋण घाटों के लिए प्रावधान

31.03.2017 को

क) सरलीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों से संभावित ऋण हानि

(रुपए करोड़ में)

समयावधि	< 6 M	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल धारण राशि	350.15	34.58	32.40	7.93	20.44	445.51
संभावित ऋण दर	0.15%	0.00%	0.00%	8.67%	96.04%	4.68%
संभावित ऋण घाटे (घाटा प्रावधान व्यवस्था)	0.53	-	-	0.69	19.63	20.85
व्यापार प्राप्यों की सकल धारण राशि	349.62	34.58	32.40	7.24	0.81	424.66

ख) ऋण और निवेशों से संभावित ऋण हानि

विवरण	परिसंपत्ति समूह	धारण मूल्य	चूक की अनुमानित संभावना	अनुमानित ऋण घाटा	अनुमानित ऋण घाटा की निवल धारण राशि	
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ़ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	प्रतिभूति जमा राशि और ईएमडी	10.13	7.84%	0.79	9.33
	स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	-	100%	-	-	
	प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा राशि	154.64	8.30%	12.84	141.80	
		164.77		13.63	151.13	

31.03.2016 को

क) सरलीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों से संभावित ऋण हानि

समयावधि	< 6 M	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल धारण राशि	485.88	19.17	15.73	4.91	15.55	541.22
संभावित ऋण दर	0.00%	0.00%	5.76%	0.00%	95.94%	2.92%
संभावित ऋण घाटे (घाटा प्रावधान व्यवस्था)	-	-	0.91	-	14.92	15.82
व्यापार प्राप्यों की सकल धारण राशि	485.88	19.17	14.82	4.91	0.63	525.40

ख) ऋणों और निवेशों से संभावित ऋण हानि

विवरण		परिसंपत्ति समूह	धारण मूल्य	चूक की अनुमानित संभावपना	अनुमानित ऋण घाटा	अनुमानित ऋण घाटा की निवल धारण राशि
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ़ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	प्रतिभूति जमा राशि और ईएमडी	9.58	18.67%	1.79	7.79
		स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	-	100%	-	-
		प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा राशि	187.88	7.48%	14.06	173.82
			197.46		15.85	181.61

01.04.2015 को

क) सरलीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों से संभावित ऋण हानि

समयावधि	< 6 M	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल धारण राशि	395.37	9.33	42.06	22.30	10.47	479.52
संभावित ऋण दर	0.12%	7.37%	3.54%	14.19%	99.81%	3.39%
संभावित ऋण घाटे (घाटा प्रावधान व्यवस्था)	0.46	0.69	1.49	3.16	10.45	16.25
व्यापार प्राप्यों की सकल धारण राशि	394.91	8.64	40.57	19.14	0.02	463.27

ख) ऋणों और निवेशों से संभावित ऋण हानि

विवरण		परिसंपत्ति समूह	धारण मूल्य	चूक की अनुमानित संभावपना	अनुमानित ऋण घाटा	अनुमानित ऋण घाटा की निवल धारण राशि
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ़ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	प्रतिभूति जमा राशि और ईएमडी	10.91	21.80%	2.38	8.53
		प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा राशि	167.32	8.60%	14.38	152.94
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ़ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	निवेश *	5.53	100%	5.53	-
		ऋण *	25.46	100%	25.46	-
		ऋणों पर ब्याज*	0.19	100%	0.19	-
			209.41		47.94	161.47

* परिसंपत्तियां समूह संयुक्त उद्यम सीसीएफबी की हैं, जिसे वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निपटाया गया है।

ग) नकदी का जोखिम

नकदी का जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी देय होने पर अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाती है। कंपनी जहां तक संभव हो अपनी नकदी जोखिम के प्रबंधन को सुनिश्चित करती है कि उनके पास आवश्यकता पड़ने पर देयताओं से निपटने के लिए पर्याप्त रोकड़ उपलब्ध हो।

कंपनी का निगमित निधि विभाग नकदी, निधियन और निपटान प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ प्रबंधन ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं और नीतियों की निगरानी करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 तथा 1 अप्रैल 2015 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं का ब्यौरा प्रस्तुत करता है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
व्यापाद देय	267.80	0.51	59.12
अन्य वित्तीय देयताएं	593.11	78.02	103.05

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
व्यापाद देय	301.26	3.00	64.19
अन्य वित्तीय देयताएं	544.94	74.45	64.60

(रुपए करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2015 तक		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
व्यापाद देय	375.10	2.75	45.76
अन्य वित्तीय देयताएं	572.77	63.23	29.92

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों के चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

iv पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का कंपनी का उद्देश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि कंपनी अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टैकधारकों का लाभ दे सके। वर्तमान में कम्पनी के पास कोई कर्ज नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी परिवर्तित होती अर्थव्यवस्था और वित्तीय नियमों की अपेक्षाओं में परिवर्तन के आलोक में समायोजनों को करने के लिए अपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करती है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी के प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

29. इंड-एस का पहली बार अंगीकरण

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ये स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए हैं जिन्हें इंड-एस के अनुसार तैयार किया गया है। इंड एस में ट्रांजिशन के प्रयोजन से, कंपनी ने इंडएस 101 में निर्धारित दिशानिर्देश का अनुसरण किया है इसे 1 अप्रैल 2015, ट्रांजिट तिथि के रूप में, भारतीय लेखांकन मानक के पहली बार अंगीकरण के लिए पिछले जीएपी के रूप में आईजीएपी को स्वीकार किया गया है।

इंडो एस में ट्रांजिशन के कारण वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण, इसके नोटों में प्रकटनों तथा लेखांकन नीतियों और सिद्धांतों के प्रस्तुतीकरण में परिवर्तन हुआ है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों तथा तुलनात्मक सूचना को तैयार करने के लिए नोट 1 में निर्धारित लेखांकन नीतियों को लागू किया गया है।

इंड एस 101 को पहली बार अंगीकृत करने पर प्राप्त किए गए अपवाद/छूट

1. अनुमान :

वर्तमान अनुमान पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत बनाए गए अनुमानों के समान होने चाहिए बशर्ते:

- वहां कोई त्रुटि न हो, या
- पिछले जीएपी के अंतर्गत अनुमान तथा संबंधित सूचना अब संगत नहीं है क्योंकि निकाय ने इंड एस के अंगीकरण पर भिन्न लेखांकन नीति को चुना है।

हमारे मामले में वर्तमान अनुमान पिछले जीएपी के अंतर्गत निर्मित अनुमानों के अनुरूप हैं।

2. वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की विस्वीकृति :

कंपनी ने इंड एस में अंगीकृत होने की तिथि को या उसके पश्चात होने वाले प्रत्याशित संव्यवहारों के लिए इंड एस 109 में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए विस्वीकृति अपेक्षाओं को लागू करने का चयन किया है।

3. वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन कंपनी ने इंड एस में पारगमन की तिथि को मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इंड एस 109 के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन किया है।

4. अनुमानित लागत (इंड-एस 16 तथा इंड एस 38) :

पिछले जीएपी में संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (डीकमिशनिंग देयताओं, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात), अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए अंतरण तिथि को धारण मूल्य को अनुमाति लागत के रूप में लिया जाता है।

5. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों में निवेश (इंड-एस 27- पृथक वित्तीय विवरण):

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों में निवेश को अनुमानित लागत पर रिकार्ड किया जाता है, तो कि उस तिथि को पिछली जीएपी धारण राशि है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल पाबंद देयताएं (इंड एस 16- संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण): कंपनी ने भावी आधार पर इंड एस में अंतरण की तिथि को पाबंद देयताओं को मापने के लिए विधि स्वीकार की है। दायित्व को पीपीई के पृथक घटक के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा, जिसके साथ संचित मूल्यहास को अंतरण तिथि में दायित्व की तिथि से पूंजीकृत किया जाएगा। परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत की जाने वाली राशि को एतिहासिक जोखिम समायोजित रियायत दरों के सर्वोत्तम अनुमान का प्रयोग करते हुए आरंभ में उत्पन्न दायित्व की तिथि से देयता बट्टे में शामिल करके परिकलित किया जाएगा। संबद्ध संचित मूल्यहास का परिकलन, परिसंपत्ति के लिए निकाय की मूल्यहास नीति का प्रयोग करके परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल का चालू अनुमान का प्रयोग करके परिकलित किया जाएगा।

7. बिक्री के लिए गैर चालू परिसंपत्तियां (इंड एस 105) :

कंपनी ने अंतरण तिथि को धारण मूल्य और उचित मूल्य तथा अंतर यदि कोई है पर ऐसी परिसंपत्ति को मापनो के लिए विधि अपनाई है जिसे धारित आमदनी में अंतरित किया जाएगा।

1 अप्रैल 2015 को इक्विटी का समाधान (अंतरण की तिथि को)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएएपी)*	समायोजन	इंड एस
I. परिसंपत्तियां				
1 गैर चालू परिसंपत्तियां				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	9	155.02	10.45	165.47
(ग) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य		0.38	-	0.38
(ग) निवेश संपत्ति		270.40	-	270.40
(घ) अन्य अमूर्ति परिसंपत्तियां		0.03	-	0.03
(ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		1.01	-	1.01
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां			-	-
(i) निवेश	7,14	407.79	0.30	408.09
(ii) व्यापार प्राप्य	5	50.01	(5.30)	44.71
(iii) ऋण		134.31	-	134.31
(iv) अन्य	5	5.39	(0.52)	4.87
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3	274.31	(5.76)	268.55
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	2,5	245.33	3.09	248.42
		1,543.98	2.26	1,546.24
2 चालू परिसंपत्तियां				
(क) दरसूची	9	114.29	0.14	114.43
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			-	
(i) निवेश		68.39	-	68.39
(ii) व्यापार प्राप्य		571.50	-	571.50
(iii) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य		1,189.04	(0.09)	1,188.95
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष		2,032.43	-	2,032.43
(v) ऋण	9	20.41	-	20.41
(vi) अन्य		148.47	-	148.47
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		12.87	-	12.87
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	5	806.85	0.20	807.05
		4,964.25	0.25	4,964.50
कुल परिसंपत्तियां		6,508.23	2.51	6,510.74
II. इक्विटी और देयताएं				
1 इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी		19.80	-	19.80
(ख) अन्य इक्विटी		3,333.71	168.31	3,502.02
		3,353.51	168.31	3,521.82
2 देयताएं				
(i) गैर चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(ii) व्यापार देय	6	8.38	(0.48)	7.90

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएपी)*	समायोजन	इंड एस
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	6,14	102.37	(21.47)	80.90
(ख) प्रावधान	8,9	351.03	(11.27)	339.76
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	6	69.24	15.84	85.08
(ii) चालू देयताएं		531.02	(17.38)	513.64
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) व्यापार देय	2,9	450.85	(3.15)	447.70
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	2,9,14	524.79	0.53	525.32
(ख) अन्य चालू देयताएं	2,6,9	1,080.60	(13.16)	1,067.44
(ग) प्रावधान	1,2,9	451.04	(132.64)	318.40
(घ) चालू कर देयता (निवल)		116.42	-	116.42
		2,623.70	(148.42)	2,475.28
कुल इक्विटी और देयताएं		6,508.23	2.51	6,510.74

* इस नोट के प्रयोजन हेतु पिछले जीएपी आंकड़ों को इंड-एस प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के लिए स्वीकार किया गया है।

31 मार्च 2016 को इक्विटी का समाधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएपी)*	समायोजन	इंड एस
I. परिसंपत्तियां				
1 गैर चालू परिसंपत्तियां				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	9	140.22	6.18	146.40
(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य		1.50	-	1.50
(ग) निवेश संपत्ति		278.18	0.01	278.19
(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां		0.10	0.00	0.10
(ड.) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां		1.01	(0.00)	1.01
(च) वित्तीय संपत्तियां			-	
(i) निवेश	7,14	604.99	0.29	605.28
(ii) व्यापार प्राप्य	5	2.81	(0.27)	2.54
(iii) ऋण		85.73	0.00	85.73
(iv) अन्य	5	84.90	(0.67)	84.23
(छ) आस्थगित कर संपत्ति /निवल	3	222.03	0.28	222.31
(ज) अन्य गैर चालू संपत्तियां	5	250.05	(0.65)	249.40
		1,671.52	5.17	1,676.69
2 चालू संपत्तियां				
(क) दरसूचियां	9	140.63	(0.02)	140.61
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			-	
(i) निवेश	12	137.52	0.50	138.02
(ii) व्यापार प्राप्य	5	700.66	(3.97)	696.69
(iii) रोकड और रोकड समतुल्य		2,457.05	(0.03)	2,457.02
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष		2,096.08	(0.00)	2,096.08
(v) ऋण	9	3.95	0.00	3.95
(vi) अन्य	2,9	207.03	0.41	207.44
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)		18.98	(0.00)	18.98
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	2,5,9,10	694.96	6.35	701.31

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएएपी) *	समायोजन	इंड एस
		6,456.86	3.24	6,460.10
कुल परिसंपत्तियां		8,128.38	8.41	8,136.79
II. इक्विटी और देयता				
1 इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी		19.80	-	19.80
(ख) अन्य इक्विटी		3,510.46	136.75	3,647.21
		3,530.26	136.75	3,667.01
2 देयताएं				
(i) गैर चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(ii) व्यापार देय	6	5.82	(0.19)	5.63
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	6, 14	143.80	(32.90)	110.90
(ख) प्रावधान	8	155.54	(5.76)	149.78
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	6	936.21	20.40	956.61
		1,241.37	(18.45)	1,222.92
(ii) चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) व्यापार देय	2, 6, 9	406.63	(0.78)	405.85
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	2, 6, 9, 14	510.20	(1.54)	508.66
(ख) अन्य चालू देयताएं	2, 6, 9	1,909.76	7.20	1,916.96
(ग) प्रावधान	1, 2, 9	468.91	(114.77)	354.14
(घ) चालू कर देयता (निवल)		61.25	0.00	61.25
		3,356.75	(109.89)	3,246.86
कुल इक्विटी और देयताएं		8,128.38	8.41	8,136.79

* इस नोट के प्रयोजन हेतु पिछले जीएएपी आंकड़ों को इंड-एस प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के लिए स्वीकार किया गया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल वृहत आय का समाधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएएपी) *	समायोजन	इंड एस
I. राजस्व :				
प्रचालनों से राजस्व	2, 9	2,299.10	15.49	2,314.59
जमा :- एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवर में कंपनी का भाग		103.92	-	103.92
		2,403.02	15.49	2,418.51
II. अन्य आय	2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14	397.70	43.88	441.58
III. कुल आय (I+II)		2,800.72	59.37	2,860.09
IV. व्यय:				
प्रचालन व्यय	2, 8, 9	1,894.23	(6.16)	1,888.07
कर्मचारी लाभ व्यय	4, 9	174.30	1.97	176.27
वित्त लागत	5, 6, 9	16.52	26.67	43.19
मूल्यहास, परिशोधन तथा हानि	9	26.18	2.04	28.22
अन्य व्यय (प्रशासनिक)	2, 9	25.08	(0.34)	24.74
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में व्यय का आनुपातिक भाग		97.25	(0.01)	97.24
कुल व्यय (IV)		2,233.56	24.17	2,257.73

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएएपी) *	समायोजन	इंड एस
V. आपवादिक मर्दों और कर के पूर्व लाभ/ (हानि) (III - IV)		567.16	35.21	602.36
VI. आपवादिक मर्दें				
VII. कर पूर्व लाभ / (हानि) (V - VI)		567.16	35.21	602.36
VIII. कर व्यय:				
(1) चालू कर	13	130.62	19.43	150.05
- वर्ष के लिए		4.98	-	4.98
- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		52.29	-	52.29
(2) आस्थगित कर (निवल)		187.89	19.43	207.32
कुल कर व्यय (VIII)		379.27	15.77	395.04
IX निरंतर प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ/ (हानि) (VII - VIII)				
X अन्य वृहत आय				
क. (i) मर्दें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	4	-	1.32	1.32
(ii) आयकर संबंधी मर्दें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	13	-	(0.46)	(0.46)
ख. (i) मर्दें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	9	-	(57.46)	(57.46)
(ii) आयकर संबंधी मर्दें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	13	-	25.94	25.94
अन्य वृहत्त आय		-	(30.66)	(30.66)
XI वर्ष के लिए कुल वृहत आय (IX + X) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य वृहत आय सहित)		379.27	(14.89)	364.38
XII प्रति इक्विटी शेयर आमदनी (निरंतर प्रचालन हेतु)				
(1) मूल		38.32	(1.50)	36.81
(2) विलयित		38.32	(1.50)	36.81

* इस नोट के प्रयोजन हेतु पिछले जीएएपी आंकड़ों को इंड-एस प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के लिए स्वीकार किया गया है।

31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 को कुल इक्विटी का समाधान

(रुपए करोड में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2015
इक्विटी शेयर पूंजी		19.80	19.80
अन्य इक्विटी		3,510.46	3,333.71
पिछले जीएएपी के अनुसार कल इक्विटी (शेयरधारक निधि)		3,530.26	3,353.51
समायोजन			
अंतरण की तिथि को प्रभाव का अग्रेषण		168.31	-
पूर्व अवधि समायोजन	2	-	20.13

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016		01 अप्रैल 2015	
प्रस्तावित लाभांश और लाभांश कर 15-16	1	107.23		-	
प्रस्तावित लाभांश और लाभांश कर 14-15	1	(123.90)		123.90	
पट्टा आय पर समायोजन	10	-		0.10	
परिशोधित लागत पर बांडों का उचित मूल्य	7	-		0.02	
प्रावधानों का बट्टा खाता	8	-		20.53	
अंतरण पर विनिमय लाभ	9	-		3.63	
2015-16 के दौरान ओसीआई सहित लाभ और हानि का प्रभाव		(14.89)	136.75	-	168.31
कुल इक्विटी (शेयरधारक निधि) इंड-एस के अनुसार			3,667.01		3,521.82
इक्विटी शेयर पूंजी			19.80		19.80
अन्य इक्विटी			3,647.21		3,502.02

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल वृहत आय का समाधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016	
पिछले जीएएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ			379.27
समायोजन :			
रोजगारपूर्व लाभ दायित्वों का पुनर्निर्धारण	4	1.32	
रोजगारपूर्व लाभ दायित्वों का पुनर्निर्धारण के लिए समायोजन पर कर प्रभाव	13	(0.46)	
पूर्व अवधि समायोजन	2	(13.52)	
वित्तीय माध्यमों के पृथक्कन पर ब्याज आय	5	3.98	
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन	6,14	11.92	
वित्तीय माध्यमों के पृथक्कन पर ब्याज आय	6	(10.95)	
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन	5	(4.15)	
पट्टा आय के लिए समायोजन	10	0.14	
म्युचुवल फंड से आय	12	0.50	
बांडों पर ब्याज आय	7	(0.01)	
प्रावधानों पर रियायत	8	(11.52)	
2015-16 के दौरान किए गए प्रावधान के संवर्धन का बट्टा खाता	8	9.42	
विनिमय लाभ एवं आस्थगित कर	13,9	29.10	15.77
इंड-एस के अनुसार कर पूर्व लाभ			395.04
अन्य वृहत आय			
(i) (i) मर्दे जिन्हें लाभ या हानि (कर सहित) में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है		0.86	
(ii) मर्दे जिन्हें लाभ या हानि (कर सहित) में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है		(31.52)	(30.66)
इंड-एस के अनुसार कुल वृहत आय			364.38

फुट नोट:

1. प्रस्तावित लाभांश

कंपनी उस अवधि के लिए लाभांश हेतु देयता को स्वीकार करेगी (लाभांश वितरण कर सहित) जिस अवधि में लाभांश को शेयरधारकों द्वारा स्वीकार किया गया है। इसलिए, 31.03.2016 को जीएएपी के अनुसार प्रस्तावित लाभांश के लिए 107.22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 1 अप्रैल 2015 को सीडीटी सहित 123.90 करोड़ रुपए को रिर्स किया गया है और उस वर्ष बही में शामिल किया गया है जिस वर्ष इसे वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसलिए, 31-03-2016 को 107.22 करोड़ रुपए तथा 01-04-2015 को 123.90 करोड़ रुपए तक प्रावधान में कमी हुई है, जबकि धारणीय आमदनियों में समान राशि की समवर्ती वृद्धि हुई है।

2. पूर्व अवधि

इंडो-एस 8 के अनुसार, लेखांकन नीतियों के कारण लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन हुआ है तथा पूर्व अवधि त्रुटियों को पूर्व प्रभावी पुनर्विवरण द्वारा सही किया जाएगा। 20.54 करोड़ रुपए की पूर्व अवधि आय को वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकार किया गया है और 1 अप्रैल 2015 को पुनःप्रस्तुत किया गया है। इस पुनर्विवरण के परिणामस्वरूप प्रतिधारित आमदनियों में वृद्धि हुई है जिसमें 01.04.2015 को परिसंपत्तियों/देयताओं में 20.54 करोड़ रुपए राशि की समवर्ती वृद्धि हुई है।

31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए 7.03 करोड़ रुपए की पूर्व अवधि आय को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रिवर्स किया गया है, जिसमें से 0.42 करोड़ रुपए के व्ययों को आरंभिक तुलन पत्र में प्रतिधारित आमदनियों में समायोजित किया गया है और 7.45 करोड़ रुपए की आय को परिसंपत्तियों/देयताओं में समवर्ती वृद्धि/कमी के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकार किया गया है (ब्यौरे के लिए नोट 27 का संदर्भ लें)।

3. आस्थगित कर

इंडो-एस के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2016 को 222.31 करोड़ रुपए तथा 1 अप्रैल 2015 को 268.55 करोड़ रुपए की आस्थगित कर सम्पत्तियों को स्वीकार किया है, इसलिए 31 मार्च 2016 को प्रतिधारित आय में 6.05 करोड़ रुपए और 1 अप्रैल 2015 को 5.76 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

4. निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्निर्धारण

इंडो-एस के अंतर्गत, बीमांकित लाभ और (हानि), और इसके कर घटक को पिछले जीएएपी के अंतर्गत अन्य वृहत आय में स्वीकार किया गया है, ये बीमांकित लाभ और (हानि) लाभ और हानि का भाग हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्ययों में कमी हुई है और अन्य वृहत आय में 1.32 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, तथापि इक्विटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

5. वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रतिभूति जमा राशि/प्रतिधारण राशि को 31-03-2016 (01-04-2015 44.71 करोड़ रुपए के उचित मूल्य पर) को 2.54 करोड़ रुपए की परिशोधित लागत पर स्वीकार किया गया है और 31-03-2016 (01-04-2015 5.30 करोड़ रुपए) को 0.27 करोड़ रुपए के अंतर को उचित मूल्य समायोजनों पर स्वीकार किया गया है।

सरकार और अन्य पक्षों के पास प्रतिभूति जमा राशियों को 31-03-2016 (01-04-2015 1.39 करोड़ रुपए के उचित मूल्य पर) को 33.18 करोड़ रुपए की परिशोधित लागत पर स्वीकार किया गया है और 31-03-2016 (01-04-2015 0.52 करोड़ रुपए) को 0.67 करोड़ रुपए के अंतर को उचित मूल्य समायोजनों पर स्वीकार किया गया है।

गैर चालू परिसंपत्तियों का निवल प्रभाव दिनांक 31.03.2016 को 0.66 करोड़ रुपए (01.04.2015 को 3.09 करोड़ रुपए) है और चालू परिसंपत्तियों में यह प्रभाव 6.35 करोड़ रुपए (01.04.2015 को 0.20 करोड़ रुपए) जिसमें पूर्व अवधि समायोजन तथा अंतरण अंतर और अन्य इंडो-एस समायोजन शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने प्रतिभूति जमा राशियों पर 3.98 करोड़ रुपए की ब्याज आय को स्वीकार किया था और उचित मूल्य समायोजनों से 4.15 करोड़ रुपए को परिशोधित किया था। इसके कारण लाभ में 0.18 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

6. वित्तीय देयताएं

व्यापार देय राशियों को 31-03-2016 को 411.48 करोड़ रुपए की परिशोधित लागत पर स्वीकार किया गया है (01-04-2015 को 455.60 करोड़ रुपए के उचित मूल्य पर) और 31-03-2016 को 0.97 करोड़ रुपए के अंतर (01-04-2015 को 3.63 करोड़ रुपए) को अन्य देयताओं में उचित मूल्य समायोजनों के रूप में स्वीकार किया गया है। (उपर्युक्त आंकड़ों में चालू और गैर चालू दोनों शामिल हैं।

जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों को 31-03-2016 को 61.94 करोड़ रुपए की परिशोधित लागत पर स्वीकार किया गया है (01-04-2015 को 60.59 करोड़ रुपए के उचित मूल्य पर) और 31-03-2016 को 34.57 करोड़ रुपए के अंतर (01-04-2015 को 3.63 करोड़ रुपए) को अन्य देयताओं में उचित मूल्य समायोजनों के रूप में स्वीकार किया गया है। (उपर्युक्त आंकड़ों में चालू और गैर चालू

दोनों शामिल हैं)।

गैर चालू देयताओं का निवल प्रभाव दिनांक 31.03.2016 को 20.40 करोड़ रुपए (01.04.2015 को 1.58 करोड़ रुपए) हैं और चालू देयताओं में दिनांक 31.03.2016 को यह प्रभाव 7.21 करोड़ रुपए (01.04.2015 को 13.07 करोड़ रुपए) जिसमें पूर्व अवधि समायोजन तथा अंतरण अंतर शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने वित्तीय देयताओं पर 10.94 करोड़ रुपए की ब्याज आय को स्वीकार किया था और 11.76 करोड़ रुपए को वित्तीय देयताओं और वित्तीय माध्यमों के परिशोधन को स्वीकार किया है। इसके कारण लाभ और हानि पर में 0.82 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ा है।

7. निवेश

करमुक्त बांडों में निवेश को 31.03.2016 को 291.39 करोड़ रुपए पर तथा 01.04.2015 को 166.20 करोड़ रुपए की परिशोधित लागत पर स्वीकार किया गया है तथा 2015-16 को समाप्त वर्ष के दौरान ब्याज आय में 0.003 करोड़ रुपए की समवर्ती वृद्धि तथा दिनांक 01.04.2015 को प्रतिधारण आमदनियों में 0.01 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

8. प्रावधान

प्रावधानों को उचित मूल्य पर स्वीकार किया गया है जहां धन का समय मूल्य तथ्यात्मक है, जिसके कारण प्रतिधारण आमदनियों में 01.04.2015 को 20.53 करोड़ रुपए की कमी हुई है जिसमें विदेशी प्रचालन का अंतरण अंतर तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य प्रचालनिक व्ययों में 9.42 करोड़ रुपए की कमी हुई है (उपर्युक्त आंकड़ों में चालू और गैर चालू आंकड़े शामिल हैं)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 11.52 करोड़ रुपए की ब्याज लागत को प्रावधानों पर रियायत की अनवाइंडिंग के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके कारण लाभ में 2.10 करोड़ रुपए की कमी हुई है।

9. वर्तमान मुद्रा में अंतरण

विदेशी शाखाओं के विनिमय अंतर, जिनकी क्रियात्मक मुद्रा कंपनी की वर्तमान मुद्रा से भिन्न है, को 26.52 करोड़ रुपए पर दिनांक 01.04.2015 को अन्य वृहत आय के रूप में स्वीकार किया गया है और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य वृहत आय (57.46) करोड़ रुपए में स्वीकार किया गया है जिसमें अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं में समवर्ती वृद्धि या कमी हुई है। दिनांक 01.04.2015 को निवल प्रभाव 3.63 करोड़ रुपए है।

10. इंड-एस के अंतर्गत, पट्टा आय को एसएलएम आधार पर स्वीकार किया गया है जहां वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर नहीं है, 0.09 करोड़ रुपए की आय को दिनांक 01.04.2015 को प्रतिधारित आमदनियों के रूप में तथा 0.14 को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य आय के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य इक्विटी और अन्य चालू वरिसंपत्तियों में समान राशि में वृद्धि हुई है।

11. पिछले जीएपी के अंतर्गत, निवेश संपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता था , इंड-एस के अंतर्गत निवेश संपत्तियों को तुलन पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। इस समायोजन के परिणामस्वरूप कुल इक्विटी और लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12. म्युचुवल फंड में निवेश

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान - + म्युचुवल फंड में निवेश को एफवीटीपीएल पर स्वीकार किया गया है, इसलिए, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य आय में 0.49 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है जिससे म्युचुवल फंड के निवेश में अनुवर्ती वृद्धि हुई है।

13. कर व्ययों में अंतर

कर व्ययों में अंतर, कर मदों का लाभ और हानि से अन्य वृहत आय की मदों में पुनःवर्गीकरण के कारण है, इसका वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इक्विटी पर तथा कर व्ययों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 6.05 करोड़ रुपए के आस्थगित कर व्यय को स्वीकार किया गया है।

14. वित्तीय गारंटी संविदा

इंड एस 109 के अनुसार, कंपनी ने 31.03.2017 को 0.04 करोड़ रुपए, 31.03.2016 को 0.13 करोड़ रुपए तथा 01.04.2015 को 0.28 करोड़ रुपए के वित्तीय गारंटी संविदा दायित्व को स्वीकार किया है। इसलिए, यहां निवेश में वृद्धि हुई है और इससे समान राशि में अन्य वित्तीय देयताओं में अनुवर्ती वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने वित्तीय गारंटी संविदाओं के परिशोधन के रूप में 0.15 करोड़ रुपए को स्वीकार किया है, जिसके कारण अन्य आय में 0.15 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

30. आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) आकस्मिक देयताएं:

(क) कंपनी के प्रति दावें जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

- 418.82 करोड़ रुपए (2015-16 में 507.80 करोड़ रुपए, 2014-15 में 531.07 करोड़ रुपए) जिसमें निवल प्रावधान के 56.44 करोड़ रुपए (2015-16 में 111.39 करोड़ रुपए, 2014-15 में 8.86 करोड़ रुपए) शामिल हैं। इसके प्रति कंपनी ने 278.24 करोड़ रुपए (2015-16 में 209.38 करोड़ रुपए, 2014-15 में 173.45 करोड़ रुपए) का प्रति दावा किया है। दावे पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
- कम्पनी के विरुद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से संबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।
- प्रत्यक्ष कर से संबंधित 136.52 करोड़ रुपए (2015-16 में 261.16 करोड़ रुपए, 2014-15 में 132.66 करोड़ रुपए) जिसमें 64.95 करोड़ रुपए (2015-16 में 64.95 करोड़ रुपए, 2014-15 में 64.95 करोड़ रुपए) जो कंपनी के पक्ष में आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष आयकर विभाग द्वारा दायर अपील से संबंधित हैं।
- विवादास्पद अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 266.27 करोड़ रुपए (2015-16 में 229.95 करोड़ रुपए, 2014-15 में 186.06 करोड़ रुपए) हैं, जिनमें से शून्य रुपए (2015-16 में 110.14 करोड़ रुपए, 2014-15 में शून्य रुपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों ने ली है तथा 61.35 करोड़ रुपए (2015-16 में 28.86 करोड़ रुपए, 2014-15 में 114.16 करोड़ रुपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों से प्राप्त की गई है।

(ख) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटियां

संयुक्त व्यवस्थाओं के संबंध में:

- इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोर्ट्रेक्टर को शून्य रुपए (1.24 करोड़ रुपए) का इंडैमनिटी बांड।
- इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोर्ट्रेक्टर की 4.25 करोड़ रुपए (4.25 करोड़ रुपए) की बिक्री कर देयता और 1.01 करोड़ रुपए (1.01 करोड़ रुपए) रुपए का सेवा कर।
- मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले में क्रेन्दीय सीमाशुल्क को शून्य रुपए (1.54 करोड़ रुपए) की निगमित गारंटी।
- इरकॉन-आरसीएस-पिफलिडरर के मामले में 1.40 करोड़ रुपए (1.40 करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी।
- मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले में 0.96 करोड़ रुपए (1.05 करोड़ रुपए) की आयकर देयता।
- मैसर्स साई इंजीनियर्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय मेट्रो सिविल कांर्ट्रेक्टर के विरुद्ध 0.02 करोड़ रुपए (0.02 करोड़ रुपए) का वसूली मुकदमा।
- भैरब रेल पुल परियोजना, बांग्लादेश के लिए 25.72 करोड़ रुपए (52.38 करोड़ रुपए) हेतु इरकॉन-एफकान संयुक्त उद्यम के मामले में बैंक गारंटी।

(ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रुप से दायी है:

ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के आवेदन के निपटान के लंबित होने के कारण, कंपनी के ग्राहकों को 9.67 करोड़ रुपए (9.27 करोड़ रुपए) के स्तर तक तरलता क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आकस्मिक रुप से दायी है।

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तियां:

- i) अपने कुछ ग्राहकों पर इरकॉन द्वारा किए गए दावे और मध्यस्थता द्वारा इरकॉन के पक्ष में दिए जाने के विरुद्ध ग्राहक अदालत में गए, जिन्हें प्राप्य राशियों में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **179.06 करोड़ रुपए** (2015-16 के लिए 121.08 करोड़ रुपए, 2014-15 के लिए 111.23 करोड़ रुपए) जिसमें मध्यस्थता निर्णय के अनुसार 31.03.2017 तक परिकलित ब्याज शामिल है।
- ii) इरकॉन द्वारा उप-ठेकेदारों पर प्रति दावे किए गए और मध्यस्थताओं द्वारा इरकॉन के पक्ष में निर्णय दिया गया जिसके विरुद्ध उपठेकेदार न्यायालय में गए, इस राशि को प्राप्य के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **8.92 करोड़ रुपए** (2015-16 के लिए 2.04 करोड़ रुपए, 2014-15 के लिए 2.04 करोड़ रुपए)।
- iii) बीमा दावा 0.82 मिलियन अमरीकी डालर (0.79 मिलियन अमरीकी डालर) तथा इथोपियन बिरा 0.95 मिलियन (ईटीबी 0.91 मिलियन) समतुल्य 5.50 करोड़ रुपए (5.47 करोड़ रुपए) इरकॉन के पक्ष में इथोपिया के मानानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 31.03.2017 तक परिकलित ब्याज शामिल है, जिसमें इथोपिया उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन आदेश जारी किया जाना है।

31. प्रतिबद्धताएं:

(क) अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि (अग्रिम का निवल) 76.68 करोड़ रुपए (115.75 करोड़ रुपए) हैं।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों को निधियां/गारंटी उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता:

- i. सहायक कंपनियों, इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल), इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल), इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) को बैंक गारंटी जारी करने के लिए भारतीय ओवरसीज बैंक तथा इंडसिंड बैंक को 150.00 करोड़ रुपए (150.00 करोड़ रुपए) की काउंटर बैंक गारंटी 150 करोड़ रुपए की कुल सीमा में से, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा इंडसिंड बैंक ने क्रमशः 41.52 करोड़ रुपए (41.52 करोड़ रुपए) तथा शून्य रुपए (41.15 करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी जारी की है। इसलिए, बैंक गारंटी जारी करने की शेष सीमा 108.48 करोड़ रुपए (67.33 करोड़ रुपए) है।
- ii. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, सहायक कंपनी में 20.40 करोड़ रुपए (20.40 करोड़ रुपए) के शेष इक्विटी शेयर (51 प्रतिशत) के प्रति अंशदान हेतु।
- iii. छत्तीसगढ़ इस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ़ इस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनियों में क्रमशः 20.42 करोड़ रुपए (43.54 करोड़ रुपए) और 0.13 करोड़ रुपए (0.13 करोड़ रुपए) के शेष इक्विटी शेयर (प्रत्येक 26 प्रतिशत) के प्रति अंशदान हेतु।
- iv. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनियों में क्रमशः 52.00 करोड़ रुपए (शून्य रुपए) और शून्य रुपए (19.50 करोड़ रुपए) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।
- v. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, सहायक कंपनी को शून्य रुपए (75.00 करोड़ रुपए) की शेष इक्विटी शेयर के प्रति अंशदान हेतु।
- vi. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, सहायक कंपनी को 272.00 करोड़ रुपए (352.00 करोड़ रुपए) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।
- vii. संयुक्त उद्यम कंपनी यथा कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फेरो डा बेरा एसएआरएल को शून्य रुपए (0.80 करोड़ रुपए) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।
- viii. संयुक्त उद्यम, इरकॉन-एफकान्स को ऋण पत्र जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 2.26 करोड़ रुपए (33.40 करोड़ रुपए) की काउंटर बैंक गारंटी।
- ix. संयुक्त उद्यम इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि. में कंपनी की वर्तमान धारिता के 21% (प्रत्येक 10 रुपए के 1,34,12,700 शेयर) के गैर-निपटान के लिए पंजाब नेशनल बैंक से शपतपत्र, 13.41 करोड़ रुपए (13.41 करोड़ रुपए)

- x. सहायक कंपनी, इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड में शून्य रूपए (80.00 करोड़ रूपए) के लिए इक्विटी शेयर के प्रति अंशदान।
- xi. सहायक कंपनी, इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड में 559.46 करोड़ रूपए (722.11 रूपए) के लिए शेष शेयरधारक ऋण जारी करने के प्रति अंशदान।
- xii. महानदी कोल रेल लिमिटेड तथा झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनियों में क्रमशः 1.30 करोड़ रूपए (1.29 करोड़ रूपए) और 11.70 करोड़ रूपए (1.30 करोड़ रूपए) के शेष इक्विटी शेयर (प्रत्येक 26 प्रतिशत) के प्रति अंशदान हेतु।
- xiii. संयुक्त उद्यम कंपनी, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड में 0.12 करोड़ रूपए (1.30 करोड़ रूपए) के लिए इक्विटी शेयर (प्रत्येक 26 प्रतिशत) के प्रति अंशदान।
- xiv. कंपनी के प्रति ऐसे कतिपय दावे में जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है यथा **860.98 करोड़ रूपए** (710.57 करोड़ रूपए) निवल प्रावधान **1.13 करोड़ रूपए** (शून्य रूपए)। यदि कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे सफल हो जाते हैं तो इनका भुगतान ग्राहकों को करना पड़ेगा। इसके विरुद्ध कंपनी का प्रतिदावा है यथा **950.94 करोड़ रूपए** (632.82 करोड़ रूपए)। दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वे अनिश्चित हैं किन्तु उनका भी पुनर्भुगतान किया जाएगा।
32. कंपनी श्रीलंका परियोजनाओं पर कर हेतु 0.70 करोड़ रूपए (7.96 करोड़ रूपए) के लिए दायी है, जिसकी सीधी प्रतिपूर्ति श्रीलंका रेल द्वारा श्रीलंका इनलैंड राजस्व विभाग को की जाएगी। इसलिए, लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
33. (क) आकलन वर्ष 2000-01 से, कंपनी आज की तिथि तक अर्हत अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजनाओं के संबंध में आयकर रिटर्न में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती का दावा कर रही है।

कंपनी ने आकलन वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08, जिसके संबंध में आयकर विभाग ने सीआईटी/ए द्वारा कटौती की अनुमति प्रदान की है, को छोड़कर सभी आकलन वर्षों के लिए उक्त कटौती के लिए सीआईटी/ए द्वारा अनुमति प्रदान न किए जाने पर आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की है।

तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2000-2001 से धारा 801-आईए के अन्तर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर का प्रावधान किया है। धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती की गई कुल राशि है 1050.03 करोड़ रूपए (1016.32 करोड़ रूपए) जिसका कर प्रभाव है 357.22 करोड़ रूपए (347.08 करोड़ रूपए)। वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिए निपटान अपील के संबंध में आईटीएटी ने 80आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति प्रदान की है। आईटीएटी के निर्णय के अनुसरण में, सीआईटी(ए) ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए कटौती की अनुमति प्रदान की है। इसप्रकार, कटौती की राशि कम होकर 815.98 करोड़ रूपए हो गई है जिसका 280.41 करोड़ रूपए का कर प्रभाव है।

(ख) कंपनी को भारत में कर के लिए वैश्विक आय की स्थिति प्रदान की गई है। भारत से बाहर इसकी स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को कतिपय निपटान की गई विधिक स्थितियों के अनुसार छूट प्रदान करते हुए कुल आय से अलग रखा गया है क्योंकि ऐसी आय पर स्रोत राष्ट्र द्वारा आयकर लगाया जा सकता है ना कि भारत द्वारा। किन्तु सीटीआई (अपील) भारत से बाहर अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में इरकॉन द्वारा की गई व्यवस्था और विदेशी आय को बाहर रखने के स्थान पर आकलन वर्ष 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए भारत से बाहर भुगतान किए गए कर के लिए ऋण का प्रावधान किया है।

न्यायाधिकारीय डीसीआईटी ने भी समान रूप से आकलन वर्ष 2010-11 से आकलन आरंभ कर दिया है। कंपनी ने विवादास्पद सभी आकलन वर्षों के लिए आयकर अपील अधिकरण को अपील दायर की है।

डीटीए आय के अंतर्गत शामिल सकल कर की राशि 237.89 करोड़ रूपए (415.07 करोड़ रूपए) है।

- 34 (क) बीओटी आधार पर मोजांबीक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजांबीक के कानूनों के अनुसार निगमित कम्पैनिया डोस केमिनोस डे फेरो डा बेरा एसएआरएल मोजांबीक(सीसीएफबी) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी में आपकी कंपनी की इक्विटी भागीदारी 25 प्रतिशत की है और इसने गैर चालू निवेश में दर्शाए अनुसार 1.25 मिलियन अमरीकी डालर (5.53 करोड़ रूपए) का भुगतान किया गया है। कंपनी में अन्य स्टेकधारक हैं राइट्स और सीएफएम, मोजांबीक जिनकी शेयरधारिता क्रमशः 26 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है।

(ख) 8 दिसंबर 2011 को, मोजांबीक सरकार ने एकपक्षीय रूप से रियायत करार को समाप्त कर दिया और परियोजना को अपने हाथ में ले लिया, जो कि कंपनी के विचार से गैर कानूनी था और करार के प्रावधानों के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वरूप, सीसीएफबी ने मोजांबीक सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध मुकदमा किया। अब इस विवाद को निपटान करार के माध्यम से 21 अक्टूबर 2015 को मोजांबीक सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण रूप से सुलझा लिया गया है। निपटान करार के अनुसार, इरकॉन को 40.31 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की किश्तें प्राप्त होंगी। दिनांक 20.01.2016 को इरकॉन के भाग के लिए 17.93 मिलियन अमरीकी डॉलर (121.71 करोड़ भारतीय रुपए के समतुल्य) की प्रथम किश्त प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान 5.595 मिलियन अमरीकी डॉलर (37.27 करोड़ रुपए) की दूसरी किश्त दिनांक 20.10.2016 को प्राप्त हुई है। 5.595 मिलियन अमरीकी डॉलर की शेष तीन किश्तें 18.10.2017, 18.10.2018 तथा 18.10.2019 को देय हैं जिन्हें मोजांबीक सरकार के पुष्ट ऋण पत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

(ग) अप्रॉफिट भुगतान प्राप्त होने और ऋण पत्र निर्धारित होने के पश्चात कंपनी ने दिनांक 22.09.2016 को कम्पैनिया डोस केमिनोस डे फेरो डा बेरा एसएआरएल मोजांबीक(सीसीएफबी) में अपनी शेयरधारिता को मोजांबीक गणराज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सीएफएम/मोजांबीक पोत तथा रेल कंपनी को कर दिया है। तदनुसार, 1.25 मिलियन अमरीकी डॉलर के इक्विटी निवेश को अंतरित किया गया है और 10.64 मिलियन अमरीकी डॉलर (73.69 करोड़ रुपए) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाभ और हानि विवरण में निवेश की बिक्री पर लाभ के रूप में स्वीकार किया गया है।

35. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/पुनर्विनियोजन/समायोजन के मद्देनजर हैं, यदि कोई हो। पक्षों की पुष्टि के लिए समूह को पत्र भेज रही हैं। तथापि, समूह इस संबंध में वसूलनीयता/भुगतान के संबंध में किसी प्रकार के सामग्रीगत विवाद की आशंका नहीं करता है।

ख) प्रबंधन के मतानुसार, वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

35. (क) लाभ और हानि के विवरण में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
i) लाभ या हानि	(38.35)	134.17
ii) अन्य वृहत आय	16.15	(57.46)
कुल	(22.20)	76.71

(ख) अनहैज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटन:

अनहैज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटन निम्न प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	मुद्रा	31मार्च 2017को		31मार्च 2016 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
परिसंपत्तियां :					
ठेकेदारों को अग्रिम					
	डीजेडडी	5.18	3.06	3.71	2.26
	यूरो	-	-	0.01	0.42
	जैडएआर	2.73	13.24	-	-
	एलकेआर	-	-	2.82	1.28
	ईटीबी	0.02	0.06	0.49	1.52
	एमवाईआर	-	-	0.00	0.05
	एनपीआर	1.75	1.10	1.77	1.00
	एमजेडएन	-	-	0.06	0.08

विवरण	मुद्रा	31मार्च 2017को		31मार्च 2016 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
व्यापार प्राप्त					
	बीटीएन	2.92	2.92	0.26	0.26
	बीडीटी	-	-	1.65	1.39
	डीजेडडी	19.66	11.65	89.81	54.75
	यूरो	0.13	9.16	1.07	78.39
	एमवाईआर	0.41	6.02	0.40	6.90
	जेडएआर	2.39	11.18	-	-
	यूएसडी	0.91	58.73	0.92	60.90
रोकड एवं बैंक शेष					
	बीटीएन	0.46	0.46	0.90	0.90
	बीडीटी	5.39	4.21	0.93	0.79
	डीजेडडी	125.69	74.16	12.65	7.72
	ईटीबी	-	0.01	-	-
	यूरो	0.44	29.69	0.78	57.79
	एलकेआर	14.81	6.31	45.96	20.86
	एमवाईआर	3.10	45.35	3.97	67.29
	जेडएआर	1.14	5.34	0.19	0.82
	एमजेडएन	-	-	0.03	0.03
	यूएसडी	3.25	208.29	1.17	76.45
अन्य परिसंपत्तियां					
	बीडीटी	2.72	1.64	40.20	24.52
	डीजेडडी	0.07	0.21	0.19	0.59
	ईटीबी	0.05	3.68	0.94	70.02
	यूरो	-	-	7.67	3.48
	एलकेआर	2.58	37.80	0.99	16.75
	जेडएआर	0.16	0.75	-	0.01
	यूएसडी	1.69	108.26	0.52	34.51
	एनपीआर	2.24	1.40	2.24	1.40
देयताएं					
ग्राहकों से अग्रिम					
	बीटीएन	-	-	2.13	2.13
	बीडीटी	115.45	93.61	0.72	0.57
	यूरो	0.07	4.68	0.19	14.41
	जेडएआर	4.36	21.17	-	-
	यूएसडी	0.41	26.62	0.07	4.17
व्यापार देय					
	बीटीएन	0.67	0.67	0.59	0.59
	एयूडी	-	-	0.01	0.71
	बीडीटी	1.37	1.13	-	-
	डीजेडडी	30.44	17.96	25.02	15.26
	यूरो	0.33	22.71	0.82	56.28
	जेपीवाई	0.05	0.03	10.10	5.25
	एलकेआर	-	-	14.27	6.47
	एमवाईआर	0.27	3.89	0.48	8.22
	जेडएआर	0.24	1.14	-	-
	एमजेडएन	-	-	4.13	5.35
	यूएसडी	1.84	67.50	1.03	50.42
अन्य देयताएं					

विवरण	मुद्रा	31मार्च 2017को		31मार्च 2016 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
	बीटीएन	0.38	0.38	0.36	0.36
	बीडीटी	3.35	2.70	0.50	0.42
	डीजेडडी	22.59	13.33	14.42	8.80
	ईटीबी	0.10	0.27	0.02	0.06
	यूरो	0.11	7.69	0.09	6.48
	एलकेआर	-	-	9.89	4.49
	एमवाईआर	0.99	14.48	0.03	0.49
	जेडएआर	1.62	7.85	-	-
	यूएसडी	1.08	71.49	1.13	74.67
	एनपीआर	3.15	1.97	0.03	0.02
	आरएम	-	-	1.05	17.83

असम्मिलित विदेशी मुद्रा प्रकटन प्राकृतिक रूप से सम्मिलित हैं।

डीजेडी-अल्जीरियन दिनार, जेडएआर-दक्षिण अफ्रीका रंद, एलकेआर-श्रीलंकन रुपी, ईटीपी-इथोपियन बिररा, एमवाईआर-मलेशियन रिनगिट, एनपीआर-नेपाली रुपया, एमजेडएन-मोजांबीयन मेटिकल, बीटीएन-भूटानी न्युल्ट्रम, बीडीटी-बांग्लादेशी टका, एयूडी-आस्ट्रेलियन डॉलर, जेपीवाई-जापानी येन।

37. पट्टे संबंधित प्रकटन

I. प्रचालनिक पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां:

समूह की पट्टा व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग, कार्यालय, गेस्टहाउस तथा ट्रांजिट कैम्पों के लिए परिसरों को प्रचालनिक पट्टे के संबंध में हैं। अधिकतर पट्टा व्यवस्था रद्द किए जाने योग्य हैं और सामान्यतः आपसी सहमति से नवीकृत किये जाते हैं। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार है:

- (क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतान (शुद्ध वसूलियां) - रु. 3.73 करोड़ (रु. 4.32 करोड़) (नोट सं. 23 पर वेतन और पारिश्रमि सहित)
- (ख) कार्यालय परिसरों, गेस्टहाउसों और ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान - रु. 6.29 करोड़ (रु. 4.90 करोड़) (नोट सं. 22 पर प्रचालन एवं प्रशासनिक व्ययों सहित)

II. प्रचालनिक पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां:

(क) कंपनी ने कतिपय वाणिज्यिक/आवासीय परिसरों को प्रचालनिक पट्टे पर दिया है, जिन्हें संबंधित करारों के अनुसार उपयुक्त नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

- (ख) कंपनी ने दिनांक 31.12.2015 तक विदेशी ग्राहक को वेट लीज आधार पर संयंत्र और मशीनरी (लोकोमोटिव) उपलब्ध कराए हैं।
- (ग) वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा किराये की राशि निम्नानुसार है:
 - (i) गैर आवासीय परिसरों के संबंध में पट्टा किराया - रु. 8.01 करोड़ रुपए (रु. 7.63 करोड़ रुपए) (नोट 21 में विविध आय में शामिल किया गया है)।
 - (ii) इंजनों के संबंध में पट्टा किराया - रु. 0.88 करोड़ रुपए (रु. 35.89 करोड़ रुपए) (नोट 20 में इंजन पट्टे में शामिल किया गया है)।

(ड.) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालनिक पट्टे के संबंध में 31.03.2017 को प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार है:

(रु.करोड़ में)

प्राप्य पट्टा किराया	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
एक वर्ष के भीतर			
- परिसर	0.35	0.34	शून्य
- इंजन	शून्य	शून्य	33.42
एक वर्ष के पश्चात किन्तु पांच वर्ष से कम			
- परिसर	2.06	0.66	शून्य
- इंजन	शून्य	शून्य	शून्य
पांच वर्ष से अधिक			
- परिसर	1.41	शून्य	शून्य
- इंजन	शून्य	शून्य	शून्य

च. वर्ष के दौरान पट्टे पर दी गई संपत्ति का ब्यौरा :

(रु.करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		01 अप्रैल 2015 को	
	परिसर	इंजन	परिसर	इंजन	परिसर	इंजन
परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि	3.51	30.90	10.00	35.66	6.96	35.66
वर्ष के लिए मूल्यहास	0.07	-	0.18	-	0.14	-
वर्ष के लिए क्षति हानि	-	0.21	-	-	-	-
संचित मूल्यहास	0.41	29.35	1.44	33.87	1.22	33.87

38. खण्ड रिपोर्टिंग :

क. सामान्य सूचना:

- कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से रिपोर्टेबल प्रचालन सेगमेंट का निर्धारण किया है।
- कंपनी के जोखिम और पुरस्कार के स्रोत वैश्विक स्तर पर फैली इकाइयों से प्राप्त होते हैं इसलिए, अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं और घरेलू परियोजनाओं को पृथक प्रचालन सेगमेंट माना गया है।
- प्रचालन सेगमेंटों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप हो।
- इन प्रचालनिक सेगमेंटों की मॉनीटरिंग कंपनी के प्रमुख प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) द्वारा की जाती है और सेगमेंट परिणामों के आधार पर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। सेगमेंट निष्पादन का मूल्यांकन प्रत्येक सेगमेंट के लाभ के आधार पर किया जाता है।

ख. रिपोर्टेबल सेगमेंटों तथा वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि के समाधान के संबंध में सूचना:

(रु.करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	238.67	325.88	2666.23	1988.71	2904.90	2314.59
जमा: एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवर में कंपनी का भाग	88.28	83.59	1.62	20.33	89.90	103.92
ब्याज आय	6.97	5.61	197.28	229.42	204.25	235.03
अन्य आय	5.47	90.60	49.91	115.95	55.38	206.55
अंतर: सेगमेंट	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	339.39	505.68	2915.04	2354.41	3254.43	2860.09
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान, मूल्यहास, ब्याज, अपवादिक मद और कर से पूर्व लाभ	(3.06)	240.62	481.82	421.17	478.76	661.79
घटा: प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	(42.77)	19.82	33.68	3.64	(9.09)	23.46
मूल्यहास, परिशोधन और हानि	5.90	15.50	11.98	12.72	17.88	28.22
ब्याज	-	-	11.94	7.75	11.94	7.75
आपवादिक मदें	(73.69)	-	-	-	(73.69)	-
कर पूर्व लाभ	107.50	205.30	424.22	397.06	531.72	602.36
कर व्यय	60.60	40.83	102.09	166.49	162.69	207.32
कर पश्चात लाभ	46.90	164.47	322.13	230.57	369.03	395.04

ग. अन्य सूचना

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय			घरेलू			कुल		
	2016-17	2015-16	अप्रैल 2015	2016-17	2015-16	अप्रैल 2015	2016-17	2015-16	अप्रैल 2015
परिसंपत्तियां	653.56	566.27	1072.93	8514.06	7573.52	5437.81	9167.62	8136.79	6510.74
देयताएं	555.40	526.76	653.75	4784.20	3943.02	2335.17	5339.60	4469.78	2988.92
इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	-	-	281.11	105.22	66.21	281.11	105.22	66.21
वित्तीय माध्यमों, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर अन्य चालू परिसंपत्तियां	39.76	49.42	74.14	809.51	627.18	611.57	849.27	676.60	685.71
पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अपूर्ति परिसंपत्तियां)	1.12	0.32	-	43.40	20.86	-	44.52	21.18	-

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना:

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग 38.70%(40.87%) प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

39. अन्य निकायों से ब्याज

क. संयुक्त व्यवस्था के संबंध में प्रकटन

(क) गैरनिगमित संयुक्त प्रचालन:

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
				2017	2016
1.	इरकॉन एसपीएससीपीएल	- जम्मू और कश्मीर, भारत	इरकॉन, भारत	50.00	50.00
			एसपीएससीपीएल, भारत	50.00	50.00
2.	इरकॉन-एफकॉन	बांग्लादेश	इरकॉन, भारत	53.00	53.00
			एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत	47.00	47.00
3.	एक्सप्रेस कंसार्टियम	प्रेट गुजरात, महाराष्ट्र, भारत	मित्सुई, जापान	51.00	51.00
			इरकॉन, भारत	30.00	30.00
			टाटा प्रोजेक्ट लि., भारत	19.00	19.00
4.	एक्सप्रेस कंसार्टियम	प्रेट महाराष्ट्र भारत	मित्सुई, जापान	51.00	-
			इरकॉन, भारत	30.00	-
			टाटा प्रोजेक्ट लि., भारत	19.00	-

ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैं:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
				2017	2016
1	रीकॉन	दिल्ली एनसीआर, भारत	इरकॉन, भारत	49.00	49.00
			राइटस, भारत	51.00	51.00
2	रीकॉन-सीटा एसएआरएल	मोजांबीक	रीकॉन, भारत	शून्य	49.00
			सी इ टी ए, मोजांबिक	शून्य	51.00
3	इरकॉन कोबरा-इलियोप	दिल्ली एनसीआर, भारत	इरकॉन, भारत	61.22	61.22
			कोबरा, स्पेन	34.35	34.35
			इलियोप, स्पेन	4.43	4.43
4	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नै, भारत	इरकॉन, भारत	24.21	24.21
			श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	75.79	75.79
5	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	तमिलनाडु, भारत	इरकॉन, भारत	55.00	55.00
			संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	45.00	45.00

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
				2017	2016
6	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांस्ट्रक्टर (आईएमसीसी)	दिल्ली एनसीआर, भारत	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
7	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दिल्ली एनसीआर, भारत	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
8	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	उत्तर प्रदेश, भारत	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	55.70 44.30	55.70 44.30
9	इरकॉन आरसीएस-फ्लीडरर	जम्मू और कश्मीर भारत	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इन्फ्रास्ट्रक्चर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	65.08 21.87 13.05	65.08 21.87 13.05

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	शेयर व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
				31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फेरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	मोजांबीक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	-* - -	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	महाराष्ट्र भारत	इरकॉन, भारत सोना इंटरप्राइजेज लि. भारत	50.00 50.00	50.00 50.00
3	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	छत्तीसगढ़, भारत	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
4	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	छत्तीसगढ़, भारत	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
5	महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	ओडीशा, भारत	इरकॉन, भारत एमसीएल, भारत जीओओ, भारत	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
6	झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	झारखंड भारत	इरकॉन, भारत सीसीएल, भारत जीओजे, भारत	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	शेयर व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
				31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
7	बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	छत्तीसगढ़, भारत	इरकॉन, भारत एनडीएमसी, भारत सेल, भारत सीएमडीसी, भारत	26.00 43.00 21.00 10.00	- - - -

* 22.09.2016 को अंतरित शेयर

क. संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियां और देयताएं का विवरण

(रूपए करोड़)

क्र.सं	संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय	वित्त वर्ष	विवरण					देयताएं
			आय	व्यय	लाभ	पीपीई	चालू/ गैर चालू परिसंपत्तियां	
1	रिक्कॉन	2016-17	0.32	0.12	0.20	-	10.50	0.37
		2015-16	0.37	0.10	0.27	-	10.34	0.41
2	आईएमसीसी	2016-17	0.02	0.01	0.01	-	3.56	0.93
		2015-16	0.05	0.06	(0.01)	-	3.55	0.92
3	एमटीजी	2016-17	0.32	0.14	0.18	-	4.19	0.10
		2015-16	0.39	0.19	0.20	-	5.22	0.12
4	इरकॉन -एसपीएससीपीएल	2016-17	0.97	0.97	-	0.25	3.88	3.33
		2015-16	19.52	19.52	-	0.30	5.36	6.18
5	इरकॉन -एफकॉन	2016-17	88.28	55.18	33.10	0.38	36.91	26.05
		2015-16	83.59	77.40	6.19	2.09	39.99	38.50
6	सीसीएफबी (कंपैनिया डोस कमिनोस डे फरो डा बेरा एसएआरएल)मोजांबीक	2016-17	-	-	-	-	-	-
		2015-16	3.23	1.85	1.38	-	29.31	19.96
7	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	2016-17	78.95	73.10	5.85	0.98	575.90	531.43
		2015-16	103.90	98.37	5.53	1.03	666.39	633.66
8	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	2016-17	-	0.04	(0.04)	192.60	33.09	146.24
		2015-16	-	0.02	(0.02)	66.34	32.34	62.60
9	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	2016-17	-	0.02	(0.02)	70.85	111.56	51.44
		2015-16	-	0.02	(0.02)	11.20	11.33	21.53
10	महानदी कोयला रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	2016-17	-	-	-	3.69	0.01	3.69
		2015-16	-	-	-	0.02	0.53	0.54
11	झारखंड मध्य रेल लिमिटेड (जेसीआरएल)	2016-17	0.10	0.25	(0.15)	45.65	8.50	45.65
		2015-16	-	(0.02)	(0.02)	-	-	0.02
12	बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	2016-17	0.00	0.03	(0.03)	-	3.46	2.55
		2015-16	-	-	-	-	-	-
	कुल	2016-17	168.86	129.86	39.10	314.40	791.56	811.78
		2015-16	211.05	197.51	13.50	80.98	804.36	784.44

घ. संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में आकस्मिक देयताओं को नोट 30(ख) में प्रकट किया गया है।

(ख) सहायक कंपनियों में प्रकटन

क्र सं.	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित			गैर नियंत्रण हित द्वारा धारित स्वामित्व		
			31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
1.	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लि. (आईआईएसएल)	नई दिल्ली, भारत	100%	100%	100%	शून्य	शून्य	शून्य
2.	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी)	नई दिल्ली, भारत	51%*	51%	51%	49%*	49%	49%
3.	इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	भारत	100%	100%	100%	शून्य	शून्य	शून्य
4.	इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	भारत	100%	100%	100%	शून्य	शून्य	शून्य

* रेल मंत्रालय ने दिनांक 10.04.2017 के पत्र के तहत इरकॉन से 1 प्रतिशत इक्विटी आरएलडीए को अंतरित करने का निर्णय लिया है, जिसे स्वामित्व में संशोधन होगा और गैर नियंत्रण हित 50:50 होगा।

40. संबधित पक्ष प्रकटन

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

(i) सहायक कंपनियां:

- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)
- इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)

(ii) संयुक्त उद्यम:

- गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 39(क) के अनुसार।
- संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 39(ख) के समान।

ख. प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

निदेशक : श्री एस.के.चौधरी, श्री एम.के.सिंह, श्री दीपक सबलोक तथा श्री हितेश खन्ना,

निदेशक (सरकारी नामिती): श्री राजीव चौधरी, श्री सुखमल चंद जैन।

स्वतंत्र निदेशक: श्री अवनीश माटा, श्री संजय कुमार सिंह, सुश्री वसुधा वी. कामत

कंपनी सचिव - श्रीमती सुमिता शर्मा

ग) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		करारों/व्यवस्थाओं का विवरण
	2016-17	2015-16	संव्यवहार की प्रकृति
1. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (उपयुक्त ख) का पारिश्रमिक और अन्य स्वतंत्र निदेशको का बैठक शुल्क	नोट सं. 41 के अनुसार		
2. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद (सीएसआर व्ययों सहित)/स्थिर परिसंपत्तियों का पट्टा /कोई अन्य संव्यवहार (कृपया स्पष्ट करें)			
सहायक कंपनियां (सहित)			
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	-	0.19	सीएसआर गतिविधियां
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	1.69	6.62	मशीनों को किराए पर लेना
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	2.19	6.70	श्रमशक्ति आपूर्ति
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	2.29	0.18	प्रदत्त ब्याज
संयुक्त उद्यम (सहित)			
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	0.70	-	प्रदत्त ब्याज
कुल	6.87	13.69	
3. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ब्याज आय/कोई अन्य संव्यवहार (कृपया स्पष्ट करें)			
सहायक कंपनी (सहित)			
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	-	0.42	परामर्श सहित कार्य प्राप्ति एमएफसी
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	2.63	3.91	ऋण पर ब्याज
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	0.32	0.18	परिसरों के लिए किराया
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	0.12	0.12	अन्य प्रचालन पावतियां- एमएफसी
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	0.02	0.02	परिसरों के लिए किराया
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	273.26	27.99	कार्य पावतियां
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	1.89	-	ऋण पर ब्याज
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	0.02	0.03	परिसरों के लिए किराया
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	195.66	53.44	कार्य पावतियां
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	0.96	-	परिसरों के लिए किराया
संयुक्त व्यवस्था (सहित)			
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	0.03	0.07	परिसरों के लिए किराया
सीसीएफबी (कंपैनिया डोस कमिनोस डे फरो डा बेरा एसएआरएल)	-	25.26	ऋण पर ब्याज
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	130.07	182.30	परामर्श एवं कार्य प्राप्ति
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	6.26	4.92	ऋण पर ब्याज
छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	37.51	22.33	परामर्श एवं प्राप्ति
छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	4.87	0.43	ऋण पर ब्याज
इरकॉन एफकॉन जेवी	0.20	0.78	ऋण पर ब्याज
महानदी कोयला रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	5.54	-	परामर्श और कार्य प्राप्ति
कुल	659.36	322.20	
4. सहायक कंपनियों और जेवी मे इक्विटी निवेश			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	75.00	-	
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	80.00	70.00	
संयुक्त उद्यम			
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	43.41	39.00	

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		करारों/व्यवस्थाओं का विवरण
	2016-17	2015-16	संव्यवहार की प्रकृति
छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	130.00	-	
महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	-	0.01	
झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	1.18	-	
झारखंड मध्य रेल लिमिटेड (जेसीआरएल)	1.30	-	
सीसीएफबी	(5.53)	-	विनिवेश
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त व्यवस्थाओं को ऋण			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल) - ऋण पुनर्भुगतान	(4.58)	(4.00)	
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल) - ऋण संवितरण	80.00	-	
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) - ऋण संवितरण	162.65	-	
संयुक्त व्यवस्थाएं			
(कंपैनिया डोस कमिनोस डे फरो डा बेरा एसएआरएल / सीसीएफबी - ऋण संवितरण	-	5.05	
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल) - ऋण संवितरण	78.00	9.00	
छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल) - ऋण संवितरण	19.50	19.50	
इरकॉन एफकान जेवी			
ऋण संवितरण	7.50	-	
ऋण पुनर्भुगतान	(7.50)	(18.11)	
6. प्रतिनियुक्त स्टाफ व्यय, किराया और अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	0.80	3.40	
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)	1.51	1.48	
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	0.28	1.55	
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	0.91	0.40	
जेवी			
इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	0.56	0.21	
ट्रस्ट			
इरकॉन उपदान ट्रस्ट	7.82	2.43	संवितरण
इरकॉन कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	28.52	25.99	ट्रस्ट में अंशदान
इरकॉन पेशन ट्रस्ट	7.61	30.58	ट्रस्ट में अंशदान
इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट	3.38	5.97	ट्रस्ट में अंशदान
कुल	51.39	72.01	

संबंधित पक्षों को/से देय राशियों का प्रकटन

(रु. करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31-03-2017 को	31-03-2016 को
प्राप्य राशि		
(1) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश	681.51	356.15
सहायक कंपनियां	400.40	245.40
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	65.00	65.00
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)	20.40	20.40
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	165.00	90.00
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	150.00	70.00
संयुक्त उद्यम	281.11	110.75
सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल)	-	5.53
इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	63.87	63.87

विवरण	राशि	
	31-03-2017 को	31-03-2016 को
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	83.58	40.17
छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	131.17	1.17
महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	0.01	0.01
झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	1.30	-
बस्तर रेल प्रा. लि. (बीआरपीएल)	1.18	-
(2) सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों को ऋण**	439.58	86.00
सहायक कंपनियां	268.14	27.50
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	22.92	27.50
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	80.87	-
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	164.35	-
संयुक्त उद्यम	171.44	58.50
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	127.67	39.00
छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	43.77	19.50
(3) अन्य सेवाओं, प्रतिपूर्ति आदि हेतु		
सहायक कंपनियां		
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	-	2.19
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)	0.48	0.36
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	3.76	0.21
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	0.70	19.04
संयुक्त व्यवस्थाएं		
इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	7.71	7.22
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	41.29	67.28
छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	5.29	3.88
महानदी कोल रेल लि. (एमसीआरएल)	4.72	-
रीकॉन	0.44	-
ट्रस्ट		
इरकॉन उपदान ट्रस्ट	2.26	2.43
देय राशि		
1) अन्य सेवाओं हेतु		
सहायक कंपनियां		
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	5.93	9.41
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	-	30.17
संयुक्त व्यवस्थाएं		
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	28.15	18.48
छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	18.57	-
इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	-	-
इरकॉन एफकॉन	7.80	-
महानदी कोल रेल लि. (एमसीआरएल)	0.02	-
2) अग्रिम कार्य प्राप्ति		
सहायक कंपनियां		
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	13.09	-
संयुक्त उद्यम		
महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	5.52	-
3) अग्रिम प्राप्ति		
संयुक्त उद्यम		
झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	5.00	-

** संचित ब्याज सहित

घ) संबंधित सरकारी निकायों के साथ संव्यवहार

उपर्युक्त प्रस्तुत संव्यवहारों के अतिरिक्त, कंपनी के सरकारी निकायों से संबंधित संव्यवहार हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु उनतक ही सीमित नहीं हैं:

सरकार का नाम : रेल मंत्रालय, भारत सरकार (कंपनी पर महत्वपूर्ण नियंत्रण) कतिपय महत्वपूर्ण संव्यवहार और अंत शेष:

वर्ष के दौरान संव्यवहार :

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
i)	बिक्री	1265.20	1095.33
ii)	ब्याज आगे दिया गया	159.36	54.96
iii)	प्रदत्त लाभांश	183.73	181.63

नोट: क्रय विविध प्रकृति की हैं, इसलिए अनावश्यक हैं। इसलिए इसे प्रकट नहीं किया गया है।

अंतशेष:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
i)	प्राप्य	88.16	217.58
ii)	बिल योग्य राजस्व/प्राप्य जो देय नहीं	68.50	140.06
iii)	वसूलीयोग्य दावे	0.87	2.86
iv)	प्राप्त अग्रिम	3247.36	2545.32
v)	अग्रिम कार्य प्राप्तियां	0.38	-

41. निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक विवरण निम्न प्रकार है :

(रु.करोड़ में)

क्रसं	विवरण	2016-17	2015-16
I	वेतन और भत्ते*	1.51	1.74
II	भविष्य निधि में अंशदान	0.14	0.20
III	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	0.03	0.03
IV	बैठक शुल्क	0.07	0.00
IV	अन्य लाभ	0.33	0.27
	कुल	2.08	2.24

* वर्ष 2016-17 के आंकड़ों में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए रु 0.30 करोड़ रुपए के पीआरपी (2014-15) शामिल हैं, जबकि 2015-16 में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 0.47 करोड़ रुपए का पीआरपी (2013-14) शामिल है।

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

42. वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 द्वारा एस 28 अधिसूचना परिसंपत्तियों का हास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्ध राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसंपत्तियों के हास का अनुमान निकाला है। हास हानि 1.26 करोड़ रुपए (0.002 करोड़ रुपए) है।

43. कर्मचारी लाभ पर एएस-19 के अंतर्गत प्रकटन,

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट में 10.84 करोड़ रुपए (10.14 करोड़ रुपए) का अंशदान किया है।

उपदान

कंपनी ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 में सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। ट्रस्ट का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जा रहा है। 31.03.2017 को 0.88 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को बीमांकन आधार पर लेखा बहियों में बुक किया गया है।

पेंशन

कंपनी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक कंपनी में 15 वर्ष की सेवा (अन्य सीपीएसई में सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेंशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 में सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। 01.04.2016 से 28.02.2017 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए 6.13 करोड़ रुपए कंपनी के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2016-17 के दौरान लेखांकित किया गया है। मार्च 2017 में 0.51 करोड़ रुपए (0.50 करोड़ रुपए) की देयता के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 8.32 करोड़ रुपए (4.20 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान किया है।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है, केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर। चूंकि, विदेशी कार्यों को अकार्य दिवस माना जाता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के प्रति दायित्व के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया जाता है क्योंकि इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को वापस आने पर किया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खात के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

(i) सेवा लागत

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	चालू सेवा लागत	3.55 (3.57)	3.39 (4.69)	0.01 (0.01)	2.63 (2.49)
ख)	विगत सेवा लागत, लाभ/हानियों की कटौती सहित	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ग)	गैर-नियमित निपटानों पर लाभ या हानियां	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
घ)	आरंभ में एचपीएल अवकाश दिन शेष में अंतर	- -	(26.66) (--)	- -	- -
ड.)	कुल	3.55 (3.57)	(23.27) (4.69)	0.01 (0.01)	2.63 (2.49)

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(ii) निवल ब्याज लागत

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	निर्धारित लाभ दायित्वों पर ब्याज लागत	5.40 (5.30)	4.07 (6.39)	0.02 (0.01)	5.35 (4.11)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय (संभावित)	5.02 (--)	-- (--)	-- (--)	4.45 (4.00)
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	0.38 (5.30)	4.07 (6.39)	0.02 (0.01)	0.89 (0.86)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(iii) वर्तमान लाभ दायित्वों में परिवर्तन

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	72.06 (66.31)	80.90 (79.90)	0.23 (0.13)	71.27 (60.84)
ख)	आरंभ में एचपीएल अवकाश दिन शेष में अंतर	- -	(26.66) (--)	- -	- -
ग)	ब्याज लागत	5.40 (5.30)	4.07 (6.39)	0.02 (0.01)	5.35 (4.87)
घ)	सेवा लागत	3.55 (3.57)	3.39 (4.69)	0.01 (0.01)	2.63 (2.49)
ड.)	प्रदत्त लाभ	(5.56) ((4.65))	(4.90) ((5.65))	(0.08) ((0.21))	(1.11) ((1.73))
च)	दायित्वों पर कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	(4.57) (1.54)	(2.66) ((4.43))	0.16 (0.30)	3.82 (4.80)
छ)	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	70.88 (72.06)	80.90 (52.73)	0.33 (0.23)	81.95 (71.27)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(iv) दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	जनांकिक अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) हानि	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) हानि	-- (1.89)	-- (3.01)	-- (--)	-- (4.30)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) हानि	(4.57) ((0.36))	(2.56) ((7.44))	0.16 (0.38)	3.82 (0.41)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(v) योजना परिसंपत्ति पर बीमांकित (लाभ)/हानि

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अनुमानित ब्याज आय	5.02 (--)	-- (--)	-- (--)	4.45 (4.00)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	5.56 (3.08)	-- (--)	-- (--)	5.46 (5.05)
ग)	एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	(0.29) (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
घ)	परिसंपत्ति पर बीमांकक लाभ(हानि)	0.24 (3.08)	-- (--)	-- (--)	1.00 (1.05)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(vi) तुलनपत्र और संबंधित विश्लेषण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	70.88 (72.06)	54.24 (80.90)	0.33 (0.23)	81.95 (71.27)
ख)	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	71.77 (66.96)	-- (--)	-- (--)	67.11 (59.38)
ग)	तुलन पत्र में गैर वित्तपोषित देयता/प्रावधान	0.88 ((5.11))	(54.24) ((80.90))	(0.33) ((0.23))	(14.83) ((11.89))
घ)	तुलन पत्र में स्वीकार गैरवित्तपोषित देयता	0.88 ((5.11))	(54.24) ((80.90))	(0.33) ((0.23))	(14.83) ((11.89))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(vii) आय विवरण में स्वीकार राशियां

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	सेवा लागत	3.55 (3.57)	(23.27) (4.69)	0.01 (0.01)	2.63 (2.49)
ख)	निवल ब्याज लागत	0.38 (5.30)	4.07 (6.39)	0.02 (0.01)	0.89 (0.86)
ग)	अवधि के लिए स्वीकार निवल बीमांकक लाभ(हानि)	-- (--)	(2.56) (4.43)	-- (--)	-- (--)
घ)	आयकर विवरण में स्वीकार आय	3.93 (8.87)	(21.76) (6.65)	0.03 (0.02)	3.52 (3.36)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(viii) अन्य वृहत आय (ओसीआई)

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	निवल संचित अस्वीकार्य बीमांकक बीमांकक लाभ(हानि) आरंभिक	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकक लाभ(हानि)	4.57 (1.54)	-- (--)	(0.16) (0.30)	(3.82) (4.80)
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकक लाभ(हानि)	0.24 (3.08)	-- (--)	-- (--)	1.01 (1.05)
घ)	वर्ष के अंत में गैर स्वीकार्य बीमांकक लाभ(हानि)	4.81 (1.54)	-- (--)	(0.16) (0.30)	(2.81)** (3.75)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

**2.81 करोड़ रुपए के गैर स्वीकार्य बीमांकक घाटे में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के प्रति 2.97 करोड़ रुपए का घाटा और निपटान भत्ते के प्रति देयता के संबंध में 0.16 करोड़ रुपए का लाभ शामिल है। चूंकि पीआरएमबी के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

(ix) योजना परिसंपत्ति में परिवर्तन

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	66.96 (--)	-- (--)	-- (--)	59.38 (50.05)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	5.56 (3.08)	-- (--)	-- (--)	5.46 (5.05)
ग)	एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	(0.30) (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
घ)	नियोक्ता अंशदान	5.11 (66.31)	-- (--)	-- (--)	3.38 (5.97)
ड.)	प्रदत्त लाभ	(5.56) (2.43)	-- (--)	-- (--)	(1.10) (1.70)
च)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	71.77 (66.96)	-- (--)	-- (--)	67.12 (59.38)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(X) योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)
ग)	उच्च गुणवत्ता निगमित बांड	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)
ड.)	संपत्ति	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)
च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	100% (100%)	-- (--)	--	100% 100%
छ)	बैंक शेष	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)
	कुल	100%		--	100%

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(xi) निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	5.11 (66.31)	80.90 (79.90)	0.23 (0.13)	11.89 (10.79)
ख)	सेवा लागत	3.55 (3.57)	(23.27) (4.69)	0.01 (0.01)	2.63 (2.49)
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	0.38 (5.30)	4.07 (6.39)	0.02 (0.01)	0.89 (0.86)
घ)	पुनर्मापन	(4.81) ((1.54))	(2.56) ((4.43))	0.16 (0.30)	2.81 (3.75)
ड.)	निधि में प्रदत्त अंशदान	(5.11) ((66.31))	-- (--)	-- (--)	(3.38) ((5.97))
च)	उद्यमी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-- (2.22)	(4.90) ((5.65))	(0.08) ((0.21))	(0.02) ((0.03))
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(0.88) (5.11)	54.24 (80.90)	0.33 (0.23)	14.83 (11.89)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(xii) चालू और गैर चालू श्रेणी में वर्ष के अंत में बीपीओ का द्विभाजन

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	चालू देयता (एम वर्ष के भीतर देय राशि)	7.31 (7.49)	4.52 (8.11)	0.03 (0.03)	2.01 (1.15)
ख)	गैर चालू देयता (एक वर्ष से ऊपर देय राशि)	63.57 (64.57)	49.72 (72.79)	0.30 (0.20)	79.93 (70.12)
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	70.88 (72.06)	54.24 (80.90)	0.33 (0.23)	81.95 (71.27)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(xiii) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनुमानित अंशदान

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	सेवा लागत	3.73 (3.42)	3.70 (4.93)	0.02 (0.01)	2.82 (2.69)
ख)	निवल ब्याज लागत	(0.07) (2.22)	4.07 (6.07)	0.03 (0.01)	4.39 (4.20)
ग)	अवधि के लिए स्वीकार्य निवल बीमांकक (लाभ)/हानि	-- (--)	1.90 (2.07)	-- (--)	-- (--)
घ)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनुमानित व्यय	3.67 (5.64)	9.66 (13.06)	0.05 (0.02)	7.22 (6.89)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(xiv) परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदी विश्लेषण

(क) रियायती दर पर परिवर्तन का प्रभाव

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	70.88	54.24	0.33	81.95
i)	0.50%की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1.70)	(2.12)	(0.01)	(5.80)
ii)	0.50%की कम के कारण प्रभाव	1.75	2.28	0.01	7.25
1) वितन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव					
	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	70.88	54.24	--	--
i)	0.50%की वृद्धि के कारण प्रभाव	1.74	2.26	--	--
ii)	0.50%की कम के कारण प्रभाव	(1.70)	(2.12)	--	--

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रकाष्ठ () में दर्शाया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों को पृथक रूप से दर्शाया जा सके।)

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेशनों की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेशनों में वृहद्ध की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रूप में लागू नहीं है।

(XV) बीमांकक अनुमान

1. प्रयुक्त विधि	अनुमानित इकाई ऋण विधि
2. रियायती दर	7.50 %
3. क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि दर	8.00 %
4. सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत शेष आयु	12.19 से 12.23 वर्ष
5. लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	10.05 से 10.14 वर्ष

44. प्रगतिरत संविदाओं के लिए संविदाओं से राजस्व पर इंड एस-11 के अंतर्गत प्रकटन*

- क) संविदा राजस्व के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधि : समापन का प्रतिशत।
 ख) प्रगतिरत संविदाओं के समापन के स्तरों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधि : अनुपात
 ग) अन्य ब्यौरा:

(रुपए करोड़ में)

ब्यौरा	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
अवधि में राजस्व के रूप में स्वीकृत संविदा राजस्व	2792.46	2829.56
वहन की गई लागत की सकल राशि और स्वीकृत लाभ (घटा: स्वीकृत घाटे)	12967.41	19547.91
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	3288.64	837.85
प्रतिधारण राशियां (ग्राहकों द्वारा)	50.05	99.63
संविदा कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकली राशि	305.65	479.13

* 31.03.2017 को समाप्त परियोजनाओं को छोड़कर

45. कंपनी को अपने आपूर्तिकर्ताओं से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इस सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2017 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोई राशि देय नहीं है।

46. (i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च की जानो वाली अपेक्षित सकल राशि **6.80 करोड़ रुपए** (6.03 करोड़ रुपए)।

(ii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए अपेक्षित 6.80 करोड़ रुपए (6.03 करोड़ रुपए) की राशि में से 5.89 करोड़ रुपए (6.15 करोड़ रुपए) खर्च किए हैं।

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2016-17	2015-16
1.	भुखमरी, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख तथा स्वच्छता का संवर्धन तथा स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना।	1.45	4.84
2.	व्यावसायिक कौशलों को प्रोत्साहित करने वाली विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा का संवर्धन, विशेष रूप से बच्चों हेतु।	0.81	0.90
3.	महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए होम तथा हॉस्टलों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्डएज होम की स्थापना, डे-केयर केन्द्रों तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था।	0.00	0.18
4.	पर्यावरणीय धारणीयता को सुनिश्चित करना।	3.18	0.05
5.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं।	0.46	0.18
	कुल	5.89	6.15

(iii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	रोकड़ में	रोकड़ में भुगतान किया जाना है	कुल
1.	परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण*	1.07	-	1.07
2.	अन्य प्रयोजन	4.82	-	4.82

*खरीदी गई परिसंपत्तियों को संबंधित संगठनों को सौंपा गया और इसे कंपनी द्वारा नहीं रखा गया है।

(iv) अभी किए जाने वाले सीएसआर व्यय 0.91 करोड़ रुपए। सीएसआर में खर्च किए गए कुल व्यय में से शुन्य रुपए (0.19 करोड़ रुपए) कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन आईएसएल के माध्यम से किया गया है।

47. प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता है।

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
मूल ईपीएस		
निरंतन प्रचालनों से	37.27	39.90
बंद प्रचालनों से	-	-
विलयित ईपीएस*	37.27	39.90

*विलयित ईपीएस राशियां मूल ईपीएस के समान ही होती हैं क्योंकि कंपनी के कोई विलेय संभावित इक्विटी शेयर नहीं हैं।

निम्नलिखित मूल ईपीएस परिकलनों में प्रयुक्त आय और शेयर डाटा को प्रदर्शित करते हैं:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
ईपीएस के परिकलन में प्रयुक्त कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य लाभ:		
निरंतन प्रचालनों से	368.94	394.89
बंद प्रचालनों से	-	-
प्रति शेयर मूल आमदनियों के लिए इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ	368.94	394.89

निम्नलिखित मूल ईपीएस के परिकलन में प्रयुक्त वेटेज औसत संख्या के शेयरों को प्रदर्शित करता है:

(शेयरों की संख्या)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	98980000	19796000
विलयन का प्रभाव :		
विलयन के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	98980000	19796000

* वर्ष के दौरान ट्रेजरी शेयर संव्यवहारों में परिवर्तन के भारित औसत प्रभाव के लिए शेयरों के भारित औसत संख्या को ध्यान में रखा जाता है। रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित कोई अन्य संव्यवहार नहीं हुए हैं।

48. 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान धारित तथा संव्यवहारित विशिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एसबीएन	अन्य अंक के नोट	कुल
08.11.2016 को उपलब्ध समापन रोकड़	0.0810	0.0190	0.1000
(+) अनुमत प्राप्तियां	0.0007*	0.4160	0.4167
(-) अनुमत भुगतान	-	0.3550	0.3550
(-) बैंकों में जमा राशियां	0.0817	0.0020	0.0837
30.12.2016 को उपलब्ध समापन रोकड़	-	0.0780	0.0780

*विमौद्रीकरण के पश्चात स्टाफ इम्प्रेस्ट को वापस किया गया ।

49. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन की लागत के उपचार से संबंधित अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए व्यय में 0.10 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है और वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में 0.10 करोड़ रुपए की कमी हुई है।
50. कंपनी ने तीन देशों में क्रियान्वित की जा रही विदेशी परियोजनाओं के लिए सविदाएं प्राप्त करने और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एजेंटों/परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। एजेंट/परामर्शदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के आकलन के लंबित होने के कारण, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1.36 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.44 करोड़ रुपए) सहित 3.80 करोड़ रुपए के समेकित व्ययों को लेखांकित नहीं किया है।
51. पटना क्षेत्र के अंतर्गत एक परियोजना में प्रबंधक के अनुमोदन के अनुसार 14.5 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत के आवधिक दर पर 2.51 करोड़ रुपए की राशि के वापस न किए गए इस्पात पर पर्यवेक्षक प्रभारों के वसूले गए/वसूली योग्य देय राशियों को रिमिट किया है। इसके अतिरिक्त 4.48 करोड़ रुपए की राशि के निर्णीत हर्जानों को छोड़ दिया गया था और 3.52 करोड़ रुपए की राशि के वृद्धि दावों को ठेकेदार को पक्ष में छोड़ दिया गया था। प्रबंधन का विचार है कि यह मामले के गुणदोष पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अनुसार, सविदा के प्रावधानों के अनुसार है।

ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	रुपए करोड़ में
1.	पर्यवेक्षण प्रभार	2.51
2.	निर्णीत हर्जाने	4.48
3.	अन्य प्रभार	0.16
4.	नियंत्रणरहित वृद्धि दावा	3.52

52. वित्तीय गारंटी

कंपनी ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी, इस्कॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रियायत करार के समाप्त होने पर अपने देयों में कमी, यदि कोई हो, को 50 प्रतिशत पूरा करने के लिए प्राप्त किए गए दीर्घकालीन ऋण सुविधा के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक को वित्तीय गारंटी जारी की है कि 31.03.2017 को बकाया ऋण **63.07 करोड़ रुपए** (113.15 करोड़ रुपए है)। रियायत करार के अनुसार, यदि आइएसटीपीएल को आरोप्य कारणों से करार समाप्त होता है तो, कंपनी को बकाया ऋण का भुगतान करने को कहा जाएगा जो कि 31.03.2017 को **6.31 करोड़ रुपए** (11.32 करोड़ रुपए है)। उक्त वित्तीय गारंटी को इंड एस-109 के अनुसार स्वीकार किया गया है।

53. रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात होने वाली घटनाएं

- (क) निदेशकों द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश के लिए नोट 14 का संदर्भ लें, जो आगामी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।
- (ख) वर्ष की समाप्ति के पश्चात, प्राधिकृत शेयर पूंजी में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि को दिनांक 22.05.2017 को आयोजित असाधारण बैठक में अनमोदित किया गया है।

54. जारी मानक किन्तु जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रभावी नहीं हैं

(क) इंड एस 115 - ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व :

एमसीए ने फरवरी 2015 में ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व पर इंड एस115 को अधिसूचित किया था। इस मानक में एक नया पांच चरणीय मॉडल स्थापित किया गया है जो इंड एस 115 के अंतर्गत ग्राहकों के साथ संविदा से उत्पन्न राजस्व पर लागू होगा, राजस्व को उस राशि पर स्वीकार किया जाएगा जो उस तथ्य को प्रदर्शित करेगी जिसके आधार पर निकाय ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के अंतरण के लिए विनिमय में पात्र होंगे। इंड एस 115 के सिद्धांत राजस्व के मापन और उसे स्वीकार करने के लिए अधिक व्यवस्थित परिदृश्य उपलब्ध कराते हैं। नया राजस्व मानक सभी निकायों पर लागू होगा और और इंड एस के अंतर्गत अपेक्षित सभी चालू राजस्व स्वीकृतियों का अधिक्रमण करेगा।

इंड एस 115 की प्रभावी तिथि अनुमत पूर्व अंगीकरण के साथ 1 जनवरी 2018 को या पश्चात आरंभ होने वाली वार्षिक अवधियां होंगी। कंपनी को 1 अप्रैल 2018 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष द्वारा इस मानक को स्वीकार करना अपेक्षित होगा। कंपनी वर्तमान में इंड एस की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के विषय में अभी निश्चित नहीं है।

(ख) इंड एस 7 रोकड़ प्रवाह विवरण में संशोधन:

इंड एस 7 में संशोधन के लिए निकायों को प्रकटन उपलब्ध कराने होंगे जो प्रकटन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए अधशेष तथा अंतशेष के बीच समाधान के समावेशन के सुझाव सहित रोकड़ प्रवाह तथा गैर रोकड़ परिवर्तनों से उत्पन्न दोनों परिवर्तनों सहित वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ता के लिए उपलब्ध हो।

कंपनी संशोधन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

55. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनःसमूहित, पुनःव्यवस्थित तथा पुनःनिर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग दर्शाने के लिए उन्हें कोष्ठक में प्रस्तुत किया गया है।

कृते के.जी.सोमानी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

भागीदार: अनुज सोमानी
स.सं. 511267

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

एम.के.सिंह
निदेशक/वित्त
डीआईएन 06607392

सुमिता शर्मा
कंपनी सचिव

एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00515672

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143 (6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 21 सितंबर 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143 (6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

(बी.आर.मंडल)

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
(रेलवे -वाणिज्यिक), नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितंबर, 2017

इएफ़ॉन

**समेकित
वित्तीय विवरण**

2 0 1 6 - 1 7



फॉर्म एओसी-1

31.03.2017 को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण (कंपनी (लेखा)नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित खंड 129 के उपखंड (9) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

भाग- "क" : सहायक कंपनियों

(रु.करोड में)

क-सं	सहायक कंपनी का नाम	शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल)	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसीएल)	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (आईआईएसएल)
1	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	01.04.2016 से 31.03.2017	01.04.2016 से 31.03.2017	01.04.2016 से 31.03.2017	01.04.2016 से 31.03.2017
2	रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	रुपए में	रुपए में	रुपए में	रुपए में
3	शेयर पूंजी (शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन)	150.00	165.00	40.00	65.00
4	अन्य इक्विटी /आरक्षित निधि व अतिरेक (जैसा कि लागू हो)	(0.67)	3.10	0.04	49.70
5	देयताएं	174.77	85.69	4.57	87.42
6	कुल इक्विटी और देयताएं	324.10	253.79	44.61	202.12
7	कुल परिसंपत्तियां	324.10	253.79	44.61	202.12
8	निवेश	-	-	-	-
9	टर्नओवर	294.12	177.89	0.15	40.98
10	कर पश्चात लाभ	0.61	0.83	(4.64)	20.80
11	कर क लिए प्रावधान	0.22	0.29	(0.10)	8.44
12	कर पश्चात लाभ	0.39	0.54	(4.54)	12.36
13	अंतरिम लाभांश -इक्विटी	-	-	-	-
14	अंतरिम लाभांश - प्रेफरेंस	-	-	-	-
15	प्रस्तावित लाभांश -इक्विटी	-	-	-	-
16	प्रस्तावित लाभांश - प्रेफरेंस	-	-	-	-
17	शेयरधारिता का प्रतिशत	100%	100%	51%	100%

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 006591एन

एम. के सिंह

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

एस.के.चौधरी

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

अनुज सोमानी

साझेदार

स.सं. 511267

सुमीता शर्मा

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21.09.2017

भाग "ख": संयुक्त उद्यम

क. सं	संयुक्त उद्यम का नाम	बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि.	झारखंड सेट्रल रेल लिमिटेड (जेसीआरएल)	महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31 मार्च 17	31 मार्च 17	31 मार्च 17	31 मार्च 17	31 मार्च 17	31 मार्च 17
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर	0.53%	27.31%	26.02%	50%	28.86%	26%
	धारित शेयरों की संख्या	13,000	83,575,700	131,170,000	63,870,000	1,300,000	13,000
	संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (नीचे प्रस्तुत नोट 2)	11,830,000	835,757,000	1,311,700,000	638,700,000	13,000,000	130,000
	कुल शेयरों की संख्या	2,435,000	306,000,000	504,055,000	127,740,000	4,505,000	50,000
	धारिता प्रतिशत का स्तर	0.53%	27.31%	26.02%	50%	28.86%	26.00%
3	वर्णन करें कि महत्वपूर्ण प्रभाव किस प्रकार है	नोट 1 (नीचे) का संदर्भ लें					
4	कारण के संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के प्रति निवल संपत्ति (रुपए करोड़ में)	3.51	305.59	503.75	45.45	32.67	0.04
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (रुपए करोड़ में)	(0.09)	(0.15)	(0.07)	11.70	(0.58)	-
	(i) समेकिन में विचारार्थ (रुपए करोड़ में)	-	(0.04)	(0.02)	5.85	(0.18)	-
	(ii) समेकन में गैर विचारार्थ (रुपए करोड़ में)	(0.09)	(0.11)	(0.05)	5.85	(0.40)	-

1 निवेशिती के वोटिंग अधिकार की 20 प्रतिशत या अधिक की धारिता द्वारा प्रदर्शित महत्वपूर्ण प्रभाव

2	संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	(राशि रुपए में)
	आवंटित शेयरों का मूल्य	130,000
	आवेदन राशि लंबित आवंटन	11,700,000
		11,830,000

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 006591एन

एम. के सिंह

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

एस.के. चौधरी

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

अनुज सोमानी

साझेदार

स.सं. 511267

सुमीता शर्मा

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21.09.2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों हेतु

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("धारक कंपनी") तथा इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण, जिसमें अन्य वृहत आय शामिल है और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं (जिन्हें यहां आगे समेकित इंड एस वित्तीय विवरण कहा जाएगा)।

समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं की शर्तों के अनुसार समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों सहित समूह के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन अन्य वृहत आय सहित तथा समेकित रोकड़ प्रवाह और समूह की इक्विटी में परिवर्तनों के समेकित विवरण के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। समूह सहित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रही थीं और समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करता है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के

अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है, जिनका प्रयोग उपर्युक्त अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए किया गया है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है। लेखापरीक्षा के दौरान हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित इंडो एस वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और समेकित इंडो एस वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा तथा नीचे प्रस्तुत अन्य विषय पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों की दृष्टि से अन्य लेखापरीक्षकों से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा हमारे समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और नीचे उल्लिखित अनुसार सहायक कंपनियों के उपर्युक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2017 को समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एस वित्तीय कार्यकलापों (वित्तीय स्थिति), और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन) और इसके समेकित रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी में समेकित परिवर्तन को दर्शाता है।

विषय पर बल

- i) हम समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 34 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:
- क. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 80-आईए के अंतर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किए गए हैं। तथापि, आईटीएटी ने वित्तीय वर्ष 2000-01 की लंबित अपील का निपटान किया है जिसमें 80आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है और तत्पश्चात सीआईटी (ए) ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए कटौती की अनुमति प्रदान की है। अन्य आकलन वर्षों के मामलों को कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है।
- ख. कंपनी ने भारत के साथ दोहरे कर निवारण करारों (डीटीएए) वाले देशों में अपने स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को अलग करने के पश्चात भारत में कर हेतु वैश्विक कर प्रस्तुत कर रही है। तदनुसार, कंपनी ने तत्पश्चात करों का भुगतान किया है, तथापि इस मुद्दे को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
- ii) कार्यनिष्पादन के लंबित मूल्यांकन के लिए तीन देशों में परियोजनाओं के संबंध में विदेशी एजेंसी कमिशन/परामर्श प्रभागों के प्रति 3.80 करोड़ रुपए के गैर प्रावधान के संबंध में समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 52 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विषय पर बल के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

अन्य मददे

- (i) हमने कंपनी के समेकित इंड एस वित्तीय विवरण में शामिल धारक कंपनी की ग्यारह शाखाओं की वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2017 को 5676.83 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 2889.57 करोड़ रुपए के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टों हमें उपलब्ध कराई गई हैं, और इन शाखाओं सहित जहां तक राशियों और प्रकटों के विषय में हमारा मत है, वह मूल रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- (ii) हमने चार सहायक कंपनियों और दस संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण 31 मार्च 2017 को 3,384.47 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 878.32 करोड़ रुपए का कुल राजस्व तथा 388.53 करोड़ रुपए के निवल रोकड़ प्रवाह को प्रदर्शित करता है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है और समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटों का संबंध है, और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) तथा (11) की शर्तों के अनुसार हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर पूर्णतः आश्रित है, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों का संबंध है।
- (iii) हमने एक संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2017 को 8.27 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 1.94 करोड़ रुपए के कुल राजस्व और -0.01 करोड़ रुपए निवल रोकड़ प्रवाह को प्रदर्शित करता है, जैसा कि

समेकित इंड एस वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और ये हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं तथा समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों का संबंध है, और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) तथा (11) की शर्तों के अनुसार हमारी रिपोर्ट अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर पूर्णतः आश्रित है, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों का संबंध है। हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना समूह के लिए तथ्यात्मक नहीं है।

(iv) 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय सूचना और इन समेकित इंडो एस वित्तीय विवरणों में शामिल पूर्व में जारी 1 अप्रैल 2015 को अंतरण तिथि अधिशेष, कंपनी (लेखांकन मानक) नियम 2006 के अनुसार तैयार सांविधिक समेकित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं जिनकी लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी इन स्टैंडएलोन इंडो एस वित्तीय विवरणों पर क्रमशः 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2015, 2 सितंबर 2016 तथा 13 अक्टूबर 2016 को समाप्त वर्ष के लिए गैर आशोधित विचार तथा अर्हत विचार प्रस्तुत किए हैं। इंड एस के अंतरण पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों में अंतर के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणों के समायोजनों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है।

समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारा मद और अन्य विधि व विनियामक अपेक्षाओं पर नीचे प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारी विश्वसनीयता के संबंध में उपर्युक्त विषय (क) के संबंध में आशोधित नहीं है।

7. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम के खंड 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधित विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखे की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत हुआ है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित धारक कंपनी और भारत में निगमित सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों, भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें/अन्य लेखापरीक्षकों, जैसा भी लागू हो, को भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ-हानि का विवरण (अन्य वृहत आय) तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित इंड एस विवरण लेखा बहायों और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों से मेल खाते हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

(ङ.) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों पर प्रचालनिक कुशलता का संबंध है, अनुबंध-क पर हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें, जो धारक कंपनी की लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर आधारित है।

(छ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) कंपनी ने 31 मार्च 217 को अपने समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है - वित्तीय विवरण के नोट सं. 31 का संदर्भ लें।

(ii) समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में दीर्घकालीन संविदाओं पर

सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है, जिसका उल्लेख ऐसे मदों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 16.3 में अपरिहार्य घाटों में किया गया है, क्योंकि यह समूह से संबंधित है। समूह और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में कोई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों तथा भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा ऐसी किसी राशि को कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी। हमारा मत इस विषय के संबंध में अर्हक नहीं है।

(iv) समूह ने 8 नवंबर 2016 से 30 सितंबर 2016 तक की अवधि के दौरान वित्त मंत्रालय के दिनांक 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना एस.ओ. 3407(ई) में परिभाषित अनुसार विशिष्ट बैंक नोटों को धारित करने और उसमें संव्यवहार करने के लिए अपनी इंड

एस वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटनों के लिए प्रावधान किया है। निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर हम उल्लेख करते हैं कि प्रकटन समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु समूह द्वारा अनुरक्षित संगत लेखा बहियों के अनुरूप है। (समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट 49 का संदर्भ लें)।

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी**सनदी लेखाकार**

एफआरएम - 006591एन

(अनुज सोमानी)

साझोदार

सदस्यता सं.511267

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21-09- 2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "क"।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह और इसके संयुक्त नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2017 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों जिसे आगे समूह कहा जाएगा) तथा इसकी संयुक्त नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है। हमने आज की तिथि को अपनी चार सहायक कंपनियों और दस संयुक्त नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा नहीं की है। एक संयुक्त नियंत्रित निकाय की वित्तीय सूचना अलेखापरीक्षित और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है, संयुक्त नियंत्रित निकाय के संबंध में अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रचालनिक कुशलता पर टिप्पणी करने में अक्षम है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल तथा इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (दिशानिर्देश नोट)के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल है - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं समेकित इंडो एस वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निभर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त और हमारी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत

वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यकता रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि धारक कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया गया है, (3) धारक कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार, 31 मार्च 2017 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं:

क. कंपनी के पास एकीकृत ईआरपी प्रणाली है, जिसका प्रयोग पूर्ण क्षमता के साथ नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय विवरणों को तैयार कराने के लिए साफ्टवेयर लिंक तथा मेनुअल

हस्तक्षेप के माध्यम से कंपनी द्वारा विभिन्न साफ्टवेयर पैकेजों जैसे टेली तथा फॉक्स प्रो का प्रयोग किया गया था। जिसके कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण कमजोर हो गया।

- ख. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समयसीमा का अनुपालन नहीं किया गया था और भारतीय क्षेत्र/विदेशी शाखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा में विलंबित रिपोर्टिंग देखी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा का तंत्र सुदृढ़ नहीं है।
- ग. कुछ इकाइयों में दरसूची रिकार्ड मानवीय रूप से रखे जाते हैं और सेप में इवेंटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अतिरेक/अप्रचलित/विखंडित परिसंपत्तियों और सामग्री/भंडारणों के निरंतर चिह्नन की प्रणाली उपयुक्त नहीं है और उसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

सामग्रीगत खामी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकेगा।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर और नीचे प्रस्तुत अन्य मुद्दों के पैराग्राफ के मद्देनजर, धारक कंपनी और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2017 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं, जैसा कि बहियों की हमारी जांच और उनके द्वारा लेखापरीक्षित निकायों के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अलेखापरीक्षित निकायों के लिए प्रबंधन से प्राप्त जानकारी से प्रतीत होता है।

महत्वपूर्ण मुद्दा

1. पटना क्षेत्र में एक संविदा के संबंध में आवधित दर पर वापस न किए गए इस्पात पर पर्यवेक्षण प्रभारों तथा परिशोधन क्षति, संवर्धन दावों तथा अन्य प्रभारों के संबंध में वित्तीय विवरण के संबंध में नोट सं. 53 में ध्यान आकर्षित किया गया है।
2. उत्तरी क्षेत्र में ग्राहक द्वारा बिलों में कमी करने और परियोजना द्वारा इसके पूर्ण कारणों/औचित्यों को नोट किए बिना स्वीकार करने के कुछ मामले देखे गए हैं।

अन्य मुद्दे

चार सहायक कंपनियों और दस संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रचालनिक कुशलता पर अधिनियम के खंड 143 (3) (i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट ऐसी कंपनियों के

लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है और जहां तक एक संयुक्त नियंत्रित निकाय का संबंध है, वहां प्रबंधन से प्राप्त सूचना पर आधारित है (उपर्युक्त स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अन्य मुद्दों के पैराग्राफ का भी संदर्भ लें), इस विषय के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।

कृते के जी सुमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएम - 006591एन

(अनुज सोमानी)

साझेदार

सदस्यता सं.511267

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21-09- 2017

31 मार्च 2017 को समेकित तुलनपत्र

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
I. परिसंपत्तियां				
1 गैर चालू परिसंपत्तियां				
(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	145.61	156.39	176.69
(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	4	2.00	1.50	0.38
(ग) निवेश संपत्ति	5	307.35	278.18	270.40
(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	6	71.49	71.91	72.11
(ङ) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	6	546.58	73.86	16.04
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां	7			
(i) निवेश	7.1	530.94	349.47	179.77
(ii) व्यापार प्राप्य	7.2	24.08	2.54	44.71
(iii) ऋण	7.3	78.91	60.61	102.87
(iv) अन्य	7.4	77.30	47.33	4.98
(छ) आस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	8	145.03	211.59	262.14
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	403.63	249.39	248.42
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		2,332.92	1,502.77	1,378.51
2 चालू परिसंपत्तियां				
(क) दरसूचियां	10	139.34	140.62	114.43
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	11			
(i) निवेश	11.1	249.91	138.01	68.39
(ii) व्यापार प्राप्य	11.2	583.44	681.52	580.28
(iii) नकद और नकद समतुल्य	11.3	1,453.76	2,590.68	1,324.47
(iv) अन्य बैंक शेष	11.4	3,299.37	2,131.31	2,054.42
(v) ऋण	11.5	80.22	1.70	20.46
(vi) अन्य	11.6	265.01	221.89	142.74
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		5.58	19.10	12.97
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	821.85	711.79	807.09
कुल चालू परिसंपत्तियां		6,898.48	6,636.63	5,125.25
कुल परिसंपत्तियां		9,231.40	8,139.40	6,503.76
II. इक्विटी और देयताएं				
1 इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	98.98	19.80	19.80
(ख) अन्य इक्विटी	14	3,718.12	3,619.09	3,450.81
मूल के स्वामी के प्रति इक्विटी		3,817.10	3,638.89	3,470.61
गैर नियंत्रण ब्याज		19.62	21.85	21.28
कुल इक्विटी		3,836.72	3,660.74	3,491.89

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
2 देयताएं				
(i) गैर चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं	15			
(i) व्यापार प्राप्य	15.1	0.45	5.63	7.90
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15.2	129.26	110.86	80.77
(ख) प्रावधान	16	76.23	149.78	340.21
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	17	1,826.33	964.80	104.24
कुल गैर चालू देयताएं		2,032.27	1,231.07	533.12
(ii) चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं	18			
(i) व्यापार प्राप्य	18.1	359.90	400.38	442.59
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.2	563.59	513.27	527.12
(ख) अन्य चालू देयताएं	19	2,116.57	1,917.12	1,073.74
(ग) प्रावधान	16	298.52	354.27	318.40
(घ) चालू कर देयता (निवल)		23.83	62.55	116.90
कुल चालू देयताएं		3,362.41	3,247.59	2,478.75
कुल इक्विटी और देयताएं		9,231.40	8,139.40	6,503.76
III. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2			
IV. वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	3 - 58			

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 006591एन

अनुज सोमानी

साझेदार

स.सं. 511267

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21.09.2017

एम के सिंह

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

सुमिता शर्मा

कंपनी सचिव

एस के चौधरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 00515672

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोट सं०	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
I. राजस्व :			
प्रचालन से राजस्व	20	2,948.07	2,377.00
जमा :- एकीकृत संयुक्त प्रचालनों के टर्नओवर में कंपनी का भाग		89.90	103.93
		3,037.97	2,480.93
II. अन्य आय	21	263.37	453.49
III. कुल आय (I + II)		3,301.34	2,934.42
IV. व्यय:			
प्रचालनिक व्यय	22	2,490.47	1,923.59
कर्मचारी लाभ व्यय	23	156.07	180.69
वित्तीय लागत	24	58.64	43.30
मूल्यहास परिशोधन एवं घाटा	25	26.69	30.90
अन्य व्यय (प्रशासनिक)	22	36.64	26.84
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में व्यय का आनुपातिक भाग		56.39	97.25
कुल व्यय (IV)		2,824.90	2,302.57
V. संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) के भाग से पूर्व लाभ/(हानि) और आपवादित मर्दे व कर (III-IV)		476.44	631.85
VI. आपवादिक मर्दे	27क	73.69	-
VII. संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में भाग		5.60	5.49
VIII. कर पूर्व लाभ (V + VI + VII)		555.73	637.34
IX. कर व्यय:			
(1) चालू कर	8		
- वर्ष हेतु		123.34	156.83
- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		(18.34)	5.07
(2) आस्थगित कर (निवल)		66.54	56.60
कुल कर व्यय		171.54	218.50
X. निरंतर प्रचालन से वर्ष में लाभ (VIII - IX)		384.19	418.84
XI. अन्य वृहत लाभ	26		
क. (i) लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत न की जाने वाली मर्दे		4.82	1.32
(ii) लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत न की जाने वाली मर्दे से संबंधित आयकर		(1.67)	(0.46)
ख. (i) लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जाने वाली मर्दे		16.16	(57.46)
(ii) लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जाने वाली मर्दे से संबंधित आयकर		(5.59)	25.94
		13.72	(30.66)

विवरण	नोट स0	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
XII सं.उ.में भाग से पूर्व (X + XI) वर्ष के लिए कुल वृहत आय और गैर नियंत्रण हित (वर्ष के लिए लाभ और अन्य वृहत आय सहित)		397.91	388.18
निम्न के प्रति कुल वृहत आय			
मूल के स्वामी		400.13	387.62
घटा : गैर नियंत्रण ब्याज		(2.22)	0.56
XIII गैर नियंत्रण ब्याज पश्चात कुल वृहत आय		397.91	388.18
XIII प्रति इविट्टी शेयर आय: (निरंतर प्रचालन हेतु)			
(1) मौलिक	47	38.82	42.32
(2) विलयित		38.82	42.32
XIV महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2		
XV वित्तीय विवरण क भाग का निर्माण करने वाला नोट	3 - 58		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 006591एन

अनुज सोमानी

साझेदार

स.सं. 511267

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21.09.2017

एम के सिंह

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

सुमिता शर्मा

कंपनी सचिव

एस के चौधरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 00515672

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

(रुपए करोड़ में)

		31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		555.73	637.34
समायोजन:			
अन्य वृहत आय की मदे		20.98	(56.14)
मूल्यहास, परिशोधन और क्षति		26.69	30.90
परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि		(0.32)	(0.86)
निवेश की बिक्री पर हानि		(73.69)	-
ब्याज आय		(200.67)	(240.50)
लाभांश आय		(3.37)	(5.54)
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		38.46	(134.17)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	363.81	231.03
समायोजन:			
व्यापार प्राप्यों/वित्तीय परिसंपत्तियों - ऋण में (कमी)/ वृद्धि		20.77	(125.77)
दरसूची में (कमी)/ वृद्धि		1.28	(26.19)
अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों में (कमी)/ वृद्धि		(283.88)	48.30
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/ वृद्धि		(40.48)	(42.21)
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/ वृद्धि		921.99	1,474.04
	(2)	619.68	1,328.17
प्रचालन से सृजित नकद	(1+2)	983.49	1,559.20
प्रदत्त आय कर		(64.21)	(113.70)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	(क)	919.28	1,445.50
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(487.41)	(71.05)
अमूर्त परिसंपत्ति/विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की खरीद		(6.97)	(1.15)
निवेश परिसंपत्ति की खरीद/प्रक्रिया		(29.21)	(7.83)
परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		6.04	3.79
निवेश की बिक्री		79.22	-
म्युचुवल फंड में निवेश		(117.43)	(69.62)
सहायक कंपनी तथा जे वी को ऋण		(19.50)	(28.48)

		31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
सहायक कंपनी तथा जे वी को ऋण का पुनर्भुगतान			-		114.05
प्राप्त ब्याज			125.59		207.20
प्राप्त लाभांश			3.37		5.54
इक्विटी शेयरों में निवेश			(181.47)		(44.51)
बांडों में निवेश			0.02		(125.19)
(निवेश) / बैंक जमा राशियों की परिपक्वता (3 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि)			(1,168.06)		(76.89)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)		(1,795.81)		(94.14)
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)			(221.74)		(219.20)
शेयर इश्यू व्यय			(0.19)		(0.12)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)		(221.93)		(219.32)
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)		(38.46)		134.17
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क + ख + ग + घ)		(1,136.92)		1,266.21
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(ड.)		2,590.68		1,324.47
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(च)		1,453.76		2,590.68
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध कमी	(च - ड.)		(1,136.92)		1,266.21

नोट:

1. रोकड़ प्रवाह विवरण इंड एस-7 (रोकड़ प्रवाह विवरण) में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दर्शाते हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 00515672

अनुज सोमानी

साझेदार

स.सं. 511267

सुमिता शर्मा

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21.09.2017

31 मार्च 2016 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

	01 अप्रैल 2015 को शेष	वर्ष के दौरान जारी शेयर	31 मार्च 2016 को शेष
	19.80	-	19.80

ख. अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि व सरप्लस		अन्य वृहत आय की मर्दे	मूल के प्रति अन्य इक्विटी	गैर नियंत्रण ब्याज (एनसीआई) के प्रति इक्विटी	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर			
01 अप्रैल 2015 को शेष	3,284.64	119.52	26.52	3,430.68	21.28	3,451.96
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		20.13	-	20.13	-	20.13
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनःआरंभ शेष	3,284.64	139.65	26.52	3,450.81	21.28	3,472.09
वर्ष के लिए लाभ	-	418.28	-	418.28	0.56	418.84
अन्य वृहत आय						
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	0.86	-	0.86	-	0.86
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	-	-	(31.53)	(31.53)	-	(31.53)
वर्ष के लिए कुल वृहत आय	-	419.14	(31.53)	387.61	0.56	388.17
प्रदत्त लाभांश		(182.12)	-	(182.12)	-	(182.12)
लाभांश वितरण कर		(37.08)	-	(37.08)	-	(37.08)
शेयर इश्यू व्यय		(0.12)	-	(0.12)	-	(0.12)
31 मार्च 2016 को शेष	3,284.64	339.46	(5.01)	3,619.10	21.85	3,640.94

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह

निदेशक वित्त

डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 00515672

अनुज सोमानी

साझेदार

स.सं. 511267

सुमिता शर्मा

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21.09.2017

31 मार्च 2017 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी	01 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान जारी शेयर	31 मार्च 2017 को शेष
	19.80	79.18	98.98

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि व सरप्लस		अन्य वृहत आय की मर्दे	मूल के प्रति अन्य इक्विटी	गैर नियंत्रण ब्याज (एनसीआई) के प्रति इक्विटी	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर			
01 अप्रैल 2016 को शेष	3,284.64	312.29	(5.01)	3,591.93	21.85	3,613.77
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		27.17	-	27.17	-	27.17
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनःआरंभ शेष	3,284.64	339.46	(5.01)	3,619.10	21.85	3,640.94
वर्ष के लिए लाभ		386.42	-	386.42	(2.22)	384.19
अन्य वृहत आय						
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		3.15	-	3.15	-	3.15
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर		-	10.57	10.57	-	10.57
वर्ष के लिए कुल वृहत आय	0.00	389.57	10.57	400.14	(2.22)	397.91
प्रदत्त लाभांश		(184.24)	-	(184.24)	-	(184.24)
लाभांश वितरण कर		(37.50)	-	(37.50)	-	(37.50)
बोनस इश्यू		(79.18)	-	(79.18)	-	(79.18)
शेयर इश्यू व्यय		(0.19)	-	(0.19)	-	(0.19)
31 मार्च 2017 को शेष	3,284.64	427.92	5.56	3,718.12	19.62	3,737.75

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

1. निगमित सूचना

समेमित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2017 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) और इसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम (जिसे समेकित रूप से समूह कहा जाएगा) के वित्तीय विवरण शामिल हैं। धारक कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है जो भारत में स्थित है तथा इसका निगमित टर्नकी आधार पर तथा अन्यथा रेल परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ भारत में लागू कंपनी नियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। धारक कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी; अनुसूची क की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तथा एक मिनि रत्न श्रेणी-1 कंपनी है। रेल निर्माण कंपनी के रूप में अपना व्यवसाय (सामूहिक रूप से समूह में) आरंभ करने के पश्चात, इसने अपनी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों (समूहों) के साथ सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो निर्माण कार्यों के क्षेत्रों में धीरे-धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया है। यह समूह घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कार्यरत है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

दिनांक 21.09.2017 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार जारी किए जाने हेतु वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत किया गया है।

(2) इंड एस (समेकित) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

(i) तैयार करने के आधार

(क) अनुपालन विवरण

31 मार्च 2017 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इन समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के अनुसार तैयार किया गया है।

कंपनी ने 31 मार्च 2016 तक ओर को समाप्त वर्ष में शामिल सभी अवधियों के लिए, कंपनी ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (भारतीय जीएपी) के पैरा 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। 31 मार्च 2017

को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण समूह के प्रथम इंड एस वित्तीय विवरणों।

यह सूचना प्राप्त करने के लिए कि कंपनी ने किस प्रकार इंड एस को स्वीकार किया है, पृथक नोट सं 29 का संदर्भ लें।

(ख) मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत अभिसमय तथा संचित आधार पर तैयार किया गया है, केवल निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें संगत इंड एस द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है।

- निर्धारित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है।
- नीचे दिए गए पैरा (X)(घ) के अनुसार प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य आवश्यक है।

(ग) अनुमानों और निर्णय का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को इंड एस के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रमुख लेखांकन अनुमान:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता - वह स्तर जिस पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को स्वीकार किया जा सकता है, वह भविष्य में करयोग्य आय की संभावना के अनुमान पर आधारित है जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रावधान - प्रबंधन निर्णय, तथ्यों और विधिक पहलुओं में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समूह बकाया आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। तथापि, वास्तविक भावी निष्कर्ष इस निर्णय से भिन्न हो सकता है।

राजस्व - धारक कंपनी समापन विधि के प्रतिशत का प्रयोग

करते हुए राजस्व की स्वीकार करती है। इसके लिए अंतर्निहित निर्माण और सेवा संविदाओं के निष्कर्षों सहित कुल बजटीय लागत के संबंध में पूर्वानुमान किए जाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) तथा अन्य भुगतानों पर किए जाने वाले अपेक्षित अनुमानों और निर्णयों के निर्धारण की आवश्यकता है, जिस स्तर तक वे संभावित हैं और वे विश्वसनीय रूप से मापे जाने के लिए सक्षम हों। दावों के लिए अनुमान तैयार करने के प्रयोजन से, समूह ने संविदागत तथा ऐतिहासिक सूचना का प्रयोग किया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण समूह के परिसंपत्ति आधार के महत्वपूर्ण अनुमात का प्रतिनिधित्व करते हैं। आवधिक मूल्यहास के संबंध में परिवर्तन संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के अनुमान तथा उसके जीवनकाल के अंत में अवशिष्ट मूल्य के निर्धारण के पश्चात किया जाता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं, जो परिसंपत्ति के उपयोग को परिवर्तित कर सकते हैं।

प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

(घ) सभी वित्तीय सूचनाएं भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं के साथ निकटवर्ती करोड़ रुपए में राउंडडिड किया गया है, केवल अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर।

(ii) समेकन का आधार

i) सहायक कंपनियों

सहायक कंपनियां वे सभी निकाय हैं (निर्मित निकायों सहित) जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह निकाय को तब नियंत्रित करता है, जब समूह की निकाय के साथ संलिप्तता से इसके परिवर्ती प्रतिफल के प्रति संव्यवहार हो, अधिकार हो और निकाय की संगत गतिविधियों के निदेश के अपने अधिकारी के माध्यम से इन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो। सहायक कंपनी उस तिथि पूर्णतः समेकित हैं, जिस तिथि को नियंत्रण समूह को अंतरित किया गया है। नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से उन्हें विसमेकित किया जाएगा।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर समूह शेषों तथा

अंतर समूह संव्यवहारों पर गैर-वसूलीयोग्य लाभों/हानियों को समाप्त करने के पश्चात परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की समान मदों के बही मूल्य के एकसाथ जोड़कर रेखा-दर-रेखा आधार पर समेकित किया गया है और इसमें गैर-वसूलीयोग्य घाटों को समाप्त नहीं किया जाएगा बशर्ते संव्यवहार अंतरित परिसंपत्तियों की हानि के साक्ष्य उपलब्ध कराएं। समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुरूप बनाए रखने के लिए यथा आवश्यकता सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रण हितों को क्रमशः समेकित लाभ हानि विवरण और समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा तुलनपत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

जब समूह का सहायक कंपनियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो वह सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों और देयताओं तथा अन्य संबंधित एनसीआई और इक्विटी के अन्य घटकों की मान्यता समाप्त हो जाती है। पूर्व सहायक कंपनी में प्रतिधारित किसी प्रकार के हित को नियंत्रण समाप्ति की तिथि को उचित मूल्य पर मापा जाता है। इसमें किसी प्रकार के परिणामी लाभ या हानि को लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ii) संयुक्त व्यवस्था

इंड एस 111 संयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत, संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश को संयुक्त प्रचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की विधि संरचना के स्थान पर प्रत्येक निवेशक के संविदागत अधिकार या दायित्व पर निर्भर करता है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के संयुक्त प्रचालन और संयुक्त उद्यम दोनों हैं।

(क) संयुक्त प्रचालन

समूह संयुक्त प्रचालनों की परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्वों और व्ययों तथा उसके द्वारा धारित या की गई कोई परिसंपत्ति, देयता, राजस्व या व्यय को स्वीकार करता है। इन्हें उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

(ख) संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यमों में हितों को इक्विटी विधि (देखें 2(iii)) का प्रयोग करके लेखांकित किया जाता है, ऐसा आरंभिक स्तर पर समेकित तुलन पत्र में लागत पर स्वीकार करने के पश्चात किया जाता है।

(iii) इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी विधि के अंतर्गत, निवेशों को आरंभिक रूप में लागत पर स्वीकार किया जाता है और तत्पश्चात समायोजित किया जाता है ताकि लाभ और हानि में निवेशिती के अधिग्रहण पूर्व लाभों या हानियों के समूह के भाग को तथा अन्य वृहत आय में निवेशिती की अन्य वृहत आय के समूह के भाग को स्वीकार किया जा सके। संबद्ध और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त और प्राप्य लाभांशों को निवेश की प्रतिधारण राशि में कमी के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

जब इक्विटी-लेखांकित निवेश में समूही की हानियों का भाग किसी अन्य अरक्षित दीर्घकालीन प्राप्यों सहित इक्विटी में इसके हित के समान या अधिक है तो समूह और अधिक हानियों को स्वीकार नहीं करता है बशर्ते इसने अन्य निकायों की ओर से दायित्वों को वहन किया हो या भुगतान किए हों।

समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के बीच संव्यवहारों पर अप्राप्त लाभों को इन निकायों में समूह के हित के स्तर तक समाप्त किया जाता है। अप्राप्त घाटों को भी समाप्त किया जाता है बशर्ते संव्यवहार में अंतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य उपलब्ध हों। समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुरूप बनाए रखने के लिए यथा आवश्यकता इक्विटी लेखांकित निवेशितियों की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है।

हानि के लिए हानि नीति के अनुसार इक्विटी लेखांकित निवेशों की प्रतिधारण राशि की जांच की गई है।

(iii) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर-रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। समूह के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

(iii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क्रियात्मक और प्रतिपादन मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस राष्ट्र की प्रधान अर्थव्यवस्था के पर्यावरण की मुद्रा का प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है, जहां समूह प्रचालन कर रही है (यथा क्रियात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की प्रतिपादन और क्रियात्मक मुद्रा है।

(क) भारतीय प्रचालनों में संव्यवहार:

- सभी भारतीय मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।
- संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति, पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर-मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेटींग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

(ख) विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

- सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।
- संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति, पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर-मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेटींग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

विदेशी प्रचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति, जिनकी क्रियात्मक मुद्रा प्रतिपादन मुद्रा से भिन्न है, को निम्नानुसार प्रतिपादन मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।

- परिसंपत्तियां और देयताएं - रिपेटींग तिथि को देयताओं के लिए समापन बिक्री दरें तथा परिसंपत्तियों के लिए समापन क्रय दर।
- आय/व्यय - वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर।
- क्रियात्मक मुद्रा और प्रतिपादन मुद्रा के परिवर्तन में विनियम अंतरों को ओसीआई (अन्य वृहत आय) में स्वीकार किया

जाएगा।

- iv. विदेशी प्रचालन के निपटान पर (ग्राहक से सभी प्राप्ति की वसूली पर) ओसीआई (अन्य वृहत आय) के घटकों को संबंधित विदेशी प्रचालन के लाभ या घाटे में परिवर्तित किया जाएगा।

(v) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1. फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर प्रस्तुत किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यहास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।
2. मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यहासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।
3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुवर्ती लागत को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा, यदि:
 - क) यह संभावित है कि मदों से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय में प्रवाहित होंगे; और
 - ख) मद की लागत का परिकलन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है।
4. परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - i. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत।
 - ii. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर तक वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
 - iii. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।
5. प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपुर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।
6. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रूप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ

या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।

7. प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रूप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

इंड एस में पारगमन

इंड एस में पारगमन पर, कंपनी ने पिछले जीएपी के अनुसार निर्धारित 1 अप्रैल 2015 के अनुसार स्वीकृत अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्र और उपकरण की प्रतिधारण मूल्य का जारी रखने का विकल्प चुना है और इस प्रतिधारण मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की धारित मूल्य के रूप में प्रयोग किया है।

मूल्यहास

- (क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।
- (ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रूप से मूल्यहासित किया जात है यदि यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।
- (ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण मदों की चालू अवधि के लिए परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन/फ्लैट आवासीय/गैर-आवासीय	60
संयंत्र और मशीनरी	8-15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर	3-6
कार्यालयी उपकरण	5
फर्नीचर और जुड़नार	10
कैरेवान, कैंप और अस्थायी शेड	3-5
वाहन	8-10

- (घ) पट्टे वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।
- (ङ.) मूल्यहास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।
- (च) वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रूप से 5000 रुपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यहासित किया जाएगा।

(vi) अमूर्त परिसंपत्तियां/विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

1. सेवा रियायत व्यवस्था से इतर

- (क) अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरूप होगा, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनियता के साथ मापन किया जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।
- (ख) विकासाधीन अपूर्ति परिसंपत्तियां किए गए चालू व्यय और प्रतिधारण लागत को दर्शाती हैं।

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

- (क) अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	आंतरिक रूप से सृजित या स्व:सृजित
साफ्टवेयर	नियत (36 महीने)	अधिग्रहित

- (ख) परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।
- (ग) प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णतः परिशोधित किया जाएगा।

II. टोल एकत्रण अधिकार (टोल सड़क सेवा रियायत व्यवस्था)

सहायक कंपनियां सेवा करार व्यवस्था से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों को स्वीकार करती हैं जब उसके पास रियायत

अवसंरचना के प्रयोग हेतु परिवर्तन का अधिकार होता है। सेवा रियायत करार में निर्मित या स्तरोन्नयित सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त अमूर्त परिसंपत्ति को उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य के संदर्भ द्वारा आरंभिक तौर पर स्वीकृत उचित मूल्य पर मापा जाता है। आरंभिक स्वीकृति के पश्चात, अमूर्त परिसंपत्ति को लागत घटा संचित परिशोधन और संचित हानियों की लागत पर मापा जाता है।

सेवा रियायत करार में अपूर्ति परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल वह अवधि है जहां से सहायक कंपनी रियायत अवधि समाप्त होने पर अवसंरचना के प्रयोग के लिए जनसाधारण से प्रभार वसूल करने में सक्षम हो।

टोल एकत्रण अधिकार को संवर्धन की तिथि से या सेवा प्राप्ति के अधिकार से रियायत अवधि की समाप्त पूर्व दर आधार पर सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके परिशोधित किया गया है।

भावी आधार पर अनुमान में परिवर्तन के प्रभाव से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिशोधन विधि और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा की जाएगी।

वार्षिक या कम अवधि में हानि के लिए अमूर्त परिसंपत्ति के प्रतिधारण मूल्य की समीक्षा की जाएगी यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन दर्शाएं कि प्रतिधारण मूल्य की वसूली संभव नहीं है।

वित्तीय सहायता मॉडल

सहायक कंपनियां सेवा रियायत व्यवस्था से उत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति को स्वीकार करती हैं जब उसे उपलब्ध सेवा के निर्माण या स्तरोन्नयन के लिए ग्रांटर से रोकड़ या कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिकार प्राप्त हो। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर मापा जाता है और इन्हें ऋणों और प्राप्यों के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है।

आरंभिक स्वीकृति के पश्चात, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इस मॉडल के अंतर्गत, ग्रांटर से अनुदान प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता को कम किया जाएगा।

III. स्टेशन विकास अधिकार

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां परामर्श परियोजना के संबंध में किए गए चालू व्ययों को दर्शाती हैं और इन्हें लागत वर वहन किया जाता है। लागत में किए गए सभी प्रत्यक्ष व्यय जिसमें उस विशिष्ट परियोजना के लिए स्टाफ व्यय शामिल है जिसके लिए स्टाफ को तैनात किया गया है तथा स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, बीमा

प्रीमियम तथा किराया आदि के रूप में अप्रत्यक्ष व्यय को क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के अनुपात में परियोजना व्ययों और निगमित कार्यालय व्ययों के बीच विभाजित किया जाएगा। 75 प्रतिशत परियोजना व्ययों को स्टेशनों की संख्या के आधार पर समान रूप से संवितरित किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके द्वारा सृजित किए जाने वाले राजस्व पैटर्न पर सुव्यवस्थित आधार पर परिशोधित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूलनीयता का मूल्यांकन उपयोगी जीवनकाल की घटनाओं या परिस्थितियों या परिसंपत्ति को परिशोधित दर्शाने की स्थिति को ध्यान में रखकर आवधिक रूप से किया जाता है।

इंड एस में परिवर्तन

इंड एस में परिवर्तन करने पर समूह ने पिछले जीएपी के अनुसार निर्धारित 1 अप्रैल 2015 को स्वीकृत अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रतिधारण मूल्य के साथ जारी रहने का विकल्प दिया है।

(vii) निवेश परिसंपत्तियां

- (क) निवेश परिसंपत्ति में निर्मित परिसंपत्ति, निर्माणाधीन परिसंपत्ति तथा वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित संपत्ति जिसे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री या उत्पादन या प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग हेतु के स्थान पर किराया अर्जन या पूंजी संवर्धन या दोनों प्रयोजनों के लिए धारित किया गया है।
- (ख) निवेश परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्यहास तथा संचित अर्जन घाटों, यदि कोई हो, पर लेखांकित किया जाएगा।
- (ग) कंपनी निवेश परिसंपत्तियों के भवन घटक को मूल क्रय की तिथि/निर्माण के समापन की तिथि से 60 वर्षों में मूल्यहासित करेगी।
- (घ) निवेश संपत्तियों को या तो उनके निपटान किए जाने पर या प्रयोग से उन्हें स्थायी रूप से वापस लिए जाने पर और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना पर अस्वीकृत किया जाएगा। निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि के बीच के अंतर को अस्वीकृति की तिथि में लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(viii) मालसूचियां

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

- i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं हैं उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।
- ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी संविदाओं के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।
- iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(ix) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां तथा उच्च तरल निवेश, जिसे तत्काल रोकड़ की ज्ञात राशि में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल जैसा कि उपर परिभाषित किया गया है तथा बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(x) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है जहां युक्तिसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सहायक कंपनियां सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेंगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उस अवधि पर लाभ या हानि में आस्थगित और स्वीकार किया जाएगा, जो उन्हें लागतों के साथ समायोजित करने के लिए आवश्यक हो, जो संपर्क राजस्व के भीतर क्षतिपूर्ति व प्रस्तुत करने के लिए हैं।

(xi) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

- क) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्तियोग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ख) संविदागत बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में समूह का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

ग) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रुपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

ख) डीमोबिलाइजेशन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

- पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,
- दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और
- दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ. प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

(xii) राजस्व मान्यता

(क) संविदा राजस्व मान्यता

संविदा राजस्व का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां

तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ समूह को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है :

- लागत लाभ ठेकों में राजस्व का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदों और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।
- नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है। पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रूप में किया जाता है।
- समूह के पक्ष में दिए गए दावों/मध्यस्थता (उस पर ब्याज सहित), जो संविदा की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की प्रकृति में है, को संविदा राजस्व पर लेखांकित किया जाता है, जब उन्हें प्रदान किया गया है और जब ऐसे दावों/अवाडों की वसूली की पूर्ण निश्चितता हो।
- राजस्व में बिक्रीकर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवाकर आदि सम्मिलित नहीं हैं, जिसमें इसे सोचा गया है।

(ख) सेवा रियायत करार के अंतर्गत निर्माण संविदा राजस्व

सहायक कंपनियों के सेवा रियायत करार के अंतर्गत निर्माण या स्तरोन्नयन सेवाओं से संबंधित राजस्व को निष्पादित कार्य के समापन के स्तर के आधार पर स्वीकार किया जाता है, जब निर्माण संविदा के परिणाम को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके और जहां निर्माण संविदा के परिणाम को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है राजस्व को केवल की गई संविदा लागत के स्तर पर ही स्वीकार किया जाता है जिसे वसूल किए जाने की संभावना हो।

(ग) टोल शुल्क

सुविधा के प्रयोक्ता से एकत्र टोल शुल्क को राशि के देय होने पर तथा वसूली के निश्चित होने पर लेखांकित किया जाता है।

(घ) अन्य राजस्व मान्यता

- लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- ब्याज आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर का ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(xiii) पट्टा

(क) पट्टेदार के रूप में समूह

वित्तीय पट्टा:-

- (i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।
- (ii) को न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।
- (iii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।
- (iv) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।
- (v) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यहासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यहासित किया जाता है।

प्रचालन पट्टा:-

- (i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी पर अंतरित नहीं किया जाता है।
- (ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

(ख) पट्टादाता के रूप में समूह

वित्तीय पट्टा:

- (i) स्वीकार किया जाता है जब व्यापक स्तर पर स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल समूह से पट्टेदार को अंतरित होता है।
- (ii) देय भुगतानों को पट्टों में समूह के निवल निवेश पर प्राप्यों के रूप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय लेखांकन अवधियों में आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में निवल निवेश बकाया पर स्थिर आवधिक प्रतिफल दर प्रदर्शित हो सके।

प्रचालन पट्टा:

- (i) वे पट्टे हैं, जिसमें व्यापक स्तर पर समूह पट्टेदाता को स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को अंतरित नहीं करता है।
- (ii) आय को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां संभावित मुद्रास्फीति वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए पट्टा भुगतान किया जाता है।

(xiv) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

- i) संविदागत बाध्यताओं के कारण उत्पन्न विलंबों के परिणामस्वरूप निर्णीत हर्जानों/दंडों (एलडी) और संभावित रूप से ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया हो/विवादित हों, को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। तथापि, ग्राहक द्वारा वसूले गए/रोके गए निर्णीत हर्जानों को वसूली में लेखांकित किया जाता है और संविदा राजस्व के प्रति समायोजित किया जाता है। दंड लगाए जाने के उनके अधिकार के मद्देनजर ग्राहक द्वारा समय विस्तार दिए जाने वाले मामलों में संभावित निर्णीत हर्जानों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाता है।
- ii) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखों को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xv) अनुसंधान और विकास व्यय

1. अनुसंधान लागतों को किए जाने की संभावना है।
2. व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्ययों को अमूर्त परिसंपत्ति में स्वीकार किया जा सकता है जब कंपनी प्रदर्शित कर कि:
 - अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि परिसंपत्ति प्रयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो।
 - पूरा करने की इसकी मंश और परिसंपत्ति के प्रयोग या बिक्री की इसकी क्षमता और मंश।
 - परिसंपत्तियां किस प्रकार भावी आर्थिक लाभ सृजित करेंगी।
 - परिसंपत्ति को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता।
 - विकास के दौरान व्यय की विश्वसनीयता को मापने की क्षमता।

परिसंपत्ति को विकास व्यय के रूप में स्वीकार करने की आरंभिक स्वीकृति के पश्चात, परिसंपत्ति का आकलन लागत घटा संचित परिशोधन तथा संचित क्षतिपूर्ण घाटों पर किया गया है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब आरंभ होता है जब विकास कार्य पूरा हो जाता है और परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसे संभावित भावी लाभ की अवधि के उपर परिशोधित किया जाता है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है जबतक कि ऐसे व्यय अन्य परिसंपत्ति के प्रतिधारण मूल्य के भाग का निर्माण न करता हो।

विकास की अवधि के दौरान, परिसंपत्ति को परिशोधन के लिए वार्षिक रूप से परीक्षित किया जाता है।

(xv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरंभिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

(xvi) गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति का वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है और इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रूप में पहचाना गया है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य घटा निपटान लागत और प्रयोग मूल्य में से जो भी उच्चतर हो वह है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर क्षतिपूर्ण घाटे की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा। हानियों का आकलन करने के प्रयोजन से, परिसंपत्तियां जिन्हें पृथक रूप से परीक्षित नहीं किया जा सकता है उन्हें परिसंपत्तियों के छोटे समूहों में समूहित किया जाता है, जो निरंतर प्रयोग से रोकड़ इनप्लो का सृजन करते हैं, जो व्यापक स्तर पर अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों (रोकड़ सृजन इकाइयों) से रोकड़ इनप्लो से स्वतंत्र होते हैं।

(xviii) उधार लागतें

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं। अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से

प्रत्यक्ष रूप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(xviii) कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

- प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने हेतु संभावित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों की गैर-रियायती राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में लेखांकित किया जाएगा जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवा पश्चात लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

- भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ परिभाषित अंशदान योजना है। भविष्य निधि ट्रस्ट तथा पेंशन ट्रस्ट के लिए अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष अंशदान देय है।
- समूह में निर्धारित लाभ योजनाएं हैं जैसे उपदान एलटीसी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।
- समूह ने उपदान ट्रस्ट का निर्माण किया है। उपदान ट्रस्ट में अंशदान वास्तविक आधार पर मूल्यांकन को परिवर्तित करके उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में किया गया है जिस वर्ष वह देय है।
- निर्धारित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर बनाया जाता है और बीमांकक लाभों और हानियों को अन्य वृहत आय के माध्यम से स्वीकार किया जाता है।
- सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभों को बीमांकक मूल्यांकन या अंशदान के लिए उपलब्ध राशि, जो कोई कम हो पर स्वीकृत किया जाता है।
- अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों में अवकाश नकदीकरण शामिल है। अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों पर बीमांकक लाभों और हानियों को लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से स्वीकार किया गया है।
- अन्य वृहत आय में स्वीकृत निवल निर्धारित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मापनों को अनुवर्ती अवधि में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(xx) कर

(क) चालू आयकर

- (i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।
- (ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयोक्ता कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आय का सृजन हो रहा है।
- (iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।
- (iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

ख) आस्थगित कर

- (i) आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।
- (ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है।
- (iii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफॉवर्ड को प्रयोग किया जा सके।
- (iv) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।
- (v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय में स्वीकार किया जाता है।
- (vi) आस्थगित कर देयता को सहायक कंपनियों में निवेश आधारित प्रतिधारण राशि और कर तथा संयुक्त करारों में हित के बीच के अस्थायी अंतरों हेतु स्वीकार नहीं किया जाता है जहां समूह अस्थायी अंतरों के प्रतिक्रम के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभावना है कि निकट भविष्य में ये अंतर रिवर्स नहीं होंगे।

- (vii) आस्थगित कर परिसंपत्ति को सहायक कंपनियों में निवेश आधारित प्रतिधारण राशि और कर तथा संयुक्त करारों में हित के बीच के अस्थायी अंतरों हेतु स्वीकार नहीं किया जाता है जहां समूह अस्थायी अंतरों के प्रतिक्रम के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और करयोग्य लाभ उपलब्ध नहीं है जिसके प्रति अस्थायी अंतरों का प्रयोग किया जा सके।

(xxi). प्रचालन क्षेत्र

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, समूह ने दो रिपोर्टिंग सेगमेंटों को चिह्नित किया है यथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय।

(xxii) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनीयों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(xxiii) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पत्तियाँ

- क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।
 - i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
 - ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या
 - iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।
- ख) आकस्मिक संपत्तियों को वहां प्रकट किया जाता है जहां आर्थिक लाभ के इनफला की संभावना हो।
- ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।
- घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान में रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

(xxvi) उचित मूल्य मापन

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रूप में निष्पादित होगा:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार समूह के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। समूह उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारीयों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारीयों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

- स्तर 1 कोट किया गया (समायोजित) समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।
- स्तर 2 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।
- स्तर 3 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंतग में पुनःआंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के सतरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, समूह परिसंपत्तियों और देयताओं के

मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिनकी आवश्यकता लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनःमापन या पुनःआकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

समूह संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, समूह परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त उचित मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

(xxiv) इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त /देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाता है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथाउपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(xxv) वित्तीय माध्यम

क. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

ख. अनुवर्ती मापन

ख1. वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित मूल्य पर ऋण माध्यम

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है:

- (i) व्यापार प्राप्य
- (ii) प्रतिभूति जमा राशि
- (iii) प्रतिधारण राशि
- (iv) ग्राहकों के पास धारित राशि
- (v) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य
- (vi) ऋण और अग्रिम
- (vii) करमुक्त बांडों में निवेश

ख) अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण माध्यम (एफवीटीओसीआई)

ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण माध्यम

एफवीटीपीएल ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, समूह ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है। समूह ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण उपकरण को स्वीकार नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

ख.2 वित्तीय देयताएं

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

(ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

ग. गैर-स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर-स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसंपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरित करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर-स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रूप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

घ. वित्तीय विवरणों की हानि

समूह क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। समूह व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

समूह परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

(xxvi) बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्त पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर। बिक्री के लिए प्रतिधारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को प्रतिधारण राशि और उचित मूल्य घटा बिक्री की लागतों में से जो कोई भी कम हो पर वर्णित किया

जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात मूल्यहासित या परिशोधित नहीं किया जाता है। बिक्री / संवितरण के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एस 105 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां द्वारा वर्णित मापदंड पूरे नहीं किए जाते हैं तो, निपटान समूह को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से बाहर किया जाएगा। गैर चालू परिसंपत्तियां जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से बाहर किया गया है उन्हें (i) बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से पूर्व परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि, मूल्यहास के लिए समायोजित, जिसे यदि स्वीकार किया जाता तो उसे परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, और (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि जब निपटान समूह बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से बाहर किया जाए, जो कोई भी कम हो।

(xxvii) वित्तीय गारंटियां

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

3. सम्पत्ति, संयंत्र उपकरण

(रुपए करोड़ में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टे वाली भूमि	पट्टे वाले भवन	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट -आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट -गैर आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कम्प्यूटर	मोबाइल हैंडसेट	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर	कारवां, केम्प और अस्थायी रोड	वाहन	कुल
	(vi)	(v)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)
फुट नोट														
सकल धारण राशि (लागत पर)														
1 अप्रैल 2015 को	0.06	36.39	42.44	8.73	10.00	428.31	3.69	8.94	0.24	7.64	8.40	5.57	17.93	578.34
जमा	0.00	0.00	0.48	0.00	0.12	2.71	0.20	0.86	0.03	0.97	0.63	6.10	0.00	12.11
निपटान/समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	(9.30)	0.36	(0.64)	(0.09)	(1.45)	(0.65)	(0.26)	(2.30)	(14.28)
31 मार्च 2016 को	0.06	36.39	42.92	8.73	10.18	421.72	4.25	9.16	0.19	7.15	8.38	11.41	15.63	576.17
जमा	7.11	0.00	0.00	1.08	0.00	0.70	0.50	0.92	0.00	1.02	0.85	1.41	0.60	14.19
निपटान/समायोजन	35.09	(35.09)	(24.53)	24.53	(1.32)	(48.09)	(0.87)	(1.04)	(0.14)	(0.65)	(0.43)	(0.61)	(6.61)	(59.76)
31 मार्च 2017 को	42.26	1.30	18.39	34.34	8.85	374.33	3.88	9.04	0.05	7.53	8.79	12.21	9.63	530.60
मूल्यह्रास और घाटा														
1 अप्रैल 2015 को	0.00	0.20	6.56	2.69	1.53	342.70	3.42	8.11	0.21	6.63	7.65	5.46	16.50	401.65
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.00	0.01	0.88	2.45	1.82	22.32	0.07	0.59	0.01	0.36	0.24	0.55	0.18	29.48
घटा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निपटान/ समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	(5.77)	(0.58)	(0.59)	(0.08)	(1.34)	(0.60)	(0.24)	(2.17)	(11.35)
31 मार्च 2016 को	0.00	0.21	7.44	5.13	3.36	359.25	2.92	8.11	0.15	5.64	7.29	5.77	14.51	419.78
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.00	0.01	5.26	0.52	0.37	8.04	0.09	0.60	0.00	0.45	0.31	2.20	0.13	17.99
घटा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
निपटान/ समायोजन	0.00	0.00	(3.23)	3.23	(0.44)	(43.00)	(0.67)	(1.00)	(0.15)	(1.66)	(0.34)	(0.60)	(6.17)	(54.04)
31 मार्च 2017 को	0.00	0.22	9.47	8.89	3.29	325.55	2.34	7.70	0.00	4.43	7.26	7.37	8.47	385.00
निवल बही मूल्य														
31 मार्च 2017 को	42.26	1.07	8.92	25.46	5.56	48.78	1.54	1.34	0.05	3.10	1.54	4.84	1.16	145.61
31 मार्च 2016 को	0.06	36.18	35.48	3.60	6.81	62.47	1.33	1.05	0.04	1.51	1.09	5.64	1.12	156.39
1 अप्रैल 2015 को	0.06	36.19	35.88	6.05	8.47	85.61	0.27	0.83	0.03	1.01	0.75	0.10	1.43	176.69

फुटनोट:

i) निपटान के लिए स्थिर परिसंपत्तियों को बिक्री/समायोजना के कॉलम में तथा अंतरण के लिए अन्य चालू परिसंपत्तियों को निवल बुक मूल्य रखा गया है।

परिसंपत्ति ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान का तरीका व संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ/हानि	क्षेत्र	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
					सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
फ्रीहोल्ड भवन - आवासीय	चेन्नै में आवासीय भसवन	"मुक्त निविदा 31.03.2018"	-	घरेलू	0.38	0.28	0.38	0.28	0.38	0.28
कुल					0.38	0.28	0.38	0.28	0.38	0.28

ii) 31.12.2015 तक विदेशी ग्राहक को वेट लीज आधार पर संयंत्र और मशीनरी (लोकोमोटिव)

iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहहास और घाटे को लाभ हानि विवरण के नामे किया गया है।

विवरण	मार्च 2017 को	मार्च 2016 को
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहहास	17.99	29.48
क्षतिपूर्ण घाटा	1.26	-
कुल	19.25	29.48

iv) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि(सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रूप दिया जाना है।

v) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि(सकल मूल्य 0.82 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

vi) कंपनी ने साकेत में अपनी भूमि को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को 7.10 करोड़ रुपए के कंवर्जन प्रभार का भुगतान किया है। तथापि, 31 मार्च 2017 को डीडीए उक्त भूमि को पट्टे से फ्रीहोल्ड कराने की प्रक्रिया में है।

vii) फर्नीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग भी शामिल है।

4. पूंजीगत चालू कार्य *

(रुपए करोड़ में)

विवरण		राशि
1 अप्रैल 2015 को आरंभिक शेष		0.38
जमा (परिणामी व्यय)		
- कार्यशील व्यय	0.41	
- विवधि प्रचालन व्यय	0.83	
	1.24	1.24
घटा: वर्ष के दौरान संचित		0.12
31 मार्च 2016 को समापन शेष		1.50
जमा (आगामी व्यय)		
- रोलपथ मशीनें	2.00	2.00
घटा: वर्ष के दौरान संचित		1.50

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
31 मार्च 2017 को समापन शेष	2.00
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2017 को	2.00
31 मार्च 2016 को	1.50
1 अप्रैल 2015 को	0.38

* पूंजीगत चालू कार्यों का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
1. शिवपुरी गुना में कैंप और कारवां	-	0.84	
2. सीआइसी नोएडा में अग्निशमन और सिविल कार्य	-	-	0.12
3. कोलकाता में कार्यालय भवन	-	0.66	0.26
4. रोलपथ मशीनें	2.00	-	-
	2.00	1.50	0.38

5. निवेश परिसंपत्ति

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	गुडगांव में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में एसआरओ भवन	कुल
1 अप्रैल 2015 को अथशेष जमा (परिणामी व्यय)*	260.36	7.04	3.04	270.44
31 मार्च 2016 को अथशेष जमा (परिणामी व्यय)*	0.45	7.39	-	7.84
31 मार्च 2016 को अंतशेष जमा (परिणामी व्यय)*	260.81	14.43	3.04	278.27
31 मार्च 2017 को अंतशेष	20.58	8.62	-	29.20
	281.39	23.05	3.04	307.48
मूल्यह्रास और हानि				
1 अप्रैल 2015 को अथशेष वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	0.04	0.04
31 मार्च 2016 को अंतशेष वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	0.05	0.05
31 मार्च 2016 को अंतशेष वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	0.08	0.08
31 मार्च 2017 को अंतशेष	-	-	0.05	0.05
	-	-	0.13	0.13
निवल ब्लॉक				
31 मार्च 2017 को	281.39	23.05	2.91	307.35
31 मार्च 2016 को	260.81	14.43	2.96	278.18
1 अप्रैल 2015 को	260.36	7.04	3.00	270.40

निवेश संपत्ति की आय और व्यय संबंधी सूचना

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निवेश संपत्ति से प्राप्त किराया आय	0.34	0.06
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित) जिनसे किराया आय प्राप्त हुई है	-	-
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित) जिनसे किराया आय प्राप्त नहीं हुई है	-	0.02
मूल्यहास और अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	0.34	0.04
घटा: वर्ष के दौरान मूल्यहास	0.05	0.05
अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	0.39	0.09

उचित मूल्य पुनर्विनियोजन

(रुपए करोड़ में)

	नोएडा में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	गुडगांव में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बेंगलोर में एसआरओ भवन	कुल
01-04- 2015 को अथशेष	249.74	136.01	4.88	390.62
उचित मूल्य अंतर	(4.29)	(4.17)	0.17	(8.30)
31-03-2016 को अंत शेष	245.44	131.84	5.04	382.32
उचित मूल्य अंतर	4.40	16.36	0.20	20.96
31-03-2017 को अंत शेष	249.85	148.20	5.24	403.29
इस अवधि के लिए उचित मूल्य अंतर	4.40	16.36	0.20	20.96
नोट :-				
स्व:निर्मित संपत्ति निवेश	249.85	148.20	5.24	403.29
	249.85	148.20	5.24	403.29
वेल्युवर द्वारा प्रयुक्त वेल्युवेशन तकनीक का प्रकटन	लागत और आय	लागत	लागत / भूमि और भवन	

वेल्युवर द्वारा प्रयुक्त वेल्युवेशन तकनीक का विवरण:

लागत परिदृश्य:

इस परिदृश्य में, भूमि के बाजार मूल्य का आकलन प्रत्यक्ष तुलना दृष्टिकोण (बाजार परिदृश्य) से किया जाता है। भवन मूल्य का निर्धारण मूल्यहास प्रतिस्थापन लागत (जैसा कि नया है) का प्रयोग करके किया जाता है। इस लागत परिदृश्य के भीतर, भूमि के मूल्य का निर्धारण इस अनुमान के साथ लगाया जाता है कि यह भूमि खाली है और सभी दायित्वों से मुक्त है। मूल्यहास प्रतिस्थापन लागत विधि का प्रयोग करके इसे प्रस्तुत सुधारों की लागत में जोड़ा जाता है। प्रतिस्थापन लागत अनुमानित है। परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन की लागत को नए के समान प्रयोग किया जाएगा। भवन लागत में भवन घटकों और इस पर उपयुक्त मूल्यहास सुधारों का मूल्य शामिल है।

आय परिदृश्य (डीसीएफ):

डीसीएफ विश्लेषण भावी रोकड प्रवाह के अनुमान द्वारा तथा धन के समय मूल्य को ध्यान में रखते हुए निवेशित संपत्ति या परिसंपत्ति के मूल्यांकन किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत, आय को निवेश चक्र के आधार पर अनुमानित किया जाता है और पूंजी, प्रचालन तथा अन्य आवश्यक व्ययों को कम करके निवल आय का परिकलन किया जाता है।

(रुपए करोड़ में)

* संवर्धनों का ब्यौरा	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
- कार्य व्यय	26.79	7.13
- परामर्श प्रभार	0.59	0.43
- वेतन एवं पारिश्रमिक	0.41	0.01
- दरें एवं कर	1.28	0.19
- वाहन प्रचालन और अनुरक्षण	0.04	0.04
- उर्जा, बिजल व जल प्रभार	0.00	-
- विज्ञापन और प्रकाशन	0.08	0.02
- बैंक प्रभार	0.00	0.00
- मरम्मत और अनुरक्षण - कार्यालय और अन्य	0.01	-
- दौरा और यात्रा	0.01	0.00
- विविध प्रचालन व्यय	0.00	0.01
कुल	29.21	7.83

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर)*
1 अप्रैल 2015 को अथशेष	16.04	75.32
वर्ष के दौरान संवर्धन	59.15	1.16
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(1.33)	(0.01)
31 मार्च 2016 को अंतशेष	73.86	76.47
वर्ष के दौरान संवर्धन	479.36	6.97
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(6.64)	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.01)
31 मार्च 2017 को अंतशेष	546.58	83.44
परिशोधन और हानि		
1 अप्रैल 2015 को अथशेष	-	3.21
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	1.37
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.01)
31 मार्च 2016 को अंतशेष	-	4.57
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	7.39
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.01)
31 मार्च 2017 को अंतशेष	-	11.95
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2017 को	546.58	71.49
31 मार्च 2016 को	73.86	71.91
1 अप्रैल 2015 को	16.04	72.11

*इसमें सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के पट्टा अधिकार शामिल हैं, जिसने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बहु उद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के निर्माण के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण)। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उस पर भवनों का निर्माण किया है तथा उसे एमएफसी के आरंभ होने की तिथि से 45 वर्षों का पट्टा अधिकार (वाणिज्यिक) है।

7. वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)

7.1. निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) निगमित संयुक्त उद्यम (पूर्णत प्रदत्त)			
सीसीएफबी, मोजांबीक (31 मार्च 2016 : शून्य, 1 अप्रैल 2015: 12,50,000)	-	-	5.53
घटा: निवेश की हानि के लिए प्रावधान	-	-	(5.53)
इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल) प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : 6,38,70,000, 1 अप्रैल 2015 : 6,38,70,000) (संदर्भ नोट (i) क तथा ख)	22.72	16.87	11.34
बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 11,83,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : शून्य , 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	1.18	-	-
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे स्टेशन प्रत्येक 10 रुपए के 13,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : शून्य , 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	1.12	-	-
महानदी कोयला रेल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 13,000 इक्विटी शेयर(31 मार्च 2016 : 13,000, 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	0.01	0.01	-
छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 8,35,75,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : 4,01,70,000, 1 अप्रैल 2015 : 11,70,000)	83.47	40.10	1.12
छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रोल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 1,3,11,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : 11,70,000, 1 अप्रैल 2015 : 11,70,000)	131.08	1.10	1.12
कुल (क) - संयुक्त उपक्रमों में निवेश	239.57	58.08	13.58
ख. (परिशोधित लागत पर निवेश)			
2. बांडों में निवेश (कोट किए गए)			
8.00% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के 1,,000 प्रत्येक के कर मुक्त 163,131 बांड (31 मार्च 2016 : 163,131, 1 अप्रैल 2015 : 163,131)	16.31	16.31	16.31
7.21% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2016 : 500, 1 अप्रैल 2015 : 500)	49.96	49.96	49.96
	-	-	-
8.23% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त 5,00,000 बांड (31 मार्च 2016 : 5,00,000, 1 अप्रैल 2015 : 5,00,000)	50.00	50.00	50.00
8.35% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के 1,00,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2016 : 500, 1 अप्रैल 2015 : 500)	49.92	49.93	49.92

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
7.15% भारतीय रेलवे वित्त कम्पनी लि. के 1,00,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 250 बांड (31 मार्च 2016 : 250, 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	24.98	24.98	-
7.07% भारतीय रेलवे वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त 3,02,000 बांड (31 मार्च 2016 : 3,02,000, 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	30.20	30.20	-
7.14% एनएचआई के 1000 प्रत्येक के कर मुक्त 1,99,989 बांड (31 मार्च 2016 : 1,99,989, 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	20.00	20.00	-
7.02% एनएचआई के 500 प्रत्येक के कर मुक्त 10,00,000 बांड (31 मार्च 2016 : 500, 1 अप्रैल 2015 : शून्य)	49.99	50.00	-
कुल - बांडों में निवेश (कोट किया गया)	291.36	291.38	166.19
कुल गैर चालू निवेश	530.94	349.47	179.77
कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	291.36	291.38	166.19
कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य	293.32	292.98	175.61
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	239.58	58.09	13.58
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	-	-	5.53

फुट नोट (i):

(क) आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए ऋण के प्रति 6,38,70,000 इक्विटी शेयरों में से, 30% शेयर (1,91,61,000 शेयर) पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं, 31.03.2017 को बकाया देय राशि 325.20 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान होल्डिंग (गिरवी रखे गए 30 प्रतिशत की शेयरधारिता के अतिरिक्त) के इसके 21% (1,34,12,700 शेयर) को जमा न किए जाने के कारण कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक को एक वचन भी दिया है।

(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आर्द के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.10 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।

* सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश इंड लेखांकन मानक-27 के पैरा 10 के अनुसार वित्तीय विवरणों में लागत पर किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)

7.2. व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अरक्षित : वसूली योग्य			
- ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	20.51	0.39	25.78
- ग्राहकों के पास रुकी राशि	3.57	2.15	18.93
कुल	24.08	2.54	44.71

7.3. ऋण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क. रक्षित वसूली योग्य			
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.66	1.55	1.65
कुल (क) - रक्षित ऋण	0.66	1.55	1.65
ख. अरक्षित, वसूली योग्य			
(i) संबंधित पक्षों से ऋण:			
संयुक्त उद्यम			
- कंपैनिया डोस कमीनोस डे फेरो डा बेरा सर्ल	-	-	70.48
- छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड	39.00	39.00	30.00
- छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड	39.00	19.50	-
कुल (i)	78.00	58.50	100.48
(ii) अन्य:			
स्टाफ ऋण और अग्रिम	0.25	0.56	0.74
कुल (ii)	0.25	0.56	0.74
कुल (ख) - अरक्षित ऋण (i + ii)	78.25	59.06	101.22
ग. संदिग्ध समझे गए			
संबंधित पक्षों के ऋण:			
संयुक्त उद्यम			
- कंपैनिया डोस कमीनोस डे फेरो डा बेरा सर्ल	-	-	25.46
कुल (i)	-	-	25.46
घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	(25.46)
कुल (ग) - संदिग्ध ऋण	-	-	-
सकल योग- ऋण	78.91	60.61	102.87

7.4. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) वसूली योग्य			
प्रतिभूति जमा राशि			
- सरकारी विभाग	0.05	0.06	0.08
- अन्य	0.15	0.47	0.52
12 महीनों से अधिक की सावधि जमा राशि {संदर्भ फुट नोट(i)}	0.41	0.41	0.41
ठकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशिया {संदर्भ फुट नोट (ii)}	5.23	7.10	1.91
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	0.59	1.17	1.22
संबंधित पक्षों को ऋण पर संचित ब्याज	-	5.42	-
- ग्राहकों से वसूली योग्य दावे	-	0.72	0.79
- मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य	70.78	31.93	-
- अन्य - अग्रिम पट्टा किराया	0.04	-	-

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
ख) अरक्षित वसूल योग्य			
प्रतिभूति जमा राशियां			
- सरकारी विभाग	0.04	0.04	0.04
स्टाफ को अग्रिम से संचित ब्याज	0.01	0.01	0.01
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	77.30	47.33	4.98
ग) संदिग्ध समझे गए			
संबंधित पक्षों को ऋण पर संचित ब्याज			
- कंपेनिया डोस कमीनोस डे फेरो डा बेरा सर्ल(जेवी)	-	-	0.19
घाटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान (अन्य)	-	-	(0.19)
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	-	-	-
सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	77.30	47.33	4.98

फुट नोट :-

- (i) 0.41 करोड़ रुपए (0.41 करोड रुपए) के स्थान पर एफडीआर सहित
(ii) ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं यदि ठेकेदार संविदा करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

8. आस्थिगत कर परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
प्रावधान	131.48	176.95	217.82
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां	(13.23)	(0.72)	2.39
अन्य	26.78	35.36	41.93
31 मार्च को अंतशेष	145.03	211.59	262.14

आस्थिगत कर परिसंपत्तियों में विनियोजन/संचलन

विवरण	प्रावधान	पीपीई और अपूर्ति परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
1 अप्रैल 2015 को	217.82	2.39	41.93	262.14
(प्रभारित)/नामे :				
- लाभ या हानि में	(40.87)	(3.11)	(12.62)	(56.60)
- अन्य वृहत आय में	-	-	6.05	6.05
31 मार्च 2016 को	176.95	(0.72)	35.36	211.59
(प्रभारित)/नामे :				
- लाभ या हानि में	(45.46)	(12.51)	(8.58)	(66.56)
- अन्य वृहत आय में	-	-	-	-
31 मार्च 2017 को	131.48	(13.23)	26.78	145.03

आस्थिगत कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासित नियम के अंतर्गत हैं

विवरण	प्रावधान	पीपीई और अपूर्ति परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
आयकर व्यय लाभ या हानि खंड				
विवरण		31 मार्च 2017		31 मार्च 2016
वर्तमान आयकर :				
वर्तमान आयकर प्रभार		123.34	-	156.83
पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर प्रभार के लिए प्रावधान		(18.34)	-	5.07
आस्थिगित कर :				
अस्थायी अंतरों के समायोजन और प्रतिक्रम से संबंधित		-	-	-
		66.54	-	56.60
लाभ या हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय		171.54		218.50

ओसीआई खंड

वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य मदों सं संबंधित आयकर

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निर्धारित लाभों योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि/(लाभ)	1.67	0.46
विनिमय लाभ लाभ/हानि पर निवल हानि/(लाभ)	5.59	(25.94)
ओसीआई को प्रभारित लाभ/हानि	7.26	(25.48)

31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 के लिए कर व्यय का पुनर्विनियोजन तथा भारत की घरेलू कर दर द्वारा गुणा लेखांकन लाभ:

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निरंतर प्रचालनों से लेखांकन कर पूर्व लाभ	576.71	581.20
बंद प्रचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	-	-
आयकर पूर्व लेखांकन लाभ	576.71	581.20
34.608% के भारत के सांविधिक आयकर पर (31 मार्च 2016: 34.608%)	170.63	196.06
पिछले वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	(18.18)	(9.18)
पिछले अज्ञात कर हानियों का उपयोग	-	-
- गैर करयोग्य मदें	(33.46)	(9.47)
- दर अंतर	(5.19)	4.61
- अन्य	23.47	(0.15)
खंड 90/91के अंतर्गत कटौती		(1.49)
खंड 90/91 में कटौती के कारण अतिरिक्त प्रावधान		0.88
कर प्रयोजन के लिए गैर-कटौतीयोग्य व्यय:		
-अन्य देशों के अतिरिक्त कर	(2.87)	6.22
अन्य गैरा कटौतीयोग्य व्यय	18.89	5.53
30.75% की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2016: 33.30%)	153.30	193.02
लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	153.30	193.02
बंद प्रचालनों पर आयकर	-	-
	153.30	193.02

9. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

विवरण	(रुपए करोड़ में)		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम			
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों का अग्रिम	43.49	28.06	25.29
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम कर विभागों में जमा राशि	310.09	199.87	205.41
	0.21	0.02	0.10
कुल - पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम	353.79	227.95	230.80
ख) अन्य			
अरक्षित वसूली योग्य संचित ब्याज :			
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	43.05	20.77	14.50
पूर्वप्रदत्त व्यय	3.97	0.12	0.03
उचित मूल्यांकन समायोजन	2.82	0.55	3.09
कुल - अन्य	49.84	21.44	17.62
ग) संदिग्ध समझे गए			
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम संचित ब्याज :			
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	0.91	-	8.71
घटा: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(0.91)	-	(9.11)
कुल - संदिग्ध समझे गए	-	-	-
सकल योग	403.63	249.39	248.42

10. दरसूची

विवरण	(रुपए करोड़ में)		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
कच्चा माल			
-उपलब्ध	34.64	88.09	32.61
- तीसरे पक्षों के पास	4.28	1.78	25.81
- पारगमन में	1.78	-	0.11
	-	-	-
प्रगतिरत निर्माण कार्य (लागत पर)	98.64	50.75	55.90
कुल	139.34	140.62	114.43

11. वित्तीय परिसंपत्तियां (चालू)

11.1. निवेश

विवरण	(रुपए करोड़ में)		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
लागत पर निवेश			
1. इक्विटी माध्यमों में निवेश - पूर्णत प्रदत्त (कोट न किए गए)			
<u>निगमित संयुक्त उद्यम</u>			
सीसीएफबी, मोजांबीक - शून्य (31 मार्च 2016 : प्रत्येक 24000 के पूर्णत प्रदत्त मेटिकल्स के 12,50,000 इक्विटी शेयर	-	5.53	-

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
लाभ आर हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश			
2. म्यूचुवल फंड में निवेश (कोट किए गए)			
यूटीआई म्यूचुवल फंड - दैनिक योजना इकाइयों की संख्या: 13,80,381 (31 मार्च 2016 : 36,454 तथा 1 अप्रैल 2015 : 1,06,836)	140.72	3.72	10.89
एसबीआई प्रमियर लिक्विड फंड- दैनिक डिविडेंड योजना: इकाइयों की संख्या : 10,88,384 (31 मार्च 2016 : 12,83,478 तथा 1 अप्रैल 2015 : 3,00,718)	109.19	128.76	30.17
एसबीआई डेट फंड सीरीज - ए-14 : इकाइयों की संख्या : शून्य (31 मार्च 2016 : शून्य तथा 1 अप्रैल 2015 : 2,50,00,000)	-	-	27.33
कुल निवेश	249.91	138.01	68.39
कोट किए गए निवेश का सकल बही मूल्य	249.91	132.48	68.39
कोट किए गए निवेश का सकल बाजार मूल्य	249.91	132.48	68.39
कोट न किए गए निवेश का सकल बही मूल्य	-	5.53	-
निवेश पर मूल्य हानि की सकल राशि	-	-	-

11.2. व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अरक्षित वसूली योग्य			
- व्यापार प्राप्य	434.45	484.81	462.31
- ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	51.56	55.82	60.38
- ग्राहकों के पास रुकी राशि	67.64	115.71	48.14
रक्षित : वसूली योग्य			
- व्यापार प्राप्य	29.79	25.19	9.45
संदिग्ध समझे गए			
- व्यापार प्राप्य	20.85	15.82	16.25
- ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	7.19	8.07	9.89
- ग्राहकों के पास रुकी राशि	5.65	5.99	4.50
घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए हानि व्यवस्था	33.69	29.88	30.64
कुल	583.44	681.52	580.28

11.3. रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
उपलब्ध रोकड़		0.18	0.23	0.21
उपलब्ध बैंक और ड्राफ्ट		-	4.96	0.17
बैंक में शेष :				
चालू खातों में		223.82	95.38	209.40
फ्लैक्सी खातों में	(i)	225.32	205.27	176.94
तीन महीनों की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(ii)	1,004.44	2,284.84	922.75
- पारगमन में प्रेषण		-	-	15.00
		1,453.76	2,590.68	1,324.47

11.4. रोकड और रोकड समतुल्यों के अतिरिक्त बैंक शेष

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अन्य बैंक शेष				
तीन महीनों से 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i)	3,088.45	2,112.91	2,035.77
ठेकेदारों से प्राप्त साविधि जमा राशियां*	(ii)	210.92	18.40	18.65
		3,299.37	2,131.31	2,054.42

(i) ग्राहक निधि सहित जिन पर उन्हें ब्याज दिया गया है

(ii) ठेकेदारों से प्राप्त साविधि जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं, यदि यदि ठेकेदार संविदा करार की शर्तों और निबंधनों को पूरा करने में विफल रहता है।

11.5. ऋण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क. रक्षित वसूली योग्य			
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	1.23	0.63	0.66
कुल (क) - रक्षित ऋण	1.23	0.63	0.66
ख. अरक्षित वसूली योग्य			
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:			
संयुक्त उद्यम			
- इरकॉन एफकान जेवी	-	-	18.11
- छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड	78.00	-	-
(ii) अन्य :			
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.99	1.07	1.69
कुल (ख) - अरक्षित ऋण (i) + (ii)	78.99	1.07	19.80
ग. संदिग्ध समझे गए			
अन्य :			
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-	-	-
घटा :- संदिग्ध ऋणों के लिए हानि व्यवस्था	-	-	-
कुल (ग) - संदिग्ध ऋण	-	-	-
सकल योग	80.22	1.70	20.46

11.6. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) वसूली योग्य			
प्रतिभूति जमा राशि			
- सरकारी विभाग	7.07	5.65	6.22
- अन्य	1.72	1.26	1.30
बयाना जमा राशि	0.35	0.35	0.41
संचित ब्याज			
- स्टाफ को अग्रिम	0.72	0.29	0.25
- संबंधित पक्षों को ऋण	15.43	-	0.85
- भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण	-	-	0.20
- बैंक में जमा राशि	116.12	92.41	82.08
- बांड	17.87	12.65	11.88
अन्य :			
(i) संबंधित पक्षों से वसूली योग्य संयुक्त उद्यम			
- रीकॉन सीटा एसएआरएल	-	0.89	0.84
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल	-	-	0.78
- रीकॉन	0.64	9.93	9.67
- इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांस्ट्रक्टर	2.84	2.83	3.53
- मेट्रो टनलिंग ग्रुप	3.86	5.64	5.42
- इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि.	7.04	7.22	7.15
- इरकॉन - एफकॉन जेवी	29.85	7.76	2.44
- छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड	2.48	-	-
- महानदी कोयला रेल लिमिटेड	0.37	-	-
(ii) मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य	35.81	49.72	-
(iii) ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावे	17.37	19.38	8.46
(iv) अन्य वसूलीयोग्य	5.30	5.81	1.17
(iv) अन्य - अग्रिम पट्टा किराया	0.14	0.10	0.09
शेयर आवेदन राशि लंबित			
गांधीनगर रेलवे और शहरी विकास निगम लि- प्रति 10 रुपए के 26000 इक्विटी शेयर*	0.03	-	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसूलीयोग्य	265.01	221.89	142.74
ख) संदिग्ध समझे गए			
प्रतिभूति जमा राशियां			
- सरकारी विभाग	0.55	1.47	2.11
- अन्य	0.19	0.27	0.27
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	-	-	-
बयाना जमा राशि	0.05	0.05	-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था (अन्य)	(0.79)	(1.79)	(2.38)
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	-	-	-
सकल योग - अन्य वित्तीय - अन्य	265.01	221.89	142.74

*आईआरएसडीसी ने दिनांक 31.03.2017 को गांधीनगर रेलवे तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी और गुजरात सरकार) में 2.60 लाख रुपए का निवेश किया है जिसके लिए शेयरों का आवंटन लंबित था। शेयरों का आवंटन 11/05/2017 को किया गया।

- (i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रूपए(शून्य रूपए) है।

निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31-03-17	31-03-16
स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि पर ब्याज	-	-

12. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम				
सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम		45.08	21.95	9.15
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यो को अग्रिम		141.73	166.66	129.29
स्टाफ को अग्रिम (त्यौहार औरन अन्य अग्रिम कर प्राधिकरण		0.05	-	-
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)		-	-	-
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)		302.55	221.88	200.98
घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि		(210.48)	(203.45)	(184.31)
- मूल्य संवर्धित कर		94.68	143.57	114.26
- सेवा कर इनपुट क्रेडिट		4.19	0.29	0.02
कुल - पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		377.80	350.90	269.39
ख) अन्य संचित ब्याज				
जमाराशि व अग्रिम:				
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास		43.00	29.01	17.44
प्रगतिरत निर्माण कार्य (वसूलीयोग्य मूल्य पर)		97.59	28.82	106.81
बिल योग्य राजस्व/वसूलीयोग्य किन्तु देय नहीं	(i)	293.52	291.14	405.32
निपटान के लिए धारित परिसंपत्तियां	(ii)	1.03	1.46	1.73
पूर्व प्रदत्त व्यय		3.58	5.52	3.56
उचित मूल्य समायोजन		5.19	4.69	2.73
पट्टा समतुल्य		0.14	0.24	0.10
कुल - अन्य		444.05	360.88	537.69
ग) संदिग्ध समझे गए				
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यो को ऋण		15.32	18.97	9.88
बिक्री कर (टीडीएस सहित)		35.89	34.97	35.31
अन्य		0.10	0.10	-
मूल्य संवर्धित कर		7.18	7.18	7.18
		-	-	-
घटा: संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था		(58.49)	(61.22)	(52.37)
कुल - संदिग्ध समझे गए		-	-	-
सकल योग		821.85	711.79	807.09

(i) (क) 1.61 करोड़ रुपए (12.49 करोड़ रुपए) करोड़ रुपए की राशि के कार्य सहित जिसे ग्राहक द्वारा प्रमाणित किया गया है किन्तु रिपोर्टिंग तिथि को बिल नहीं बनाया गया है।

(ख) छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से 2.48 करोड़ रुपए (6.95 करोड़ रुपए सहित)

(ग) छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से 0.31 करोड़ रुपए (25.47 करोड़ रुपए सहित)।

(ii) मरम्मत से परे और/या निपटान के लिए धारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य तथा बही मूल्य के निम्नतर मूल्य पर): -

(रुपए करोड़ में)

संपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान का तरीका व संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों की बिक्री पर संभावित लाभ/हानि	क्षेत्र	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
					सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी	ई-नीलामी द्वारा जैसे एमएसटीएस जिसका निपटान का संभावित समय 2018 के अंत तक है	अप्रत्याशित	घरेलू	5.16	0.29	6.50	0.89
मलेशिया क्षेत्र	इंजन - 03 संख्या	मुक्त निविदा, जून 2017	0.75	अंतरराष्ट्रीय	7.25	0.17	-	-
मोजांबीक परियोजना	संयंत्र और मशीनरी			अंतरराष्ट्रीय	5.90	0.29	5.90	0.29
फ्रीहोल्ड भवन आवासीय	चेन्नै में आवासीय भवन	मुक्त निविदा, 31.03.2018	-	घरेलू	0.38	0.28	0.38	0.28
कुल					18.69	1.03	12.78	1.46

13. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
प्राधिकृत शेयर पूंजी			
10,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए*	100.00	100.00	25.00
(10,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए - 31 मार्च 2016 तथा 1 अप्रैल 2015)	100.00	100.00	25.00
जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी			
9,89,80,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपए के-पूर्णत प्रदत्त			
(1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपए के-पूर्णत प्रदत्त - 31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 को)	98.98	19.80	19.80
	98.98	19.80	19.80

कंपनी के शेयर धारकों का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	98,712,000	99.729%	19,742,400	99.729%	19,742,400	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	244,000	0.247%	48,800	0.247%	48,800	0.247%
बैंक आफ इंडिया	24,000	0.024%	4,800	0.024%	4,800	0.024%
कुल	98,980,000	100.000%	19,796,000	100.000%	19,796,000	100.000%

रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रूप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड़ से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड़ से इतर जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रूप में जारी इक्विटी शेयर	79,184,000	-	-	-	-
कुल	79,184,000	-	-	-	-

शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/ अधिकार :

(क) वोटिंग

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ख) दिवालियापन

कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

इक्विटी शेयर की संख्या तथा शेयर पूंजी का पुनर्विनियोजन

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	19,796,000	19.80	19,796,000	19.80	19,796,000	19.80
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर	79,184,000	79.18	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	98,980,000	98.98	19,796,000	19.80	19,796,000	19.80

*वर्ष के समापन के पश्चात, 400 करोड़ रुपए तक प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए 22-05-2017 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में अनुमोदन लिए गए थे।

14. अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
(क) प्रतिधारित आमदनियां			
अथशेष	339.46	139.65	-
जमा : इंड एस समायोजन	-	-	139.65
जमा : सरप्लस से लाभ और हानि विवरण में अंतरण	386.42	418.28	
जमा : निगमित लाभांश कर सहित वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश	(107.22)	(123.90)	
जमा : अंतरिम लाभांश और उस पर कर	(114.52)	(95.30)	
जमा : बोनस इश्यु	(79.18)	0.00	
जमा : निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन (कर का निवल)	3.15	0.86	
जमा: शेयर इश्यू व्यय	(0.19)	(0.12)	
जमा/(घटा): लाभ/(हानि) से इतर संयुक्त उद्यम में निवेश की प्रतिधारणस मूल्य में परिवर्तन	-	-	
घटा: सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	-
कुल	427.92	339.46	139.65
(ख) सामान्य आरक्षित निधि			
अथशेष	3,284.64	3,284.64	3,284.64
जमा : प्रतिधारण आमदनियों से अंतरण	-	-	-
	3,284.64	3,284.64	3,284.64
(ग) अन्य वृहत आय की मदें			
अथ शेष	(5.01)	26.52	26.52
विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	10.57	(31.53)	
कुल	5.56	(5.01)	26.52
सकल योग	3,718.12	3,619.09	3,450.81

घोषित और प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
घोषित और प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :		
2016-17 के दौरान प्रदत्त लाभांश : 45.00 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2015-16: 52.00 रुपए प्रति शेयर)	89.08	102.94
लाभांश वितरण कर - अंतिम लाभांश	18.13	20.96
2016-17 के दौरान अंतरिम लाभांश : 9.61 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2015-16: 40.00 रुपए प्रति शेयर)	95.16	79.18
	19.37	16.12
कुल	221.74	219.20
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश :		
31 मार्च 2017 का लाभांश: 27.80 रुपए प्रति शेयर (31 मार्च 2016: 45.00 रुपए प्रति शेयर)	97.25	89.08
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	19.80	18.13
कुल	117.05	107.21

15. वित्तीय देयताएं

15.1. व्यापार देय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम *	-	-	-
अन्य ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	0.45	5.63	7.90
कुल	0.45	5.63	7.90

* संदर्भ नोट सं. 46

15.2. अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
जमा राशि व प्रतिधारण राशि	129.26	110.86	80.77
कुल	129.26	110.86	80.77

16. प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	16.1	71.71	101.14	203.30
संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	16.2	93.88	92.89	125.68
अन्य प्रावधान	16.3	303.04	402.91	455.31
		468.63	596.94	784.29
घटा: संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान (अलग से प्रस्तुत)	16.2	93.88	92.89	125.68
कुल		374.75	504.05	658.61
चालू		298.52	354.27	318.40
गैर चालू		76.23	149.78	340.21

प्रावधान संचलनों का प्रकटन इंड एस 37 की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक है :

16.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :

(क) सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	उपदान	अवकाश वेतन	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	पेंशन	कुल
1 अप्रैल 2015 को	66.31	83.24	1.28	7.33	26.19	184.35
चालू	4.52	6.94	0.08	5.97	26.19	43.70
गैर चालू	61.79	76.30	1.20	1.36	-	140.65
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	2.22	7.72	0.09	2.84	3.37	16.25
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	68.53	7.21	0.03	5.97	27.99	109.72
घटा: वर्ष के दौरान बढ़ा खाता	-	0.30	-	-	1.57	1.87
(विनिमय लाभ) / हानि	-	(0.40)	-	-	-	(0.40)

विवरण	उपदान	अवकाश वेतन	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	पेंशन	कुल
31 मार्च 2016 को	-	83.05	1.34	4.20	(0.00)	88.60
चालू	-	8.31	0.13	3.38	(0.00)	11.82
गैर चालू	-	74.75	1.21	0.82	-	76.78
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.01	7.45	-	7.50	-	14.96
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	-	6.21	0.02	3.38	-	9.61
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता (विनिमय लाभ) / हानि	-	28.33	-	-	-	28.33
	-	(0.14)	-	-	-	(0.14)
31-मार्च-2017 को	0.01	55.82	1.33	8.32	-	65.48
चालू	0.01	5.58	0.13	6.66	-	12.38
गैर चालू	-	50.24	1.20	1.66	-	53.10

(ख) अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	निष्पादन संबंधी वेतन	अवकाश यात्रा रियायत	कुल
1 अप्रैल 2015 को	18.82	0.13	18.95
चालू	18.82	0.01	18.83
गैर चालू	-	0.12	0.12
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	5.68	0.32	6.00
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	7.95	0.21	8.16
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	4.25	-	4.25
31-मार्च-2016 को	12.31	0.23	12.54
चालू	12.31	0.03	12.34
गैर चालू	-	0.20	0.20
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	5.89	0.18	6.08
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	11.64	0.08	11.72
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	0.67	-	0.67
31-मार्च-2017 को	5.89	0.33	6.23
चालू	5.89	0.05	5.95
गैर चालू	-	0.28	0.28
कर्मचारी लाभ के लिए कुल प्रावधान (क + ख)			
31-मार्च-2017 को			71.71
31-मार्च-2016 को			101.14
1-अप्रैल-2015			203.30

16.2 संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	संदिग्ध ऋण	संदिग्ध अग्रिम	निवेशों के मूल्य में गिरावट	कुल
1 अप्रैल 2015 को	16.25	103.89	5.53	125.68
चालू	16.25	69.12	-	85.38
गैर चालू	-	34.77	5.53	40.30
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.24	0.61	-	0.85
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	0.33	0.72	-	1.05
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता (विनिमय लाभ) / हानि	0.34	26.71	5.53	32.58
	-	0.01	-	0.01
31-मार्च-2016 को	15.82	77.07	-	92.89
चालू	15.82	77.07	-	92.89
गैर चालू	-	-	-	-
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	6.83	0.85	-	7.68
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	0.60	1.99	-	2.59
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता (विनिमय लाभ) / हानि	1.45	2.79	-	4.24
	0.25	(0.11)	-	0.14
31-मार्च-2017 को	20.85	73.04	-	93.88
चालू	20.85	73.04	-	93.88
गैर चालू	-	-	-	-

16.3 अन्य प्रावधान :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	डीमोबिला-इजेशन	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	अनुरक्षण	प्रकट घाटे	अभिकल्प गारंटी	विधिक मामले	अन्य व्यय	कुल
1 अप्रैल 2015 को	48.01		124.68	12.56	147.27	72.56	50.22	455.31
चालू	40.58	-	38.58	12.56	41.91	72.56	49.68	255.87
गैर चालू	7.43	-	86.10	-	105.36	-	0.54	199.43
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	3.68		34.37	12.00	-	6.78	62.05	118.88
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	8.38		54.38	2.39	-	0.07	21.21	86.43
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता (विनिमय लाभ) / हानि	19.26		25.38	-	49.54	-	0.56	94.73
	(0.88)		(1.12)	-	0.69	-	(0.22)	(1.52)
छूट का अप्रयोग	0.26		7.96	0.05	3.14	-	-	11.41
31-मार्च-2016 को	23.44	-	86.14	22.22	101.57	79.27	90.28	402.91
चालू	22.91		69.64	22.22	45.79	79.27	90.28	330.11
गैर चालू	0.53	-	16.49	-	55.78	-	-	72.80
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1.00	0.91	9.89	-	-	10.01	10.58	32.40
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	3.39		28.58	16.15	-	1.34	26.24	75.70
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता (विनिमय लाभ) / हानि	0.22		1.89	-	40.87	0.92	0.91	44.81
	(1.75)	-	(0.23)	(0.05)	(10.89)	-	(2.06)	(14.97)
छूट का अप्रयोग	0.18		1.44	-	1.59	-	-	3.21
31-मार्च-2017 को	19.25	0.91	66.78	6.03	51.39	87.03	71.66	303.04
चालू	19.18	0.91	56.49	6.03	38.96	87.03	71.61	280.19
गैर चालू	0.07	-	10.29	-	12.44	-	0.05	22.85

17. अन्य गैर चालू देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) अग्रिम			
ग्राहकों से अग्रिम	1,769.14	917.06	69.24
आस्थगित आय	33.70	27.34	19.16
ख) अन्य			
उचित मूल्य समायोजन	22.93	20.40	15.84
अन्य	0.56	-	-
कुल	1,826.33	964.80	104.24

18. वित्तीय देयताएं (चालू)

18.1. व्यापार देय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	-	-	-
अन्य			
(क) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	359.90	390.89	433.65
(ख) संबंधित पक्ष	-	9.49	8.94
कुल	359.90	400.38	442.59

18.2. अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
स्टाफ	9.47	7.41	1.40
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि और रोकी गई राशि	506.27	485.04	510.17
अन्य	47.85	20.82	15.55
कुल	563.59	513.27	527.12

19. अन्य चालू देयताएं :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) अग्रिम			
ग्राहकों से अग्रिम	2,123.05	1,988.04	1,195.30
- घटा: संरक्षणाधीन जमा राशियां (बिक्री कर)	(210.48)	(203.45)	(184.31)
अग्रिम संविदा प्राप्तियां	99.96	74.27	24.63
आस्थगित आय	4.71	3.94	5.46
ख) अन्य			
सांविधिक देय राशियां :	74.34	40.94	26.34
उचित मूल्य समायोजन	24.98	13.37	6.32
अन्य	0.01	0.01	-
कुल	2,116.57	1,917.12	1,073.74

20. प्रचालन से राजस्व

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व	2,895.70	2,255.91
लोको पट्टा	0.88	35.89
मशीनरी किराया प्रभार	9.15	8.31
अन्य प्रचालन राजस्व	10.15	57.03
एमएफसी पट्टा	13.66	14.75
परियोजना परामर्श प्रबंधन	18.53	5.11
कुल	2,948.07	2,377.00

21. अन्य आय

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज आय:				
कर मुक्त बांड पर ब्याज		22.06		15.63
आयकर वापसी पर ब्याज		11.93		2.73
स्टॉफ अग्रिम पर ब्याज		0.21		0.28
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज *		11.32		31.39
अन्य अग्रिम पर ब्याज		7.37		4.91
सावधि योजना पर ब्याज		-		0.06
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज आय		7.54		3.98
सकल बैंक ब्याज	311.60		246.33	
घटा :- ग्राहकों को अंतरित ब्याज	(163.82)	147.78	(60.83)	185.50
अन्य :				
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन		29.34		11.77
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		0.35		0.89
विविध आय		22.09		25.46
ऋण और इक्विटी पर बट्टा खाते का प्रावधान -सीसीएफबी		-		31.18
विनिमय उच्चावचन लाभ	-		150.12	
घटा:- विनिमय उच्चावचन घटा	-		(15.95)	134.17
लाभांश आय	4.82		5.54	
घटा :- ग्राहकों को अंतरित लाभांश	(1.45)	3.37	-	5.54
कुल	263.37		453.49	

* संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज:

(रुपए करोड़ में)

संबंधित पक्षों का विवरण	2016-17	2015-16
- कम्पैनिया डोस कमिनोस डम फेरा डा बेरा एसएआरएएल	-	25.26
- छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड	6.26	4.92
- छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड	4.87	0.43
- इरकॉन एफकॉन जेवी	0.20	0.78
	11.32	31.39

22. प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रयुक्त सामग्री और भंडारण					
आरंभिक शेष		89.87	58.42	-	-
जमा: वर्ष के दौरान खरीद*		321.04	367.51	-	-
		410.91	425.93	-	-
घटा: अंतिम शेष		38.92	89.87	-	-
कार्यगत व्यय		371.99	336.06	-	-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी		2,083.24	1,520.05	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय		(47.86)	5.04	-	-
विकास व परामर्श प्रभार		16.87	31.32	-	-
निरीक्षण, भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		16.26	5.52	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		11.50	14.29	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		3.26	3.30	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि		71.59	0.06	-	-
घटा : विनिमय उच्चावचन लाभ		33.13	-	-	-
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		38.46	0.06	-	-
किराया-गैर आवासीय		5.29	4.77	1.23	0.37
दर एवं कर		30.30	21.44	1.63	0.84
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		9.99	8.94	1.52	1.21
मरम्मत और रखरखाव		-	-	-	-
- भवन		0.07	0.12	0.91	0.56
- कार्यालय तथा अन्य		3.23	2.49	4.09	2.80
बिजली, विद्युत व जल प्रभार		2.19	2.57	1.59	1.61
बीमा		5.55	5.13	0.40	0.19
यात्रा और वाहन		9.21	8.53	3.00	2.64
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.19	1.28	0.61	0.44
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		1.51	1.74	0.48	0.52
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		5.52	4.38	4.49	3.06
सुरक्षा सेवाएं		3.68	4.00	0.41	0.24
व्यवसाय संवर्धन		0.39	0.88	0.34	0.20
बट्टा खाता:					
अशोध्य ऋण		0.60	0.33	-	-
अशोध्य अग्रिम		2.00	0.59	-	-
- परिसंपत्तियां		0.11	0.02	-	-
परिसंपत्ति/ भंडार की बिक्री से हानि		-	-	0.03	0.03
निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम का परिशोधन		-	-	-	-

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
निदेशकों की फीस	(i)	-	-	0.07	-
चंदा		-	-	0.04	0.01
लेखापरीक्षकों की फीस		-	-	0.62	0.55
विज्ञापन और प्रसार		0.40	-	6.23	3.74
प्रशिक्षण और भर्ती		-	-	0.30	0.54
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 46 का संदर्भ लें)		-	-	5.92	6.14
विविध व्यय		2.86	4.76	2.73	1.15
पूर्व अवधि व्यय - बट्टा खाता/जमा (नोट 16 का संदर्भ लें)		(9.05)	23.46	-	-
उपयोग किया गया प्रावधान (नोट 16 का संदर्भ लें)		(78.29)	(87.48)	-	-
कुल			2,490.47	1,923.59	36.64

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.36	0.37
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.11	0.08
(iii) प्रमाणीकरण फीस	0.06	0.04
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय	-	-
- स्थानीय	0.08	0.08
- विदेशी	0.05	0.01
कुल	0.65	0.57

* 0.13 करोड़ रुपए के लिए इंडो एस के क्रियान्वयन के कारण विनिमय लाभ/घाटा (31 मार्च 2016 को 0.02 करोड़ रुपए)

23. कर्मचारी पारिश्रमिक व लाभ

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु			
		प्रचालनिक	व्यय(प्रशासनिक)	कुल	प्रचालनिक	व्यय(प्रशासनिक)	कुल	
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस	(i)	104.86	40.42	145.28	110.18	34.46	144.64	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		7.25	4.05	11.30	6.97	3.51	10.48	
विदेशी सेवा अंशदान		0.80	0.83	1.63	0.41	0.21	0.62	
सेवानिवृत्ति लाभ		13.25	(17.20)	(3.95)	12.82	10.25	23.07	
वीआरएस लाभ		-	-	-	-	-	-	
कर्मचारी कल्याण		1.27	0.54	1.81	1.40	0.48	1.88	
कुल			127.43	28.64	156.07	131.78	48.91	180.69

फुट नोट :

0.33 करोड़ रुपए के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2016 को : 0.33 करोड़ रुपए)

24. वित्तीय लागत

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय	(i)	9.65	7.83
अन्य ऋण लागत			
- बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार		8.67	8.85
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज		29.66	10.95
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन		7.31	4.15
प्रावधानों पर छूटों का अप्रयोग कुल		3.35	11.52
कुल		58.64	43.30

फुट नोट :-

9.65 करोड़ रुपए के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2016 को : 7.50 करोड़)

25. मूल्यह्रास , परिशोधन एवं हानि

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण	17.99	29.48
अमूर्त परिसंपत्तियां	7.39	1.37
निवेश संपत्ति	0.05	0.05
परिसंपत्तियों की हानि	1.26	-
कुल	26.69	30.90

26. अन्य वृहत आय (ओआईसी) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(रुपए करोड़ में)

विवरण	निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	
	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	4.82	1.32
उन मदों के संबंध में आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	(1.67)	(0.46)
कुल	3.15	0.86

(रुपए करोड़ में)

विवरण	विदेशी मुद्रा अंतरण	
	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
मर्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	16.16	(57.46)
उन मर्दों के संबंध में आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	(5.59)	25.94
कुल	10.57	(31.52)
सकल योग	13.72	(30.66)

27. पूर्व अवधि त्रुटियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	1 अप्रैल 2015
इक्विटी पर प्रभाव : इक्विटी में (वृद्धि/कमी))		
चालू व्यापार देय	3.35	3.05
चालू अन्य वित्तीय देयताएं	(0.03)	(0.37)
अन्य चालू परिसंपत्तियां	(0.29)	(1.24)
अन्य चालू देयताएं	23.98	19.20
विधिक मामलों के लिए प्रावधान	(0.51)	(0.51)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.67	-
इक्विटी पर शुद्ध प्रभाव	27.17	20.13
विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
लाभ में लाभ और हानि में विवरण पर प्रभाव (वृद्धि/(कमी))		
प्रचालनों से राजस्व	(5.72)	7.47
अन्य आय	(1.10)	(18.10)
प्रचालन तथा अन्य व्यय (प्रशासनिक)	(0.21)	(3.34)
अन्य व्यय	-	0.45
इक्विटी के प्रति	(7.03)	(13.52)
ईपीएस में प्रति शेयर मूल तथा विलयित आमदनियों में (वृद्धि/(कमी))		
विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निरंतर प्रचालन के लिए प्रति शेयर आमदनी		
मूल, इक्विटी शेयरधारक के कारण निरंतर प्रचालन से लाभ	(0.71)	(1.37)
विलयित, इक्विटी शेयरधारक के कारण निरंतर प्रचालन से लाभ	(0.71)	(1.37)

27क. आपवादिक मर्दे

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	1 अप्रैल 2016
निवेश की बिक्री पर लाभ	73.69	-
कुल	73.69	-

28. उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यम

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2017 को			1 अप्रैल 2015 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां									
(i) निवेश									
कर मुक्त बांड (संचित ब्याज सहित)	-	-	309.23	-	-	304.03	-	-	178.07
म्युचुवल फंड में निवेश	249.91	-	-	132.48	-	-	68.39	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	-	-	464.24	-	-	509.99	-	-	471.76
(iii) ऋण	-	-	159.13	-	-	62.31	-	-	123.33
(iv) प्रतिधारण राशि तथा रोकड़ी गई राशि	-	-	143.28	-	-	174.07	-	-	153.23
(v) सरकारी विभागों में प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूलीयोग्य	-	-	132.95	-	-	109.19	-	-	17.37
(vi) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य रोकड़	-	-	1,453.76	-	-	2,590.68	-	-	1,324.47
(vii) उपर्युक्त (ii) से अतिरिक्त बैंक शेष	-	-	3,299.37	-	-	2,131.31	-	-	2,054.42
(viii) अन्य - वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	191.49	-	-	147.38	-	-	118.47
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	249.91	-	6,153.45	132.48	-	6,028.96	68.39	-	4,441.12
वित्तीय देयताएं									
(i) व्यापार देय	-	-	360.35	-	-	406.01	-	-	450.49
(ii) प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	-	-	635.53	-	-	595.90	-	-	590.94
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	57.32	-	-	28.23	-	-	16.95
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	1,053.20	-	-	1,030.14	-	-	1,058.38

(ii) परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है और इनके लिए उचित मूल्य प्रकट किये गए हैं।

(रुपए करोड़ में)

विवरण	धारण मूल्य			उचित मूल्य		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2015
वित्तीय सहायता						
कर मुक्त बांड	309.23	304.03	178.07	293.32	292.98	175.61
म्युचुवल फंड में निवेश	249.91	132.48	68.39	249.91	132.48	68.39
प्रतिधारण राशि तथा रोकड़ी गई राशि	143.28	174.07	153.23	142.48	173.47	153.23
सरकारी विभागों तथा अन्यो में प्रतिभूति राशि	132.95	109.19	17.37	132.98	109.35	17.37
कुल परिसंपत्तियां	835.37	719.77	417.06	818.69	708.27	414.60
वित्तीय देयताएं						
परिशोधित लागत						
व्यापार देय	360.35	406.01	450.49	358.35	406.00	450.49
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	635.53	595.90	590.94	630.20	602.01	590.94
कुल देयता	995.88	1,001.91	1,041.43	988.55	1,008.00	1,041.43

- i) चालू व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, प्रतिभूति जमा राशियों तथा प्रतिधारण राशियों, रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य, बैंक शेष और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देशताओं की वहन राशियों पर उनके उचित मूल्यों पर समान माना जाएगा क्योंकि उनकी अल्पकालीन प्रकृति है।
- ii) दीर्घकालीन प्रतिभूति जमा राशियों, प्रतिधारण राशि और दीर्घकालीन व्यापार प्राप्यों के उचित मूल्य का परिकलन चालू बाजार दर का प्रयोग करते हुए रोकड़ प्रवाहों के आधार पर किया गया था। गैर-अवलोकनीय इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें स्तर 3 उचित मूल्य क्रम में वर्गीकृत किया गया है।
- iii) संबंधित पक्षों को दिया गया ऋण तथा अग्रिम बाजार दर पर हैं, इसलिए ऐसे ऋणों और अग्रिमों की वहन राशि उनके उचित मूल्य के बराबर होती है।
- iv) स्टाफ ऋण और अग्रिम अभी भी पिछले जीएएपी मूल्यों पर धारित है क्योंकि मापन प्रभाव अनावश्यक हैं।

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए कोट किए गए मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रूप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो अवलोकनीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (गैर अवलोकनीय इनपुट)।

निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर तथा परिशोधित लागत पर उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य मापन अनुक्रम को प्रस्तुत करता है।

31 मार्च 2017 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां:					
म्युचुवल फंड में निवेश	31.3.2017	249.91	249.91	-	-
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
कर मुक्त बांडों में निवेश	31.3.2017	293.32	293.32	-	-
प्रतिधारण राशि तथा रोकड़ी गई राशि	31.3.2017	142.48	-	-	142.48
सरकारी विभागों तथा अन्यो में प्रतिभूति राशि	31.3.2017	132.98	-	-	132.98

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2017 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
व्यापार देय	31.3.2017	358.35	-	-	358.35
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	31.3.2017	630.20	-	-	630.20

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2016 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां:					
म्युचुवल फंड में निवेश	31.3.2016	132.48	132.48	-	-
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
कर मुक्त बांड में निवेश	31.3.2016	292.98	292.98	-	-
प्रतिधारण राशि तथा रोकी गई राशि	31.3.2016	173.47	-	-	173.47
सरकारी विभागों तथा अन्यो में प्रतिभूति राशि	31.3.2016	109.35	-	-	109.35

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2016 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:-

	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
व्यापार देय	31.3.2016	406.00	-	-	406.00
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	31.3.2016	602.01	-	-	602.01

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

1 अप्रैल 2015 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:-

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन :					
म्युचुवल फंड में निवेश	01.04.2015	68.39	68.39	-	-
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां का मापन जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किए गए हैं ।					
कर मुक्त बांडों में निवेश	01.04.2015	175.61	-	-	175.61
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	01.04.2015	153.23	-	-	153.23
सरकारी विभागों तथा अन्यो में प्रतिभूति राशि	01.04.2015	17.37	-	-	17.37

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर तीन में कोई अंतरण नहीं हुआ है।

01 अप्रैल 2015 को वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य मापन क्रम:-

	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रिय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
व्यापार देय	01.04.2015	450.49	-	-	450.49
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	01.04.2015	590.94	-	-	590.94

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

iii. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियों जो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। कम्पनी म्युचुवल फंड और कर मुक्त बांडों में भी निवेश करती है। कम्पनी की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढ़ाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करती है और उसे व्यापक विदेश मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्ति और भुगतान सामान्यतः समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडउन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। कंपनी को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वतः बचाव हो जाता है। (संदर्भ नोट सं. 36)

ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढ़ाव का जोखिम है। कंपनी अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं कर मुक्त बांड तथा बैंक में जमा राशि। इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है।

ख) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय घाटे का जोखिम है यदि ग्राहक या वित्तीय माध्यम का प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और सिद्धांत रूप में ग्राहकों या निवेश से कंपनी के प्राप्य की स्थिति उत्पन्न होती है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास धारित रोकड़ के कारण तथा बकाया प्राप्य खातों सहित ग्राहकों से ऋण जोखिम से होता है। ऋण का अधिकतम खतरा वित्तीय परिसंपत्तियों के धारण मूल्य के समान होता है। प्रतिफल के ऋण जोखिमों के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों के घाटों को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्ष की वित्तीय स्थिति, पूर्व के अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उसकी ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है।

व्यापार तथा अन्य प्राप्य

कंपनी के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है के चूक जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के प्रतिशत के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करता है।

विवरण	को समाप्त अवधि हेतु	
	31 मार्च ,2017	31 मार्च ,2016
शीर्ष परियोजनाओं से राजस्व		
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	1,509.59	1,162.60
	1,509.59	1,162.60

(i) संभावित ऋण घाटों के लिए प्रावधान

31.03.2017 को

क) सरलीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों से संभावित ऋण हानि

समयावधि			< 6 M	>6< 12	> 12< 24	> 24< 36	> 36	कुल
सकल धारण राशि			378.91	67.80	35.54	8.89	20.44	511.58
संभावित ऋण दर			0.14%	0.00%	0.00%	7.76%	96.04%	4.08%
संभावित ऋण घाटे (घाटा प्रावधान व्यवस्था)			0.53	-	-	0.69	19.63	20.85

व्यापार प्राप्यों की सकल धारण राशि

ख) ऋण और निवेशों से संभावित ऋण हानि

विवरण	परिसंपत्ति समूह	धारण मूल्य	चूक की अनुमानित संभावना	अनुमानित ऋण घाटा	अनुमानित ऋण घाटा की निवल धारण राशि	
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ़ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	प्रतिभूति जमा राशि और ईएमडी	10.13	7.80%	0.79	9.34
		प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा राशि	156.12	8.22%	12.84	143.28
			166.25		13.63	152.62

31.03.2016 को

क) सरलीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों से संभावित ऋण हानि

समयावधि	< 6 M	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल धारण राशि	522.73	25.40	20.85	4.91	15.55	589.44
संभावित ऋण दर	0.00%	0.00%	4.36%	0.00%	95.95%	2.69%
संभावित ऋण घाटे (घाटा प्रावधान व्यवस्था)	-	-	0.91	-	14.92	15.83
व्यापार प्राप्यों की सकल धारण राशि	522.73	25.40	19.94	4.91	0.63	573.61

ख) ऋणों और निवेशों से संभावित ऋण हानि

विवरण	परिसंपत्ति समूह	धारण मूल्य	चूक की अनुमानित संभावना	अनुमानित ऋण घाटा	अनुमानित ऋण घाटा की निवल धारण राशि	
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ़ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	प्रतिभूति जमा राशि और ईएमडी	9.58	18.68%	1.79	7.79
		प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा राशि	188.13	7.47%	14.06	174.07
			197.71		15.85	181.86

01.04.2015 को

क) सरलीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों से संभावित ऋण हानि

समयावधि	< 6 M	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल धारण राशि	404.02	10.12	42.06	22.30	10.47	488.97
संभावित ऋण दर	0.11%	6.82%	3.54%	14.17%	99.81%	3.32%
संभावित ऋण घाटे (घाटा प्रावधान व्यवस्था)	0.46	0.69	1.49	3.16	10.45	16.25

व्यापार प्राप्यों की सकल धारण राशि

ख) ऋणों और निवेशों से संभावित ऋण हानि

विवरण	परिसंपत्ति समूह	धारण मूल्य	चूक की अनुमानित संभावना	अनुमानित ऋण घाटा	अनुमानित ऋण घाटा की निवल धारण राशि	
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ़ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	प्रतिभूति जमा राशि और ईएमडी	10.91	21.81%	2.38	8.53
		प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा राशि	167.62	8.58%	14.38	153.24
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ़ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	निवेश *	5.53	100%	5.53	-
		ऋण *	25.46	100%	25.46	-
		ऋणों पर ब्याज*	0.19	100%	0.19	-
		31.18		31.18	-	

* परिसंपत्तियां समूह संयुक्त उद्यम सीसीएफबी की हैं, जिसे वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निपटाया गया है।

ग) नकदी का जोखिम

नकदी का जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी देय होने पर अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाती है। कंपनी जहां तक संभव हो अपनी नकदी जोखिम के प्रबंधन को सुनिश्चित करती है कि उनके पास आवश्यकता पड़ने पर देयताओं से निपटने के लिए पर्याप्त रोकड़ उपलब्ध हो।

कंपनी का निगमित निधि विभाग नकदी, निधियन और निपटान प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ प्रबंधन ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं और नीतियों की निगरानी करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 तथा 1 अप्रैल 2015 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं का ब्यौरा प्रस्तुत करता है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
व्यापाद देय	278.98	1.94	59.28
अन्य वित्तीय देयताएं	597.93	80.35	103.05

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
व्यापाद देय	333.00	3.44	64.19
अन्य वित्तीय देयताएं	549.37	74.45	64.60

(रुपए करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2015 तक		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
व्यापाद देय	386.88	2.83	45.76
अन्य वित्तीय देयताएं	578.93	63.23	29.92

घ) अत्यधिक जोखिम संचयन

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों के चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

iv पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का कंपनी का उद्देश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि कंपनी अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टैकधारकों का लाभ दे सके। वर्तमान में कम्पनी के पास कोई कर्ज नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी परिवर्तित होती अर्थव्यवस्था और वित्तीय नियमों की अपेक्षाओं में परिवर्तन के आलोक में समायोजनों को करने के लिए अपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करती है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी के प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

29. इंड-एस का पहली बार अंगीकरण

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ये स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए हैं जिन्हें इंड-एस के अनुसार तैयार किया गया है। इंडस एस में ट्रांजिशन के प्रयोजन से, कंपनी ने इंडएस 101 में निर्धारित दिशानिर्देश का अनुसरण किया है इसे 1 अप्रैल 2015, ट्रांजिट तिथि के रूप में, भारतीय लेखांकन मानक के पहली बार अंगीकरण के लिए पिछले जीएपी के रूप में आईजीएपी को स्वीकार किया गया है।

इंडो एस में ट्रांजिशन के कारण वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण, इसके नोटों में प्रकटनों तथा लेखांकन नीतियों और सिद्धांतों के प्रस्तुतीकरण में परिवर्तन हुआ है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों तथा तुलनात्मक सूचना को तैयार करने के लिए नोट 1 में निर्धारित लेखांकन नीतियों को लागू किया गया है।

इंड एस 101 को पहली बार अंगीकृत करने पर प्राप्त किए गए अपवाद/छूट

1. अनुमान :

वर्तमान अनुमान पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत बनाए गए अनुमानों के समान होने चाहिए बशर्ते:

- वहां कोई त्रुटि न हो, या
- पिछले जीएपी के अंतर्गत अनुमान तथा संबंधित सूचना अब संगत नहीं है क्योंकि निकाय ने इंड एस के अंगीकरण पर भिन्न लेखांकन नीति को चुना है।

हमारे मामले में वर्तमान अनुमान पिछले जीएपी के अंतर्गत निर्मित अनुमानों के अनुरूप हैं।

2. वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की विस्वीकृति :

कंपनी ने इंड एस में अंगीकृत होने की तिथि को या उसके पश्चात होने वाले प्रत्याशित संव्यवहारों के लिए इंड एस 109 में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए विस्वीकृति अपेक्षाओं को लागू करने का चयन किया है।

3. वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन:

कंपनी ने इंड एस में पारगमन की तिथि को मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इंड एस 109 के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन किया है।

4. अनुमानित लागत (इंड-एस 16 तथा इंड एस 38) :

पिछले जीएपी में संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (डीकमिशनिंग देयताओं, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात), अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए अंतरण तिथि को धारण मूल्य को अनुमाति लागत के रूप में लिया जाता है।

5. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों में निवेश (इंड-एस 27- पृथक वित्तीय विवरण):

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों में निवेश को अनुमानित लागत पर रिकार्ड किया जाता है, तो कि उस तिथि को पिछली जीएपी धारण राशि है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल पाबंद देयताएं (इंड एस 16- संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण): कंपनी ने भावी आधार पर इंड एस में अंतरण की तिथि को पाबंद देयताओं को मापने के लिए विधि स्वीकार की है। दायित्व को पीपीई के पृथक घटक के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा, जिसके साथ संचित मूल्यहास को अंतरण तिथि में दायित्व की तिथि से पूंजीकृत किया जाएगा। परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत की जाने वाली राशि को एतिहासिक जोखिम समायोजित रियायत दरों के सर्वोत्तम अनुमान का प्रयोग करते हुए आरंभ में उत्पन्न दायित्व की तिथि से देयता बट्टे में शामिल करके परिकलित किया जाएगा। संबद्ध संचित मूल्यहास का परिकलन, परिसंपत्ति के लिए निकाय की मूल्यहास नीति का प्रयोग करके परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल का चालू अनुमान का प्रयोग करके परिकलित किया जाएगा।

7. बिक्री के लिए गैर चालू परिसंपत्तियां (इंड एस 105) :

कंपनी ने अंतरण तिथि को धारण मूल्य और उचित मूल्य तथा अंतर यदि कोई है पर ऐसी परिसंपत्ति को मापने के लिए विधि अपनाई है जिसे धारित आमदनी में अंतरित किया जाएगा।

1 अप्रैल 2015 को इक्विटी का समाधान (अंतरण की तिथि को)

(रुपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएपी) *	समायोजन	इंड एस
I. परिसंपत्तियां				
1 गैर चालू परिसंपत्तियां				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	9,14	175.35	1.34	176.69
(ग) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य	14	10.47	(10.09)	0.38
(ग) निवेश संपत्ति		270.40	-	270.40
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	14	558.57	(486.46)	72.11
(ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	14	15.14	0.90	16.04
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां				-
(i) निवेश	7,14	166.18	13.59	179.77
(ii) व्यापार प्राप्य	5,14	49.95	(5.24)	44.71
(iii) ऋण	14	65.19	37.68	102.87
(iv) अन्य	5,14	5.16	(0.18)	4.98
(छ) आस्थिगत कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,14	267.91	(5.77)	262.14
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	5,14	277.49	(29.07)	248.42
		1,861.81	(483.30)	1,378.51

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएएपी) *	समायोजन	इंड एस
2 चालू परिसंपत्तियां				
(क) दरसूची	9,14	124.34	(9.91)	114.43
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	14	66.06	2.33	68.39
(ii) व्यापार प्राप्य	14	596.69	(16.41)	580.28
(iii) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	14	1,366.95	(42.48)	1,324.47
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष	14	2,084.39	(29.97)	2,054.42
(v) ऋण	9,14	11.54	8.92	20.46
(vi) अन्य	14	226.27	(83.53)	142.74
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		12.97	0.00	12.97
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	5,14	839.08	(31.99)	807.09
कुल परिसंपत्तियां		5,328.29	(203.04)	5,125.25
		7,190.10	(686.34)	6,503.76
II. इक्विटी और देयताएं				
1 इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी		19.80	-	19.80
(ख) अन्य इक्विटी		3,284.65	166.16	3,450.81
मूल के स्वामियों क प्रति इक्विटी		3,304.45	166.16	3,470.61
गैर नियंत्रण हित		21.28	-	21.28
कुल इक्विटी		3,325.73	166.16	3,491.89
(i) गैर चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	14	170.80	(170.80)	-
(ii) व्यापार देय	6,14	8.38	(0.48)	7.90
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	6,14	103.03	(22.26)	80.77
(ख) प्रावधान	8,9,14	419.42	(79.21)	340.21
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	6,14	385.90	(281.66)	104.24
		1,087.53	(554.41)	533.12
(ii) चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) अल्पकालीन ऋण	14	68.67	(68.67)	-
(ii) व्यापार देय	6,14	464.89	(22.30)	442.59
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	6,14	547.38	(20.26)	527.12
(ख) अन्य चालू देयताएं	6,14	1,127.98	(54.24)	1,073.74
(ग) प्रावधान	1,2,8,9,14	451.02	(132.62)	318.40
(घ) चालू कर देयता (निवल)		116.90	-	116.90
		2,776.84	(298.09)	2,478.75
कुल इक्विटी और देयताएं		7,190.10	(686.34)	6,503.76

* इस नोट के प्रयोजन हेतु पिछले जीएएपी आंकड़ों को इंड-एस प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के लिए स्वीकार किया गया है।

31 मार्च 2016 को इक्विटी का समाधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएएपी) *	समायोजन	इंड एस
I. परिसंपत्तियां				
1 गैर चालू परिसंपत्तियां				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	9,14	153.86	2.53	156.39
(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	14	130.61	(129.11)	1.50
(ग) निवेश संपत्ति		278.20	(0.02)	278.18
(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	14	513.99	(442.08)	71.91

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएपी) *	समायोजन	इंड एस
(ड.) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	14	21.40	52.46	73.86
(च) वित्तीय संपत्तियां			-	
(i) निवेश	7,14	291.36	58.11	349.47
(ii) व्यापार प्राप्य	5,14	2.80	(0.26)	2.54
(iii) ऋण	14	45.40	15.21	60.61
(iv) अन्य	5,14	63.35	(16.02)	47.33
(छ) आस्थगित कर संपत्ति /निवल	3,14	211.30	0.29	211.59
(ज) अन्य गैर चालू संपत्तियां	5,14	286.00	(36.61)	249.39
2 चालू संपत्तियां		1,998.27	(495.50)	1,502.77
(क) दरसूचियां	9,14	149.01	(8.39)	140.62
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			-	
(i) निवेश	12,14	131.99	6.02	138.01
(ii) व्यापार प्राप्य	5,14	682.13	(0.61)	681.52
(iii) रोकड और रोकड समतुल्य	14	2,606.50	(15.82)	2,590.68
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष	14	2,151.45	(20.14)	2,131.31
(v) ऋण	9,14	1.83	(0.13)	1.70
(vi) अन्य	2,9,14	227.91	(6.02)	221.89
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)		19.10	0.00	19.10
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	5,14	738.91	(27.12)	711.79
कुल परिसंपत्तियां		6,708.83	(72.20)	6,636.63
		8,707.10	(567.70)	8,139.40
II. इक्विटी और देयताएं				
1 इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी		19.80	-	19.80
(ख) अन्य इक्विटी		3,477.00	142.09	3,619.09
मूल के स्वामियों के प्रति इक्विटी		3,496.80	142.09	3,638.89
गैर नियंत्रण हित		21.85		21.85
कुल इक्विटी		3,518.65	142.09	3,660.74
2 देयताएं				
(i) गैर चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	14	131.18	(131.18)	-
(ii) व्यापार देय	6,14	5.82	(0.19)	5.63
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	6,14	152.66	(41.80)	110.86
(ख) प्रावधान	8,14	205.74	(55.96)	149.78
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	6,14	1,241.91	(277.11)	964.80
		1,737.31	(506.24)	1,231.07
(ii) चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) अल्पकालीन ऋण	14	48.50	(48.50)	-
(ii) व्यापार देय	6,14	407.25	(6.87)	400.38
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	6,14	581.19	(67.92)	513.27
(ख) अन्य चालू देयताएं	6,14	1,882.62	34.50	1,917.12
(ग) प्रावधान	1,2,8,14	469.03	(114.76)	354.27
(घ) चालू कर देयता (निवल)		62.55	-	62.55
		3,451.14	(203.55)	3,247.59

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएपी) *	समायोजन	इंड एस
कुल इक्विटी और देयताएं		8,707.10	(567.70)	8,139.40

* इस नोट के प्रयोजन हेतु पिछले जीएपी आंकड़ों को इंड-एस प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के लिए स्वीकार किया गया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल वृहत आय का समाधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएपी) *	समायोजन	इंड एस
I. राजस्व :				
प्रचालनों से राजस्व	2, 9, 14	2,472.26	(95.26)	2,377.00
जमा :- एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवर में कंपनी का भाग	14	-	103.93	103.93
		2,472.26	8.67	2,480.93
II. अन्य आय	2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14	437.26	16.23	453.49
III. कुल आय (I + II)		2,909.52	24.90	2,934.42
IV. व्यय:				
प्रचालन एवं प्रशासनिक व्यय				
प्रचालन व्यय	2, 8, 9, 14	1,988.06	(64.47)	1,923.59
प्रशासनिक व्यय	2, 9, 14			
कर्मचारी लाभ व्यय	4, 9, 14	180.86	(0.17)	180.69
वित्त लागत	5, 6, 9, 14	33.32	9.98	43.30
मूल्यहास, परिशोधन तथा हानि	9, 14	74.25	(43.35)	30.90
अन्य व्यय (प्रशासनिक)	14	30.51	(3.67)	26.84
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में व्यय का आनुपातिक भाग	14	-	97.25	97.25
V. कुल व्यय (IV)		2,307.00	(4.43)	2,302.57
VI. आपवादिक मदों और कर के पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)		602.52	29.33	631.85
VII. आपवादिक मदें संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में भाग	14	-	5.49	5.49
VIII. कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)		602.52	34.82	637.34
VIII. कर व्यय:				
(1) चालू कर				
- वर्ष के लिए	13	141.78	15.05	156.83
- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		5.07	-	5.07
(2) आस्थगित कर (निवल)		56.61	(0.01)	56.60
कुल कर व्यय (VIII)		203.46	15.04	218.50
IX. निरंतर प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII)		399.06	19.78	418.84
X. अन्य वृहत आय				
क. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	4	-	1.32	1.32
(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	13	-	(0.46)	(0.46)
ख. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	9	-	(57.46)	(57.46)

विवरण	फुट नोट	भारतीय (जीएएपी)*	समायोजन	इंड एस
(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	13	-	25.94	25.94
अन्य वृहत्त आय		-	(30.66)	(30.66)
XI वर्ष के लिए कुल वृहत्त आय (IX + X) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य वृहत्त आय सहित)		399.06	(10.88)	388.18
निम्न के प्रति कुल वृहत्त आय				
मूल के स्वामी		398.50	(10.88)	387.62
गैर नियंत्रण ब्याज		0.56	-	0.56
XII प्रति इक्विटी शेयर आमदनी (निरंतर प्रचालन हेतु)				
(1) मूल		40.32	(1.10)	39.22
(2) विलयित		40.32	(1.10)	39.22

* इस नोट के प्रयोजन हेतु पिछले जीएएपी आंकड़ों को इंड-एस प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के लिए स्वीकार किया गया है।

31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 को कुल इक्विटी का समाधान

(रुपए करोड में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2015
इक्विटी शेयर पूंजी		19.80	19.80
मूल के स्वामियों के प्रति इक्विटी		3,477.00	3,284.65
गैर नियंत्रण ब्याज		21.85	21.28
पिछले जीएएपी के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारक निधि)		3,518.65	3,325.73
समायोजन			
अंतरण की तिथि को प्रभाव का अग्रोषण		168.30	-
पूर्व अवधि समायोजन	2	-	20.13
प्रस्तावित लाभांश और लाभांश कर 15-16	1	107.22	
लाभांश और लाभांश कर 14-15	1	(123.90)	123.90
पट्टा आय पर समायोजन	10	-	0.10
परिशोधित लागत पर बांडों का उचित मूल्य	7	-	0.02
समेकित की विधि में परिवर्तन	14	5.51	(2.14)
प्रावधानों का बट्टा खाता	8	-	20.53
अंतरण पर विनिमय लाभ	9	-	3.63
2015-16 के दौरान ओसीआई सहित लाभ और हानि का प्रभाव		(15.03)	-
कुल इक्विटी (शेयरधारक निधि) इंड-एस के अनुसार		3,660.76	3,491.89
इक्विटी शेयर पूंजी		19.80	19.80
मूल के स्वामियों के प्रति इक्विटी		3,619.11	3,450.81
गैर नियंत्रण ब्याज		21.85	21.28

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल वृहत आय का समाधान

(रुपए करोड में)

विवरण			31 मार्च 2016
पिछले जीएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ			399.06
समायोजन :			
रोजगारपूर्व लाभ दायित्वों का पुनर्निर्धारण	4	1.32	
रोजगारपूर्व लाभ दायित्वों का पुनर्निर्धारण के लिए समायोजन पर कर प्रभाव	13	(0.46)	
पूर्व अवधि समायोजन	2	(13.52)	
वित्तीय माध्यमों के पृथक्कन पर ब्याज आय	5	3.98	
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन	6	11.77	
वित्तीय माध्यमों के पृथक्कन पर ब्याज आय	6	(10.95)	
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन	5	(4.15)	
पट्टा आय के लिए समायोजन	10	0.14	
म्युचुवल फंड से आय	12	0.49	
बांडों पर ब्याज आय	7	-	
प्रावधानों पर रियायत	8	(11.52)	
2015-16 के दौरान किए गए प्रावधान के संवर्धन का बट्टा खाता	8	9.42	
समेकिन की विधि में परिवर्तन	14	4.16	
विनिमय लाभ एवं आस्थगित कर	13,9	29.11	19.79
इंड-एस के अनुसार कर पूर्व लाभ			418.85
अन्य वृहत आय			
(i) (i) मदे जिन्हें लाभ या हानि (कर सहित) में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है		0.86	
(ii) मदे जिन्हें लाभ या हानि (कर सहित) में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है		(31.53)	(30.66)
इंड -एस के अनुसार कुल वृहत आय			388.19

फुट नोट:

1. प्रस्तावित लाभांश

कंपनी उस अवधि के लिए लाभांश हेतु देयता को स्वीकार करेगी (लाभांश वितरण कर सहित) जिस अवधि में लाभांश को शेयरधारकों द्वारा स्वीकार किया गया है। इसलिए, 31.03.2016 को जीएपी के अनुसार प्रस्तावित लाभांश के लिए 107.22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 1 अप्रैल 2015 को सीडीटी सहित 123.90 करोड़ रुपए को रिवर्स किया गया है और उस वर्ष बही में शामिल किया गया है जिस वर्ष इसे वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसलिए, 31-03-2016 को 107.22 करोड़ रुपए तथा 01-04-2015 को 123.90 करोड़ रुपए तक प्रावधान में कमी हुई है, जबकि धारणीय आमदनियों में समान राशि की समवर्ती वृद्धि हुई है।

2. पूर्व अवधि

इंड-एस 8 के अनुसार, लेखांकन नीतियों के कारण लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन हुआ है तथा पूर्व अवधि त्रुटियों को पूर्व प्रभावी पुनर्विवरण द्वारा सही किया जाएगा। 20.54 करोड़ रुपए की पूर्व अवधि आय को वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकार किया गया है और 1 अप्रैल 2015 को पुनःप्रस्तुत किया गया है। इस पुनर्विवरण के परिणामस्वरूप प्रतिधारित आमदनियों में वृद्धि हुई है जिसमें 01.04.2015 को परिसंपत्तियों/देयताओं में 20.54 करोड़ रुपए राशि की समवर्ती वृद्धि हुई है।

31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए 7.03 करोड़ रुपए की पूर्व अवधि आय को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रिवर्स किया गया है, जिसमें से 0.42 करोड़ रुपए के व्ययों को आरंभिक तुलन पत्र में प्रतिधारित आमदनियों में समायोजित किया गया है और 7.45 करोड़ रुपए की आय को परिसंपत्तियों/देयताओं में समवर्ती वृद्धि/कमी के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकार किया गया है (ब्यौरे के लिए नोट 27 का संदर्भ लें)।

3. आस्थगित कर

इंडो-एस के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2016 को 222.31 करोड़ रुपए तथा 1 अप्रैल 2015 को 268.55 करोड़ रुपए की आस्थगित कर सम्पत्तियों को स्वीकार किया है, इसलिए 31 मार्च 2016 को प्रतिधारित आय में 6.05 करोड़ रुपए और 1 अप्रैल 2015 को 5.76 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

4. निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्निर्धारण

इंडो-एस के अंतर्गत, बीमांकित लाभ और (हानि), और इसके कर घटक को पिछले जीएएपी के अंतर्गत अन्य वृहत आय में स्वीकार किया गया है, ये बीमांकित लाभ और (हानि) लाभ और हानि का भाग हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्ययों में कमी हुई है और अन्य वृहत आय में 1.32 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, तथापि इक्विटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

5. वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रतिभूति जमा राशि/प्रतिधारण राशि को 31-03-2016 (01-04-2015 44.71 करोड़ रुपए के उचित मूल्य पर) को 2.54 करोड़ रुपए की परिशोधित लागत पर स्वीकार किया गया है और 31-03-2016 (01-04-2015 5.30 करोड़ रुपए) को 0.27 करोड़ रुपए के अंतर को उचित मूल्य समायोजनों पर स्वीकार किया गया है।

सरकार और अन्य पक्षों के पास प्रतिभूति जमा राशियों को 31-03-2016 (01-04-2015 1.39 करोड़ रुपए के उचित मूल्य पर) को 33.18 करोड़ रुपए की परिशोधित लागत पर स्वीकार किया गया है और 31-03-2016 (01-04-2015 0.52 करोड़ रुपए) को 0.67 करोड़ रुपए के अंतर को उचित मूल्य समायोजनों पर स्वीकार किया गया है।

गैर चालू परिसंपत्तियों का निवल प्रभाव दिनांक 31.03.2016 को 0.66 करोड़ रुपए (01.04.2015 को 3.09 करोड़ रुपए) है और चालू परिसंपत्तियों में यह प्रभाव 6.35 करोड़ रुपए (01.04.2015 को 0.20 करोड़ रुपए) जिसमें पूर्व अवधि समायोजन तथा अंतरण अंतर और अन्य इंडो-एस समायोजन शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने प्रतिभूति जमा राशियों पर 3.98 करोड़ रुपए की ब्याज आय को स्वीकार किया था और उचित मूल्य समायोजनों से 4.15 करोड़ रुपए को परिशोधित किया था। इसके कारण लाभ में 0.18 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

6. वित्तीय देयताएं

व्यापार देय राशियों को 31-03-2016 को 411.48 करोड़ रुपए की परिशोधित लागत पर स्वीकार किया गया है (01-04-2015 को 455.60 करोड़ रुपए के उचित मूल्य पर) और 31-03-2016 को 0.97 करोड़ रुपए के अंतर (01-04-2015 को 3.63 करोड़ रुपए) को अन्य देयताओं में उचित मूल्य समायोजनों के रूप में स्वीकार किया गया है। (उपर्युक्त आंकड़ों में चालू और गैर चालू दोनों शामिल हैं।

जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों को 31-03-2016 को 61.94 करोड़ रुपए की परिशोधित लागत पर स्वीकार किया गया है (01-04-2015 को 60.59 करोड़ रुपए के उचित मूल्य पर) और 31-03-2016 को 34.57 करोड़ रुपए के अंतर (01-04-2015 को 3.63 करोड़ रुपए) को अन्य देयताओं में उचित मूल्य समायोजनों के रूप में स्वीकार किया गया है। (उपर्युक्त आंकड़ों में चालू और गैर चालू दोनों शामिल हैं)।

गैर चालू देयताओं का निवल प्रभाव दिनांक 31.03.2016 को 20.40 करोड़ रुपए (01.04.2015 को 1.58 करोड़ रुपए) है और चालू देयताओं में दिनांक 31.03.2016 को यह प्रभाव 7.21 करोड़ रुपए (01.04.2015 को 13.07 करोड़ रुपए) जिसमें पूर्व अवधि समायोजन तथा अंतरण अंतर शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने वित्तीय देयताओं पर 10.94 करोड़ रुपए की ब्याज आय को स्वीकार किया था और 11.76 करोड़ रुपए को वित्तीय देयताओं और वित्तीय माध्यमों के परिशोधन को स्वीकार किया है। इसके कारण लाभ और हानि पर में 0.82 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ा है।

7. निवेश

करमुक्त बांडों में निवेश को 31.03.2016 को 291.39 करोड़ रुपए पर तथा 01.04.2015 को 166.20 करोड़ रुपए की परिशोधित लागत पर स्वीकार किया गया है तथा 2015-16 को समाप्त वर्ष के दौरान ब्याज आय में 0.003 करोड़ रुपए की समवर्ती वृद्धि तथा दिनांक 01.04.2015 को प्रतिधारण आमदनियों में 0.01 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

8. प्रावधान

प्रावधानों को उचित मूल्य पर स्वीकार किया गया है जहां धन का समय मूल्य तथ्यात्मक है, जिसके कारण प्रतिधारण आमदनियों में 01.04.2015 को 20.53 करोड़ रुपए की कमी हुई है जिसमें विदेशी प्रचालन का अंतरण अंतर तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य प्रचालनिक व्ययों में 9.42 करोड़ रुपए की कमी हुई है (उपर्युक्त आंकड़ों में चालू और गैर चालू आंकड़े शामिल हैं)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 11.52 करोड़ रुपए की ब्याज लागत को प्रावधानों पर रियायत की अनवाइंडिंग के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके कारण लाभ में 2.10 करोड़ रुपए की कमी हुई है।

9. वर्तमान मुद्रा में अंतरण

विदेशी शाखाओं के विनिमय अंतर, जिनकी क्रियात्मक मुद्रा कंपनी की वर्तमान मुद्रा से भिन्न है, को 26.52 करोड़ रुपए पर दिनांक 01.04.2015 को अन्य वृहत आय के रूप में स्वीकार किया गया है और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य वृहत आय (57.46) करोड़ रुपए में स्वीकार किया गया है जिसमें अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं में समवर्ती वृद्धि या कमी हुई है। दिनांक 01.04.2015 को निवल प्रभाव 3.63 करोड़ रुपए है।

10. इंड-एस के अंतर्गत, पट्टा आय को एसएलएम आधार पर स्वीकार किया गया है जहां वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर नहीं है, 0.09 करोड़ रुपए की आय को दिनांक 01.04.2015 को प्रतिधारित आमदनियों के रूप में तथा 0.14 को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य आय के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य इक्विटी और अन्य चालू वरिसंपत्तियों में समान राशि में वृद्धि हुई है।

11. पिछले जीएपी के अंतर्गत, निवेश संपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, इंड-एस के अंतर्गत निवेश संपत्तियों को तुलन पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। इस समायोजन के परिणामस्वरूप कुल इक्विटी और लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12. म्युचुवल फंड में निवेश

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान - + म्युचुवल फंड में निवेश को एफवीटीपीएल पर स्वीकार किया गया है, इसलिए, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य आय में 0.49 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है जिससे म्युचुवल फंड के निवेश में अनुवर्ती वृद्धि हुई है।

13. कर व्ययों में अंतर

कर व्ययों में अंतर, कर मदों का लाभ और हानि से अन्य वृहत आय की मदों में पुन:वर्गीकरण के कारण है, इसका वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इक्विटी पर तथा कर व्ययों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 6.05 करोड़ रुपए के आस्थगित कर व्यय को स्वीकार किया गया है।

14. समेकन की विधि में परिवर्तन :

कुल निकायो को मूल कंपनी द्वारा प्रयोग नियंत्रण की यप्रकृति के आधार पर इंड एस 111 के अंतर्गत संयुक्त उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ /हानि के भाग को लाभ और हानि खाते के समेकित विवरण में स्वीकार किया गया है और निवल परिसंपत्तियों के भाग को इक्विटी विधि के अनुसार समेकित तुलन पत्र में संयुक्त उद्यमों में निवेश के अंतर्गत शामिल किया गया है। आई-जीएपी के अंतर्गत, इन निकायों के वित्तीय विवरणों को रेखा-दर-रेखा आधार पर समेकित किया गया है।

30. क) समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा - 129 (3) की अपेक्षाओं और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, जो 1 अप्रैल 2015 से आरंभ वित्तीय वर्ष से लागू हैं, के आधार पर तैयार किए गए हैं। तदनुसार, कंपनी (जिसे धारक कंपनी भी कहा जाएगा), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम (संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) को समेकित वित्तीय विवरण में निम्नानुसार सम्मिलित किया गया है:

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों का नाम	मूल राष्ट्र	प्रतिशत भाग	
		31.03.2017	31.03.2016
सहायक कंपनियां:			
1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	भारत	100.00 %	100.00%
2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)	भारत	51.00%	51.00%
3. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
3. इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	भारत	100.00%	100.00%
संयुक्त उद्यम:			
1. कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा एसएआरएस (सीसीएफबी)	मोजांबीक	-	25.00%
2. इरकॉन-सोमा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	भारत	50.00%	50.00%
3. छत्तीसगढ़ पूर्वी रेल लिमिटेड (सीईआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
4. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
5. महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
6. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
7. बस्तर रेलवे प्रा.लि. (बीआरपीएल)	भारत	26.00%	-

ख) समेकन के उद्देश्य से निकायों द्वारा प्रयुक्त वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तिथि वही है जो कंपनी की है केवल संयुक्त उद्यम कंपनी कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा एसएआरएस (सीसीएफबी) को छोड़कर जो 31.03.2016 तक कलेंडर वर्ष का अनुसरण करते हैं। दिनांक 22.09.2016 को सीसीएफबी के शेयरों को मोजांबीक सरकार को अंतरित किया गया है।

ग) जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समरूपी लेखांकन नीतियों का प्रयोग करके तैयार किए गए हैं जैसे समान परिस्थितियों में संव्यवहार और समान घटनाएं और इसे पृथक वित्तीय विवरणों के रूप में धारक कंपनी के अनुसार समान रूप से प्रस्तुत किया गया है। धारक कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियों में अंतर, यदि कोई हो, तथ्यात्मक नहीं हैं।

31. आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) आकस्मिक देयताएं:

(ii) कंपनी के प्रति दावों जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

i) 418.82 करोड़ रूपए (2015-16 में 507.80 करोड़ रूपए, 2014-15 में 531.07 करोड़ रूपए) जिसमें निवल प्रावधान के 56.44 करोड़ रूपए (2015-16 में 111.39 करोड़ रूपए, 2014-15 में 8.86 करोड़ रूपए) शामिल हैं। इसके प्रति कंपनी ने 278.24 करोड़ रूपए (2015-16 में 209.38 करोड़ रूपए, 2014-15 में 173.45 करोड़ रूपए) का प्रति दावा किया है। दावे पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ii) कम्पनी के विरुद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से संबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

iii) प्रत्यक्ष कर से संबंधित 141.66 करोड़ रूपए (2015-16 में 261.16 करोड़ रूपए, 2014-15 में 132.66 करोड़ रूपए) जिसमें 64.95 करोड़ रूपए (2015-16 में 64.95 करोड़ रूपए, 2014-15 में 64.95 करोड़ रूपए) जो कंपनी के पक्ष में आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष आयकर विभाग द्वारा दायर अपील से संबंधित हैं।

iv) विवादास्पद अप्रत्यक्ष कर मांगों जिनके लिए अपील की गई है 266.27 करोड़ रूपए (2015-16 में 229.95 करोड़ रूपए, 2014-15 में 186.06 करोड़ रूपए) हैं, जिनमें से शून्य रूपए (2015-16 में 110.14 करोड़ रूपए, 2014-15 में शून्य रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों ने ली है तथा 61.35 करोड़ रूपए (2015-16 में 28.86 करोड़ रूपए, 2014-15 में 114.16 करोड़ रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों से प्राप्त की गई है।

(क) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटियां

संयुक्त व्यवस्थाओं के संबंध में:

- i. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोर्ट्रेक्टर को शून्य रूप (1.24 करोड़ रूप) का इंडैमनिटी बांड।
- ii. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोर्ट्रेक्टर की 4.25 करोड़ रूप (4.25 करोड़ रूप) की बिक्री कर देयता और 1.01 करोड़ रूप (1.01 करोड़ रूप) रूप का सेवा कर।
- iii. मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले में क्रैन्डीय सीमाशुल्क को शून्य रूप (1.54 करोड़ रूप) की निगमित गारंटी।
- iv. इरकॉन-आरसीएस-पिफलिडरर के मामले में 1.40 करोड़ रूप (1.40 करोड़ रूप) की बैंक गारंटी।
- v. मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले में 0.96 करोड़ रूप (1.05 करोड़ रूप) की आयकर देयता।
- vi. मैसर्स साई इंजीनियर्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय मेट्रो सिविल कांटेक्टर के विरुद्ध 0.02 करोड़ रूप (0.02 करोड़ रूप) का वसूली मुकदमा।
- vii. भैरव रेल पुल परियोजना, बांग्लादेश के लिए 25.72 करोड़ रूप (56.60 करोड़ रूप) हेतु इरकॉन-एफकान संयुक्त उद्यम के मामले में बैंक गारंटी।

(ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है:

ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के आवेदन के निपटान के लंबित होने के कारण, कंपनी के ग्राहकों को 9.67 करोड़ रूप (9.27 करोड़ रूप) के स्तर तक तरलता क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आकस्मिक रूप से दायी है।

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तियां:

- i) अपने कुछ ग्राहकों पर इरकॉन द्वारा किए गए दावे और मध्यस्थता द्वारा इरकॉन के पक्ष में दिए जाने के विरुद्ध ग्राहक अदालत में गए, जिन्हें प्राप्य राशियों में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **179.06 करोड़ रूप** (2015-16 के लिए 121.08 करोड़ रूप, 2014-15 के लिए 111.23 करोड़ रूप) जिसमें मध्यस्थता निर्णय के अनुसार 31.03.2017 तक परिकलित ब्याज शामिल है।
- ii) इरकॉन द्वारा उप-ठेकेदारों पर प्रति दावे किए गए और मध्यस्थताओं द्वारा इरकॉन के पक्ष में निर्णय दिया गया जिसके विरुद्ध उपठेकेदार न्यायालय में गए, इस राशि को प्राप्य के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **8.92 करोड़ रूप** (2015-16 के लिए 2.04 करोड़ रूप, 2014-15 के लिए 2.04 करोड़ रूप)।
- iii) बीमा दावा 0.82 मिलियन अमरीकी डालर (0.79 मिलियन अमरीकी डालर) तथा इथोपियन बिरा 0.95 मिलियन (ईटीबी 0.91 मिलियन) समतुल्य 5.50 करोड़ रूप (5.47 करोड़ रूप) इरकॉन के पक्ष में इथोपिया के मानानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 31.03.2017 तक परिकलित ब्याज शामिल है, जिसमें इथोपिया उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन आदेश जारी किया जाना है।

32. प्रतिबद्धताएं:

(क) अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि (अग्रिम का निवल) 875.35 करोड़ रूप (1389.10 करोड़ रूप) है।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों को निधियां/गारंटी उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता:

- i. सहायक कंपनियों, इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल), इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल), इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) को बैंक गारंटी जारी करने के लिए भारतीय ओवरसीज बैंक तथा इंडसिंड बैंक को 150.00 करोड़ रूप (150.00 करोड़ रूप) की काउंटर बैंक गारंटी 150 करोड़ रूप की कुल सीमा में से, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा इंडसिंड बैंक ने क्रमशः 41.52 करोड़ रूप (41.52 करोड़ रूप) तथा शून्य रूप (41.15 करोड़ रूप) की बैंक गारंटी जारी की है। इसलिए, बैंक गारंटी जारी करने की शेष सीमा 108.48 करोड़ रूप (67.33 करोड़ रूप) है।
- ii. छत्तीसगढ़ इस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ़ इस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनियों में क्रमशः 20.42 करोड़ रूप (43.54 करोड़ रूप) और 0.13 करोड़ रूप (0.13 करोड़ रूप) के शेष इकिवटी शेयर (प्रत्येक 26 प्रतिशत) के प्रति अंशदान हेतु।
- iii. छत्तीसगढ़ इस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ़ इस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनियों में क्रमशः 52.00 करोड़ रूप (शून्य रूप) और शून्य रूप (19.50 करोड़ रूप) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।

- iv. संयुक्त उद्यम कंपनी यथा कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फेरो डा बेरा एसएआरएल को शून्य रूप (0.80 करोड़ रूप) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।
- v. संयुक्त उद्यम, इरकॉन-एफकान्स को ऋण पत्र जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 2.26 करोड़ रूप (33.40 करोड़ रूप) की काउंटर बैंक गारंटी।
- vi. संयुक्त उद्यम इरकॉन सोमा टॉलवे प्रा.लि. में कंपनी की वर्तमान धारिता के 21% (प्रत्येक 10 रूप के 1,34,12,700 शेयर) के गैर-निपटान के लिए पंजाब नेशनल बैंक से शपतपत्र, 13.41 करोड़ रूप (13.41 करोड़ रूप)
- vii. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड तथा झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनियों में क्रमशः 1.29 करोड़ रूप (1.29 करोड़ रूप) और 11.70 करोड़ रूप (1.30 करोड़ रूप) के शेष इक्विटी शेयर (प्रत्येक 26 प्रतिशत) के प्रति अंशदान हेतु।
- viii. संयुक्त उद्यम कंपनी, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड में 0.12 करोड़ रूप (1.30 करोड़ रूप) के लिए इक्विटी शेयर (प्रत्येक 26 प्रतिशत) के प्रति अंशदान।
- ix. कंपनी के प्रति ऐसे कतिपय दावे में जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है यथा **860.98 करोड़ रूप** (710.57 करोड़ रूप) निवल प्रावधान **1.13 करोड़ रूप** (शून्य रूप)। यदि कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे सफल हो जाते हैं तो इनका भुगतान ग्राहकों को करना पड़ेगा। इसके विरुद्ध कंपनी का प्रतिदावा है यथा **950.94 करोड़ रूप** (632.82 करोड़ रूप)। दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वे अनिश्चित हैं किन्तु उनका भी पुनर्भुगतान किया जाएगा।

33. धारक कंपनी श्रीलंका परियोजनाओं पर कर हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 0.70 करोड़ रूप (वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु 7.96 करोड़ रूप) के लिए दायी है, जिसकी सीधी प्रतिपूर्ति श्रीलंका रेल द्वारा श्रीलंका इनलैंड राजस्व विभाग को की जाएगी। इसलिए, लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

34.(क) आकलन वर्ष 2000-01 से, धारक कंपनी आज की तिथि तक अर्हत अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजनाओं के संबंध में आयकर रिटर्न में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती का दावा कर रही है।

धारक कंपनी ने आकलन वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08, जिसके संबंध में आयकर विभाग ने सीआईटी/ए द्वारा कटौती की अनुमति प्रदान की है, को छोड़कर सभी आकलन वर्षों के लिए उक्त कटौती के लिए सीआईटी/ए द्वारा अनुमति प्रदान न किए जाने पर आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की है।

तदनुसार, धारक कंपनी ने वित्त वर्ष 2000-2001 से धारा 80-आईए के अन्तर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर का प्रावधान किया है। धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती की गई कुल राशि है 1050.03 करोड़ रूप (1016.32 करोड़ रूप) जिसका कर प्रभाव है 357.22 करोड़ रूप (347.08 करोड़ रूप)। वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिए निपटान अपील के संबंध में आईटीएटी ने 80आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति प्रदान की है। आईटीएटी के निर्णय के अनुसरण में, सीआईटी(ए) ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए कटौती की अनुमति प्रदान की है। इसप्रकार, कटौती की राशि कम होकर 815.98 करोड़ रूप हो गई है जिसका 280.41 करोड़ रूप का कर प्रभाव है।

(ख) धारक कंपनी को भारत में कर के लिए वैश्विक आय की स्थिति प्रदान की गई है। भारत से बाहर इसकी स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को कतिपय निपटान की गई विधिक स्थितियों के अनुसार छूट प्रदान करते हुए कुल आय से अलग रखा गया है क्योंकि ऐसी आय पर स्रोत राष्ट्र द्वारा आयकर लगाया जा सकता है ना कि भारत द्वारा। किन्तु सीटीआई (अपील) भारत से बाहर अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में इरकॉन द्वारा की गई व्यवस्था और विदेशी आय को बाहर रखने के स्थान पर आकलन वर्ष 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए भारत से बाहर भुगतान किए गए कर के लिए ऋण का प्रावधान किया है।

न्यायाधिकारीय डीसीआईटी ने भी समान रूप से आकलन वर्ष 2010-11 से आकलन आरंभ कर दिया है। धारक कंपनी ने विवादास्पद सभी आकलन वर्षों के लिए आयकर अपील अधिकरण को अपील दायर की है।

डीटीए आय के अंतर्गत शामिल सकल कर की राशि 237.89 करोड़ रूप (415.07 करोड़ रूप) है।

35(क) बीओटी आधार पर मोजांबीक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजांबीक के कानूनों के अनुसार निगमित कम्पैनिया डोस कैमिनोस डे फेरो डा बेरा एसएआरएल मोजांबीक(सीसीएफबी) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी में आपकी धारक कंपनी की इक्विटी भागीदारी 25 प्रतिशत की है और इसने गैर चालू निवेश में दर्शाए अनुसार 1.25मिलियन अमरीकी डालर (5.53 करोड़ रूप) का भुगतान किया गया है। अन्य स्टैकधारक हैं राइट्स और सीएफएम, मोजांबीक जिनकी शेयरधारिता क्रमशः 26 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है।

(ख) 8 दिसंबर 2011 को, मोजांबीक सरकार ने एकपक्षीय रूप से रियायत करार को समाप्त कर दिया और परियोजना को अपने हाथ में ले लिया, जो कि कंपनी के विचार से गैर कानूनी था और करार के प्रावधानों के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वरूप, सीसीएफबी ने मोजांबीक सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध मुकदमा किया। अब इस विवाद को निपटान करार के माध्यम से 21 अक्टूबर 2015 को मोजांबीक सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण रूप से सुलझा लिया गया है। निपटान करार के अनुसार, इरकॉन को 40.31 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की किश्तें प्राप्त होंगी। दिनांक 20.01.2016 को इरकॉन के भाग के लिए 17.93 मिलियन अमरीकी डॉलर (121.71 करोड़ भारतीय रुपए के समतुल्य) की प्रथम किश्त प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान 5.595 मिलियन अमरीकी डॉलर (37.27 करोड़ रुपए) की दूसरी किश्त दिनांक 20.10.2016 को प्राप्त हुई है। 5.595 मिलियन अमरीकी डॉलर की शेष तीन किश्तें 18.10.2017, 18.10.2018 तथा 18.10.2019 को देय हैं जिन्हें मोजांबीक सरकार के पुष्ट ऋण पत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

(ग) अप्रिंट भुगतान प्राप्त होने और ऋण पत्र निर्धारित होने के पश्चात कंपनी ने दिनांक 22.09.2016 को कम्पैनिया डोस केमिनोस डे फेरो डा बेरा एसएआरएल मोजांबीक(सीसीएफबी) में अपनी शेयरधारिता को मोजांबीक गणराज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सीएफएम/मोजांबीक पोत तथा रेल कंपनी को कर दिया है। तदनुसार, 1.25 मिलियन अमरीकी डॉलर के इक्विटी निवेश को अंतरित किया गया है और 10.64 मिलियन अमरीकी डॉलर (73.69 करोड़ रुपए) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाभ और हानि विवरण में निवेश की बिक्री पर लाभ के रूप में स्वीकार किया गया है।

36. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/पुनर्विनियोजन/समायोजन के मददेनजर हैं, यदि कोई हो। पक्षों की पुष्टि के लिए समूह को पत्र भेज रही हैं। तथापि, समूह इस संबंध में वसूलनीयता/भुगतान के संबंध में किसी प्रकार के सामग्रीगत विवाद की आशंका नहीं करता है।

ख) प्रबंधन के मतानुसार, वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

37. (क) लाभ और हानि के विवरण में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
i) लाभ या हानि (वित्तीय माध्यम के रूप में स्वीकृत और उचित मूल्य पर मापित को छोड़कर)	(38.35)	134.17
ii) अन्य वृहत आय	16.15	(57.46)
कुल	(22.20)	76.71

(ख) अनहैज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटन:

अनहैज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटन निम्न प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
परिसंपत्तियां :					
ठेकेदारों को अग्रिम					
	डीजेडडी	5.18	3.06	3.71	2.26
	यूरो	-	-	0.01	0.42
	जेडएआर	2.73	13.24	-	-
	एलकेआर	-	-	2.82	1.28
	ईटीबी	0.02	0.06	0.49	1.52
	एमवाईआर	-	-	0.00	0.05
	एनपीआर	1.75	1.10	1.77	1.00
	एमजेडएन	-	-	0.06	0.08
व्यापार प्राप्त					

विवरण	मुद्रा	31मार्च2017को		31मार्च 2016को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
	बीटीएन	2.92	2.92	0.26	0.26
	बीडीटी	-	-	1.65	1.39
	डीजेडडी	19.66	11.65	89.81	54.75
	यूरो	0.13	9.16	1.07	78.39
	एमवाईआर	0.41	6.02	0.40	6.90
	जेडएआर	2.39	11.18	-	-
	यूएसडी	0.91	58.73	0.92	60.90
रोकड एवं बैंक शेष					
	बीटीएन	0.46	0.46	0.90	0.90
	बीडीटी	5.39	4.21	0.93	0.79
	डीजेडडी	125.69	74.16	12.65	7.72
	ईटीबी	-	0.01	-	-
	यूरो	0.44	29.69	0.78	57.79
	एलकेआर	14.81	6.31	45.96	20.86
	एमवाईआर	3.10	45.35	3.97	67.29
	जेडएआर	1.14	5.34	0.19	0.82
	एमजेडएन	-	-	0.03	0.03
	यूएसडी	3.25	208.29	1.17	76.45
अन्य परिसंपत्तियां					
	बीडीटी	2.72	1.64	40.20	24.52
	डीजेडडी	0.07	0.21	0.19	0.59
	ईटीबी	0.05	3.68	0.94	70.02
	यूरो	-	-	7.67	3.48
	एलकेआर	2.58	37.80	0.99	16.75
	जेडएआर	0.16	0.75	-	0.01
	यूएसडी	1.69	108.26	0.52	34.51
	एनपीआर	2.24	1.40	2.24	1.40
देयताएं					
ग्राहकों से अग्रिम					
	बीटीएन	-	-	2.13	2.13
	बीडीटी	115.45	93.61	0.72	0.57
	यूरो	0.07	4.68	0.19	14.41
	जेडएआर	4.36	21.17	-	-
	यूएसडी	0.41	26.62	0.07	4.17
व्यापार देय					
	बीटीएन	0.67	0.67	0.59	0.59
	एयूडी	-	-	0.01	0.71
	बीडीटी	1.37	1.13	-	-
	डीजेडडी	30.44	17.96	25.02	15.26
	यूरो	0.33	22.71	0.82	56.28
	जेपीवाई	0.05	0.03	10.10	5.25
	एलकेआर	-	-	14.27	6.47

विवरण	मुद्रा	31मार्च2017को		31मार्च 2016को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
	एमवाईआर	0.27	3.89	0.48	8.22
	जेडएआर	0.24	1.14	-	-
	एमजेडएन	-	-	4.13	5.35
	यूएसडी	1.84	67.50	1.03	50.42
अन्य देयताएं					
	बीटीएन	0.38	0.38	0.36	0.36
	बीडीटी	3.35	2.70	0.50	0.42
	डीजेडडी	22.59	13.33	14.42	8.80
	ईटीबी	0.10	0.27	0.02	0.06
	यूरो	0.11	7.69	0.09	6.48
	एलकेआर	-	-	9.89	4.49
	एमवाईआर	0.99	14.48	0.03	0.49
	जेडएआर	1.62	7.85	-	-
	यूएसडी	1.08	71.49	1.13	74.67
	एनपीआर	3.15	1.97	0.03	0.02
	आरएम	-	-	1.05	17.83

असम्मिलित विदेशी मुद्रा प्रकटन प्राकृतिक रूप से सम्मिलित हैं।

डीजेडी-अल्जीरियन दिनार, जेडएआर-दक्षिण अफ्रीका रांद, एलकेआर-श्रीलंका रुपी, ईटीपी-इथोपियन बिररा, एमवाईआर-मलेशियन रिनगिट, एनपीआर-नेपाली रुपया, एमजेडएन-मोजांबीयन मेटिकल, बीटीएन-भूटानी न्युल्ट्रम, बीडीटी-बांग्लादेशी टका, एयूडी-आस्ट्रेलियन डॉलर, जेपीवाई-जापानी येन।

38. पट्टे संबंधित प्रकटन

I. प्रचालनिक पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां:

समूह की पट्टा व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग, कार्यालय, गेस्टहाउस तथा ट्रांजिट कैम्पों के लिए परिसरों को प्रचालनिक पट्टे के संबंध में हैं। अधिकतर पट्टा व्यवस्था रद्द किए जाने योग्य हैं और सामान्यतः आपसी सहमति से नवीकृत किये जाते हैं। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतान (शुद्ध वसूलियां) -

रु. 3.75 करोड़ (रु. 4.33 करोड़) (नोट सं.23 पर वेतन और पारिश्रमि सहित)

(ख) कार्यालय परिसरों, गेस्टहाउसों और ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान -

रु. 6.51 करोड़ (रु. 5.16 करोड़) (नोट सं.22 पर प्रचालन एवं प्रशासनिक व्ययों सहित)

II. प्रचालनिक पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां:

(क) समूह ने कतिपय वाणिज्यिक/आवासीय परिसरों को प्रचालनिक पट्टे पर दिया है, जिन्हें संबंधित करारों के अनुसार उपयुक्त नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

(ख) समूह ने दिनांक 31.12.2015 तक विदेशी ग्राहक को वेट लीज आधार पर संयंत्र और मशीनरी (लोकोमोटिव) उपलब्ध कराए हैं।

(ग) समूह ने दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न उप-पट्टाधारकों को 23 बहुउद्देशीय परिसरों को उप-पट्टे पर दिया है। जिनमें से 4 बहुउद्देशीय परिसरों का उप-पट्टा करार समाप्त हो गया है।

(घ) वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा किराये की राशि निम्नानुसार है:

1. गैर आवासीय परिसरों के संबंध में पट्टा किराया - रु. 8.01 करोड़ रुपए (रु. 7.63 करोड़ रुपए) (नोट 21 में विविध आय में शामिल किया गया है)।
2. इंजनों के संबंध में पट्टा किराया - रु. 0.88 करोड़ रुपए (रु. 35.89 करोड़ रुपए) (नोट 20 में इंजन पट्टे में शामिल किया गया है)।
3. 23 एमएफएस के उप-पट्टाकरण के संबंध में पट्टा किराया - रु. 13.66 करोड़ रुपए (रु. 14.75 करोड़ रुपए) (नोट 23 में इंजन पट्टे में शामिल किया गया है)।

(ड.) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालनिक पट्टे के संबंध में 31.03.2017 को प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार है:

(रु.करोड़ में)

प्राप्य पट्टा किराया	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
एक वर्ष के भीतर			
- परिसर	0.35	0.34	शून्य
- इंजन	शून्य	शून्य	33.42
- बहुउद्देशीय परिसर (एमएफसी)	17.20	12.63	13.86
एक वर्ष के पश्चात किन्तु पांच वर्ष से कम			
- परिसर	2.06	0.66	शून्य
- इंजन	शून्य	शून्य	शून्य
- बहुउद्देशीय परिसर (एमएफसी)	80.21	1.70	13.95
पांच वर्ष से अधिक			
- परिसर	1.41	शून्य	शून्य
- इंजन	शून्य	शून्य	शून्य
- बहुउद्देशीय परिसर (एमएफसी)	895.35	शून्य	शून्य

च. वर्ष के दौरान पट्टे पर दी गई संपत्ति का ब्यौरा :

(रु.करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को			01 अप्रैल 2015 को		
	परिसर	इंजन	एमएफसी	परिसर	इंजन	एमएफसी	परिसर	इंजन	एमएफसी
परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि	3.51	30.90	97.27	10.00	35.66	10.00	6.96	35.66	97.27
वर्ष के लिए मूल्यहास	0.07	-	1.99	0.18	-	0.18	0.14	-	1.73
वर्ष के लिए क्षति हानि	-	0.21		-	-	-	-	-	-
संचित मूल्यहास	0.41	29.35	5.35	1.44	33.87	1.44	1.22	33.87	3.35

39. खण्ड रिपोर्टिंग :

क. सामान्य सूचना:

- (i) कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से रिपोर्टेबल प्रचालन सेगमेंट का निर्धारण किया है।
- (ii) कंपनी के जोखिम और पुरस्कार के स्रोत वैश्विक स्तर पर फैली इकाइयों से प्राप्त होते हैं इसलिए, अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं और घरेलू परियोजनाओं को पृथक प्रचालन सेगमेंट माना गया है।
- (iii) प्रचालन सेगमेंटों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप हो।

(iv) इन प्रचालनिक सेगमेंटों की मॉनीटरिंग कंपनी के प्रमुख प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) द्वारा की जाती है और सेगमेंट परिणामों के आधार पर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। सेगमेंट निष्पादन का मूल्यांकन प्रत्येक सेगमेंट के लाभ के आधार पर किया जाता है।

ख. रिपोर्टेबल सेगमेंटों तथा वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि के समाधान के संबंध में सूचना:

(रु.करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
क. टर्नओवर						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	253.80	325.88	2,694.27	2,051.12	2,948.07	2,377.00
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवर में कंपनी का भाग	88.28	83.59	1.62	20.34	89.90	103.93
ब्याज आय	6.97	5.61	201.24	238.87	208.21	244.48
अन्य आय	5.47	93.09	49.68	115.92	55.15	209.01
अंतर:सेगमेंट	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	354.52	508.17	2,946.81	2,426.25	3,301.33	2,934.42
ख. परिणाम						
प्रावधान, मूल्यहास, ब्याज, आवेदिक मद और कर से पूर्व लाभ	12.09	254.30	502.84	450.72	514.93	705.02
घटा: प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	(41.42)	19.80	32.37	3.66	(9.05)	23.46
मूल्यहास, परिशोधन और हानि	7.48	16.79	19.21	14.11	26.69	30.90
ब्याज	-	-	9.65	7.83	9.65	7.83
आपवादिक मदें	(73.69)	-	-	-	(73.69)	-
संयुक्त उद्यम के शेयर में लाभ/ (हानि)	-	-	5.60	5.49	5.60	5.49
कर पूर्व लाभ	119.72	217.71	436.01	419.63	555.73	637.34
कर व्यय	65.56	42.32	105.98	176.18	171.54	218.50
कर पश्चात लाभ	54.16	175.39	330.03	243.45	384.19	418.84

ग. अन्य सूचना

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय			घरेलू			कुल		
	2016-17	2015-16	अप्रैल 2015	2016-17	2015-16	अप्रैल 2015	2016-17	2015-16	अप्रैल 2015
परिसंपत्तियां	659.96	577.51	1,084.22	8,571.44	7,561.89	5,419.54	9,231.40	8,139.40	6,503.76
देयताएं	556.92	527.25	656.99	4,837.76	3,951.41	2,354.88	5,394.68	4,478.66	3,011.87
इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	-	-	239.57	58.08	13.58	239.57	58.08	13.58
वित्तीय माध्यमों, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर अन्य चालू परिसंपत्तियां	48.06	59.30	85.31	1,428.60	771.93	698.73	1,476.66	831.23	784.04

विवरण	अंतरराष्ट्रीय			घरेलू			कुल		
	2016-17	2015-16	अप्रैल 2015	2016-17	2015-16	अप्रैल 2015	2016-17	2015-16	अप्रैल 2015
पूँजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अपूर्ति परिसंपत्तियां)	1.12	0.32	-	530.60	81.18	-	531.72	81.50	-

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना:

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग 38.15% (39.84%) का प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

40. अन्य निकायों से ब्याज

क. संयुक्त व्यवस्था के संबंध में प्रकटन

(क) गैरनिगमित संयुक्त प्रचालन:

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
				2017	2016
1.	इरकॉन एसपीएससीपीएल	जम्मू और कश्मीर, भारत	इरकॉन, भारत	50.00	50.00
			एसपीएससीपीएल, भारत	50.00	50.00
2.	इरकॉन-एफकॉन	बांग्लादेश	इरकॉन, भारत	53.00	53.00
			एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत	47.00	47.00
3.	एक्सप्रेस कंसार्टियम प्रेंट	गुजरात, महाराष्ट्र, भारत	मित्सुई, जापान	51.00	51.00
			इरकॉन, भारत	30.00	30.00
			टाटा प्रोजेक्ट लि., भारत	19.00	19.00
4.	एक्सप्रेस कंसार्टियम प्रेंट प्रेंट	महाराष्ट्र भारत	मित्सुई, जापान	51.00	-
			इरकॉन, भारत	30.00	-
			टाटा प्रोजेक्ट लि., भारत	19.00	-

ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैं:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
				2017	2016
1	रीकॉन	दिल्ली एनसीआर, भारत	इरकॉन, भारत	49.00	49.00
			राइट्स, भारत	51.00	51.00
2	रीकॉन-सीटा एसएआरएल	मोजांबीक	रीकॉन, भारत	शून्य	49.00
			सी इ टी ए, मोजांबिक	शून्य	51.00
3	इरकॉन कोबरा- इलियोप	दिल्ली एनसीआर, भारत	इरकॉन, भारत	61.22	61.22
			कोबरा, स्पेन	34.35	34.35
			इलियोप, स्पेन	4.43	4.43
4	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नै, भारत	इरकॉन, भारत	24.21	24.21
			श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	75.79	75.79
5	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	तमिलनाडु, भारत	इरकॉन, भारत	55.00	55.00
			संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	45.00	45.00
6	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांस्ट्रक्टर (आईएमसीसी)	दिल्ली एनसीआर, भारत	दियदग, जर्मनी	29.00	29.00
			लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत	26.00	26.00
			सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया	26.00	26.00
			शिमिजू कार्पोरेशन, जापान	9.50	9.50
			इरकॉन, भारत	9.50	9.50
7	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दिल्ली एनसीआर, भारत	दियदग, जर्मनी	29.00	29.00
			लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत	26.00	26.00
			सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया	26.00	26.00
			शिमिजू कार्पोरेशन, जापान	9.50	9.50
			इरकॉन, भारत	9.50	9.50
8	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	उत्तर प्रदेश, भारत	इरकॉन, भारत	55.70	55.70
			गन्नौन डंकर्ली	44.30	44.30
9	इरकॉन आरसीएस-फलीडरर	जम्मू और कश्मीर भारत	इरकॉन, भारत	65.08	65.08
			रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत	21.87	21.87
			फलीडरर इन्फ्रास्ट्रक्चर टेकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	13.05	13.05

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां:

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	शेयर व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
				31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैंरा डा बेरा एस एआरएल) मोजांबिक	मोजांबीक	इरकॉन, भारत	-*	25.00
			राइट्स भारत	-	26.00
			सीएफएम, मोजांबिक	-	49.00
2	इरकॉन-सोमा टोलेवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	महाराष्ट्र भारत	इरकॉन, भारत	50.00	50.00
			सोना इंटरप्राइजेज लि. भारत	50.00	50.00

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	शेयर व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
				31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
3	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	छत्तीसगढ़, भारत	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
4	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	छत्तीसगढ़, भारत	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
5	महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	ओडीशा, भारत	इरकॉन, भारत एमसीएल, भारत जीओओ, भारत	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
6	झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	झारखंड भारत	इरकॉन, भारत सीसीएल, भारत जीओजे, भारत	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
7	बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	छत्तीसगढ़, भारत	इरकॉन, भारत एनडीएमसी, भारत सेल, भारत सीएमडीसी, भारत	26.00 43.00 21.00 10.00	- - - -

* 22.09.2016 को अंतरित शेयर

ग. संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में आकस्मिक देयताओं को नोट 31 (ख) में प्रकट किया गया है।

41. संबंधित पक्ष प्रकटन: इंड एस के अनुसार चिह्नित संबंधित पक्ष

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

(i) सहायक कंपनियां:

- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)
- इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)

(ii) संयुक्त उद्यम:

- गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 39(क) के अनुसार।
- संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 39(ख) के समान।

ख. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

निदेशक : श्री एस.के.चौधरी, श्री एम.के.सिंह, श्री दीपक सबलोक तथा श्री हितेश खन्ना,

निदेशक (सरकारी नामिती): श्री राजीव चौधरी, श्री सुखमल चंद जैन।

स्वतंत्र निदेशक: श्री अवनीश माटा, श्री संजय कुमार सिंह, सुश्री वसुधा वी. कामत

कंपनी सचिव - श्रीमती सुमिता शर्मा

ग) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		करारों/व्यवस्थाओं का विवरण
	2016-17	2015-16	
1. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक	नोट सं. 41 के अनुसार		संव्यवहार की प्रकृति
2. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद (सीएसआर व्ययो सहित)/स्थिर परिसंपत्तियों का पट्टा /कोई अन्य संव्यवहार (कृपया स्पष्ट करें)			

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		करारों/व्यवस्थाओं का विवरण
	2016-17	2015-16	संव्यवहार की प्रकृति
संयुक्त उद्यम			
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	0.70	-	प्रदत्त ब्याज
कुल	0.70	-	
3. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ब्याज आय/कोई अन्य संव्यवहार (कृपया स्पष्ट करें)			
संयुक्त व्यवस्था (सहित)			
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	0.03	0.07	परिसरों के लिए किराया
सीसीएफबी (कंपैनिया डोस कमिनोस डे फरो डा बेरा एसएआरएल)	-	25.26	ऋण पर ब्याज
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	130.07	182.30	परामर्श एवं कार्य प्राप्ति
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	6.26	4.92	ऋण पर ब्याज
छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	37.51	22.33	परामर्श एवं प्राप्ति
छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	4.87	0.43	ऋण पर ब्याज
इरकॉन एफकॉन जेवी	0.20	0.78	ऋण पर ब्याज
महानदी कोयला रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	5.54	-	परामर्श और कार्य प्राप्ति
कुल	184.48	236.09	
4. संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश			
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	43.41	39.00	
छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	130.00	-	
महानदी कोयला रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	-	0.01	
बस्तर रेल प्राइवेट लि.(बीआरपीएली)	1.18	-	
झारखंड मध्य रेल लिमिटेड (जेसीआरएल)	1.30	-	
सीसीएफबी	(5.53)	-	विनिवेश
5. संयुक्त व्यवस्थाओं के लिए ऋण			
कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल (सीसीएफबी) - ऋण संवितरण	-	5.05	
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) - ऋण संवितरण	78.00	9.00	
छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल) - ऋण संवितरण	19.50	19.50	
इरकॉन एफकॉन जेवी - ऋण संवितरण	7.50	-	
इरकॉन एफकॉन जेवी - ऋण पुनर्भुगतान	(7.50)	(18.11)	
कुल	97.50		
6. जेवी के प्रतिनियुक्त स्टाफ व्यय, किराया व अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति			
इरकॉन सोमा टोले लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	0.56	0.21	
ट्रस्ट			
इरकॉन उपदान ट्रस्ट	7.82	2.43	प्रतिपूर्ति
इरकॉन कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि ट्रस्ट	28.52	25.99	ट्रस्ट में अंशदान
इरकॉन पेंशन ट्रस्ट	7.61	30.58	ट्रस्ट में अंशदान
इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट	3.38	5.97	ट्रस्ट में अंशदान
कुल	47.89	65.18	

संबंधित पक्षों को/से देय राशियों का प्रकटन

(रु.करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31-03-2017 को	31-03-2016 को
प्राप्य राशि		
संयुक्त उद्यम के बकाया ऋण**	171.44	58.50
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	127.67	39.00
छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	43.77	19.50
(2) संयुक्त व्यवस्थाओं के लिए अन्य सेवाओं, प्रतिपूर्ति आदि हेतु	61.71	80.81
इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	7.71	7.22
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	41.29	67.28
छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	5.29	3.88
रीकॉन	0.44	-
महानदी कोल रेल लि. (एमसीआरएल)	4.72	-
ट्रस्ट		
इरकॉन उपदान ट्रस्ट	2.26	2.43
संयुक्त व्यवस्थाएं के लिए देय राशि		
1) अन्य सेवाओं हेतु	65.06	18.48
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	28.15	18.48
छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	18.57	-
इरकॉन एफकॉन जेवी	7.80	-
महानदी कोल रेल लि. (एमसीआरएल)	0.02	-
2) अग्रिम कार्य प्राप्तियां		
महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	5.52	-
3) अग्रिम प्राप्तियां		
झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	5.00	-

**** संचित ब्याज सहित**

घ) संबंधित सरकारी निकायों के साथ संव्यवहार

उपर्युक्त प्रस्तुत संव्यवहारों के अतिरिक्त, कंपनी के सरकारी निकायों से संबंधित संव्यवहार हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु उन तक ही सीमित नहीं हैं:

सरकार का नाम: रेल मंत्रालय, भारत सरकार (कंपनी पर महत्वपूर्ण नियंत्रण)

कतिपय महत्वपूर्ण संव्यवहार और अंत शेष:

वर्ष के दौरान संव्यवहार :

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
i)	बिक्री	1265.20	1095.33
ii)	ब्याज आगे दिया गया	159.36	54.96
iii)	प्रदत्त लाभांश	183.73	181.63

नोट: क्रय विविध प्रकृति की हैं, इसलिए अनावश्यक हैं। इसलिए इसे प्रकट नहीं किया गया है।

अंतशेष:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2016-17	2015-16
i)	प्राप्य	88.16	217.58
ii)	बिल योग्य राजस्व/प्राप्य जो देय नहीं	68.50	140.06
iii)	वसूलीयोग्य दावे	0.87	2.86
iv)	प्राप्त अग्रिम	3247.36	2545.32
v)	अग्रिम कार्य प्राप्तियां	0.38	-

42. निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक विवरण निम्न प्रकार है :-

(रु.करोड़ में)

क्रसं	विवरण	2016-17	2015-16
I	वेतन और भत्ते*	1.51	1.74
II	भविष्य निधि में अंशदान	0.14	0.20
III	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	0.03	0.03
IV	बैठक शुल्क	0.07	0.00
IV	अन्य लाभ	0.33	0.27
	कुल	2.08	2.24

* वर्ष 2016-17 के आंकड़ों में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए रु 0.30 करोड़ रुपए के पीआरपी (14-15) शामिल हैं, जबकि 2015-16 में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 0.47 करोड़ रुपए का पीआरपी (13-14) शामिल है।

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

43. वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 द्वारा एस 28 अधिसूचना परिसंपत्तियों का ह्रास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्ध राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसंपत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है। ह्रास हानि 1.26 करोड़ रुपए (0.002 करोड़ रुपए) है।

तदनुसार, 1.26 करोड़ रुपए (0.002 करोड़ रुपए) के परिशोधन घाटे के लिए प्रावधान किया गया है।

44. कर्मचारी लाभ पर एस-19 के अंतर्गत प्रकटन,

भविष्य निधि

धारक कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने ट्रस्ट में 10.84 करोड़ रुपए (10.14 करोड़ रुपए) का अंशदान किया है।

उपदान

धारक कंपनी ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में धारक कंपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 में सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। ट्रस्ट का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जा रहा है। 31.03.2017 को 0.88 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को बीमांकन आधार पर लेखा बहियों में बुक किया गया है।

पेंशन

धारक कंपनी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक कंपनी में 15 वर्ष की सेवा (अन्य सीपीएसई में सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेंशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 में सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। 01.04.2016 से 28.02.2017 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए 6.13 करोड़ रुपए धारक कंपनी के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2016-17 के दौरान लेखांकित किया गया है। मार्च 2017 में 0.51 करोड़ रुपए (0.50 करोड़ रुपए) की देयता के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

धारक कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 8.32 करोड़ रुपए (4.20 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान किया है।

छुट्टी नगदीकरण

धारक कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है, केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर। चूंकि, विदेशी कार्यों को अकार्य दिवस माना जाता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के प्रति दायित्व के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया जाता है क्योंकि इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को वापस आने पर किया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खात के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

(i) सेवा लागत

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	चालू सेवा लागत	3.55 (3.57)	3.39 (4.69)	0.01 (0.01)	2.63 (2.49)
ख)	विगत सेवा लागत, लाभ/ हानियों की कटौती सहित	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ग)	गैर-नियमित निपटानों पर लाभ या हानियां	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
घ)	आरंभ में एचपीएल अवकाश दिन शेष में अंतर	- -	(26.66) (--)	- -	- -
ड.)	कुल	3.55 (3.57)	(23.27) (4.69)	0.01 (0.01)	2.63 (2.49)

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(ii) निवल ब्याज लागत

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	निर्धारित लाभ दायित्वों पर ब्याज लागत	5.40 (5.30)	4.07 (6.39)	0.02 (0.01)	5.35 (4.11)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय (संभावित)	5.02 (--)	-- (--)	-- (--)	4.45 (4.00)
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	0.38 (5.30)	4.07 (6.39)	0.02 (0.01)	0.89 (0.86)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(iii) वर्तमान लाभ दायित्वों में परिवर्तन

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	72.06 (66.31)	80.90 (79.90)	0.23 (0.13)	71.27 (60.84)
ख)	आरंभ में एचपीएल अवकाश दिन शेष में अंतर	- -	(26.66) (--)	- -	- -
ग)	ब्याज लागत	5.40 (5.30)	4.07 (6.39)	0.02 (0.01)	5.35 (4.87)
घ)	सेवा लागत	3.55 (3.57)	3.39 (4.69)	0.01 (0.01)	2.63 (2.49)
ड.)	प्रदत्त लाभ	(5.56) ((4.65))	(4.90) ((5.65))	(0.08) ((0.21))	(1.11) ((1.73))
च)	दायित्वों पर कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	(4.57) (1.54)	(2.66) ((4.43))	0.16 (0.30)	3.82 (4.80)
छ)	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	70.88 (72.06)	80.90 (52.73)	0.33 (0.23)	81.95 (71.27)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(iv) दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	बीमांकित अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकित (लाभ) हानि	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकित (लाभ) हानि	-- (1.89)	-- (3.01)	-- (--)	-- (4.30)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकित (लाभ) हानि	(4.57) ((0.36))	(2.56) ((7.44))	0.16 (0.38)	3.82 (0.41)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(v) योजना परिसंपत्ति पर बीमांकित (लाभ)/हानि

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अनुमानित ब्याज आय	5.02 (--)	-- (--)	-- (--)	4.45 (4.00)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	5.56 (3.08)	-- (--)	-- (--)	5.46 (5.05)
ग)	एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	(0.29) (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
घ)	परिसंपत्ति पर बीमांकक लाभ(हानि)	0.24 (3.08)	-- (--)	-- (--)	1.00 (1.05)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(vi) तुलनपत्र और संबंधित विश्लेषण

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	70.88 (72.06)	54.24 (80.90)	0.33 (0.23)	81.95 (71.27)
ख)	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	71.77 (66.96)	-- (--)	-- (--)	67.11 (59.38)
ग)	तुलन पत्र में गैर वित्तपोषित देयता/प्रावधान	0.87 ((5.11))	(54.24) ((80.90))	(0.33) ((0.23))	(14.83) ((11.89))
घ)	तुलन पत्र में स्वीकार गैरवित्तपोषित देयता	0.87 ((5.11))	(54.24) ((80.90))	(0.33) ((0.23))	(14.83) ((11.89))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(vii) आय विवरण में स्वीकार राशियां

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	सेवा लागत	3.55 (3.57)	(23.27) (4.69)	0.01 (0.01)	2.63 (2.49)
ख)	निवल ब्याज लागत	0.38 (5.30)	4.07 (6.39)	0.02 (0.01)	0.89 (0.86)
ग)	अवधि के लिए स्वीकार निवल बीमांकक लाभ(हानि)	-- (--)	(2.56) ((4.43))	-- (--)	-- (--)
घ)	आयकर विवरण में स्वीकार आय	3.93 (8.87)	(21.75) (6.65)	0.03 (0.02)	3.52 (3.36)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(viii) अन्य वृहत आय (ओसीआई)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	निवल संचित अस्वीकार्य बीमांकक लाभ(हानि) आरंभिक	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकक लाभ(हानि)	4.57 ((1.54))	-- (--)	(0.16) ((0.30))	(3.82) ((4.80))
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकक लाभ(हानि)	0.24 (3.08)	-- (--)	-- (--)	1.01 (1.05)
घ)	वर्ष के अंत में गैर स्वीकार्य बीमांकक लाभ(हानि)	4.81 (1.54)	-- (--)	(0.16) ((0.30))	(2.81)** ((3.75))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

**2.81 करोड़ रुपए के गैर स्वीकार्य बीमांकक घाटे में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के प्रति 2.97 करोड़ रुपए का घाटा और निपटान भत्ते के प्रति देयता के संबंध में 0.16 करोड़ रुपए का लाभ शामिल है। चूंकि पीआरएमबी के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

(ix) योजना परिसंपत्ति में परिवर्तन

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	66.96 (--)	-- (--)	--	59.38 (50.05)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	5.56 (3.08)	-- (--)	--	5.46 (5.05)
ग)	एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	(0.30) (--)	-- (--)	--	-- (--)
घ)	नियोक्ता अंशदान	5.11 (66.31)	-- (--)	--	3.38 (5.97)
ड.)	प्रदत्त लाभ	(5.56) ((2.43))	-- (--)	--	(1.10) ((1.70))
च)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	71.77 (66.96)	-- (--)	--	67.12 (59.38)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(x) योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)
ग)	उच्च गुणवत्ता निगमित बांड	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)
ड.)	संपत्ति	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)
च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	100% (100%)	-- (--)	--	100% 100%
छ)	बैंक शेष	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)
	कुल	100%		--	100%

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(xi) निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	5.11 (66.31)	80.90 (79.90)	0.23 (0.13)	11.89 (10.79)
ख)	सेवा लागत	3.55 (3.57)	(23.26) (4.69)	0.01 (0.01)	2.63 (2.49)
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	0.38 (5.30)	4.07 (6.39)	0.02 (0.01)	0.89 (0.86)
घ)	पुनर्मापन	(4.81) ((1.54))	(2.56) ((4.43))	0.16 (0.30)	2.81 (3.75)
ड.)	निधि में प्रदत्त अंशदान	(5.11) ((66.31))	-- (--)	-- (--)	(3.38) ((5.97))
च)	उद्यमी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-- (2.22)	(4.90) ((5.65))	(0.08) ((0.21))	(0.02) ((0.03))
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(0.87) (5.11)	54.24 (80.90)	0.33 (0.23)	14.83 (11.89)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(xii) चालू और गैर चालू श्रेणी में वर्ष के अंत में बीपीओ का द्विभाजन

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
1) क)	चालू देयता (एम वर्ष के भीतर देय राशि)	7.31 (7.49)	4.52 (8.11)	0.03 (0.03)	2.01 (1.15)
2) ख)	गैर चालू देयता (एक वर्ष से ऊपर देय राशि)	63.57 (64.57)	49.72 (72.79)	0.30 (0.20)	79.93 (70.12)
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	70.88 (72.06)	54.24 (80.90)	0.33 (0.23)	81.95 (71.27)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(xiii) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनुमानित अंशदान

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	सेवा लागत	3.73 (3.42)	3.70 (4.93)	0.02 (0.01)	2.82 (2.69)
ख)	निवल ब्याज लागत	(0.07) (2.22)	4.07 (6.07)	0.03 (0.01)	4.39 (4.20)
ग)	अवधि के लिए स्वीकार्य निवल बीमांकक (लाभ)/हानि	-- (--)	1.90 (2.07)	-- (--)	-- (--)
घ)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनुमानित व्यय	3.67 (5.64)	9.66 (13.06)	0.05 (0.02)	7.22 (6.89)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(xiv) परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदी विश्लेषण

(क) रियायती दर पर परिवर्तन का प्रभाव

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	70.89	54.25	0.33	81.95
i)	0.50%की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1.70)	(2.12)	(0.01)	(5.80)
ii)	0.50%की कम के कारण प्रभाव	1.75	2.28	0.01	7.25

(ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	70.89	54.25	--	--
i)	0.50%की वृद्धि के कारण प्रभाव	1.74	2.26	--	--
ii)	0.50%की कम के कारण प्रभाव	(1.70)	(2.12)	--	--

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रकाष्ठ () में दर्शाया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों को पृथक रूप से दर्शाया जा सके।)

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेशनों की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रूप में लागू नहीं है।

(xv) बीमांकक अनुमान

(ii) प्रयुक्त विधि	अनुमानित इकाई ऋण विधि
(iii) रियायती दर	7.50 %
(iv) क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि दर	8.00 %
(v) सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत शेष आयु	12.19 से 12.23 वर्ष
(vi) लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	10.05 से 10.14 वर्ष

45. प्रगतिरत संविदाओं के लिए संविदाओं से राजस्व पर इंड एस-11 के अंतर्गत प्रकटन*

- क) संविदा राजस्व के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधि : समापन का प्रतिशत।
 ख) प्रगतिरत संविदाओं के समापन के स्तरों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधि : अनुपात
 ग) अन्य ब्यौरा:

(रुपए करोड़ में)

ब्यौरा	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
क) अवधि में राजस्व के रूप में स्वीकृत संविदा राजस्व	2792.46	2829.56
ख) वहन की गई लागत की सकल राशि और स्वीकृत लाभ (घटा: स्वीकृत घाटे)	12967.41	19547.91
ग) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	3288.64	837.85
घ) प्रतिधारण राशियां (ग्राहकों द्वारा)	50.05	99.63
ड.) संविदा कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकली राशि	305.65	479.13

* 31.03.2017 को समाप्त परियोजनाओं को छोड़कर

46. समूह को अपने आपूर्तिकर्ताओं से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमडी) अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इस सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2017 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोई राशि देय नहीं है।

47. (i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च की जानो वाली अपेक्षित सकल राशि **6.87 करोड़ रुपए** (6.13 करोड़ रुपए)।

(ii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए अपेक्षित 6.87 करोड़ रुपए (6.13 करोड़ रुपए) की राशि में से 5.92 करोड़ रुपए (6.25 करोड़ रुपए) खर्च किए हैं।

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2016-17	2015-16
1.	भुखमरी, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख तथा स्वच्छता का संवर्धन तथा स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना।	1.45	4.90
2.	व्यावसायिक कौशलों को प्रोत्साहित करने वाली विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा का संवर्धन, विशेष रूप से बच्चों हेतु।	0.84	0.94
3.	महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए होम तथा हॉस्टलों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्डएज होम की स्थापना, डे-केयर केन्द्रों तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था।	0	0.18
4.	पर्यावरणीय धारणीयता को सुनिश्चित करना।	3.18	0.05
5.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं।	0.46	0.18
	कुल	5.92	6.25

(iii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	रोकड़ में	रोकड़ में भुगतान किया जाना है	कुल
1.	परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण*	1.07	-	1.07
2.	अन्य प्रयोजन	4.85	-	4.85

* खरीदी गई परिसंपत्तियों को संबंधित संगठनों को सौंपा गया और इसे कंपनी द्वारा नहीं रखा गया है।

(iv) अभी किए जाने वाले सीएसआर व्यय 0.95 करोड़ रुपए।

48. प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता है।

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
मूल ईपीएस		
निरंतर प्रचालनों से	38.81	42.32
बंद प्रचालनों से	-	-
विलयित ईपीएस*	38.81	42.32

*विलयित ईपीएस राशियां मूल ईपीएस के समान ही होती हैं क्योंकि कंपनी के कोई विलेय संभावित इक्विटी शेयर नहीं हैं।

निम्नलिखित मूल ईपीएस परिकलनों में प्रयुक्त आय और शेयर डाटा को प्रदर्शित करते हैं:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
ईपीएस के परिकलन में प्रयुक्त कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य लाभ:		
निरंतर प्रचालनों से	384.19	418.84
बंद प्रचालनों से	-	-
प्रति शेयर मूल आमदनियों के लिए इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ	384.19	418.84

निम्नलिखित मूल ईपीएस के परिकलन में प्रयुक्त वेटेज औसत संख्या के शेयरों को प्रदर्शित करता है:

(शेयरों की संख्या)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	98980000	19796000
विलयन का प्रभाव :		
विलयन के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	98980000	19796000

* वर्ष के दौरान ट्रेजरी शेयर संव्यवहारों में परिवर्तन के भारित औसत प्रभाव के लिए शेयरों के भारित औसत संख्या को ध्यान में रखा जाता है। रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित कोई अन्य संव्यवहार नहीं हुए हैं।

49. 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान धारित तथा संव्यवहारित विशिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एसबीएन	अन्य अंक के नोट	कुल
08.11.2016 को उपलब्ध समापन रोकड़	0.0810	0.0190	0.1000
(+) अनुमत प्राप्तियां	0.0014*	0.4160	0.4174
(-) अनुमत भुगतान	-	0.3550	0.3550
(-) बैंकों में जमा राशियां	0.0824	0.0020	0.0844
30.12.2016 को उपलब्ध समापन रोकड़	-	0.0780	0.0780

*विमोद्रीकरण के पश्चात स्टाफ इम्प्रेस्ट को वापस किया गया।

50. सेवा रियायत करार (एससीए)

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत करारों को परिशिष्ट-क - सेवा रियायत करारों (इंड एस-11) के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। परिशिष्ट-क लागू होगा यदि:

- क) अनुदाता अवसंरचना के साथ प्रचालक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को नियंत्रित या विनियमित करता है, इन सेवाओं को किस प्रदान किया जाएगा और किस कीमत पर, और
- ख) अनुदाता इस करार की अवधि समाप्त होने पर अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित को स्वामित्व, लाभार्थी पात्रता के माध्यम से या अन्यता नियंत्रित करता है।

यदि उपर्युक्त दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं तो, अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जिस स्तर तक प्रचालक जन सेवा के प्रयोक्ता से प्रभार वसूलने का अधिकार रखती है, बशर्ते ये प्रभार प्रयुक्त सेवा के स्तर पर शर्तगत हो।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों को आरंभिक रूप से लागत पर स्वीकार किया जाता है, जो कि उपलब्ध सेवा के उचित मूल्य जमा प्रचालन से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में स्वीकार्य है। इन्हें तत्पश्चात रियायत की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

समूह ने शिवपुरी -गूना खंड को चार लेन का बनाने और फलौंदी-बीकानेर खंड को चार लेन का बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत करार पर प्रवेश किया है, जिसकी शर्तों के अनुसार एनएचएआई (अदाता) ने परियोजनाओं के विकास, वित्तीयन, अभिकल्प, इंजीनियर, प्रापण, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण करने तथा इस परियोजना के समापन पर अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकार प्राधिकारों तथा पात्रताओं के प्रयोग तथा/या लाभ प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया है। उक्त करार की शर्तों के अनुसार समूह का शिवपुरी गूना खंड को चार लेन का बनाने और फलौंदी बीकानेर खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा करने और सभी पनियोजना परिसंपत्तियों, जिनका जीवनकाल समाप्त हो गया है, सहित परियोजना परिसंपत्तियों को उचित क्रियाशील स्थिति में रखने का का दायित्व है।

नियुक्ति तिथि से आरंभ होते हुए रियायत अवधि शिवपुरी गूना परियोजना के लिए 20 वर्ष तथा फलौंदी बीकानेर परियोजना के लिए 26 वर्ष होगी। रियायत अवधि के समाप्त होने पर, परिसंपत्तियों को वापस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को अंतरित किया जाएगा।

करार की शर्तों में तथ्यात्मक उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और समूह को करार समाप्त करने का अधिकार है, यदि वे ऐसे करार के अनुसार मतभेद के समाधान में संभव नहीं होते हैं।

समूह ने सेवा रियायत करार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर **472.29 करोड़ रुपए** (54.62 करोड़ रुपए) के राजस्व को स्वीकार किया है। समूह ने सेवा रियायत करार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर **16.32 करोड़ रुपए** (1.94 करोड़ रुपए) के लाभ को स्वीकार किया है। सेवा रियायत करार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के संबंध में स्वीकार राजस्व सेवा रियायत करार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के प्रति उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य को प्रदर्शित करता है। समूह ने निर्माण के प्रक्रिया आरंभ होने से अबतक टोल सड़कों के प्रचालन से किसी राजस्व को स्वीकार नहीं किया है।

- 51. वर्ष के दौरान, धारक कंपनी ने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन की लागत के उपचार से संबंधित अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए व्यय में 0.10 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है और वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में 0.10 करोड़ रुपए की कमी हुई है।
- 52. कंपनी ने तीन देशों में क्रियान्वित की जा रही विदेशी परियोजनाओं के लिए सविदाएं प्राप्त करने और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एजेंटों/परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। एजेंट/परामर्शदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के आकलन के लंबित होने के कारण, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1.36 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.44 करोड़ रुपए) सहित 3.80 करोड़ रुपए के समेकित व्ययों को लेखांकित नहीं किया है।
- 53. पटना क्षेत्र के अंतर्गत एक परियोजना में प्रबंधक के अनुमोदन के अनुसार 14.5 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत के आवधिक दर पर 2.51 करोड़ रुपए की राशि के वापस न किए गए इस्पात पर पर्यवेक्षक प्रभारों के वसूले गए/वसूली योग्य देय राशियों को रिमिट किया है। इसके अतिरिक्त 4.48 करोड़ रुपए की राशि के निर्णीत हर्जानों को छोड़ दिया गया था और 3.52 करोड़ रुपए की राशि के वृद्धि दावों को ठेकेदार को पक्ष में छोड़ दिया गया था। प्रबंधन का विचार है कि यह मामले के गुणदोष पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अनुसार, सविदा के प्रावधानों के अनुसार है।

ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	रुपए करोड़ में
1.	पर्यवेक्षण प्रभार	2.51
2.	निर्णीत हर्जाने	4.48
3.	अन्य प्रभार	0.16
4.	नियंत्रणरहित वृद्ध दावा	3.52

54. वित्तीय गारंटी

क) धारक कंपनी ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी, इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रियायत करार के समाप्त होने पर अपने देयों में कमी, यदि कोई हो, को 50 प्रतिशत पूरा करने के लिए प्राप्त किए गए दीर्घकालीन ऋण सुविधा के संबंध में पंजाब नेशनल बैंकको वित्तीय गारंटी जारी की है कि 31.03.2017 को बकाया ऋण 63.07 करोड़ रुपए (113.15 करोड़ रुपए है)। रियायत करार के अनुसार, यदि आईएसटीपीएल को आरोग्य कारणों से करार समाप्त होता है तो, धारक कंपनी को बकाया ऋण का भुगतान करने को कहा जाएगा जो कि 31.03.2017 को 6.31 करोड़ रुपए (11.32 करोड़ रुपए है)। उक्त वित्तीय गारंटी को इंड एस-109 के अनुसार स्वीकार किया गया है।

ख) समूह समेकित वित्तीय विवरणों में समान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करता है जैसे आईएसटीपीएल के मामले को छोड़कर समान परिस्थितियों में संव्यवहार और घटनाएं, जहां उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी लेखांकन मानक-109 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार वित्तीय गारंटी नीति लागू नहीं करती है।

तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों में उपयुक्त समायोजन किए गए हैं और निम्नलिखित राशियों को स्वीकार नहीं किया गया है:

आईएसटीपीएल में निवेश : 0.28 करोड़ रुपए (0.28 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 0.28 करोड़ रुपए दिनांक 01.04.2015 को), अन्य वित्तीय देयताएं : 0.04 करोड़ रुपए (0.13 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 0.28 करोड़ रुपए दिनांक 01.04.2015 को) और अन्य आय: 0.09 करोड़ रुपए (0.15 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2015-16 में)।

55. रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात होने वाली घटनाएं

(क) निदेशकों द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश के लिए नोट 14 का संदर्भ लें, जो आगामी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।

(ख) वर्ष की समाप्ति के पश्चात, प्राधिकृत शेयर पूंजी में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि को दिनांक 22.05.2017 को आयोजित असाधारण बैठक में अनमोदित किया गया है।

56. जारी मानक किन्तु जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रभावी नहीं हैं।

(क) इंड एस 115 - ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व :

एमसीए ने फरवरी 2015 में ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व पर इंड एस115 को अधिसूचित किया था। इस मानक में एक नया पांच चरणीय मॉडल स्थापित किया गया है जो इंड एस 115 के अंतर्गत ग्राहकों के साथ संविदा से उत्पन्न राजस्व पर लागू होगा, राजस्व को उस राशि पर स्वीकार किया जाएगा जो उस तथ्य को प्रदर्शित करेगी जिसके आधार पर निकाय ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के अंतरण के लिए विनिमय में पात्र होंगे। इंड एस 115 के सिद्धांत राजस्व के मापन और उसे स्वीकार करने के लिए अधिक व्यवस्थित परिदृश्य उपलब्ध कराते हैं। नया राजस्व मानक सभी निकायों पर लागू होगा और और इंड एस के अंतर्गत अपेक्षित सभी चालू राजस्व स्वीकृतियों का अधिक्रमण करेगा।

इंड एस 115 की प्रभावी तिथि अनुमत पूर्व अंगीकरण के साथ 1 जनवरी 2018 को या पश्चात आरंभ होने वाली वार्षिक अवधियां होंगी। कंपनी को 1 अप्रैल 2018 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष द्वारा इस मानक को स्वीकार करना अपेक्षित होगा। कंपनी वर्तमान में इंड एस की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के विषय में अभी निश्चित नहीं है।

(ख) इंड एस 7 रोकड़ प्रवाह विवरण में संशोधन:

इंड एस 7 में संशोधन के लिए निकायों को प्रकटन उपलब्ध कराने होंगे जो प्रकटन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय

गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए अधशेष तथा अंतशेष के बीच समाधान के समावेशन के सुझाव सहित रोकड़ प्रवाह तथा गैर रोकड़ परिवर्तनों से उत्पन्न दोनों परिवर्तनों सहित वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ता के लिए उपलब्ध हो।

कंपनी संशोधन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

57. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनःसमूहित, पुनःव्यवस्थित तथा पुनःनिर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग दर्शाने के लिए उन्हें कोष्ठक में प्रस्तुत किया गया है।

नोट 58

(i) भारतीय लेखा मानक (इंड एस-112) के अनुसरण में प्रकटन : अन्य निकायों में हित का प्रकटन : संयुक्त उद्यम

(क) संयुक्त उद्यम (उद्यमों) के सारबद्ध तुलनपत्र

रुपए करोड़ में

विवरण	बस्तर रेल प्रा.लिमिटेड			छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)			छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)		
	31-3-2017 को	31-03-2016 को	01-04-2015 को	31-3-2017 को	31-03-2016 को	01-04-2015 को	31-03-2017 को	31-3-2016 को	01-04-2015 को
गैर चालू परिसंपत्तियां	10.23	-	-	786.45	357.04	132.10	302.21	72.27	4.67
चालू परिसंपत्तियां	3.09	-	-	81.59	22.52	6.61	399.38	14.34	0.15
कुल परिसंपत्तियां (क)	13.32	-	-	868.04	379.56	138.71	701.59	86.61	4.82
गैर चालू देयताएं	-	-	-	189.16	170.04	129.23	167.16	77.37	-
चालू देयताएं	9.81	-	-	373.29	70.73	5.61	30.68	5.42	0.94
कुल देयताएं (ख)	9.81	-	-	562.45	240.77	134.84	197.84	82.79	0.94
निवल परिसंपत्तियां (क-ख)	3.51	-	-	305.59	138.79	3.87	503.75	3.82	3.88
क) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य सहित	3.09	-	-	76.83	12.18	6.57	386.21	14.23	0.13
ख) इसमें वित्तीय देयताएं शामिल हैं (व्यापार देय और अन्य देय, प्रावधानों को छोड़कर)	9.81	-	-	560.98	237.07	134.20	193.94	82.26	0.93

रुपए करोड़ में

विवरण	इरकॉन - सोमा टोलवे प्रा. लिमिटेड			झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)			महानदी कोल रेल लि. (एमसीआरएल)		
	31-03-2017 को	31-3-2016 को	01-04-2015 को	31-3-2017 को	31-03-2016 को	01-04-2015 को	31-03-2017 को	31-3-2016 को	01-04-2015 को
गैर चालू परिसंपत्तियां	559.81	619.18	688.94	180.58	-	-	14.20	2.08	-
चालू परिसंपत्तियां	17.06	48.23	64.12	27.67	-	-	0.03	0.05	-
कुल परिसंपत्तियां (क)	576.87	667.41	753.06	208.25	-	-	14.23	2.13	-
गैर चालू देयताएं	503.20	550.83	603.14	175.58	-	-	-	-	-
चालू देयताएं	28.23	82.83	127.23	-	0.06	-	14.19	2.09	-
कुल देयताएं (ख)	531.43	633.66	730.37	175.58	0.06	-	14.19	2.09	-
निवल परिसंपत्तियां (क-ख)	45.44	33.75	22.69	32.67	(0.06)	-	0.04	0.04	-
क) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य सहित	6.94	32.78	57.16	-	-	-	0.01	0.05	-
ख) इसमें वित्तीय देयताएं शामिल हैं (व्यापार देय और अन्य देय, प्रावधानों को छोड़कर)	471.24	544.37	603.29	-	-	-	9.68	2.08	-

(ख) संयुक्त उद्यम (उद्यमों) के सारबद्ध लाभ और हानि विवरण

रुपए करोड़ में

विवरण	बस्तर रेल प्रा.लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेल लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय	0.02	-	-	-	0.01	0.01
अन्य आय	-	-	-	-	-	-
मूल्यहास एवं परिशोधन	-	-	-	-	-	-
ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-
आयकर	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	(0.09)	-	(0.15)	(0.08)	(0.07)	(0.06)
अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-
कुल वृहत आय	(0.09)	0.00	(0.15)	(0.08)	(0.07)	(0.06)

रुपए करोड़ में

विवरण	इरकॉन - सोमा टोलवे प्रा. लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)		महानदी कोल रेल लि. (एमसीआरएल)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	153.34	157.23	-	-	-	-
ब्याज आय	2.90	8.19	0.38	-	-	-
अन्य आय	1.65	42.38	-	-	-	-
मूल्यहास एवं परिशोधन	58.31	58.80	-	-	-	-
ब्याज व्यय	56.15	62.78	0.21	-	-	-
आयकर	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	11.70	11.06	(0.58)	(0.06)	-	-
अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-
कुल वृहत आय	11.70	11.06	(0.58)	(0.06)	-	-

(i) भारतीय लेखा मानक (इंड एस-112) के अनुसरण में प्रकटन : अन्य निकायों में हित का प्रकटन : संयुक्त उद्यम

(ग) संयुक्त उद्यमों की प्रतिधारण राशियों का समायोजन

रुपए करोड़ में

विवरण	बस्तर रेल प्रा.लिमिटेड			छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)			छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेल लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)		
	31-3- 2017 को	31-03- 2016 को	01-04- 2015 को	31-3- 2017 को	31-03- 2016 को	01-04- 2015 को	31-3- 2017 को	31-03- 2016 को	01-04- 2015 को
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	-	-	-	138.79	3.87	3.87	3.82	3.88	3.88
वर्ष के लिए लाभ	(0.09)	-	-	(0.15)	(0.08)	-	(0.07)	(0.06)	-
प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि	2.43	-	-	166.95	135.00	-	500.00	-	-
अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय माध्यमों को घटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विवरण	बस्तर रेल प्रा.लिमिटेड			छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)			छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेल लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)		
	31-3- 2017 को	31-03- 2016 को	01-04- 2015 को	31-3- 2017 को	31-03- 2016 को	01-04- 2015 को	31-3- 2017 को	31-03- 2016 को	01-04- 2015 को
अन्य समायोजन (आवेदन राशि लंबित आवंटन)	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन निवल परिसंपत्तियां	3.51	-	-	305.59	138.79	3.87	503.75	3.82	3.88
समूह का भाग % में									
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी व लाभ में	0.53%	-	-	27.31%	28.89%	28.85%	26.02%	28.85%	28.85%
(ii) आवेदन राशि लंबित आवंटन में समूह का भाग	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी व लाभ में	0.01	-	-	83.47	40.10	1.12	131.08	1.10	1.12
(ii) आवेदन राशि लंबित आवंटन में अन्य समायोजन	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारण राशि	1.18	-	-	83.47	40.10	1.12	131.08	1.10	1.12

रुपए करोड़ में

विवरण	इरकॉन - सोमा टोलवे प्रा. लिमिटेड			झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)			महानदी कोल रेल लि. (एमसीआरएल)		
	31-3- 2017 को	31-03- 2016 को	01-04- 2015 को	31-3- 2017 को	31-03- 2016 को	01-04- 2015 को	31-3- 2017 को	31-03- 2016 को	01-04- 2015 को
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां वर्ष के लिए लाभ	33.75	22.69	22.69	(0.06)	-	-	0.04	-	-
प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि	11.70	11.06	-	(0.58)	(0.06)	-	-	-	-
अन्य वृहत आय	-	-	-	4.51	-	-	-	0.04	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय माध्यमों को घटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन (आवेदन राशि लंबित आवंटन)	-	-	-	28.80	-	-	-	-	-
समापन निवल परिसंपत्तियां	45.45	33.75	22.69	32.67	(0.06)	-	0.04	0.04	-
समूह का भाग % में									
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी व लाभ में	50.00%	50.00%	50.00%	28.86%	0.00%	0.00%	26.00%	26.00%	0.00%
(ii) आवेदन राशि लंबित आवंटन में समूह का भाग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी व लाभ में	22.72	16.87	11.34	1.12	-	-	0.01	0.01	-
(ii) आवेदन राशि लंबित आवंटन में अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारण राशि	22.72	16.87	11.34	1.12	-	-	0.01	0.01	-

(ii) 31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना

(रुपए करोड़ में)

निकाय का नाम	निवल परिसंपत्तियां यथा कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या (हानि) में भाग		अन्य वृहत आय में भाग		कुल वृहत आय में भाग	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि (रु.)	समेकित लाभ व हानि के % के रूप में	राशि (रु.)	समेकित अन्य वृहत आय के % के रूप में	राशि (रु.)	समेकित कुल वृहत आय के % के रूप में	राशि (रु.)
मूल कंपनी								
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	100.28%	3,827.79	95.48%	368.96	100.00%	13.72	95.64%	382.68
सहायक कंपनियां								
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लि. (आईएसजीटीएल)	3.91%	149.33	0.10%	0.39	0.00%	-	0.10%	0.39
इरकॉन पीबी टोलवे लि. (आईपीबीटीएल)	4.40%	168.10	0.14%	0.54	0.00%	-	0.13%	0.54
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसीएल)	1.05%	40.04	-1.17%	-4.54	0.00%	-	-1.13%	-4.54
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड (आईआईएसएल)	3.00%	114.70	3.20%	12.36	0.00%	-	3.09%	12.36
कुल सहायक कंपनियां		472.17		8.75		-		8.75
सहायक कंपनियों में गैर नियंत्रण हिा	-0.51%	(19.62)	-0.57%	(2.22)	0.00%	-	-0.55%	(2.22)
सहायक कंपनियों में निवल राशि		452.55		10.97	0.00%	-		10.97
संयुक्त उद्यम								
बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	0.03%	1.18	0.00%	(0.00)	0.00%	-	0.00%	(0.00)
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	2.19%	83.47	-0.01%	(0.04)	0.00%	-	-0.01%	(0.04)
छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	3.43%	131.08	-0.01%	(0.02)	0.00%	-	0.00%	(0.02)
इरकॉन -सोमा टोलवे प्रा.लि	0.60%	22.72	1.51%	5.85	0.00%	-	1.46%	5.85
झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	0.03%	1.12	-0.05%	(0.18)	0.00%	-	-0.05%	(0.18)
महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	0.00%	0.01	0.00%	(0.00)	0.00%	-	0.00%	(0.00)
कुल संयुक्त उद्यम		239.58		5.60		-		5.60
निरसन तथा अन्य सीएफएस समायोजन	-18.41%	(702.80)	0.23%	0.87	0.00%	-	0.22%	0.87
निवल कुल	100%	3,817.12	100%	386.41	100%	13.72	100%	400.13

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

कृते के.जी.सोमानी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

एम.के.सिंह,
निदेशक/वित्त
डीआईएन 06607392

एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00515672

भागीदार: अनुज सोमानी
स.सं. 511267

सुमिता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 सितंबर, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 129 (4) के साथ पठित खंड 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के 129(4) के साथ पठित अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 129 (4) के साथ पठित अनुच्छेद 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 21 सितंबर 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 129(4) के साथ पठित अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों (अनुबंध के अनुसार) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अतिरिक्त, सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति या अनुपूरक लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) तथा 143 (6)(क), कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डी बेरा, एसए पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह विदेश में उनके संबंधित कानूनों के अंतर्गत निगमित निजी निकाय है। तदनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इस कंपनी के लिए ना तो सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है और ना ही अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट तथ्य नहीं आया है जो सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत कर सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

(बी.आर.मंडल)

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
(रेलवे -वाणिज्यिक), नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितंबर, 2017

अनुबंध

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की सूची जिनके लिए वर्ष 2016-17 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

सहायक कंपनियां:

1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)
2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)
3. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल)
4. इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)

संयुक्त उद्यम

1. इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)
2. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)
3. छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)
4. महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)
5. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)
6. बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)

ह/-

लेखापरीक्षा अधिकारी

इरकॉन

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
टेली: +91-11-29565666 फ़ैक्स: +91-11-26522000/26854000,
ई-मेल : Info@ircon.org, वेबसाइट : www.ircon.org
सीआईएन : U45203DL1976GOI008171

